राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 3

बुधवार;

20 मार्च, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

जिला अलवर की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

28. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में कुल कितनी भूमि सिवाय चक, चरागाह एवं नजूल सम्पत्ति है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं?

(3) क्या उक्त भूमि पर मंदिर, मस्जिद, मदरसे भी अवैध रूप से बने हुए हैं? क्या सरकार उक्त भूमि पर अवैध कब्जा कराने वाले पटवारियों तथा गिरदावरों पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? अब उक्त अवैध कब्जों को कब तक हटाने की योजना है?

राजस्व मंत्री (डा. श्रीमती कमला): (1) अलवर जिले में कुल सिवाय चक 291618 बीघा 02 बिस्वा, चरागाह 98538 बीघा 13 बिस्वा एवं नजूल सम्पत्ति 516 हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सरकारी भूमि में से कुछ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) तहसीलदारों से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त भूमि पर कोई मंदिर, मस्जिद, मदरसे अवैध रूप से नहीं बने हैं। उक्त भूमि पर अवैध कब्जे पटवारी/गिरदावरों द्वारा कराने का मामला जानकारी में नहीं आया है, अत: यह सूचना शून्य समझी जाए। अवैध कब्जों से अतिक्रमण नियमानुसार समय-समय पर हटाये जाते हैं जिसकी सूचना परिशिष्ट "स" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से जो सूचना आई है। उसको मैं असत्य का पुलिन्दा मानता हूं। मैं अधिकृत रूप से आपको जानकारी दे रहा हूं, कृपया बताने का कष्ट करें। सिवाय चक भूमि पर या चरागाह पर कब्जा, जो मैंने पूछा है, मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। बाकी अतिक्रमण तो

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बहुत है वहां। हजारों बीघा जमीन पर लाखों रुपये वसूल भी किए गए हैं। सिवाय चक भूमि को लेकर दो समुदायों में ठनी और अभी तक कब्जा है। यह वहां के समाचार पत्रों में आया है और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। यह है बुलेटा गांव में, मेरी ही तहसील में। इसके साथ बवकल चौकी तहसील अलवर में 5 बीघा सिवाय चक जमीन पर कब्जा किया हुआ है। बहुत बड़ी मस्जिद और मदरसा बनाया हुआ है। अकबरपुर मेन रोड पर ही और सिवाय चक जमीन पर कब्जा है। वर्तमान कलक्टर ने जो असत्य शब्द दिया है कि कब्जा नहीं है, अभी मस्जिद बन रही है। एक चिकानी मेन चौराहे पर कब्जा है। एक है खैरथल विधान सभा क्षेत्र में यह चिकानी में ही है। उसमें सिवाय चक की पी.डब्ल्यू.डी. की 6 बीघा जमीन पर कब्जा है। बहुत बड़ा मदरसा और मस्जिद बन चुकी है। तिजारा में मेन हाइ-वे पर और साथ लगी पी.डब्ल्यू.डी. की आधी जमीन पर, आधी सिवाय चक की जमीन पर अभी-अभी मजार बनाई जा रही है। टपूकड़ा में भी कई जगह इसी प्रकार से कब्जे हैं। रानीखेड़ा गांव में भी अवैध रूप से 42 बीघा जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई जा रही है। कैमाला में सिवाय चक की जमीन पर पहले जोहड़ था और श्मशान था, अब उस भूमि पर कब्जा करके मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। ये तथ्य हैं, कृपया आप नोट कर लें। ये जो असत्य आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं कलक्टर, अलवर के द्वारा या जिन भी अधिकारियों के द्वारा, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे? करेंगे तो कब तक?

डा. श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने विवरण दिया है, मुझे भी यह एहसास हो रहा था कि माननीय सदस्य ने यह जो सवाल पूछा है वह किसी न किसी निश्चित जानकारी के आधार पर ही पूछा है। इसलिए मैंने जिला कलक्टर को दो बार वापस कन्फर्म करवाया कि आप एक बार और देख लें कि जो ब्यौरा आपने दिया है वह सचमुच में कोई मंदिर, मस्जिद या मदरसा या कोई ऐसा निर्माण नहीं हुआ हो। फिर भी उन्होंने मुझे यही सूचना दी कि हमने जो सूचना दी है वह सही है। लेकिन आपने जो ब्यौरा दिया है स्पेसिफिक आइटम्स का, उसको मैं आपसे ले लूंगी और जिस किसी अधिकारी के स्तर पर इस तरह की सूचना गलत दी गई है मैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अवश्य करूंगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तो मैंने कुछ पांइटेड स्थान दिये हैं। इसके अलावा कोटकासिम तहसील में 57 जगह, तिजारा में 169 जगह, किशनगढ़ में 72 जगह, रामगढ़ में 85 जगह, लक्ष्मणगढ़ में 70 जगह, कठूमर में 48 जगह, राजगढ़ में 105 जगह, अलवर में 132 जगह थानागाजी में 24 जगह, बानसूर में 147 जगह, बहरोड़ में 34 जगह, मुण्डावर में 45 जगह, सब जगहों पर अवैध रूप से कब्जे

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हैं जिनके लिए मैंने मूल प्रश्न में पूछा है।

डा. श्रीमती कमला : अवैध रूप से कब्जों का तो मैंने ब्यौरा दे दिया आपको।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जी, हां।

डा. श्रीमती कमला : जमीनों पर कब्जा है खेती के लिए, आवास के लिए, वह तो मैंने दे रखा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वह प्राइवेट कब्जा है।

डा. श्रीमती कमला : लेकिन आपने जो विशेष तौर पर मन्दिर, मस्जिद, मदरसों वगैरह का दिया है वह मैं ना कर रही हूं। उसके लिए मैंने आपसे कहा है। बाकी यह तो आपको जो परिशिष्ट "ब" दिया है उसमें है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लेकिन अभी खाली नहीं करवाये गये हैं।

डा. श्रीमती कमला : खाली भी करवाये हैं, उसका भी ब्यौरा आपको दिया है। परिशिष्ट "स"

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वह असत्य है, मैं अधिकृत रूप से आपको निवेदन कर रहा हूं।

डा. श्रीमती कमला : ऐसा है, देखिये असत्य है तो जैसे आपने स्पेसिफिक बात कह कर कान्ट्राडिक्ट किया है तो मैं भी पता करूंगी, आप भी अपना दें। बाकी जो अनधिकृत कब्जे थे उनमें से हमने करीब 11080 प्रकरणों में 14541 बीघा जमीन खाली करवाई है। पैनल्टी के तौर पर 13,80,669 रुपया वसूल किया है और 237 व्यक्तियों को सजा दी है। इतना काम इसके हटाने का किया है लेकिन बहुत सारा बाकी है, यह बात सही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या जानना चाहूंगा? जवाब मिल गया उनको, वह सन्तुष्ट हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सप्लीमैंट्री पूछने का अधिकार नहीं है क्या हमें?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। एक मिनट, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, हम आसन का सम्मान करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सदन आहूत हुआ है......

श्री उपाध्यक्ष : मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बात सुनें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर विराजे हैं, अगर यह अधिकार लोकतंत्र में जनता ने हमें दिया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं, उस अधिकार से आप हमें वंचित करेंगे तो हम कहां जाएंगे? (व्यवधान)

श्री सांवरलाल (भिनाय) : सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम आसन का सहयोग करना चाहते हैं। परन्तु यह क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। मैं मना नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अगर आज्ञा प्रदान नहीं करेंगे तो मैं बिलकुल नहीं पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आज्ञा देऊंगा, आप विराजो। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि जो भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं वह उम्मीद करते हैं कि इस हाउस में उनका जवाब आए। इसलिए जितना आप ब्रीफ होंगे क्वेश्चन में उतने माननीय सदस्यों के अधिक क्वेश्चन आएंगे और उनको भी उसका लाभ मिलेगा। उस दृष्टि से यदि आप इस हाउस को चलाएंगे तो उनको ज्यादा सहयोग मिलेगा। अब आपको जो कहना है वह कहो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने परिशिष्ट ''ब'' पर अवैध अतिक्रमण के लिए 11457 बीघा का उल्लेख किया है और आपने जो इसके साथ प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया उसमें आपने नियमन किया है 203 बीघा का। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या शेष भूमि नियमन योग्य नहीं है? अगर नियमन योग्य नहीं है तो क्या आपने इस अतिक्रमण को हटाने का निर्णय किया और किया तो कब तक? क्योंकि साथ ही आपने 1.4.2001 से 28.2.2001 तक 13,25,669 रुपये की पैनल्टी वसूल की है। यह पैनल्टी आपने नियमितीकरण के कारण वसूल की है, यह पैनल्टी उनको डिसपजेज करके वसूल की है। कृपया बताएं।

डा. श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैनल्टी बार बार अतिक्रमण करने के लिए लगाई गई और आखिरी बार, तीसरी बार जब नहीं मानते हैं तो उनको सजा दी गई है। इसलिए पैनल्टी अतिक्रमण को रिपीट करने के तौर पर लगाई गई थी। बाकी जो आपने कहा कि इतने तो आपने नियमन किये और बाकी क्या हुए, उनका क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि बाकी जो हैं उनके बाबत में कार्यवाही कर रहे हैं। जो अभी गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक नियमन योग्य पात्रता रखने वाले व्यक्ति हैं उनका नियमन किया है। जो पात्रता नहीं रख रहे हैं उनको इजैक्ट करने की कार्यवाही की जा रही है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब तो यह हुआ कि प्रशासन गांवों के संग का जो

(श्री देवीसिंह भाटी)

ढोल पीटा गया था वह बिलकुल ही फेल हो गया, उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। सिर्फ मुख्य मंत्री का बयान आ जाता है कि 16 लाख परिवारों को लाभान्वित किया, यह पता नहीं कैसे किया।

श्री संयम लोढ़ा : 66 लाख परिवारों को लाभान्वित किया है, 66 लाख। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हवा निकल गई है आपकी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, श्री माहिर आजाद। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अजमेर में हार हो गई अभियान की, (व्यवधान) अजमेर में हार हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

एक माननीय सदस्य : अभियान में गये ही नहीं तो उनको लाभ कैसे मिलेगा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा था, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक सवाल था....

श्री उपाध्यक्ष : आ गया। (व्यवधान) श्री माहिर आजाद।

डा. श्रीमती कमला : मैं जवाब दे दूं इनका। (व्यवधान) ढोल पीटने का जवाब देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

डा. श्रीमती कमला : ढोल पीटने का तो जवाब देना पड़ेगा। ढोल पीटने वाली बात का मुझे जवाब देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सबसे ज्यादा फायदा हुआ......(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भैरोंसिंह जी खुद इसकी प्रशंसा कर चुके हैं। (व्यवधान)

डा. श्रीमती कमला : राज्य सरकार ने यह किया है 66 लाख मामले निपटाने में......(व्यवधान) 44 लाख राजस्व के अकेले के मामले निपटाये गये.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रशासन गांवों के संग के अन्दर इन्होंने बड़ी बातें की, सरकारी भूमि पर कब्जा है उसका आप नियमन करेंगे और, उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में नियमन करते हैं 203 बीघा का। मतलब 11,457 बीघा पर अतिक्रमण था अलवर जिले के अन्दर। इन्होंने लम्बी चौड़ी घोषणा की, प्रशासन गांवों के संग की बात कही.....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अगली बार बारह भी नहीं आओगे, यह ध्यान रखना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. श्रीमती कमला : माननीय विधायक महोदय, राज्य सरकार ने....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अभियान ने भा.ज.पा. का सफाया कर दिया। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ मत बोलो, बी.जे.पी. कांग्रेस कहां आ गई? (व्यवधान) बात तो अतिक्रमण की है। अतिक्रमण चल रहा है, अतिक्रमण है और....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. श्रीमती कमला : माननीय विधायक महोदय, नियमन करने का यह तात्पर्य नहीं है कि कानून के विपरीत जिन्होंने अतिक्रमण कर रखे हैं और पात्रता नियमन की नहीं रखते हैं उनको भी संख्या बढ़ाने के लिए दिखाने की कोशिश करें। जो पात्रता रखते हैं उनको कर रहे हैं। किया है और आगे भी उनको करेंगे। लेकिन सरकारी जमीन या गोचर जमीन या अन्य भूमियां रैगुलराइज करने के लिए नहीं दी जाएंगी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : मैं तो प्रशासन गांवों के संग की बात कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पंचायत में....

श्री उपाध्यक्ष : प्रशासन गांवों के संग का सवाल नहीं है....(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मेरी खुद की घरेलू पंचायत में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने और वहां के गांव वालों ने.....(व्यवधान)

श्री सांवरलाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया बताएं कि जो पात्रता रखते थे उनको आपने नियमन कर दिया तो कितने मामले हैं जो पात्रता रखते हुए नियमन नहीं किए जा सके प्रशासन गांवों के संग में? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने आश्वासन दिया था....(व्यवधान) आपके कहने के बाद भी....(व्यवधान)

डा. श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, जिन क्षेत्रों में पात्रता रखने वाले लोगों का नियमन नहीं हुआ है, आप अगर स्पेसिफिक उदाहरण बताएंगे, हम भी आदेश करेंगे कि कोई ऐसा रह गया है उनके साथ कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजाद। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : सैकड़ों लोगों का नहीं हुआ....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह तो आपका सौभाग्य है जो मुख्य मंत्री जी गये ....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तो कुछ भी नहीं हुआ....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपके टाइम में तो कोई संतरी भी नहीं पहुंचा....(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी तो पहुंच गए....(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : रोज सुबह उठकर लोग....(व्यवधान) आपने आठ घण्टे बिजली देने का वायदा किया.... (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी के

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

कहने के बाद भी बिजली नहीं मिली। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रशासन गांवों के संग की असली तस्वीर....(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : फूटा हुआ ढोल पीट रहे हो। एक इंच भी अलाटमेंट हुआ हो तो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों की आयु सीमा में छूट

29. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में बजट भाषण में आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सकों एवं कम्पाउण्डरों के नये पद सृजित करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कितने-कितने पद?

(2) क्या उक्त नव सृजित पदों को भर दिया गया है? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां और नहीं, तो क्यों? उक्त पदों को अब कब तक भर दिया जायेगा?

(3) क्या आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सकों की भर्ती की आयु सीमा को भी बढ़ाकर मेडिकल डाक्टरों के समकक्ष करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती इन्दिरा मायाराम) : (1) जी नहीं।

(2) पद सृजित नहीं किए गए थे तो कहां-कहां लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जी, हां। आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सकों की भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने का प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सवाल यह था कि वर्ष 1998-99 और 1990-2000 के बजट भाषण में आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों के और कम्पाउण्डरों के नये पद सृजित करने की घोषणा की गई थी। माननीय मंत्री जी ने तकनीकी तौर पर तो जवाब यह सही दिया कि जी, नहीं। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 1999-2000 में दिये गये भाषण के पृष्ठ संख्या-669 का अवलोकन करें। इसमें आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा की हैडिंग से 119 क्रमांक पर लिखा है कि आगामी वर्ष पांच 'ब' श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालयों को 'अ' श्रेणी में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 100 'ब' श्रेणी के आयुर्वेद औषधालय तथा पचास यूनानी दवाखानें खोले जाएंगे जिनके लिए दो करोड़ बारह लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है, यह तो सुनने में आता था कि हाकिम बदल जाते हैं लेकिन हुक्म जैसे के तैसे यथावत रहता है। क्या माननीय चन्दनमल

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जी बैद के वित्त मंत्री पद से चले जाने के बाद उनकी यह घोषणा भी खतम हो गई? मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो आपने पचास यूनानी औषधालय और 100 आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की घोषणा की बजट भाषण में, उनमें से आपने आज तक कितने खोल दिये? पहला तो स्पेसिफिक सवाल मेरा यह है और खोल दिये तो उसमें कहां-कहां कितने वैद्य और हकीम लगाये?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य महोदय को यह बताना चाहती हूं कि 9.7.1998 को राजस्थान विधान सभा में 1998-99 का बजट प्रस्तुत करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री महोदय ने 25 आयुर्वेद औषधालयों की घोषणा की थी और 1999-2000 का बजट प्रस्तुत करते समय पांच 'अ' श्रेणी के, 100 'ब' श्रेणी के आयुर्वेद औषधालय और पचास यूनानी की घोषणा की थी। इसमें कोई शक नहीं है। 25 आयुर्वेद औषधालय खोलने की 1998-99 की जो घोषणा थी उनको तो हमने खोल दिया। हमारे पास 150 थे जिनमें 100 आयुर्वेद और पचास यूनानी थे, उनमें से 117 की हम प्रशासनिक स्वीकृति निकाल चुके हैं। लेकिन वित्तीय साधन नहीं मिलने के कारण अभी तक हम उन अस्पतालों को खोल नहीं पाये हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री की खुद की घोषणा थी कि बजट का प्रावधान रखा है, उसके बाद आप यह बताइये कि थोथी घोषणाएं करने से फायदा क्या है? आपने घोषणा कर दी उसके बाद उसको अमली जामा नहीं पहनाया। आज तीन साल बीत जाने के बाद एक भी आपने कहीं खोला हो तो आप बताइये? फिर आपकी इस घोषणा का फायदा क्या हुआ? आपने नगर के अन्दर आयुर्वेद औषधालय खोलने की घोषणा कर दी, अब नगर में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि इसमें गाय-भैंस बांधेंगे क्या? इसमें क्या करें? इसमें वैद कब लगेंगे? तो मेरा आपसे सवाल यह है, आप तो हमको यह बताओ, हमको प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति से मतलब नहीं है, कि आपकी यह घोषणा थी इस पर अमली जामा कब पहना देंगे? आप द्वारा घोषित यूनानी और आयुर्वेद औषधालय कब खुल जाएंगे, कब काम करने लग जाएंगे?

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय आयुर्वेद मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने एलोपैथी के चिकित्सक और यूनानी और आयुर्वेद के चिकित्सकों के वेतन-भत्ते समान कर दिए, उनका पाठ्यक्रम भी पांच साल का समान, उनकी सेवा शर्तें भी सारी समान हैं, उसके बाद एलोपैथी में तो अगर डाक्टर आप नियुक्त करेंगे तो उसकी मिनिमम एज 45 साल और आयुर्वेद के वैद के लिए 35 साल आपने कर रखी है। जब पांच साल पढ़कर आता

(मोहम्मद माहिर आजाद)

है, इंटर्नशिप करके आता है, तब चीज समान है तो आप इसकी आयु को भी समान क्यों नहीं कर देते? आज प्रदेश में सैकड़ों ऐसे वैद हैं जिन्होंने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया। आप स्वीकृति निकालते हैं पदों की, आपने 1998–99 में निकाले, जो लोग योग्यता रखते थे उन्होंने उसमें आवेदन कर दिया, आपने वे नियुक्तियां निरस्त कर दीं। अब दुबारा निकालीं तब तक वह ओवरएज हो गए। आपने पुलिस में तीन साल की छूट दी, गृह मंत्री जी बैठे हैं। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या आप आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों के लिए भी आयु की सीमा को बढ़ाकर 35 से 45 कर रहे हैं? आपने कहा, राज्य सरकार के पास यह मामला विचाराधीन है, तो जरा बताएं, किस स्तर पर यह विचाराधीन है और कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा?

श्री देवी सिंह भाटी : वित्त मंत्री जी, +++

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य को बताना चाहती हूं कि मैंने 28.8.2001 को माननीय मंत्री महोदय कार्मिक को और उसके बाद दुबारा 6.9.2001 को इस बारे में लिखा था। वहां पर इस बारे में विचार–विमर्श केबाद अब मेरे पास यह अभी लिखकर आया है, 11.2.2002 को अभी पत्र मिला है कि हमें नियम में परिवर्तन करने पड़ेंगे। उसके लिए मैंने कार्यवाही शुरू कर दी है आयु सीमा बढ़ाने के बारे में।

दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा है, उसके बारे में मैं आपको इतना ही विश्वास दिला रही हूं कि जल्दी से जल्दी हम 100 अस्पताल आयुर्वेद के और 50 यूनानी जिनकी हमने स्वीकृति निकाल दी है प्रशासनिक, उनको खोलने का प्रयास करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : कब तक? आपके कार्यकाल में हो जाएगा क्या? 1998–99 से अब तक तीन साल में नहीं हुए, यहां माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं, वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं, कार्मिक मंत्री जी भी बैठे हैं....(व्यवधान) फिर वहां स्पेसिफिक घोषणा करें कि कब तक खोल देंगे या ऐसे ही +++ बनाते रहेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदया, खूब सोच समझकर घोषणा करो, फिर कहीं नहीं खोल पाओगे आप। (व्यवधान) सी.एम. साहब से पूछ लो, वित्त मंत्री जी से पूछ लो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रदेश के हजारों....(व्यवधान) परिवारों के हित का सवाल है। मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, एक तरफ घोषणा कर दी और फिर वित्त से उसको नियंत्रित कर लिया तो अब कब तक कर देंगे? मैं तो यह जानना चाहूंगा कि इस पर घोषणा करें, कृपा करके आप कब तक कर देंगे?

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगतसिंह दायमा : बानसूर में खोल दिया, एक नगर में और खोल दो बस। बानसूर में तो आपने कर दिया है, नगर में और कर दीजिए। सौ परसेंट हो गया।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, और वहां पर वैध आज तक नहीं लगे।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस के अन्दर घोषणा हुई वित्त मंत्री जी के बजट भाषण के अन्दर, इस प्रकार की घोषणा करके इसको लागू नहीं करना या तो वित्त मंत्रीजी +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ : +++

श्री देवीसिंह भाटी : वर्ना आप आश्वस्त करें कि एक माह के अन्दर इसकी स्वीकृति जारी कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : वित्त मंत्री जी से कह रहा हूं यह। जब हाउस के अन्दर घोषणा हुई है....

मोहम्मद माहिर आजाद : अपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आपके यह बेमिसाल तीन साल के अन्दर यह धब्बा मत लगाओ, इसको तो आप आज की आज तय करो कि यह कर दोगे। तुरन्त खड़े होकर कहो, यह तो आपका खुद का निर्णय लिया हुआ है। यह कब तक करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तीन साल बेमिसाल, जनता है बेहाल।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्त्वपूर्ण सवाल है, अगर यह हाउस निर्णय नहीं करेगा तो फिर इसका फैसला कब होगा? डी.ओ.पी. से उम्र बढ़ाने का कल्ला साहब खड़े होकर कहें। दो बार माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी कह रही हैं डी.ओ.पी. में भेजा है, इन्होंने इसको रिजैक्ट कर दिया। यह बताएं, कब करेंगे?

श्री जगत सिंह दायमा : अब की बार तो करोगे ही आप, इसलिए घोषणा कर दो कि इस बार करेंगे। इस बार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कटारियाजी, बोलें।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति भारतीय चिकित्सा पद्धति है और इसमें समान व्यवहार होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : तो यह बाद में बोल लेंगे। मैं तो आपका हूं यह तो पराये हैं। यह तो पराये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने देंगे।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : यह तो पराये हैं। मैं तो बाद में बोल लूंगा, कोई बात नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ही गम्भीर प्रश्न खड़ा हो गया कि बजट में जो प्रावधान रखा गया, वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी यहां दोनों बैठे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है, वित्त मंत्रीजी....

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ऐसी घोषणाएं तो इन्होंने दौसा राजकीय अस्पताल बनाने के लिए भी की थी, कि प्रत्येक बजट के अन्दर हम एक करोड़ रुपया देंगे। तीन साल हो गए, राजकीय अस्पताल, दौसा अभी तक आपके बजट की प्रतीक्षा में बैठा है। तीन साल हो गए, ऐसी झूठी घोषणाएं कर रही है कांग्रेस गवर्नमेंट जब से आयी है तब से।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी, यह बात हो गयी, विराजो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : एक दिन पहले भी इनसे कह रहे हैं हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर घर का मालिक यह कहेगा कि मेरी जेब खाली है, साहूकार को तो साहूकारी से पैसा मिलता है.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज विराजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एम.एल.ए. को पैसा नहीं मिलता है। हमारे दौसा अस्पताल के अन्दर एक करोड़ रुपया आया है तीन साल के अन्दर। ठेकेदार छोड़कर भागने को तैयार हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं आपसे कि ये थोथी घोषणाएं क्यों करते हैं? अगर नहीं करनी है तो इन्होंने घोषणा क्यों की?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। (व्यवधान) वह रुके तब ना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अब तक तीन करोड़ रुपया मिल जाना चाहिए था, एक करोड़ भी नहीं गया और ठेकेदार छोड़कर भागने को तैयार हो रहा है। दौसा नया जिला है, उसका राजकीय अस्पताल निर्माणाधीन है और आपके वित्तीय अभाव से उसका कार्य नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना, अब विराजो प्लीज।

श्री रामस्वरूप : हम कांग्रेसी काहे के लिए बैठे हैं? हम कांग्रेसी काहे के लिए बैठे हैं, पहले हमारे खुलेंगे फिर आपके खुलेगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : तो घोषणा क्यों करते हो आप? थोथी घोषणा क्यों करते हो? झूठी घोषणा क्यों करते हो?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट में प्रावधान रखा था और जितने आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल खोलने की बजट में आपने घोषणा की थी, उसके बजट का कैलकुलेशन उसी की सीट्स के आधार पर, उसकी आवश्यकता के आधार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पर किया था, तो जो बजट आपने बनाया उस बजट की अगर पूर्ति नहीं हुई तो बजट का इस सदन में पास करना, अगर मान लो नहीं हुआ तो आप कहीं सप्लीमैंट्री डिमाण्ड में आते या और किसी में आकर के आप उसके बारे में कोई अपनी मजबूरी जाहिर करके उसको स्पष्ट करते। प्रावधान था, उस प्रावधान का उपयोग आपने नहीं किया इससे बड़ा राजस्थान की जनता को धोखा और क्या हो सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : शेम।

डा. बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री) : आपने घोषणा की थी अपने वक्त में, आज तक नहीं खुले। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, बीकानेर में आज तक नहीं खुला। आप बात करते हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये सजा भुगत रहे हैं। आप भी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इन्होंने गलत काम किया, इनके नक्शे कदम पर चलोगे क्या आप? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी कि जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोला जाएगा, तो पहले वाली घोषणाओं को तो अमली जामा पहनाएं। आगे नयी नयी करते रहेंगे, क्या इसका पैसा उसमें आएगा? क्या होगा, कुछ तो बताएं यहां पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका मतलब इस सरकार का वजट की घोषणा पर कोई विश्वास नहीं है। कोई विश्वाय नहीं है इनका। उपाध्यक्ष महोदय, दो साल हो गए। दो साल होने जा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर, वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय वित्त मंत्रीजी, कुछ तो बताएं कि कब तक इसकी वित्तीय स्वीकृति निकल जाएगी? ऐसे मूक दर्शक बने बैठे रहने से थोड़े ही काम चलेगा। आप बताएं इसकी फाइनेंशियल सैक्शन कब तक निकालोगे?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : झूठी घोषणा क्यों करते हो? झूठी घोषणा क्यों करते हो? पहले तो कह दिया, तीन साल हो गये आपको।

श्री देवीसिंह भाटी : थोथी घोषणाएं करते हैं। यह भी थोथी घोषणा हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 22 मार्च को जो बजट आ रहा है, बजट लैप्स जो हुआ है, जो गलती हुई है उसको इस बार आवश्यक प्रावधान कर, आवश्यक फंड रिलीज करके ये सौ आयुर्वेदिक और पचास यूनानी अस्पताल खोलने की भूमिका बनाने की कृपा करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : तीन साल हो गये, क्या हो इस सरकार का? उपाध्यक्ष महोदय पहले जो होना था उसको कम से कम इस साल तो करिये।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी का जवाब हो गया। माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तीन साल हो गए, तीन साल में नहीं हुआ।

श्री मानिक चन्द सुराना : तीन साल में नहीं हुआ, उसको इस साल तो करिए कम से कम।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) **:** उपाध्यक्ष महोदय, बी.डी. कल्ला साहब को तो शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया योग्यता के कारण, अब वित्त मंत्रीजी को भी हटा दीजिए। दुबारा चंदनमलजी वैद साहब को ही मंत्री बनाइये। इनको बजट बनाना नहीं आता। पहले लीक हुआ, अब सीक हुआ और अब और कुछ होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : लीक और करवा देते हैं बजट। बजट लीक और करा लेते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं, इनको बजट बनाना आता ही नहीं। बी.डी. कल्ला साहब को इसलिए हटाया कि शिक्षा मंत्री अयोग्य थे, सी.पी. जोशी साहब को बनाया। यह भी वित्त मंत्री के अयोग्य हैं, बजट लीक करा दिया, आप बजट बनाना जानते नहीं है। इसलिए वापस चंदनमल जी वैद साहब को लाया जाये। बजट तो बनाना जानते हैं ना। मैं वैदजी की सिफारिश नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, किसी बात को तो सीरियसली लो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) **:** उपाध्यक्ष महोदय, किन कारणों से ये सैंक्शंस नहीं निकल पायीं, यह निश्चित है कि पिछले सालों में आयुर्वेद विभाग के कुछ पद स्वीकृत किए गए थे। आयुर्वेद विभाग के कुछ पदों को भर्ती की अनुमति दी गई थी, उन पदों का क्या हुआ, जहां तक मेरी जानकारी है, कोर्ट के स्टे आर्डर्स वगैरह कुछ आये थे....

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, इसमें कुछ नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरा निवेदन सुनो। मैंने आपकी बात पूरी सुनी....

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनो तो सही।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसमें दो मुद्दें उठकर आये हैं। सबसे अहम् बात यह है कि इसकी फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं निकली। मैं इस पूरे प्रकरण को दिखाऊंगा। जहां तक उम्र बढ़ाने का सवाल है जो नगर से आने वाले सम्मानीय सदस्य ने कहा, उसके बारे में चूंकि रूल्स में अमेंडमैंट के बिना वह एज रिलैक्सेशन की कार्यवाही नहीं हो सकती है और रूल्स के अन्दर रिलैक्सैशन की अपनी प्रक्रिया है, मंत्रिमण्डल तक जाएगा यह मामला। कार्मिक मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मुझे उम्मीद है कि एज रिलैक्सेशन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

का मामला निपटेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो घोषणाएं तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा की गयी थीं उनको निश्चित रूप से इस साल में पूरा किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। आप बैठिये। श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : घोषणा कर दी, दौसा जिला अस्पताल का भी तो बता दो, वित्त मंत्रीजी कि उसका बजट कब तक दे दोगे आप? नहीं, फिर हमारा क्या होगा? दौसा का जो जवाब आने दो। बजट आता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। शिवनाथ सिहंजी। माननीय मंत्रीजी।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : उदयपुर सम्भाग का मामला है। उदयपुर डिवीजन के अन्दर आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर ट्रेनिंग करके घर बैठे हुए हैं। 1980 से। सरकार ने अब तक नहीं भरा है उन पदों को उदयपुर डिवीजन के अन्दर।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय वित्त मंत्रीजी सबजुडिस बता रहे हैं कि कोर्ट में है मामला, यह सरासर गुमराह कर रहे हैं। सदन को गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि यह मामला सबजुडिस है आंर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस साल हम लागू कर देंगे। यह कैसे सम्भव होगा? एक तरफ कह रहे हैं सबजुडिस है और दूसरी तरफ कह रहे हैं इस साल हम लागू कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, जब बात करेंगे। विराजो प्लीज।

चिकित्साधिकारियों के लम्बित आरोप-पत्र

30. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) एवं **श्री भंवर लाल शर्मा** (हवामहल) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:- चिकित्सा मंत्री एवं स्वास्थ्य विभाग के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16/17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी किये गये हैं जो अभी तक निर्णित नहीं हो पाये हैं तथा कार्यवाही लम्बित है? अधिकारियों के नाम, आरोप-पत्र जारी होने की दिनांक तथा वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

कार्मिक मंत्री (डा. बुलाकीदास कल्ला): चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16/17 के अन्तर्गत लम्बित 466 प्रकरणों की वर्तमान स्थिति दर्शाते हुए सूचियां परिशिष्ट "क", "ख", "ग", "घ", "ङ", सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(सूचियां विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री जीतमल खांट : उदयपुर डिवीजन के अन्दर सैकड़ों आदिवासी लोग ऐसे हैं जिन्होंने आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर की ट्रेनिंग ली है। इसके पश्चात् भी उन पदों को नहीं भरा गया है। उदयपुर सम्भाग में 1980

(श्री जीतमल खांट)

से ट्रेनिंग किए हुए लोग बैठे हुए हैं। उदयपुर सम्भाग के सारे आदिवासी छात्र आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर की ट्रेनिंग लेने के पश्चात् भी आज दिन तक बैठे हुए हैं। अब वे सारे ओवरएज हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि उनका कब तक चयन कर लिया जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंहजी। बिराजिये प्लीज।

श्री जीतमल खांट : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्र उदयपुर सम्भाग का मसला है, 1980 से जिन लोगों ने ट्रेनिंग की है अब तक उनको नियुक्ति नहीं दी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके पद कब तक भर दिये जाएंगे?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह तो पश्चिमी राजस्थान का मामला है, आप तो पश्चिमी राजस्थान को वैसे भी बहुत बजट देते हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए प्लीज़।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष जी,यह बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है और हमारे सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्र के लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं....

श्री नन्दलाल बंशीवाल : पूर्वी राजस्थान के साथ हमेशा भेदभाव करते हैं यह। पश्चिमी राजस्थान में खूब बजट देते हैं। यह उदयपुर सम्भाग का मामला है, मुख्य मंत्रीजी, दो ना उनको।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्नकाल है, यह कोई डिबेट नहीं है। विराजिए प्लीज।

श्री जीतमल खांट : 1980 से जिन लोगों ने ट्रेनिंग कर रखी है उनके साथ में बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा हे और आदिवासियों के नाम से सरकार वोट लेकर यहां सत्ता में आकर बैठी है। इस पूरे सम्भाग के तमाम आदिवासी छात्रों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। उन लोगों को कब तक भर्ती कर लिया जायेगा, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरे उदयपुर सम्भाग का मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री जीतमल खांट : सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्र के लोगों के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसलिए मैं आज नहीं बैठूंगा। मुझे आज आपके माध्यम से जवाब चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मुद्दा है तो आप किसी और तरीके से इसको उठाइये, उसका जवाब आएगा। आप विराजें। माननीय शिवनाथ सिंह जी।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी समाज से सम्बन्धित है.... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अगर मुझे जवाब नहीं मिलता है तो इस बात को लेकर मैं वाक आउट करता हूं....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यदि आदिवासियों की बात सदन में नहीं सुनी जाए...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हां, मैं धरने पर आता हूं...(व्यवधान) (श्री जीतमल खांट, माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री मदन दिलावर : जब भी आदिवासियों से सम्बन्धित बात आती है तो कांग्रेस के लोग नहीं सुनते हैं।

(श्री भाणजी भाई, माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिनाथ सिंह : माननीय मंत्री महोदय ने पांच परिशिष्ट दिए हैं। मेरा जो प्रश्न है वह थोड़ा-सा पढ़ देता हूं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री शिनाथ सिंह : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के किन-किन अधिकारियों के खिलाफ सी.सी.ए. नियम 16/17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किए गएं हैं, पहला, जो अभी तक निर्णित नहीं हो पाये हैं तथा कार्यवाही लम्बित है? अधिकारियों के नाम, आरोप-पत्र जारी होने की दिनांक, माननीय मंत्री महोदय पहला तो परिशिष्ट यह है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : यह बैठे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : पहला परिशिष्ट जो मुझे दिया है वह आपने दिया है जिनमें आरोप-पत्र जारी नहीं हुए हैं। मैंने पूछा यह था कि जिनमें आरोप-पत्र जारी हो चुके हैं और कार्यवाही लम्बित है।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदया, यहां भ्रष्टाचार की बात हो रही है, शिष्टाचार तो बरतें। यह नीचे बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप शांत रहे।

श्री जगत सिंह दायमा : आदिवासी हैं, सदन में नहीं सुनेंगे बात तो कौन सुनेगा? (व्यवधान) यह शिष्टाचार है, यह तो कराए कम से कम।

श्री उपाध्यक्ष : स्वतः ही चले जाएंगे प्लीज।

(श्री जीतमल खांट एवं श्री भाणजी भाई, माननीय सदस्य द्वारा धरना समाप्त)

श्री शिवनाथ सिंह : मैं जानना यह चाहूंगा कि जो 131 अधिकारियों की सूची आपने दी है और जिनको आरोप-पत्र अभी तक जारी नहीं हुए हैं, उनके खिलाफ कब तक आरोप शुरू किए गए हैं? उन्होंने आफेन्स कब किया? उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई हो, कहीं भी जो इनीशिएशन हुआ है वह किस साल में हुआ है? जिनको अभी तक आरोप-पत्र जारी नहीं किए गए हैं। वह किस साल से हैं? 131 अधिकारी हैं उनमें सिर्फ पांच के आप बता दीजिए जो सबसे लम्बी अवधि से पड़े हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी सूची जो आपने दी है वह जिनके खिलाफ आरोप-पत्र जारी हो चुके हैं, उनकी दी है। लेकिन अभी तक जांच चालू है। लम्बी सूची है लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तीन-चार उदाहरण देना चाहूंगा। अधिकारियों का नाम भी लूंगा। एक सूची है, 31.3.1994 को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया।

(श्री शिवनाथ सिंह)

और वह अधिकारी भी है अतिरिक्त आयुक्त ग्रेड का। इसी तरह से एक सूची में 1998 में सम्भागीय आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। इस तरह से 15-20 मामले ऐसे हैं जो 3-4 साल से जांच में पड़े हुए हैं और जांच अधिकारी हैं सम्भागीय आयुक्त या अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त। मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह पड़े रहेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : आपका उत्तर मान लूं क्या? उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि जिस अधिकारी ने दोष किया है उसको तो दण्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जिन-जिन आयुक्त लेवल के अधिकारियों को हमने जांच अधिकारी नियुक्त किया है और तीन-तीन, चार-चार साल से वे मामले जांच में पड़े हुए हैं उनके खिलाफ आप क्या सोचते हो? क्या आपने कोई मानिटरिंग सिस्टम इसका कर रखा है किस लेवल पर इसकी मानिटरिंग होती है? यदि होती है तो आखिरी जो दो मानिटरिंग की मीटिंग्स है उनका थोड़ा-सा विश्लेषण आप बता दें कि इन दो आखिरी तारीखों में इनका विश्लेषण किया गया है और यह निर्णय हमने लिया है। दो-तीन साथ में और हैं, वह नोट कर लीजिए और सबका एक साथ जवाब दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी सूची आपने पेश की है, बहुत लम्बी सूची है, प्रकरण जिनमें जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। कई प्रकरण 1999 से कई प्रकरण 2000 से सब जांच होने के बाद राज्य सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं। इस पर आपका विचार करने का मन है कि नहीं है? विचार करने का मन है तो किस स्टेज पर कब करेंगे? 1998 से 1999 से और 2000 से पड़े हैं। 2001 वालों को मैं नहीं ले रहा हूं। सब जांच होने के बाद आपके निर्णय के लिए आपके पास पड़े हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी श्रेणी आपने दी है कि आयोग को परामर्श के लिए भेजा गया है। यह सूची भी दिखलाती है कि दो-दो साल से, लम्बे समय में आयोग के पास राय के लिए भेजे गए हैं और अंतिम सूची राज्यपाल महोदय को आपने प्रेषित की है, उसमें एक नम्बर पर है 31.10.2002 मेरे खयाल से अभी यह तारीख आई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मिसप्रिंट हो गया।

श्री शिवनाथ सिंह : इसी तरह से दूसरे में 31.10.2002 हो सकता है माननीय मंत्री महोदय ने इसको देखा नहीं होगा। जो मेरे पास सूची है उसमें यही है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक है, एक।

श्री शिवनाथ सिंह : हो सकता है गलती से हो। लेकिन यह जो उन्होंने भेजी है, जो हमने दो-तीन जानकारी की हैं, इसके बाद में मैं दूसरे सवाल पूछूंगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस तरीके से बात बतायी, आरोप-पत्र जो जारी नहीं हुए हैं, इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

हूं कि क्वासी जुडीशियल मामले हैं। इनमें प्रारम्भिक तौर पर जो भी चार्ज शीट आती है उसका प्रारम्भिक विश्लेषण करने में करीब-करीब 6-7 महीने की अवधि पहले से निर्धारित की हुई है। उसके बाद चार्जशीट पर उसका जवाब मांगा जाता है। जवाब देने में कई बार आरोपित व्यक्ति खुद एक्सट्रा डाकूमेंट मांगता है और उसके कारण काफी लम्बा समय वह खुद लेता है। उस विधि में कहीं ऐसा नियम नहीं है कि हम उसको रोक सकें। लेकिन मैं आपके माध्यम से खास तौर से सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1990 से लेकर 1999 तक केवल 90 प्रकरण यानि एक साल में 9 प्रकरण निपटाये पिछली सरकार ने, जबकि वर्ष 1999 से जबसे यह सरकार आयी है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पिछली सरकार ने क्या किया या क्या नहीं किया.... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं बता रहा हूं, आप सुनने की क्षमता रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको इधर बैठना है, आप इधर आना चाहते हो क्या? आपने क्या किया , वह बताएं....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने क्या किया, वह बता रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आदत पड़ गई, पिछली सरकार की....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : सन् 1952 से क्या-क्या किया....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली सरकार की और इस सरकार की तुलना में नहीं जाना चाहता....... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : 1952 से बताओ ना, 1952 से क्या-क्या किया है....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : पिछली सरकार ने क्या किया, वह दूसरी बात है। मैं तो वर्तमान सरकार के काम को जानना चाह रहा हूं। इसलिए 1990 से उन्होंने क्या किया, वह बताने की आवश्यकता नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं बता रहा हूं। वर्तमान सरकार ने वर्ष 1999 में चिकित्सा विभाग के 81 मामले एक साल में सलटाये। सन् 2000 में 174 मामले सलटाये, 1640 प्रतिशत वृद्धि की। 2001-2002 में कुल 216 मामले निपटाये। क्वासी जुडीशियल मामलों में ज्यादातर सूची, पूरी यदि देखेंगे तो 1998-99, 2000-2001 में ज्यादा इस तरीके के मामले हैं। उसमें जांच प्रतिवेदन आने के बाद भी आरोपी व्यक्ति को मौका देना पड़ता है और जब तक उसका जवाब नहीं आता है तब तक उन मामलों का निपटारा नहीं होता। राज्य सरकार के पास में एक सिंगल केस नहीं है जो हमारे स्तर पर पैंडिंग हो या हमारे डिप्टी सैक्रेटरी लेवल या सैक्रेटरी लेवल पर पैंडिंग हो। जहां तक जांच अधिकारी का सवाल है, क्वासी जुडीशियल इंक्वायरी हैं और उसमें जांच अधिकारी के पास 290

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

प्रकरण लम्बित हैं। हम उनको कोई निर्देश नहीं दे सकते। हम उनको समय-समय पर सर्कुलर निकालकर यह जरूर कहते हैं कि इसमें आप जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। लेकिन यह निर्भर करता है कि कितने गवाह हैं, उनमें जोइंट इनक्वायरी होती है, उसमें कई बार 20-20, 25-25 गवाहियां होती है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं।

श्री सांवरलाल : नहीं कर सकते हो तो जवाब देने की जरूरत क्या है? और फिर सरकार काहे की है? (व्यवधान) किस बात का राज कर रहे हो आप? आप किसी जांच अधिकारी को यह नहीं कह सकते हो कि 6 महिने में, साल भर में...

डा. बुलाकीदास कल्ला : वह क्वासी जुडीशियल कैपेसिटी में है।

श्री सांवरलाल : कोई कैपेसिटी में नहीं है। आप यह कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सरकार के लेवल पर पैंडिंग नहीं है। डिप्टी सैक्रेटरी और आप अपने यहां से भेजने के बाद इतिश्री मान लेते हैं क्या आपने काम की? आपने अपने यहां से कागज निकाल दिया, डिप्टी सैक्रेटरी के यहां से निकल गया, उसके बाद हो गया काम? आपकी जिम्मेदारी इतनी ही है क्या? कि....(व्यवधान) मुख्य मंत्री कहते हैं पारदर्शी सरकार जवाबदेही सम्वेदनशील....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जवाबदेही हैं तभी तो मैं बता रहा हूं कि नौ साल में केवल नब्बे मामले निपटाये आपने?

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की जिम्मेदारी इतनी ही है क्या कि आपने यहां से निकाल कर डी.एस. के यहां से भेज दिया? उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : उनका जवाब आने दो, आपको मौका दे देंगे। आप विराजो सुन लो पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मौका दे रहे हो क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि एक मंत्री स्तर का व्यक्ति....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : किसी एक प्रकरण में भी सजा हुई है क्या, यह बताएं आप?

डा. बुलाकीदास कल्ला : सारे प्रकरणों में क्या सजा हुई है।

श्री जगत सिंह दायमा : कितने प्रकरणों में सजा हुई है?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हुई है।

श्री जगत सिंह दायमा : बताएं उनको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : निपटाये कितने, कृपया यह भी बता दें?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको मौका दे देंगे, उनको जवाब सुन लो पहले....(व्यवधान) मौका दे देंगे न आपको।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, उनके 9 साल में केवल 90 प्रकरण निपटे हैं और मैंने बताया कि पिछले एक साल में 216 प्रकरण हमने निपटाये हैं। इससे ज्यादा सदन को मैं समझता हूं कि मैं क्या बता सकता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सवाल यह नहीं है। सजा कितनों को हुई, ड्राप कितने हुए।

श्री सांवरलाल : उस समय कितने प्रकरण पेंडिंग थे और आपके राज में आने के बाद कितने प्रकरण पेंडिंग हुए, यह बता दें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : और इसमें पिछड़ी जाति के कितने थे और अगड़ी के कितने थे, यह और बता दीजिए? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब आप विराजिए।

श्री सांवरलाल : 1998 के पहले के बता दें और अब आपके राज में कितने हुए?

श्री जगत सिंह दायमा : 16 सी.सी.ए. और 17 सी.सी.ए. के नोटिस दिए उसमें पिछड़ी जाति के कितने और अगड़ी जाति के कितने थे, इसका पता तो तभी चलेगा कि आप क्या चाह रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अगड़ी और पिछड़ी जातियों, सबके नाम दिए हुए हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : 16 सी.सी.ए. के नोटिस दिए नोटिस, नोटिस, नोटिस, सारे के सारे पिछड़ी जातियों के लोगों को परेशान कर रहे हैं। (व्यवधान) मनुवादी तो आपने भी किए और ये भी कर रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : मनु और मनुवादी, दोनों पूछ लो इनसे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की राय हेतु भेजे गए मामले हैं, 37 प्रकरण हैं। इन 37 प्रकरणों में बीना गोयल 27.9.2000 का है, इसमें कोर्ट का स्थगन है। बी.एल. भाटिया का प्रकरण 20.9.1995 का, उसमें स्थगन है। इसके अलावा 1999 और 1998 के एक-दो मामलों को छोड़कर प्रायः लेटेस्ट केसेज हैं। मैं आप जानता हूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग इंडिपेडेंट बाडी है, उसका जो भी राय मशवरा आएगा उसके अनुसार कार्यवाही हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्त्ता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रश्नकर्त्ता हैं, साहब।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : मैं भी हूं, साहब।

श्री शिवनाथ सिंह : पहले आप बोल लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रश्नकर्त्ता हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष :: विराजिए, विराजिए।।

श्री शिवनाथ सिंह :: माननीय उपाध्यक्षजी, मैं जानना चाहता था कि क्या इनकी कोई मानिटरिंग होती है क्या? यदि मानिटरिंग होती है तो आखिरी दो मीटिंग्स में इन मामलों पर विचार होकर क्या आपने सोचा? वह उत्तर नहीं दिया, दे देना आप बाद में।। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्वासी जुडीशियल है थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं लेकिन क्वासी जुडीशियल का मतलब यह नहीं है कि कोई अधिकारी वर्षों तक लिए बैठा रहे आपके विभागीय आयुक्त हैं, विभागीय आयुक्त यदि तीन साल तक किसी केस को लिए बैठे रहते हैं तो क्या इस स्थिति को माननीय मंत्री महोदय, आप अच्छा मानते हैं? दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के खिलाफ 116 सी.सी.ए. के आपने नोटिस जारी कर दिये उनको परसीकुअल मानसिक पीड़ा होती रही है।। वे कब तक आपके उन जांच अधिकारियों के पीछे फिरते रहेंगे? उनकी भी आप सोचिए।। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने तो यह प्रश्न इसलिए पूछा है कि हमारी सरकार का निर्णय है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन अधिकारियों को ऐसे स्थानों से हटाया जाये ताकि उनको भ्रष्टाचार करने का अवसर न मिले, पब्लिक से उनका सम्पर्क न हो।। क्या, माननीय मंत्री महोदय, आप बताएंगे कि ये जो 116 सी.सी.ए. और 117 सी.सी.ए. के नोटिस जारी किए गए हैं।। अधिकारियों को जो आज उन्हीं स्थानों पर लगे हुए हैं.....

श्री नन्दलाल बंशीवाल :: मंत्री भ्रष्ट हो गये तो भ्रष्ट अधिकारियों को कहां से हटाएंगे ये?

श्री शिवनाथ सिंह :: ठहरो, ठहरो आप।।

डा. बुलाकीदास कल्ला :: मंत्री भ्रष्ट नहीं हैं।।कोई है तो आप लेकर आइये।।कोई मंत्री भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ प्रस्ताव लाइये।।

श्री शिवनाथ सिंह :: इसका जवाब आप बाद में दे देना।। ((व्यवधान)) क्या उन अधिकारियों को, माननीय उपाध्यक्षजी... ((व्यवधान))।।

श्री मदन दिलावर ((अटरू)) :: धारीवालजी पर मैंने विधान सभा में जो आरोप लगाये उन पर क्या कार्यवाही हुई? ((व्यवधान))

डा. बुलाकीदास कल्ला :: किसी के ऊपर भी कोई भी बात कह देना बहुत गलत बात है।। यह गलत तरीका है।।

श्री मदन दिलावर :: शांतिलालजी धारीवाल ##### हैं, हमने कहा था, उस पर क्या कार्यवाही की गयी अभी तक? सरकार ने कहा कि कार्यवाही कर रहे हैं, उस पर क्या कार्यवाही की गयी अभी तक? और क्या कार्यवाही कर रहे हैं? क्या कार्यवाही होगी? ((व्यवधान))पूरा राजस्थान तो कह चुका है।।

श्री महेश जोशी ((उप मुख्य सचेतक)):: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही से निकाला जाए।। ((व्यवधान))

शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अप्रतोभित किया गया।।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्रश्नकर्त्ता।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : आप एक मिनट रुक जाएं। एक मिनट रुक जाएं आप।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं तो रुक जाऊंगा, दो घंटे रुक जाऊंगा। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट रूक जाएं आप।

श्री रामस्वरूप (टोड़ाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिलावर साहब के टाइम में तो वहां जो महिलाओं का आश्रम है, उसमें बलात्कार तक हुए थे। ऐसे तो मंत्री हैं जिनके समय में बलात्कार हुए और आज ये भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, बलात्कार हुए।

श्री महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को गम्भीरता से लिया जाये। माननीय सदस्य मदन दिलावरजी ने जो बात कही है उसको कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट ठहरिये।

श्री उपाध्यक्ष : जो बात कही है उसको देख कर तो निकालेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के चार मुकदमे लोकायुक्त के यहां दर्ज कराये, उन चारों मुकदमों को लोकायुक्त ने प्राइमाफेसी रिजैक्ट कर दिया। आप फर्माएं तो मैं पांच मिनट में ही कागज मंगवा देता हूं लिखा हुआ लोकायुक्त का।

श्री मदन दिलावर : मैंने इनके खिलाफ चार मामले उठाये थे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनके खिलाफ ए.सी.डी. में अभी भी पांच केस चल रहे हैं। (व्यवधान) जिनकी इन्क्वायरी बाकी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मौका आएगा तो बात करेंगे (व्यवधान) बात करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपसे निपट लूंगा, आपसे भी निपट लूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मौका आएगा तब बात करेंगे। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पहले भी निपटा हूं और फिर निपट लूंगा। आप देख लेना, +++ आप यह भी मैं खूब जानता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है जानते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ उपाध्यक्ष महोदय, ये धारीवालजी, +++

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बुलवा लेना, एक-एक से निपट लूंगा।

श्री मदन दिलावर : करोड़ों रुपये खाने के बाद +++ (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, ये जब मंत्री थे दिलावर साहब, उस समय जो बलात्कार काण्ड हुआ था, उस बलात्कार काण्ड का क्या हुआ? क्या ये स्वयं उसमें शामिल थे? इन्होंने क्यों जवाब दिया इस बात का? आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, अब आप कार्यवाही करें उसमें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री हफीज मोहम्मद (माण्डल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल के सदस्यों पर इस तरह के आरोप लगाना बिलकुल गलत है। बिना प्रमाणित तथ्यों के मंत्रिमण्डल के सदस्य के खिलाफ इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते।

श्री मदन दिलावर : मैंने विधान सभा में नोटिस देकर आरोप लगाये थे। मैंने विधान सभा में नोटिस देकर आरोप लगाये थे और माननीय धारीवालजी को भी नोटिस दिया था कि मैं भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा हूं और मेरे आरोप सत्य हैं। मैं कहता हूं कि धारीवालजी +++

श्री रामस्वरूप : मैंने आपको नोटिस दिया उसका क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वह विचार के लिए +++ भेज दिया था कि विचार कीजिए इस पर। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मैं जानना चाह रहा था कि जिन अधिकारियों को 16 सी.सी.ए. के नोटिस दिए हैं, उस पद पर रहते हुए उन्होंने जो दुराचरण किया उसके कारण दिये। क्या हमारी सरकार की नयी पालिसी है उसके तहत उनको उन पदों से हटा दिया गया है या आज भी वे वहीं कायम हैं, यह मैं जानना चाहूंगा? तीसरी बात, क्वासी जुडीशियल, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और सब ठीक है लेकिन सरकार क्वासी जुडीशियल से जज नहीं होती। लोगों के अन्दर जो भावना जाती है, जो एक समाचार जाता है, उससे जज की जाती है। इन बातों को क्वासी जुडीशियल का नाम लेकर आप डिले मत कीजिये। सम्भागीय आयुक्त आपके अण्डर में हैं, सरकार के अण्डर में हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वे सरकार से ऊपर हों। इसलिए या तो उनको आप जांच अधिकारी नियुक्त कीजिए मत और नियुक्त कीजिए तो एक तिथि उनको दे दीजिए, उस समयावधि के अन्दर आप उनसे मांगिये। यदि वह नहीं करते हैं तो उनको बदलिये और दूसरा अधिकारी नियुक्त कीजिये। जो 16 सी.सी.ए. वाले अधिकारी हैं वे वहीं काम कर रहे हैं या वहां से हट गये हैं, यह थोड़ी जानकारी आप मुझे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : मंत्रीजी, इतना-सा बता दो कि आपको यह किसने पढ़ा दिया कि क्वासी जुडीशियल अथॉरिटी है उसको हम यह नहीं कह सकते, एक टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं कर सकते कि आप इंक्वायरी करो?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

जुडीशियल कोर्ट्स को उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट डाइरेक्शन देता है कि आप इतने अरसे के अन्दर इस केस को निपटाएं। हाई कोर्ट ने मुकर्रर कर रखी है डिस्पोजल की तारीख, वह डिस्पोजल करना पड़ता है। जुडीशियल कोर्ट्स को। यह आपको कैसे ब्रीफ कर दिया कि क्वासी जुडीशियल है तो आप नहीं कर सकते? जो अपाइन्टिंग अथोरिटी है उसको आप एग्जामिन कर सकते हैं कि गोया इंक्वायरी आफिसर इंक्वायरी से प्रोसीड हो रहा है या नहीं, अनावश्यक तारीखें तो नहीं दे रहा है या जो एक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ इक्वायरी पैंडिंग है उसको लेटीट्यूड तो नहीं दे रहा है। तो आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त मत होइये। मंत्रीजी, क्वासी जुडीशियल के नाम से आप हाउस को मिसगाइड मत कीजिये। आपने खुद लेटीट्यूड दिया हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों का जवाब दे देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्य।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने चार-पांच खण्डों में लिस्टें दी हैं और बताया है कि सरकार बड़ी तत्परता से कार्य कर रही है। यह आपका परिशिष्ट-क है, इसके अन्दर आपने लिखा है आरोप पत्र जारी करने की तारीख। पहला नाम है उसके आगे लिखा है जारी नहीं हुआ। तारीख तो दी नहीं है, आरोप पत्र जारी नहीं हुआ। दूसरा नम्बर है, नाम है, उसका भी लिखा है कि जारी नहीं हुआ। तीसरे नम्बर पर नाम है, उसका भी जारी नहीं हुआ।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ये सब पांच-छह महीने के केसेज हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : अब कब के हैं, सुनो तो सही, यह तो आपने लिखा नहीं। आप तत्परता से काम कर रहे हैं न?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, डेढ़ मिनट ही बचा है।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : यह तो कैसे पूछें?

श्री उपाध्यक्ष : मजबूरी है मेरी।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : मेरी भी मजबूरी है, साहब। इसको आगे रख दीजिए कभी। ऐसे ही जारी नहीं हुआ। यानी आरोप-पत्र ही जारी नहीं हुये। कब से इन पर आरोप है, यह तो आपने लिखा नहीं। अब आप मुझे बता सकते हैं क्या? पांच-छहं महीने का मामला है। नम्बर एक कब का मामला है, बता दीजिए आप? पहले कह रहे हैं 5-6 महीने के ही मामले हैं, तो नम्बर एक ही बता दो आप।

श्री उपाध्यक्ष : 10 मिनट हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको अब अच्छा नहीं लगता, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : पहले नम्बर एक बता दीजिए, कब से पैंडिंग है यह मैटर? यों ही आपने चलते

(श्री भंवर लाल शर्मा)

रास्ते कह दिया 5–6 महीने का है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक की स्थिति नहीं है, दो की नहीं है, जारी नहीं हुआ, जारी नहीं हुआ, यह पूरा पेज इससे भरा हुआ है, जारी नहीं हुआ। 34 नम्बर पर तो यह है, अब यह बता दीजिए आपने 34 नम्बर को जारी कर दिया क्या? पेज नम्बर 34 को आरोप पत्र दे दिया क्या? और दिया तो कब दिया, बता दीजिए? जब आपने देना लिखा है, उसको आरोप पत्र दे दिया गया तो बता दीजिए कब दिया? काहे को पूरा करते हो? ऐसे ही 34 का बता दीजिए, कब दिया? काहे को पूरा करते हो? ऐसे ही 34 का बता दीजिए, 38 का बता दीजिए, 39 का बता दीजिए, 40 का बता दीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : 38 का लिखा हुआ है 17.1.1998।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : बता दीजिए, कब दिया, कौनसी डेट है?

डा. बुलाकीदास कल्ला : 17.1.1998

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : किसमें लिखा, किसका नम्बर है?

डा. बुलाकीदास कल्ला : कल्पना मित्तल 38 नम्बर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नम्बर बता दीजिए मुझे आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप चश्मा लगा लीजिए।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : मैं तो 39 पूछ रहा हूं, 39 बता दीजिए। 39 बताइए, लगाइए चश्मा। 39 पर लगाइए चश्मा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : 39 की तारीख मैं आपको अलग से बता दूंगा।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : यह। अब लगा चश्मा।

श्री धर्मपाल चौधरी : अब चश्मा उतार दो आप।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : ऐसे अनेक हैं ये। फिर आप अंतिम देखिए। फिर आपने लिखा, संशोधित आरोप पत्र वांछित है। देते क्यों नहीं आप इनको? ऐसे भी मामले करीब 25 हैं। इनको आरोप पत्र नहीं दिया आपने। आप बड़ी तत्परता से काम कर रहे हैं। आपसे यह पूछा गया था, नियम 16 के तो कितने मामले हैं, नियम 17 के कितने मामले हैं। दोनों को मिक्स कर दिया। यह बताते कि 16 के इतने हैं, 17 के इतने हैं। अब बता दीजिए कितने कितने हैं? (व्यवधान) पहले जवाब ले लो, फिर मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। अब आपने कहा कि हमने बड़ी तत्परता से यह जांच अधिकारी लगा दिया, आप मुझे बताइए कि नम्बर चार पर खण्ड–ख है इसमें कब लगाया आपने, किसको लगाया? आर.सी. गोयल, इनका जांच अधिकारी किसको लगाया? लगाओ चश्मा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब आ जाएगा।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : जवाब कहां से जाएगा अब?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो ना। आप विराजोगे तक आएगा।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : ऐसे ही एक सवाल का और बताइये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये जितनी देर तलाश कर रहे हैं उतनी देर में मैं बता देता हूं आपको। यह लोकायुक्त सचिवालय का कागज मेरे नाम पर लिखा हुआ है।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : No disturbance.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसमें लिखा हुआ है, "मदन दिलावर, विधायक, अटरू....(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : यह क्या हो रहा है, साहब? यह डिबेट चल गयी क्या? इस पर डिबेट चलाएंगे क्या आप?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसमें लिखा हुआ है, "मदन दिलावर, विधायक, अटरू द्वारा की गई शिकायतों के सम्बन्ध में।" (व्यवधान) इसमें लिखा है "उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मदन दिलावर, विधायक, अटरू द्वारा की गई शिकायतों को प्रारम्भिक जांच के पश्चात् आरोप प्रमाणित न होने पर नत्थीबद्ध किया गया।" यह कागज है। इसको मैं यहां रख रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये कौनसे नियम में स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री मदन दिलावर : +++

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री स्तर के व्यक्ति का यह आचरण है.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जनार्दन सिंह जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो हमने अयोग्य बी.डी. कल्ला साहब को कहा है, यह धारीवाल साहब अयोग्य कैसे हो रहे हैं? माननीय सी.एम. साहब, इनको हटाइये। घर भेजिए वापस मंत्रिमण्डल से। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इतना बता देंगे तो ही बहुत। आपने इतने पूछ लिए। माननीय जनार्दन सिंहजी।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : कब बता देंगे? हाउस को बता देंगे ना?

श्री उपाध्यक्ष : जवाब देंगे।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : मैं अभी पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : देंगे, देंगे।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : मैं पूछ रहा हूं। मेरा अभी सवाल और है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से हम देख रहे हैं आसन की हमारे पर नजर थोड़ी यों ही है।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब देंगे ना इनका।

श्री देवीसिंह भाटी : देंगे क्या। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य खड़े हुए, कहा बैठ जाओ। आपको बोलना ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ नहीं जाओ, मैंने अलाउ किया है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह रिक्वैस्ट की है कि जितने प्रश्न आ सकते हैं उसकी चेष्टा करें।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री देवीसिंह भाटी : ये तो प्रश्नकर्त्ता हैं, इनको प्रश्न ही नहीं करने दोगे?.

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मालूम हो गया ना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, मालूम नहीं हुआ।

श्री देवीसिंह भाटी : कहां हो गया?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बीच में खड़े हो गये वो। अब वो तो नहीं मिलेगा आपको।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना महत्त्वपूर्ण प्रश्न है उसका ये जवाब नहीं चाहते विरोधी दल वाले। सही मायने में भंवरलाल जी चाहते हैं कि इसका जवाब मंत्री महोदय की तरफ से आये नहीं। वे समय को यों ही जाया कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, अब परिशिष्ट ग देखिए। इसमें आपने लिखा है कि जो मामले सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं इनकी संख्या है 66, 84 आप कह रहे हो हमारे पास कोई मैटर ही नहीं है। 18 मामले तो ऐसे हैं जिनमें आपके पास रिपोर्ट आ गयी, उस पर आप निर्णय नहीं कर रहे हो। कई वर्षों से पैंडिंग है वो, क्यों नहीं करते आप? आप कहते हो पैंडिंग नहीं हैं। 84 पैंडिंग हैं। (व्यवधान) फिर आपने एक मैटर भेजा राज्यपाल महोदय को। राज्यपाल महोदय को आपने एक प्रकरण भेजा है वो 31.10.2002 को भेजा है, यह तो सही है ना?

डा. बुलाकीदास कल्ला : वो वता दिया ना। (व्यवधान) वो एक हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : आपने उसको देखा नहीं था पहले। आपने देखा या नहीं देखा, चश्मा नहीं था क्या? नहीं था। अब इसका जवाब दे दीजिये आप।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय कार्मिक मंत्रीजी ने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो चाहता हूं आए, आप नहीं आने देते तो मैं क्या करूं? (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : ये नहीं आने दे रहे, हम तो बैठ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय.....(व्यवधान) मदन दिलावरजी, बैठिये, बैठिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री जनार्दन गहलोत : भाई, आप ही बोलेंगे क्या? (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कार्मिक मंत्रीजी ने अभी कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग एक इंडिपेंडेंट बाडी है। प्रश्न इस बात का है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की जब–जब डी.पी.सी. होती है या कोई मामले होते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग का एक सदस्य आता है। लेकिन उनके साथ अधिकारी डी.ओ.पी., विभाग के और सम्बन्धित विभागों के आते हैं। (व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : सवाल इनका नहीं है। जो पैंडिंग हैं उनकी बात कर रहें हैं हम। जो मामले इनके सामने विचाराधीन हैं उनका करें। टालिए मत।

श्री जनार्दन गहलोत : आप बैठिये, बैठिये। ऐसा है, भंवरलालजी...(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : जो मामले इनके सामने पैंडिंग हैं उनकी ही तो बात करो।

श्री जनार्दन गहलोत : मैं आपकी राय से नहीं कह रहा हूं।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : Don't try to defend please.

श्री जनार्दन गहलोत : मुझे जो बोलना है मैं अपनी राय से बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : आप कह रहे हैं वह हम भी जानते हैं। जो मामले इनके यहां पैंडिंग हैं...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ राजस्थान लोक सेवा आयोग को अपन एक इंडिपेंडेंट बाडी बता रहे हैं, वहां जाकर पुराने राज के जमाने में जो सदस्य उसमें रहे, कुछ लोग उसमें घपला करें और राजस्थान सरकार का डी.ओ.पी. विभाग का मंत्री, सम्बन्धित विभाग बार–बार राजस्थान लोक सेवा आयोग को लिखे कि इसकी डी.पी.सी. वापस की जाये। उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे, ऐसी स्थिति में माननीय कार्मिक मंत्रीजी से कहना चाहता हूं आपने ऐसे कई मामलों में लोक सेवा आयोग को पत्र लिखें हैं उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है उसमें राजस्थान सरकार का और आपका उत्तरदायित्व क्या है? फिलहाल अगर कोई घपला हुआ है तो उसकी जांच कराने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है?

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : जो मामले इनके सामने पैंडिंग हैं उनका क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : जो मामले इनके सामने पैंडिंग हैं उनका जवाब दो ना।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्त्ता ने रिव्यू कमेटी के बारे में प्रश्न किया था, इसीलिए मैंने उनको यह बता दिया था कि 9 वर्षों में जहां केवल मात्र 90 मामले, यानी प्रतिवर्ष 9 मामले निकले उसकी तुलना में राज्य सरकार ने रिव्यू किया इसके कारण पहले वर्ष 700 प्रतिशत अधिक मामले निपटाये गये। 2000 में 1640 प्रतिशत अधिक मामले निपटाये गये। (व्यवधान) मैं बता रहा हूं, एक मिनट, सुनो तो सही आप। तीसरे वर्ष 1860 प्रतिशत ज्यादा मामले निपटाये गये। अब जहां तक आपने कहा कि अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त वगैरह लगाये गये हैं,

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

उनको लगाने के पीछे कारण यही है कि ये मामले जल्दी निपटें। ज्यादातर तो एक तरीके से मामले पिछली सरकार के थे जिनको करीब-करीब निपटा दिया गया है। अब जो हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, अधिकतर मामले 2001-2002 के हैं। आप जानते हैं कि न्यायालयों में मामले 20-20 साल तक नहीं निपटते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : ये 16 सी.सी.ए. वाले वहीं काम कर रहे हैं या हट गये?

डॉ. बुलाकीदास कल्ला : हमारी सरकार ने इन क्वासी जुडीशियल मामलों को निपटाने के लिये त्वरितता से काम किया है। जहां तक मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताया.... (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : वहीं काम कर रहे हैं या हट गये, इतना तो बता दो आप हमको।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमने समय-समय पर परिपत्र जारी किये हैं, लेकिन वे अच्छे वकील हैं, क्या हम किसी जांच अधिकारी को यह कह सकते हैं कि आप छह महीने के अन्दर-अन्दर इसको तय कर दीजिये? यह सब निर्भर करता है गवाहों के ऊपर, निर्भर करता है मामले के ऊपर।

श्री नंदलाल बंशीवाल : अगर नहीं कह सकते तो इस्तीफा देकर चले जाओ आप। ऐसे कैसे बोल रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह निर्भर करता है मामले की प्रकृति के ऊपर। हमने इस सम्बन्ध में 19.10.2001 को समय सीमा हेतु निर्देश जारी किये हैं। लेकिन हम उनको कम्पैल नहीं कर सकते। दिशा निर्देश समय-समय पर जारी करते रहे हैं। करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, इस सम्बन्ध में....

(12.00 बजे)

श्री शिवनाथ सिंह : 16 सी.सी.ए. वाले कहीं काम करें या नहीं, यही बात बता दो हमको आप तो?

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या कहा?

श्री शिवनाथ सिंह : 16 सी.सी.ए. का नोटिस दिया वे अधिकारी वहीं काम कर रहे हैं या नहीं, इतना ही बता दो हमको आप तो?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जिनके खिलाफ फाइनेंशल इर्रेगुलरिटीज के मामले थे, उन लोगों को उन पदों पर नहीं रखा गया है।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : श्योर? आर यू श्योर अबाउट इट?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, बिल्कुल श्योर हूं।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : आप निश्चिंत हो क्या; श्योर हो कि इतनों को हटा दिया?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, श्योर हूं। ऐसा है कि यह तो अभी मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन आप स्पेसिफिक बात मेरे से स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको अलग से भी जवाब दे दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, इस सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि....

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल कर रहे हैं और अलग से जवाब दे दूंगा, क्या मतलब है? यहां पर पूरा हाउस जानना चाहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, यहां दो जवाब।

डा. बुलाकीदास कल्ला : स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब दे दूंगा, यह मैंने कहा था। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : आप अलग से क्यों दे देंगे?

डा. बुलाकीदास कल्ला : आर.पी.एस.सी. को हम समय-समय पर चिट्ठी लिखते हैं लेकिन उनको हम कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकते, उनको कोई भी बात संब्मिट कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान लेखा सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी

48. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान लेखा सेवा में वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक अन्य पिछड़ा वर्ग में किस-किस व्यक्ति का चयन हुआ? चयनित का नाम, पिता का नाम, स्थाई पता, जाति की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान लेखा सेवा में वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई चयन नहीं हुआ, अपितु राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में जो चयन किये थे और जिनके नियुक्ति आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं के कारण तत्समय जारी नहीं हुये थे, उनके नियुक्ति आदेश 1998 से 2002 की अवधि में जारी हुये हैं। इन आदेशों में पिछड़े वर्ग के व्यक्ति शामिल हैं जिनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

प्रश्न संख्या 49

(स्थगित)

शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित प्रकरणों का निस्तारण

50. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) शिक्षा विभाग के कौन-कौन अधिकारी हैं जिनको नियम 16/17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये गये हैं, लेकिन मामले अभी तक लम्बित हैं और किसी दिशा में कोई निर्णय नहीं किया गया है? आरोप पत्रों की तारीखें, जांच अधिकारी के नाम व पद तथा वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों की समय अवधि में जांच पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) विचाराधीन विभागीय जांचों के सम्बन्ध में संलग्न परिशिष्ठ क, ख, ग, घ व ङ में वांछित सूचना प्रस्तुत है।

(2) नियमों में समय अवधि के बारे में कोई प्रावधान नहीं है जांच में लगने वाला समय जांच विशेष की विशिष्टिताओं यथा जांच में आरोपितों की संख्या, आरोप व गवाहों की संख्या आदि पर निर्भर करता है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

प्रश्न संख्या 51

(स्थगित)

शासन सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर कार्यरत कर्मियों को भुगतान

52. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि शासन सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत 190 ठेका श्रमिकों में ऐसे व्यक्ति भी कार्यरत हैं जो कि होमगार्ड स्वयं सेवक के रूप में भी पंजीकृत हैं? ठेका श्रमिकों एवं होमगार्ड का नाम मय बेल्ट नम्बर के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि होमगार्ड स्वयं सेवकों को होमगार्ड की ड्यूटी का भुगतान होमगार्ड विभाग के इस हेतु स्वीकृत बजट मद से किया जाता है? बजट मद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि किसी सरकारी विभाग में रिक्त पद के विरुद्ध कार्यरत किसी व्यक्ति को उक्त रिक्त पद के लिये निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी से कम या अधिक की दर से भुगतान किया गया/किया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को जिस बजट मद से सरकारी विभाग में रिक्त पद पर कार्य करने पर भुगतान किया जाता है तो क्या सरकारी विभाग व उस व्यक्ति के मध्य नियोजक एवं श्रमिक का सम्बन्ध होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ठेका श्रमिक रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्तर का कार्य करने हेतु कार्यभार एवं आवश्यकता के अनुसार इनकी सेवायें ठेकेदार के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। विभाग का इन व्यक्तियों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। विभाग में यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि इनमें से कौन कौन होमगार्ड स्वयं सेवक के रूप में पंजीकृत हैं।

(2) बिन्दू संख्या–1 में उल्लिखित ठेका श्रमिकों में से कोई भी व्यक्ति सचिवालय में होमगार्ड की ड्यूटी हेतु नहीं लगाया जाता है।

(3) अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त भुगतान न्यूनतम मजदूरी के आधार पर ठेकेदार को किया जाता है।

(4) सचिवालय में रिक्त पद के विरुद्ध कोई श्रमिक कार्यरत नहीं है। इस विभाग का ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

जिला चित्तौड़गढ़ में पेयजल व्यवस्था हेतु आयोजित बैठक

53. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विभाग के सचिव ने चित्तौड़गढ़ जिले की ग्रीष्म ऋतु की पेयजल व्यवस्था सम्बन्धित आयोजित बैठक की समीक्षा माह फरवरी में की थी? यदि हां, तो बैठक का विवरण तथा दिये गये निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समय जिले की 139 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्ड पम्प लगाने के निर्देश दिए थे? यदि हां, तो उक्त सम्बन्धी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिले में बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत कुल कितने हैण्ड पम्प आबंटित किये गये तथा लक्ष्य के अनुरूप हैण्ड पम्प कहां-कहां स्थापित कर दिये गये? क्या उक्त से जनता को प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है?

(4) क्या बड़ी सादड़ी शहर पेयजल योजना हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजा गया है? यदि हां, तो कितनी राशि का तथा क्या केन्द्र से स्वीकृत हो चुका है? यदि हां, तो उक्त स्वीकृत कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर के द्वारा फरवरी, 2002 में चित्तौड़गढ़ में जिला चित्तौड़गढ़ की ग्रीष्म ऋतु 2002 में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन किया गया। शासन सचिव द्वारा बैठक में जिले के विभागाधिकारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गये हैं :-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

1. चित्तौड़गढ़ शहर की पेयजल व्यवस्था हेतु गम्भीरी बांध से 200 एम.सी.एफ.टी. पानी का आरक्षण कराया जाये जिससे आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या का समाधान हो सके।

2. सरकारी एजेन्सी जैसे ड्रिलिंग खण्ड जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं भू-जल विभाग द्वारा स्वीकृत हैण्ड पम्पों में से उनको आबंटित कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किये जावें।

3. वरिष्ठ कनिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक को निर्देश दिये गये कि विभाग के लिये नलकूप व हैण्ड पम्प की साईट की फिजिबिलिटी उपलब्ध करावें।

4. कनिष्ठ रसायनिज्ञ पानी की गुणवत्ता की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

5. जिले के आबंटित लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति की जावे।

6. वेधन किये गये हैण्ड पम्पों एवं नलकूपों को शीघ्र चालू किया जावे।

बैठक औपचारिक नहीं थी। अलग से बैठक की कार्यवाही (विवरण) औपचारिक तौर पर जारी नहीं की गई।

(2) जी, हां। चित्तौड़गढ़ जिले के लिये आंगनबाड़ी केन्द्र में 139 एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में 90 हैण्ड पम्प लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसे प्राप्त करने के लिए निर्देश दिये गये। आंगनबाड़ी चित्तौड़गढ़ में 139 के लक्ष्य के विरुद्ध 104 हैण्ड पम्प स्थापित किये गये हैं एवं ग्रामीण विद्यालयों में 90 हैण्ड पम्प के विरुद्ध 88 हैण्ड पम्प स्थापित किये गये हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जिला चित्तौड़गढ़ के लिये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 630 हैण्ड पम्प का आबंटन किया गया। उपरोक्त लक्ष्य के विरुद्ध जिला चित्तौड़गढ़ के विभिन्न ग्रामों में 485 हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं। हैण्ड पम्प स्थापित किये जाकर जनता को पेयजल से लाभान्वित किया गया है। लगाये गए हैण्ड पम्पों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न हैं।

(4) जी, हां। शहरी जल योजना बड़ी सादड़ी के लिये केन्द्र सरकार को ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के तहत 156.00 लाख रुपये के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजे गए थे। भारत सरकार के पत्र दिनांक 11/15 फरवरी, 2002 के अनुसार बड़ी सादड़ी योजना का तकनीकी अनुमोदन राशि रुपये 132.95 लाख की जारी की गई है। अब उक्त योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत निर्णय राज्य स्तर पर होने के बाद उक्त योजना का क्रियान्वयन बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जावेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम मारोठ (नागौर) में पेयजल व्यवस्था

54. श्री हरीशचन्द (नावां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र नावां के

(श्री हरीशचन्द्)

ग्राम मारोठ की वर्तमान आबादी लगभग 10 हजार की है? क्या वर्तमान पेयजल व्यवस्था अपर्याप्त है? क्या उक्त ग्राम हेतु पुनर्गठित पाइप्ड योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो पुनर्गठित पाइप्ड योजना में क्या-क्या कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं और उक्त स्कीम कितनी-कितनी राशि की है?

(2) मारोठ क्षेत्र के ग्राम महाराजपुरा व ग्राम पंचायत बरजन क्षेत्र के लिये जो योजनाएं बनाई गई हैं उनके अन्तर्गत क्या-क्या कार्य करने प्रस्तावित हैं व कितनी-कितनी राशि के काम स्वीकृत हुए हैं? उक्त के अन्तर्गत वर्तमान में क्या-क्या कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम मारोठ की स्कीम स्वीकृत कराने में हो रहे विलम्ब के कारण इस क्षेत्र के लोगों में यह भावना पैदा हो रही है कि हमारे क्षेत्र से अन्यत्र पानी तो जा रहा है, परन्तु इस गांव की योजना में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या ग्राम मारोठ में विधायक कोटे से डाली गई पाइप्ड लाइन में अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया है जबकि वर्ष 1999 में विभाग द्वारा बताये अनुसार विधायक कोटा से 1.30 लाख रुपये की स्वीकृति की गई थी?

(5) क्या मारोठ स्कीम में वर्तमान में जलदाय योजना के अन्तर्गत काम में ली जाने वाली मोटर लोकल मेड होने से बार-बार खराब होती है? क्या उक्त के पास स्पेयर मोटर न होने से एक-एक सप्ताह तक मोटर के अभाव में पीने के पानी से महरूम होना पड़ता है? उक्त व्यवस्था में तत्काल सुधार कब तक करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा नावां के ग्राम मारोठ की आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 6689 है तथा वर्तमान आबादी लगभग 8600 है। वर्तमान में योजना पर वितरित किये जा रहे पेयजल की मात्रा लगभग 17 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है जो विभागीय मानदण्डों (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) से कम है। उक्त पाइप्ड योजना के संवर्धन प्रस्ताव का प्रारूप अनुमानित लागत रुपये 123.20 लाख का बनाया गया है जो तकनीकी जांच तथा सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु भेजने की प्रक्रिया में हैं।

(2) ग्राम पंचायत महाराजपुरा के ग्राम महाराजपुरा के लिये 9.63 लाख रुपये अनुमानित लागत की संवर्धन योजना माह मई, 2001 में स्वीकृत हुई थी। जिसके अन्तर्गत एक नलकूप (3.40 लाख रूपये), पाइप लाइन (4.24 लाख रुपये), पंपिंग मशीनरी (0.25 लाख रूपये), विद्युत सम्बन्ध (1.00 लाख रुपये) व सिविल वर्क्स (0.28 लाख रुपये) के कार्य सम्मिलित हैं। स्वीकृत कार्यों में से नलकूप का निर्माण, एवं पाइप लाइन का कार्य पूर्ण हो गए हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

ग्राम पंचायत बरजन क्षेत्र के ग्राम ठिकरिया कलां नरसिंहपुरा, धुतो की ढाणी, बाजना, बाटलिया, बरजन सभी मुख्य हैबिटेशन एवं पुनियों की ढाणी, अखेपुरा, खारडो की ढाणी, सुण्डा की ढाणी अन्य हैबीटेशनों के लिए एक पुनर्गठित क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बनायी गयी थी। चूंकि इस क्षेत्र में भू-जल की आवक निश्चित नहीं है अतः सर्वप्रथम भू-जल के आंकलन हेतु दो परीक्षण नलकूप अनुमानित लागत 6.00 लाख रुपये की स्वीकृति जून, 2001 में जारी की गई। जिनमें से एक परीक्षण नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं दूसरे परीक्षण नलकूप का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परीक्षण स्रोत के सही पाये जाने पर प्राथमिकता तथा धन उपलब्धि के अनुसार योजना की स्वीकृति बाबत निर्णय सम्भव होगा।

(3) ग्राम मारोठ की योजना में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जा रहा है। शेष प्रश्न 1 के उत्तर के अनुसार।

(4) ग्राम मारोठ में विधायक कोटे से प्रशासनिक स्वीकृति माह मार्च, 2000 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जारी की गई। स्वीकृति अनुसार पाइप लाइन डाल दी गई है तथा पाइप लाइन टैस्टिंग का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

(5) ग्राम मारोठ की पेयजल योजना के अन्तर्गत काम में ली जाने वाली मोटरें आई.एस.आई. मार्क की हैं जो कि विभागीय प्रक्रिया के तहत मानदण्डों के अनुरूप फैक्ट्री पर गुणवत्ता जांचने के उपरान्त क्रय की जाती हैं। इस पेयजल योजना हेतु 4 जल स्रोत हैं। जब भी किसी एक स्रोत का पंपिंग सैट खराब होता है शेष 3 स्रोतों से जल उत्पादन जारी रखा जाता है तथा खराब पंपिंग सैट हटाकर उच्च प्राथमिकता पर स्टैण्डबाई सैट लगा दिया जाता है। पंपिंग सैट बदल कर पुनः चालू करने की प्रक्रिया में पिछले एक वर्ष के आधार पर सामान्य 1 से 4 दिन समय लगा, जो कि संतोषजनक है।

जयपुर नगर निगम सीमा में बसी सुविधा विहीन कालोनियां

55. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर नगर निगम सीमा में ऐसी कितनी कालोनियां हैं जिनमें सरकारी पेयजल नल द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कालोनियों में निजी संस्थाओं/समितियों द्वारा पेयजलापूर्ति के नाम पर उपभोक्ताओं से मनमानी राशि वसूल की जाकर शोषण किया जा रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि अग्रसेन नगर, 80 फीट रोड महेश नगर तथा सीकर रोड पर परसराम नगर के पास भी विभाग द्वारा पेयजलापूर्ति नल योजना के द्वारा नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में पेयजलापूर्ति हेतु कोई योजना रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(4) क्या उक्त कालोनियों में सीवरेज लाइन भी नहीं बनी हुई है? यदि हां, तो कब तक सरकार उक्त क्षेत्र में उक्त सुविधा उपलब्ध करवा देगी?

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम सीमा में कृषि भूमि काटकर रिहायशी प्लाट बनाकर कालोनी बनाना सतत प्रक्रिया रही है। विभाग के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार इस प्रकार की कालोनियों की संख्या–1128 से अधिक है। विभाग उन्हीं कालोनियों में जल वितरण योजनाएं बनाता है जिनके लिए या तो जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम धन उपलब्ध करवाता है अथवा नीति के अनुसार कालोनीवासी सहभागिता योजना स्वीकार करते हैं।

(2) निजी संस्थाओं/समितियों द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु उपभोक्ताओं से वसूल की जा रही राशि की अधिकृत जानकारी विभाग में नहीं है।

(3) जी, हां। ऐसी कालोनियों में नल योजना के द्वारा पेयजल आपूर्ति करने के संदर्भ में सहभागिता योजना है। इस योजना के नियमों को कालोनीवासियों द्वारा स्वीकार करना व तदनुसार कार्यवाही करना पूर्व आवश्यकता है।

(4) उक्त कालोनी में सीवरेज लाइन डालना वर्तमान में विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं है। शहर में ऐसे क्षेत्रों में सीवरेज लाइन डालने बाबत निर्णय नगर निगम/जयपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा उनकी नीति, प्राथमिकता, आवश्यकता, धन उपलब्धि आदि बिन्दुओं पर लिया जाता है।

जिला सीकर में स्वीकृत पायलेट प्रोजेक्ट योजना

56. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीम का थाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिला पायलेट प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत है? यदि हां, तो अब तक उक्त योजना के तहत कितने गांवों को पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त योजना के तहत विभाग को कितने प्रस्ताव पेश किये गये? उक्त में से कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गये? यदि नहीं, तो क्यों? स्वीकृत प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। इस योजना के तहत जिला सीकर के 2 गांवों की जल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं इनके निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की प्रक्रिया में हैं।

(2) इस योजना के तहत अब तक कुल 31 जल योजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें 2 गांवों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं 29 गांवों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। स्वीकृत प्रस्तावों की सूची प्रपत्र–'अ' के अनुसार है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में स्वीकृत अपूर्ण हैण्ड पम्प

57. **श्री रमजान खान (पुष्कर):** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में सांसद एवं विधायक कोष से वर्ष 2001-02 में किस-किस गांव में कितने-कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए हैं? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या स्वीकृतशुदा हैण्ड पम्प खोद दिये गये हैं? यदि हां, तो कितने खोदे गये और कितने बाकी है? तथा शेष बचे हैण्ड पम्प कब तक खोद दिए जायेंगे? सूची सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या यह सही है कि ड्रिलिंग किये गये हैण्ड पम्पों पर पाइप व हैण्डल नहीं लगाये गये हैं? यदि हां, तो पाइप व हैण्डल कब तक लगा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में वर्ष 2001-02 में सांसद कोष से 5 एवं विधायक कोष से 1 हैण्ड पम्प स्वीकृत हुये हैं। सूची क्रमशः परिशिष्ट-'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(2) कुल स्वीकृत 6 हैण्ड पम्पों में से 2 हैण्ड पम्प खोद कर चालू कर दिये गये हैं। 4 हैण्ड पम्पों का वेधन कार्य शेष है, जिन्हें माह मई, 2002 के अन्त तक चालू किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी, नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

ग्राम पंचायत मुख्यालय बगड़ी (पाली) हेतु पेयजल स्कीम की स्वीकृति

58. **श्री हीरा सिंह चौहान (रायपुर):** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम पंचायत मुख्यालय बगड़ी तहसील रायपुर ज़िला पाली में पेयजल स्कीम किस वर्ष में स्वीकृत हुई थी?

(2) उक्त स्कीम को किस कारण से निरस्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पहाड़ी क्षेत्र के उक्त पंचायत मुख्यालय पर पेयजल स्कीम हैण्ड पम्पों के कारण स्वीकृत नहीं कर रही है? क्या ग्रीष्म ऋतु में उक्त क्षेत्र के बहुतायत हैण्ड पम्प सूख जाते हैं? यदि हां, तो क्या इससे पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है? क्या उक्त पेयजल स्कीम स्वीकृत होने से पेयजल संकट का निवारण होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत मुख्यालय बगड़ी तहसील रायपुर, जिला पाली के ग्राम बगड़ी की मूल योजना (हैण्ड पम्प पेयजल योजना) वर्ष 1986 में स्वीकृत हुई थी।

(2) बिन्दु संख्या-1 के उत्तर में वर्णित योजना निरस्त नहीं की गई है।

(3) जी, नहीं। ग्राम बगड़ी की वर्ष 1991 की जनगणनानुसार कुल आबादी

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

1838 है जिसमें से मुख्य ग्राम की आबादी 683 है। शेष जनसंख्या विभिन्न ढाणियों में रहती है। जिनकी दूरी मुख्य ग्राम से 1.6 किलो मीटर से अधिक है। ग्राम हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित है एवं ग्राम तथा ढाणियों में वर्तमान में 16 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं जो विभागीय नार्मस के अनुसार पर्याप्त हैं। यह सही नहीं है कि ग्रीष्म ऋतु में उक्त हैण्ड पम्प सूख जाते हैं। ग्रीष्म 2001 में भी उपरोक्तानुसार 16 हैण्ड पम्प चालू थे।

शुद्ध एवं पर्याप्त जल विहीन ग्राम

59. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में कितने गांव अब तक भी शुद्ध एवं पर्याप्त जल प्रदाय से वंचित हैं?

(2) उक्त शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल से वंचित गांवों एवं ढाणियों को कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा? उक्त सम्बन्ध में विचाराधीन योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में कितने गांवों में खारा या फ्लोराइड युक्त जल है? खारे या फ्लोराइड युक्त जल को पीने योग्य बनाने हेतु क्या कोई योजना/योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से ग्रामीण पेयजल योजनाओं एवं अनुसंधान के लिये कितनी-कितनी सहायता प्राप्त हुई है? उक्त सहायता राशि के व्यय का संख्या विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में 37889 गांव (मुख्य हेबीटेशन्स) हैं। फरवरी, 2002 तक की स्थिति के अनुसार पेयजल सुविधा निम्न प्रकार सुलभ करवाई जा चुकी है। विभिन्न योजना प्रकारों में से किसी न किसी प्रकार की योजना से लाभांवित 37613 गांव आंशिक रूप से लाभान्वित (पी.सी.) 19046 गांव (कुल लाभान्वित में शामिल) अलाभान्वित (एन.सी.) 276 गांव आंशिक रूप से लाभान्वित गांवों में वे गांव शामिल हैं, जहां सेवा स्तर मानक दण्डों से कम है। वर्ष 2000-2001 में प्रान्त में किये गये गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 10609 गांव ऐसे हैं जहां फ्लोराइड की मात्रा 1.5 पी.पी.एम. से अधिक है। इसी प्रकार 6807 ऐसे गांव हैं जहां कुल घुलनशील लवण की मात्रा 2000 पी.पी.एम. से अधिक है।

(2) उक्त सभी गांवों को स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के प्रयास सतत प्रक्रिया के रूप में किये जा रहे हैं। प्राथमिकता, धन तथा संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति प्रस्तावित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

सेलेनिटी प्रोजेक्ट के तहत अब तक 53 योजनाएं रुपये 35884.07 लाख लागत पर स्वीकृति की गई। जनवरी, 2002 तक रुपये 8468.95 लाख रुपये खर्च किया गया। स्वीकृत प्रोजेक्ट के तहत कार्य प्रगति में हैं तथा प्रस्तावित 1916 गांवों में से 403 को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका है। फ्लोराइड प्रोजेक्ट के तहत अब तक 34 योजनाएं रुपये 17451.26 लाख लागत पर स्वीकृति की गई। जनवरी, 2002 तक रुपये 8280.91 लाख रुपये खर्च किया गया। स्वीकृत प्रोजेक्ट के तहत कार्य प्रगति में हैं तथा प्रस्तावित 1067 गांवों में से 295 को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका है।

(3) यह कार्य सतत प्रक्रिया के रूप में चल रहा है। विवरण प्रश्न 1 व 2 के उत्तर में निहित।

(4) गत 3 वर्षों में (1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001) केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से पेयजल योजनाओं हेतु रिलीज निम्न प्रकार हुई।

(रुपये लाखों में)

वित्तीय वर्ष	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (सामान्य)	ए.आर.डब्ल्यू.पी. (मरूस्थल)	चूरू बिसाउ परियोजना	एम. एण्ड आई	अन्य
1998-99	11941.63	4564.84	---	10.00	345.43
1999-2000	12002.50	3651.87	---	---	26.25
2000-2001	16361.00	4151.00	2000.00	18.43	1292.52

व्यय का जिलेवार विवरण वर्षवार परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

जिला बाड़मेर की लम्बित स्वीकृत पेयजल योजनाएं

60. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत चार वर्षों में जिला बाड़मेर में पेयजल योजनाओं हेतु ए.आर.पी., एम.एम.पी. एवं बी.डी.पी. मद में कितनी राशि आबंटित हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चार वर्षों में उक्त मदों पर कितनी राशि व्यय हुई? मदवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में जल व्यवस्था के समाधान हेतु उक्त चार वर्षों में कितनी ओगमेंटेशन योजनाएं स्वीकृत की गई हैं एवं कितनी योजनाएं लम्बित हैं और उन्हें कब तक स्वीकृत किया जायेगा?

(4) उक्त स्वीकृत योजनाओं को कब तक पूरा किया जावेगा और उक्त से जिले के कौन-कौन से गांव लाभांवित होंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 4 वर्षों में जिले में पेयजल योजनाओं हेतु ए.आर.पी., एम.एम.पी., डी.डी.पी. एवं बी.ई.डी.पी. मद में वर्षवार आबंटित राशि का ब्यौरा परिशिष्ट–'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त 4 वर्षों में उक्त मदों में व्यय की गई राशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण परिशिष्ट–'अ' पर संलग्न है।

(3) बाड़मेर जिले में जल व्यवस्था के समाधान हेतु विगत 4 वर्षों में 117 आगेमेंटशन योजनाएं स्वीकृत की गई है। वर्तमान में 12 योजनाओं के सन्दर्भ में प्रारूप तैयार किया गया है जो तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है। योजना सही पाये जाने पर प्राथमिकता व धन उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति सम्भव होगी।

(4) उक्त 117 योजनाओं में से 57 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। जिससे 743 गांव/ढाणियां (67 आंशिक लाभान्वित व 676 लाभान्वित) लाभान्वित किए गए हैं तथा 60 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है एवं इनसे 266 गांव/ढाणियां लाभान्वित किए जायेंगें। विवरण परिशिष्ट–'ब' व 'स' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बानसूर के स्वीकृत हैण्ड पम्प

61. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सरकार ग्रामीणों को किन योजनाओं के तहत पीने का पानी उपलब्ध करा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कुल कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत हैं और उक्त में से कितने लग चुके हैं तथा कितने चालू है एवं जो चालू नहीं उन्हें सरकार कब तक चालू करा देगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कुल 169 आबाद ग्राम हैं जिनमें से 3 ग्रामों को क्षेत्रीय योजना, 5 ग्रामों को पनघट योजना, 17 ग्रामों को पाइप्ड योजना, 13 ग्रामों को पारम्परिक जल स्रोत योजना, 129 ग्रामों को हैण्ड पम्प योजना, एवं 2 ग्रामों को जनता जल योजना से पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट–'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न प्रोग्रामों के तहत कुल 75 हैण्ड पम्प स्वीकृत हैं जिनमें से 44 हैण्ड पम्पों का वेधन कार्य पूर्ण किया जाकर 41 हैण्ड पम्पों को चालू किया जा चुका है। शेष वेधन कार्य पूर्ण किये गये, 3 हैण्ड पम्पों को माह अप्रैल, 2002 में पूर्ण कर चालू करना लक्षित है। शेष 31 हैण्ड पम्पों को पेयजल समस्या की प्राथमिकता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार लगाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के पेयजल विहीन ग्राम

62. **श्री भाणजी** (दानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दानपुर में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु "राजीव गांधी मिशन योजना" के अन्तर्गत क्षेत्र के गांवों में नल पाइप लाइन, ट्यूबवेल व हैण्ड पम्प लगाये गये हैं? यदि हां, तो उक्त योजना से कौन-कौन से गांव वंचित रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। बांसवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र दानपुर में कुल 333 आबाद ग्राम है। जिनमें से 8 ग्रामों में पाइप्ड जल योजना, 10 गांव में पम्प एवं टैंक जल योजना तथा 315 गांवों में हैण्ड पम्प जल योजना से राजीव गांधी मिशन योजना एवं अन्य कार्यक्रमों के तहत पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है एवं कोई गांव पेयजल व्यवस्था से लाभान्वित किया जाना शेष नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के स्वीकृत हैण्ड पम्प

63. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में वर्ष 2001 से फरवरी, 2002 में विधायक मद से कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं? ग्राम व स्थान वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत शुदा हैण्ड पम्प अभी भी खोदना बाकी है? उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्प कितने खोदने बाकी हैं व कितने खुद चुके हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब विधायक फण्ड के हैण्ड पम्प कब तक खुद जावेंगे व कब तक जनता को पेयजल की व्यवस्था हो जायेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में विधायक कोष से वर्ष 2001 से फरवरी, 2002 तक 34 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं। ग्राम व स्थानवार सूची परिशिष्ट–'अ' पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त स्वीकृत 34 हैण्ड पम्पों में से 5 हैण्ड पम्प खुदने शेष हैं व शेष 29 हैण्ड पम्प खुद चुके हैं जिनमें से 22 हैण्ड पम्प सफल एवं 7 हैण्ड पम्प असफल रहे हैं। सफल रहे 22 हैण्ड पम्पों पर स्थापना कार्य पूर्ण हो चुका है। विवरण परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

(3) शेष रहे 5 हैण्ड पम्प ग्रीष्म, 2002 के पूर्व खोदकर चालू करना लक्षित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र डग के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था योजनाएं

64. **श्री मदन लाल वर्मा** (डग): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र डग के भवानी मण्डी सहित सभी गांवों में पेयजल संकट से निपटने के क्या उपाय किये जा रहे हैं?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त संकट से निपटने के स्थायी समाधान की कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किस स्तर पर लम्बित है?

(3) तहसील गंगधार के सूखाग्रस्त गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयास किस स्तर पर हैं?

(4) उक्त तहसील के संकट ग्रस्त कितने गांवों का सर्वे किया गया?

(5) वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर (पिकअप वेअर) गंगधार एवं भगवतीपुरा की स्कीम किस स्तर पर है और कब तक स्वीकृत हो जायेगी?

(6) करावन, खोती पी. एण्ड टी. स्कीम तथा उन्हैल आर्गेनाइजेशन स्कीम कब तक स्वीकृत की जायेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में 2 कस्बे क्रमशः भवानी मण्डी एवं कोलवी राजेन्द्रपुरा तथा ग्रामीण क्षेत्र में 275 गांव आते हैं। भवानी मण्डी कस्बे का वर्तमान सर्विस लेवल 25 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है तथा 75 हैण्ड पम्प भी कार्यरत हैं। कोलवी राजेन्द्रपुरा का वर्तमान सर्विस लेवल 16 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है तथा 15 हैण्ड पम्प भी कार्यरत है। समस्याग्रस्त 10 ग्रामों में 12 हैण्ड पम्प स्वीकृत कराकर पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है। भविष्य में भी किसी भी ग्राम में पेयजल समस्या उत्पन्न होने से पूर्व ही नियमानुसार व आवश्यकतानुसार पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) नगर भवानी मण्डी के पेयजल समाधान हेतु सागड़िया पर काफर डेम का निर्माण कार्य करवाया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र के सन्दर्भ में 10 ग्रामों में 12 हैण्ड पम्प स्वीकृत कराकर पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है।

(3) तहसील गंगधार में अभी कोई ग्राम पेयजल से वंचित नहीं है। समस्याग्रस्त 10 ग्रामों में 12 हैण्ड पम्प स्वीकृत किए जाकर पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है।

(4) तहसील गंगधार ग्राम पेयजल से सभी 182 ग्रामों का सर्वेकर लिया गया है। 10 ग्रामों में 12 हैण्ड पम्प स्वीकृत कर पेयजल उपलब्ध करवा दिया है।

(5) वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर (पिकअप वियर) गंगधार तथा भगवतीपुरा के प्रस्ताव बनाये गये हैं। मुख्य अभियंता स्तर पर प्रस्तावों में कुछ तकनीकी कमियां इंगित की गई है जिनके निवारण की कार्यवाही की जा रही है। तकनीकी रूप से योजना के प्रस्ताव पूर्ण होने पर प्राथमिकता एवं बजट प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति सम्भव होगी।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(6) ग्राम करावन व खोती के हैण्ड पम्प योजना से पम्प एवं टैंक योजना में परिवर्तित तथा उन्हैल के संवर्धन करने के प्रस्ताव बनाये गये हैं जो कि तकनीकी परीक्षण में है। तकनीकी जांच में सही पाये जाने एवं प्राथमिकता तथा बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृति सम्भव हो सकेगी।

श्योसिंहपुरा (दौसा) के भूतपूर्व जागीरदारों के मुआवजे में अनियमितता

65. **श्री भंवर लाल शर्मा** (हवामहल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तलाब गांव व शिवसिंहपुरा (श्योसिंहपुरा) तहसील लालसोट जिला दौसा में माफी मन्दिर की भूमि दर्ज थी? यदि हां, तो सूची मय भूतपूर्व जागीरदार का नाम, खसरा नम्बर रकबा सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूतपूर्व जागीरदारों का मुआवजा मातमी राशि एवं खुदकाश्त भूमि आबंटन के प्रकरण विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से और उक्त पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गांवों के भूतपूर्व जागीरदारों के असली वारिसों के स्थान पर अन्य को मुआवजे का भुगतान एवं खुदकाश्त की भूमि आबंटित कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सम्बन्धित पक्ष द्वारा उक्त पर आपत्ति की गई है? यदि हां, तो उक्त पर क्या निर्णय लिया गया?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि ग्राम तलाब गांव व शिवसिंहपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में माफी मंदिर के नाम भूमि दर्ज थी सूची मय भूतपूर्व जागीरदार का नाम, खसरा नं. व रकबे का विवरण परिशिष्ट-'अ' संलग्न है।

(2) जी, हां। श्रीमती नवलकंवर पत्नी श्री दलेल सिंह भूतपूर्व जागीरदार तलाब गांव को उनके मुआवजे की राशि पर ब्याज की राशि 25000/- रुपये का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में इनका प्रकरण राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन है। अतः वहां से प्राप्त होते ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा। अन्य किसी जागीरदार का मुआवजा व खुदकाश्त भूमि आबंटन प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(3) जी, हां। यह सही है कि ग्राम तलाब तहसील लालसोट जिला दौसा में भूतपूर्व जागीरदारों के स्थान पर अन्य को मुआवजे का भुगतान किया गया था, भुगतान किये जाने की शिकायत भी श्री हरिनारायण पुरोहित द्वारा की गई थी। श्री हरिनारायण पुरोहित के नाम ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील लालसोट का दावा मुआवजा संख्या-(27) फाइनल किया जाकर इनके नाम 3150/- रुपये बोण्ड्स बनाए गए थे। उक्त बोण्ड्स दिनांक 14.2.1963 को किसी व्यक्ति ने हरिनारायण पुरोहित बनकर प्राप्त कर

(राजस्व मंत्री)

लिये। इस मामले में पुलिस में एफ.आई. आर. दर्ज कराई गई जिसमें अदम पता एफ.आर. लगा दी गई। भूतपूर्व जागीरदार श्री हरिनारायण पुरोहित को मुआवजे की राशि एवं ब्याज का भुगतान कर दिया गया है। भूतपूर्व जागीरदारों के स्थान पर अन्य को खुदकाश्त की भूमि आवंटन नहीं की गई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम बाटड़ानाऊ लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

66. श्री भंवरू खान (फतेहपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बाटड़ानाऊ लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के सामने सरकारी भूमि पर चारों तरफ कितने व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर रखा है? क्या उक्त भूमि पर अवैध दुकानें बनाकर कई व्यक्ति नशीली, आबकारी, एवं नशीले पदार्थ बेचकर बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं? क्या सरकार उक्त दुकानदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि स्कूल के सामने श्री भगवानाराम पुत्र श्री भूराराम ने अपने खेत को बढ़ाकर सरकारी भूमि पर तथा आम रास्ते पर भी कब्जा कर रखा है? क्या हल्का पटवारी ने उक्त सम्बन्ध में अभी तक कोई नोटिस एवं शिकायत नहीं की है? क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में कोई आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण में स्कूल के सामने खेत को नापकर सरकारी भूमि निकलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? क्या सरकार अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार सम्पूर्ण ग्राम बाटड़ानाऊ के अवैध कब्जों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, बाटड़ानाऊ, तहसील लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के सामने सरकारी भूमि (चारागाह) पर चार व्यक्तियों द्वारा पक्की दुकानें एवं कच्ची डोल लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमी बलदेवा पुत्र भगवाना जाति जाट, बलवीर पुत्र भगवाना जाति जाट, जगदीश पुत्र भगवाना जाति जाट एवं मोती सिंह पुत्र गुलाराम जाति जाट निवासीगण बाटड़ानाऊ ने ख.नं. 111/2 चारागाह में से क्रमशः 0.05 हैक्टर कच्ची डोल लगाकर, 0.05 हैक्टर पर कच्ची डोल लगाकर, 0.05 हैक्टर पर कच्ची डोल एवं एक पक्की दुकान एवं 0.12 हैक्टर पर कच्ची डोल व 5 पक्की दुकानें बनाकर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर रखा है। उक्त निर्मित दुकानों में नशीली, आबकारी एवं नशीले पदार्थों का विक्रय नहीं किया जा रहा है।

(राजस्व मंत्री)

(2) भूमि पर अतिक्रमण स्व. भगवाना राम के पुत्र बलवीर, बलदेव व जगदीश द्वारा क्रमश: ख.नं. 111/2 चारागाह में से 0.05, 0.05 व 0.05 हैक्टर पर कच्ची डोल लगा कर तथा जगदीश द्वारा कच्ची डोल के अलावा एक पक्की दुकान बनाकर अवैध कब्जा कर रखा है। उक्त के द्वारा स्कूल के सामने आम रास्ते पर किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा नहीं कर रखा है। उक्त अतिक्रमण के विरुद्ध दि. 16.3.2002 को हल्का पटवारी बाटड़ानाऊ द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 22.3.2002 नियत है।

(3) उक्त प्रकरण में स्कूल के सामने खेत ख.नं. 164 व 165 वाके ग्राम बाटड़ानाऊ की नपती की जाने पर सरकारी भूमि (चारागाह) पर 0.27 है। तलाई पर अतिक्रमण पाये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध रिपोर्ट किये जाने पर न्यायालय तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा विधिनुसार कार्यवाही की जा रही है। जिसका विस्तृत विवरण बिन्दू संख्या-2 में दिया जा चुका है।

(4) सम्पूर्ण ग्राम बाटड़ानाऊ में सरकारी भूमि (चारागाह) पर अवैध कब्जों के 27 प्रकरणों की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा की गई थी। जिनमें अधिकांशत: आवासीय पुख्ता मकान एवं पुख्ता दीवार बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। उक्त में से 21 प्रकरणों में न्यायालय तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत विधिनुकूल कार्यवाही पूर्व में ही की जा चुकी है, किन्तु मौके पर भौतिक रूप से अवैध कब्जे नहीं हटाने के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। शेष 6 प्रकरणों के सम्बन्ध में विधिनुकूल कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ में लम्बित है। जिसका विवेचन बिन्दू सं.-2 में किया जा चुका है। अवैध कब्जों के सम्बन्ध में समीक्षा कर विधिनुकूल समुचित कार्यवाही शीघ्र की जाएगी।

ग्राम झालरा, (जयपुर) में पटवारी द्वारा खातेदारों के हिस्सों में हेराफेरी

67. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जमाबन्दी खतौनी नामान्तरकरण के आधार पर ही की जाती है? क्या जमाबन्दी में पटवारी या अन्य किसी कर्मी को खातेदारों के हक/हिस्से में तब्दीली करने का कोई अधिकार है? यदि हां, तो किस आधार पर? सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नामान्तरकरण पंजिका ग्राम झालरा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में बारानी कृषि भूमि की खसरा नं. 141 का नामान्तरण संख्या

(श्री हीरालाल सहरिया)

154 में सर्व श्री गोविन्द राम, मानाराम, कन्हैया लाल, हनुमान पुत्र श्री तुलसी राम हिस्सा 4/5, सर्व श्री नानग, गोपाल पुत्र श्री सुण्डा राम हिस्सा 1/5, किया गया है? यदि हां, तो कब? उक्त नामान्तरकरण पंजिका की प्रति मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम झालरा पटवार क्षेत्र डूंगरी खुर्द भू–अभिलेख क्षेत्र रेनवाल तहसील फुलेरा जिला जयपुर की जमाबन्दी संवत् 2037 से वर्तमान तक की खतौनी में कुछ हिस्सेदारों की मिलीभगत से तत्कालीन पटवारी ने हिस्सेदारों के हिस्सों में हेराफेरी कर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोषी पटवारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? उक्त जमाबन्दी की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब उक्त नामान्तरकरण संख्या–154 के अनुसार जमाबंदी (खतौनी) में ग्राम झालरा के खसरा नं.-141 की कृषि भूमि अभिलेख पुन: सर्वश्री गोविन्द राम, मानाराम, कन्हैया लाल, हनुमान पुत्र श्री तुलसी राम हिस्सा 4/5 तथा सर्वश्री नानग, गोपाल पुत्र श्री सुण्डाराम हिस्सा 1/5 संशोधित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जमाबन्दी में पटवारी या अन्य किसी को खातेदारों के हक में/हिस्से में तबदील करने का अधिकार नहीं है।

(2) जी, हां। नामान्तरकरण की फोटो प्रति नकल संलग्न है।

(3) जी, हां। सम्बन्धित अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी/अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में लापरवाही बरती गई है। इस मामलें में सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(4) लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 166 के अन्तर्गत लिपिकीय भूल को फर्द बदर से प्रभावित काश्तकारों के प्रार्थना पत्र पर ठीक किया जा सकता है। इस ख.नं. के प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के यहां प्रकरण विचाराधीन है। जिसमें जैर अपील की क्रियान्विती स्थगित रखी गई है।

(नकल विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम बाबड़ी गोपीनाथ (जयपुर) में फर्जी नामान्तरकरण

68. श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला जयपुर की तहसील चौमूं के ग्राम बाबड़ी गोपीनाथ में स्थित गत खसरा नं. 300 से 304 कुल किता–5 रकबा 602 बीघा 18 बिस्वा भूमि रो. मु. खाता

(श्री भंवरलाल शर्मा)

संख्या–2010 लगायत 2023 मिसल बन्दोवस्त खतोनी किस के नाम से दर्ज रही है?

(2) क्या उक्त आराजी पापड युक्त भूमि होने के कारण नाकाबिल काश्त भूमि रही है? यदि हां, तो कब से कब तक?

(3) क्या उक्त आराजी नियमानुसार आबंटन योग्य है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या पापड खार युक्त भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ए.एस.ओ. को है? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

(5) क्या यह सही है कि नामान्तरकरण संख्या–14, 27, 28, 29, 30 तथा 81 सरकारी भूमि के गैर कानूनी तरीके से स्वीकृत हुए हैं? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण रेफरेन्स करने योग्य है?

(6) क्या यह भी सही है कि नामान्तरकरण सं.–27, 28, 29, 30 एवं 81 के विरुद्ध भू-प्रबंध आयुक्त कमिश्नर ने रेफरेन्स बाबत लिखा है? यदि हां, तो कब और किसको?

(7) क्या तहसीलदार चौमूं ने उक्त सरकारी भूमि को धोखाधड़ी फर्जी रिकार्ड तैयार कर हड़पने के कारण पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की स्वीकृति हेतु जिला कलक्टर को निवेदन किया है? यदि हां, तो स्वीकृति जारी होकर किस स्तर की कार्यवाही हो रही है?

(8) क्या तहसीलदार, चौमूं ने खाता संख्या–27, 28, 29, 30 एवं 81 के विरुद्ध रेफरेन्स दर्ज करवाये हैं? यदि हां, तो कब?

(9) क्या उक्त रेफरेन्स राजस्व मण्डल में दर्ज करा दिये गये हैं? यदि हां, तो कब और नहीं, तो कब तक भिजवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) तहसील चौमूं, जिला जयपुर के ग्राम बाबड़ी गोपीनाथ में स्थित भूमि गत ख.नं. 300 लगा. 304 कुल किता 5 रकबा 602 बीघा 18 बिस्वा भूमि गै.मु. खारड़ा संवत् 2010 लगायत 2023 मिसल बन्दोबस्त खतौनी के खाता संख्या–56 में कालम सं.-5 में मकबुश ठिकाना नाकाबिल काश्त सिवाय चक बिना लगानी दर्ज है व कालम नं. 3 नाम भोक्ता में मंदिर श्री गोपीनाथजी अंकित है तथा कैफियत में अंकित एक टिप्पणी के अनुसार मिसल नं. 11 आदेश ए.एस.ओ. दिनांक 4.1.1958 जदिद पर्चा बाद दुरूस्ती ख.नं. 300 रकबा 210 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 301 रकबा 01 बीघा, ख.नं. 302 रकबा 289 बीघा 06 बिस्वा, ख.नं. 303 रकबा 71 बीघा 02 बिस्वा, ख.नं. 304 रकबा 0 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 602 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी गोस्वामी गोविन्द लाल देव पुरानी बस्ती जयपुर के नाम दर्ज किया अंकित है।

(2) जी, हां। संवत् 2019 लगायत 2022 की जमाबन्दी अनुसार गै.मु. खारड़ा नाकाबिल काश्त बिना लगानी जलोड में सरकारी भूमि रही है।

(3) जी, नहीं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खार युक्त जलोड भूमि होने से आवंटन योग्य नहीं है।

(राजस्व मंत्री)

(4) जी, नहीं। वर्णित भूमि की किस्म गै.मु. खारंड़ा रही है। जो नाकाबिल काश्त होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में कृषि प्रयोजनार्थ आबंटन हेतु प्रतिबंधित है। पट्टा किस आधार पर दिया गया है? इस सम्बन्ध में भू-प्रबंध विभाग को जांच कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

(5) जी, हां। यह सही है कि नामान्तरकरण सं.-14 सरकारी भूमि के गैर कानूनी तरीके से स्वीकृत होने पर अमल दरामद दिनांक 8.4.1964 को तत्कालीन आर.ओ. द्वारा रोक दिया गया था तथा पुनः इसी भूमि को नामांतरकरण सं.-81 के द्वारा सरकारी भूमि की खातेदारी गैर कानूनी तरीके से स्वीकृत हुआ है। इसी तरह नामान्तरकरण सं. 27, 28, 29, सरकारी भूमि के स्वीकृत हुए हैं तथा नामा. सं. 27, 28, 29 द्वारा अर्जित खातेदारी के बाद नामांकित सं.-30 के द्वारा संयुक्त कृषि सहकारी समिति मण्डी बाबड़ी के नाम तब्दील होकर स्वीकृत हुआ है जो रेफरेन्स योग्य है।

(6) जी, हां। भू-प्रबंध आयुक्त, राजस्थान जयपुर ने जिला कलक्टर, जयपुर को अपने पत्रांक भू.प्र.आ./समु. समान्य/9/12/9/1/87/1778 जयपुर, दिनांक 15.6.1989 के द्वारा रेफरेन्स राजस्व मण्डल अजमेर को करने बाबत लिखा था।

(7) जी, हां। इसका परीक्षण करवाया जा रहा है। बाद परीक्षण आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(8) जी, हां। तहसीलदार, चौमूं ने अपने पत्रांक भू.अ./2001/1792 दिनांक 20.6.2001 द्वारा नामा. सं.-27, 28, 29, 30 एवं 81 के विरुद्ध रेफरेन्स अति. कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर के न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं।

(9) न्यायालय अति. कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर से सुनवाई पश्चात् निर्णय के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम हरचन्दपुर (अलवर) में आवंटित भूमि का अवैध बेचान

69. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती सोमलता बेवा श्री महावीर सिंह राजपूत साकिन महशरा, तहसील तिजारा (अलवर) को दिनांक 17.3.1998 को ग्राम हरचन्दपुर तहसील तिजारा (अलवर) में 160/291 रकबा 5 बीघा भूमि का आबंटन सैनिक की विधवा होने के कारण जीवन यापन के लिए हुआ? क्या यह भी सही है कि गैर खातेदारी का इंतकाल दिनांक 31.3.98 को दर्ज व फैसला हुआ? क्या बेचान दिनांक 28.3.1998 को ही हो गया? क्या यह भी सही है कि दिनांक 22.12.1998 को तहसीलदार, तिजारा ने मात्र आठ माह 21 दिन बाद ही खातेदारी दे दी और उक्त भूमि का बेचान दिनांक 23.12.1998 को ही हो गया जो समस्त कार्यवाही गैर कानूनी है?

(श्री जगमाल सिंह यादव)

(2) क्या उक्त बाबत कोई शिकायत प्राप्त हुई थी? उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार ने उक्त आबंटन को निरस्त करने के लिए कोई दावा दाखिल किया है? यदि हां, तो किस अदालत में तथा कब? दावे की नकल की प्रति सदन की मेज पर रखें? क्या उक्त प्रकरण में कोई ज़वाब दावा दाखिल किया गया है? यदि हां, तो जवाब दावा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। श्रीमती सोमलता बेवा महावीर सिंह राजपूत सा. महेशरा तहसील तिजारा को जिला कलक्टर ने अपने आदेश क्रमांक: राजस्व/501-505 दिनांक 17.3.1998 के द्वारा ग्राम हरचंदपुर तहसील तिजारा की आ.ख.नं. 168/291 रकबा 5 बीघा का आबंटन बतौर शहीद की विधवा राज. भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आबंटन) नियम, 1970 के तहत कृषि प्रयोजनार्थ किया गया। यह सही है कि गैर खातेदारी का नामान्तरकरण दिनांक 31.3.98 को स्वीकृत किया गया है।

आबंटी श्रीमती सोमलता द्वारा दिनांक 28.3.1998 को 40-40 हजार रुपये के स्टाम्प पेपर पर दो इकरारनामें क्रमशः 4,75,000/- व 4,75,000/- बाबत बेचान श्री बसंत कुमार पुत्र लालचन्द एवं रूप कुमार पुत्र लालचन्द बंसल नि. तावडू के पक्ष में उप-पंजीयक टपूकडा के कार्यालय में निष्पादित कराये। यह सही है कि तत्कालीन तहसीलदार, तिजारा द्वारा 22.12.1998 को आवंटन के 8 माह 21 दिन बाद ही खातेदारी के आदेश पारित कर दिये। जिस आधार पर इन्तकाल सं. 144 दिनांक 30.12.1998 को बाबत खातेदारी स्वीकार किया गया। आबंटी सोमलता के मु. आम श्री रूपकुमार द्वारा उक्त भूमि का बेचान रजिस्टर्ड बयनाया द्वारा दिनांक 23.12.1998 को किया गया। तत्कालीन तहसीलदार, तिजारा के विरुद्ध 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। आबंटी द्वारा शर्तों की अवहेलना के कारण आबंटन निरस्त करने हेतु प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) उक्त आबंटन के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तहसीलदार, तिजारा द्वारा उक्त आबंटन को निरस्त करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण न्यायालय अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के यहां दायर किया हुआ है। यह प्रकरण न्यायालय हाजा में दिनांक 22.10.1999 में दर्ज है, जिसकी प्रति संलग्न है। इस प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया जा चुका है, जिसकी प्रति संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण

70. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कृषि योग्य भूमि का रकबा एवं अन्य भूमि का क्या विवरण है?

(श्री अमराराम)

(2) राज्य में कृषि खातेदारी की संख्या क्या है तथा उक्त में से लघु सीमान्त किसानों की संख्या एवं भूमि का रकबा कितना है तथा बड़े किसानों का वर्गीकरण के अनुसार भूमि धारण क्या है?

(3) क्या सरकार कास्त गिरदावरी कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में कृषि योग्य भूमि का रकबा वर्ष 2000-2001 के अनुसार 27353051 हैक्टेयर है।

अन्य भूमि का रकबा 6911738 हैक्टेयर है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क. जंगलात 2606093 हैक्टेयर

ख. भूमि जो कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य में ली गई 1739591 हैक्टेयर

ग. ऊसर तथा अकृषि योग्य भूमि 2566054 हैक्टेयर

(2) गत कृषि गणना 1995-96 के आंकड़ों के अनुसार सूचना निम्न प्रकार है:-

कृषक श्रेणी	संख्या (लाखों में)	क्षेत्रफल (लाख है. में)
1. सीमान्त	16.11	7.80
2. लघु	10.85	15.66
3. सेमी मीडियम	11.17	31.05
4. मीडियम	10.64	66.17
5. लार्ज	4.87	91.92
योग	53.64	212.50

(3) राजस्थान भू-राजस्व, भू-अभिलेख नियमावली, 1957 के नियम 58 के अनुसार राज्य में प्रति वर्ष नियमानुसार गिरदावरी कराने का प्रावधान है :-

1. 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर : खरीफ
2. 1 फरवरी से 5 मार्च : रबी
3. 1 मई से 15 मई : जायद रबी

राज्य में खेतीहर मजदूरों की संख्या-1076084 है।

ग्राम रालावास (दौसा) में आबंटित भूमि में परिवर्तन

71. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रालावास तहसील लालसोट जिला दौसा के खसरा नं. 289 रकबा 178 बीघा 6 बिस्वा में से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 57 बीघा भूमि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त आबंटन की नक्शे में तरमीम कर दी गई है? यदि हां, तो क्या उक्त तरमीम आबंटियों को आवंटित खसरावास ही की है या उसमें कोई परिवर्तन किया है? यदि परिवर्तन किया है तो किस आधार पर? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तरमीम के सम्बन्ध में आबंटियों द्वारा जिला कलक्टर दौसा को कोई ज्ञापन/प्रतिवेदन देकर गलत तरमीम के सम्बन्ध में शिकायत की है? यदि हां, तो प्राप्त शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री ललित भाटी)

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों? उक्त प्रतिवेदन पर अब और क्या कार्यवाही किया जाना शेष है जो कब तक की जा सकेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सभी आबंटियों को एक ही खसरा नं. 289 रकबा 178 बीघा 06 बिस्वा में से भूमि आबंटित हुई है। अत: इसी खसरा नम्बर में से आबंटित को उनके रकबे के अनुसार तरमीम की गई है। खसरा नं. एक ही होने के कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आबंटियों की सूचि परिशिष्ट–1 तथा नक्शा तरमीम परिशिष्ट–2 संलग्न है।

(2) जी, हां। प्राप्त शिकायत प्रार्थना पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट–3, 4 व 5 संलग्न है।

(3) प्राप्त शिकायत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.10.1999 एवं दिनांक 20.6.2000 के प्राप्त होने पर आबंटन की तरमीम कर दी गई है। इसमें हुए विलम्ब की जांच किये जाने हेतु सहायक कलक्टर लालसोट को जांच अधिकारी नियुक्त कर शीघ्र बाद जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होनें पर दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। तरमीम के सम्बन्ध में अब कोई कार्यवाही की जाएगी। तरमीम के सम्बन्ध में अब कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

मंदिर माफी की भूमि के कब्जे के नियम

72. श्री मदन लाल वर्मा (डग): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार मंदिर माफी की भूमि का कब्जा मंदिर को वापस दिलाने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो क्या व किस प्रकार?

(2) क्या मंदिर भूमि मंदिर माफी कराकर उसका कब्जा मंदिर को दिलाने के कोई नियम हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मंदिर की भूमि का कब्जा मंदिर को दिलाने हेतु कोई नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत खातेदार की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने का प्रावधान है। मंदिर देव मूर्ति की खातेदारी की भूमि पर भी उक्त प्रावधान लागू होते हैं।

(2) जी, हां। बिन्दू सं.–1 में दिये गये उत्तर के अनुसार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 183 में प्रावधान किया हुआ है। अधिनियम की धारा 183 का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(3) बिन्दू सं.–2 में अंकित अनुसार उत्तर प्रस्तुत किया जा चुका है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

ग्राम कानरपुरा (जयपुर) का नामान्तरकरण प्रकरण

73. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की तहसील चौमूं के ग्राम कानरपुरा में श्री भैरू पुत्र श्री नाथू अहीर ने अपने खाते की भूमि का रजिस्ट्री से बेंचान किया था?

(2) क्या उक्त बेचान के आधार पर हल्का पटवारी ने दिनांक 10 फरवरी, 1972 को नामान्तरकरण भरकर मंजूरी हेतु सरपंच ग्राम पंचायत घिनोई के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था?

(3) क्या यह सही है कि जब नामान्तरकरण तस्दीक हेतु पंचायत के समक्ष गया तो उक्त ग्राम के वार्ड पंच ने पंचायत को बताया कि उक्त भूमि में से खसरा नं. 196 बारानी 3 पर श्री भोमारूडा बलाई का कब्जा मौके पर बताया गया है?

(4) क्या यह भी सही है कि दिनांक 10 सितम्बर, 1972 के पंचायत के उपस्थित कोरम ने उक्त सम्बन्ध में तय किया गया कि यदि क्रेता जाहिर किये कब्जे पर श्री भोमारूडा को कोई परेशानी नहीं करने बाबत यदि लिखकर पंचायत में पेश करे तो नामान्तरकरण तस्दीक किया जाय?

(5) क्या यह सही है कि तत्कालीन सरपंच की उक्त टिप्पणी पर पंचायत में उपस्थित क्रेता श्री नानगा व श्री भूरा पुत्र श्री भैरू ने एक वाद पत्र बाबत श्री भोमारूडा के कब्जे को सदा के लिए मानते हुए लिखकर पंचायत में पेश किया और पंचायत ने उसे सही मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की थी? यदि हां, तो उक्त वाद पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां।

(4) जी, हां।

(5) जी, हां। वाद पत्र काफी पुराना (1972 का) होनें के कारण पंचायत द्वारा रेकार्ड तलाश किया जा रहा है।

जिला धौलपुर के अनुदान प्राप्त देवालय

74. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मंदिरों को अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो जिला धौलपुर में ऐसे कितने मंदिरों को अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अनुदान किस कार्य के लिए और कितना दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अनुदान का सही उपयोग किया जा रहा है? यदि हां, तो धौलपुर में उक्त अनुदान से क्या-क्या किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। देवस्थान विभाग द्वारा मंदिरों को जहां सहायता अनुदान दिया जाता है। धौलपुर जिले में इस प्रकार सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले 274 मंदिर/संस्थाएं हैं।

(2) उक्त सहायता अनुदान मंदिरों/संस्थाओं को सेवा-पूजा, धूप, दीप, नैवेध्य आदि के लिए दिया जाता है। विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) सहायता अनुदान की राशि मंदिर की सेवा-पूजा, धूप-दीप, नैवेध्य आदि के लिए दी जाती है। सहायता अनुदान राशि अल्प होने से मात्र दैनिक सेवा पूजा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करना सम्भव नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 75

(स्थगित)

राज्य में मिलावटी खाद्य सामग्री पर रोक हेतु अभियान

76. श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार ने दिनांक 26 जनवरी, 2002 से राज्य में "शुद्ध के लिए युद्ध" एक माह तक अभियान चलाकर मिलावट करने वालों के विरुद्ध राज्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निर्णय किया गया था? यदि हां, तो उक्त अभियान में कितने मिलावटियों को पकड़ा और कितनों के विरुद्ध अदालत में चालान पेश किया गया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। उक्त अभियान में दिनांक 28.2.2002 तक 1194 मिलावटियों को पकड़ा गया, उनमें से 5 के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई तथा 327 के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जिलेदारों की भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा

77. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिलेदारों की सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु सरकार द्वारा दिनांक 30 मई, 1993 को आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अब उक्त लिखित परीक्षा में सफल अभ्यार्थियों की घोषणा कर उन्हें नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री मदन दिलावर)

(3) क्या उक्त परीक्षा के समय आयु सीमा में आने वाले परीक्षार्थी जो अब निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं उन्हें भी नियुक्ति देने का सरकार विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्या उक्त अभ्यार्थियों को अन्य किसी प्रकार की छूट/राहत देने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिलेदारों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु 30 मई, 1993 को जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार के पत्रांक प–15(11)सिं/35/85 दिनांक 9.5.1994 के द्वारा आयोजित परीक्षा को निरस्त किया जाने हेतु आदेशित कर दिया गया था।

(2) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती कोटे के पदों को भरने हेतु रोक लगा दी गई है तथा राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ–1 (10) सिंचाई/99 दिनांक 26.9.2001 द्वारा जिलेदारों के समस्त पद 1.10.2001 से समाप्त हो चुके हैं।

(3) जी, नहीं। विभाग में जिलेदार का अब कोई पद नहीं है अत: विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

भाखरा क्षेत्र की सरहिन्द फीडर से टेल हेतु पानी

78. **श्री अमराराम (धोद):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

भाखरा क्षेत्र की नहरों में सरहिन्द फीडर की टेल पर 01 अक्टूबर, 2001 से 10 मार्च, 2002 तक राज्य के हिस्से का कितना पानी मिला? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान राज्य को सतलुज नदी के पानी के हिस्से में से पंजाब के माध्यम से सरहिन्द फीडर की टेल (करणी सिंह एवं सादुल शाखा) पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2001 से 10 मार्च, 2002 तक कुल निर्धारित 1,28,200 क्यूसेक्स–डेज पानी के विरुद्ध कुल 1,12,183 क्यूसेक्स–डेज पानी प्राप्त हुआ है जिसका विवरण परिशिष्ट–'अ' पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

जिला अलवर के बांध क्षेत्र में अवैध कब्जों की रोकथाम

79. **श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला अलवर में सिंचाई के क्या–क्या साधन हैं?

(2) उक्त जिले में कुल कितने बांध हैं तथा उक्त के रख–रखाव की क्या व्यवस्था है? क्या उक्त से निकलने वाली नहरें सही हालत में हैं?

(3) उक्त में से जो बांध टूटे हैं तथा जिन नहरों पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं सरकार उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जिला अलवर में सिंचाई विभाग के अधीन बांध की नहरों से व बांध के पेटा काश्त में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है।

(2) अलवर जिले में वर्तमान में सिंचाई विभाग के कुल 86 बांध हैं। इनका रख-रखाव विभाग द्वारा रख-रखाव मद में आबंटित होने वाले बजट के अनुसार कराया जाता है। बांधों से निकलने वाली नहरें साधारणतया ठीक हालत में हैं परन्तु अधिकांश नहरें अत्यधिक पुरानी होने के कारण उन पर विशेष मरम्मत की आवश्यकता है। इनमें से जयसमन्द, देवती व मंगलसर बांध की नहरों का कार्य राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना के अन्तर्गत लगभग 348 लाख की लागत से आगामी वर्ष से प्रारम्भ कराना प्रस्तावित है।

(3) उक्त में से वर्तमान में कोई बांध टूटा हुआ नहीं है। सिलीसेढ़, मंगलसर, जयसमन्द आदि नहरों की कुछ जमीनों पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है जिसे शीघ्र हटाने हेतु जिला राजस्व अधिकारी के साथ मिलकर प्रयास किये जा रहे हैं।

जिला बांसवाड़ा की अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं

80. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा में कितनी सिंचाई परियोजनाएं अपूर्ण है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में टिड़िया देव, सिमेला, कोटडी बगायचा की अपूर्ण सिंचाई परियोजना है? क्या सरकार उक्त अपूर्ण सिंचाई परियोजना को स्वीकृत कर पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में कुल 26 सिंचाई परियोजनाएं अपूर्ण हैं। तहसीलवार सूची परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी, हां। ये तीनों परियोजना अपूर्ण है। इन योजनाओं में से टिडिया देव एवं कोटडी बगायचा में वन विभाग की भूमि डूब में आती है एवं सिमेला परियोजना का अधिकांश कमाण्ड क्षेत्र विद्यमान कलिंजरा परियोजना से सिंचित हो रहा है अतः इन योजनाओं को अभी पूर्ण कराना प्रस्वावित नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

विश्वविद्यालय बीकानेर से चांधन फार्म की वापसी

81. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि संसाधन की कमी के कारण थारपार कर नस्ल सुधार का चांधन फार्म कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को सरकार द्वारा सौंपा गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि विश्व-

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

विद्यालय बीकानेर को चांधन फार्म देने के बाद पशुओं की संख्या कम हुई है तथा जो साण्ड थारपारकर नस्ल के चाहिए थे नहीं मिल रहे हैं?

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार नस्ल सुधार संसाधन उपलब्ध करवा रही है?

(4) राज्य सरकार की चांधन फार्म पर कितनी लागत लगी हुई है?

(5) क्या सरकार थारपारकर नस्ल सुधार को ध्यान में रखते हुये विश्वविद्यालय बीकानेर से चांधन फार्म वापस लेने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) थारपारकर नस्ल सुधार हेतु अनुसंधान तथा साण्ड, बछड़ियां एवं बैल उत्पादन के लिए राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को स्थानांतरित किया गया है न कि संसाधनों की कमी के कारण।

(2) संसाधनों में लगातार कमी एवं मूल्य वृद्धि के कारण पशुओं की संख्या में कमी हुई है, किन्तु मांग अनुसार थारपारकर नस्ल के साण्ड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये गये हैं।

(3) जी, हां।

(4) वर्ष 1984 से वर्ष 2001-2002 तक योजना मद में 4,07,20,919 व गैर आयोजना मद में 1,22,21,150 रुपये की राशि आबंटित की गई है एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान परियोजना में रुपये 48,17,000 की राशि आबंटित हुई है, जिसमें 75% राशि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं 25 राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गई है।

(5) जी, नहीं। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मांग अनुसार साण्डों की आपूर्ति की जा रही है।

पशु चिकित्सालयों में तरल नाइट्रोजन का अभाव

82. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों और तहसीलों के पशु चिकित्सालयों में वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 की अवधि में कृत्रिम गर्भाधान हेतु कितना-कितना तरल नाइट्रोजन कब-कब कहां-कहां से प्राप्त किया तथा उसका वितरण किस मात्रा में किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तरल नाइट्रोजन के अभाव में कृत्रिम गर्भाधान नहीं किया जा सका है? क्या सरकार ने तुरन्त उक्त व्यवस्था उपलब्ध कराने की जानकारी दी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि तरल नाइट्रोजन के अभाव के कारण राज्य में गत दो वर्षों में कार्यरत सैंकड़ों उक्त कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों पर निरर्थक

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

व्यय हुआ तथा ग्रामीण जनता को नस्ल सुधार से होने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ा? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या सरकार उक्त का उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी?

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न जिलों और तहसीलों के पशु चिकित्सालयों में वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 (माह जनवरी, 2002 तक) की अवधि में कृत्रिम गर्भाधान हेतु क्रमशः 5, 59, 073 एवं 5,00,386 लीटर तरल नाइट्रोजन आपूर्ति कर वितरण किया गया। वर्षवार आपूर्ति एवं वितरण की सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है। इस अवधि में तरल नाइट्रोजन की आपूर्ति मैसर्स एयर लिक्विड, नई दिल्ली द्वारा राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से की गई है।

(2) जी, नहीं। केवल दिनांक 16 जनवरी, 2001 से मई, 2002 तक तरल नाइट्रोजन के अभाव में कृत्रिम गर्भाधान में व्यवधान रहा है। माह जून, 2001 से तरल नाइट्रोजन की आपूर्ति राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से सुचारू रूप से की जा रही है।

(3) जी, नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बांसवाड़ा के पशु औषधालयों में रिक्त पदों की आपूर्ति

83. **श्री भाणजी** (दानपुर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बांसवाड़ा में पशुधन औषधालय ग्राम आधार योजना में कितने औषधालय हैं? क्या सरकार उक्त जिले में नये औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के पशुधन सहायक/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कितने पद स्वीकृत हैं व वर्तमान में कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में कुल 25 पशु औषधालय एवं एक ग्राम आधार योजना कार्यरत है। जी, नहीं। सीमित संसाधनों के कारण वर्तमान में नये औषधालय खोलने का विचार नहीं है।

(2) बांसवाड़ा जिले में 130 पद पशुधन सहायकों एवं 172 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सृजित हैं। इनमें से 6 पद पशुधन सहायकों व एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सइस) के निम्न प्रकार से रिक्त हैं:–

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

क्र.सं.	संस्था का नाम	रिक्त पद
1.	पशु चिकित्सालय, बड़ी सरवा	1 पद पशुधन सहायक, 1 पद सइस
2.	उप केन्द्र, कोटडाराणगा	1 पद पशुधन सहायक
3.	उप केन्द्र, पाठन	1 पद पशुधन सहायक
4.	उप केन्द्र, नल्दा	1 पद पशुधन सहायक
5.	उप केन्द्र, छोटी सरवा	1 पद पशुधन सहायक
6.	उप केन्द्र, मोहकमपुरा	1 पद पशुधन सहायक

कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव नहीं है।

साप्ताहिक पत्र कल्चर जालौर का स्वीकृति प्रकरण

84. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):** क्या सूचना एवं जनसम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जालौर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र कल्चर प्रकाशित हो रहा है? यदि हां, तो कब से तथा अब तक उसको विभाग द्वारा स्वीकृति व मान्यता क्यों नहीं दी गई?

(2) क्या उक्त पत्र के सम्पादक ने विभाग को बार-बार निवेदन किया कि पत्र को अधिस्वीकृत किया जावे? यदि हां, तो अभी तक क्यों नहीं किया गया और अब कब तक किया जा सकेगा तथा विज्ञापनों के लिए मान्यता कब तक दी जा सकेगी?

(3) क्या यह सही है कि जिला जन-सम्पर्क अधिकारी जालौर ने अपने पत्र संख्या 299 दिनांक 17.5.99 से संपादक को लिखा था कि नियमानुसार सालभर प्रकाशन के बाद अधिस्वीकृत किया जा सकेगा? यदि हां, तो उक्त अवधि कब खतम हुई और अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। साप्ताहिक कल्चर दिनांक 21.10.1998 से प्रकाशित हो रहा है। प्रकाशन के अनियमित होने व मान्यता सम्बन्धी प्रपत्रों की पूर्ति नियमानुसार नहीं करने के कारण प्रकरण विचाराधीन हैं।

(2) विभाग द्वारा समाचार पत्र का अधिस्वीकरण नहीं किया जाता है, सम्पादक/पत्रकार का अधिस्वीकरण किया जाता है। पत्र को विज्ञापनों हेतु मान्यता देने के लिए सम्पादक द्वारा परिपत्रों की पूर्ति करने के उपरांत ही नियमानुसार मान्यता दी जा सकेगी।

(3) जी, हां। नियमित एक वर्ष समाचार पत्र प्रकाशन के बाद ही राजस्थान

(राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क)

प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 के अनुसार निर्धारित पात्रता पूर्ण करने के उपरांत ही सम्पादक का अधिस्वीकरण किया जाता है। समाचार पत्र प्रकाशन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई परन्तु प्रकाशन के अनियमित होने तथा सम्पादक के लिए निर्धारित पात्रता पूर्ण नहीं करने के कारण अधिस्वीकरण नहीं किया गया।

जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर पदोन्नति

85. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि विभाग में जन सम्पर्क अधिकारी के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्ष 1991 से फरवरी, 2002 तक उक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। पदों का विवरण वर्षवार निम्नानुसार है:–

वर्ष 1991–92	47 पद
वर्ष 1992–93	48 पद
वर्ष 1993–94	48 पद
वर्ष 1994–95	48 पद
वर्ष 1995–96	49 पद
वर्ष 1996–97	50 पद
वर्ष 1997–98	50 पद
वर्ष 1998–99	55 पद
वर्ष 1999–2000	54 पद
वर्ष 2000–2001	54 पद
वर्ष 2001–2002	53 पद

विभागों से प्राप्त वाहनों की नीलामी

86. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक कुल कितने वाहन किस-किस विभाग ने जमा कराये व कब नीलाम किया गया व कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभागों द्वारा जमा वाहन अधिकारियों द्वारा क्रय कर लिये गये? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी द्वारा कौनसा वाहन किस कीमत में क्रय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विभिन्न विभागों में वर्षों से वाहन पड़े हैं जिन्हें जमा नहीं कराया गया? यदि हां, तो कितने वाहन किस विभाग/जिलों में अनुपयोगी पड़े हैं?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से मार्च, 2002 तक विभिन्न विभागों द्वारा कुल 1653 वाहन स्टेट मोटर गैराज में जमा कराये गये। उक्त वाहनों में से 1431 वाहन माह अगस्त, 1999 से मार्च, 2002 के दौरान नीलाम किये गये। जिनकी नीलामी से रुपये

(राज्य मंत्री, स्टेट मोटर–गैराज)

7,74,85,400/- की राशि प्राप्त हुई। नीलाम किये गये वाहनों का विवरण परिशिष्ट–''क'' पर उपलब्ध है। नीलामी से बचे शेष वाहनों का विवरण परिशिष्ट–''ख'' पर उपलब्ध है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। विभिन्न विभागों में अनुपयोगी वाहनों की सूची परिशिष्ट–''ग'' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रख गया)

तहसील मुख्यालय आसीन्द (भीलवाड़ा) पर आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना

87. **श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) :** क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला भीलवाड़ा में तहसील मुख्यालयों पर कहां–कहां आयुर्वेदिक औषधालय हैं?

(2) क्या सरकार तहसील मुख्यालय आसीन्द पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की निम्न तहसील मुख्यालयों पर वर्तमान में विभागीय आयुर्वेद औषधालय संचालित है:-

1. भीलवाड़ा
2. शाहपुरा
3. माण्डलगढ़
4. जहाजपुर
5. कोटड़ी
6. बनैड़ा
7. माण्डल

(2) जी, नहीं। वित्तीय संसाधनों के अभाव में फिलहाल नवीन आयुर्वेद औषधालय खोलना प्रस्तावित नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) श्री नन्दलाल मीणा एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य भेड़ एवं ऊन फैडरेशन के अधिशेष अधिकारी/कर्मचारियों को समायोजन किए जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य की ओर से अजमेर जिले में मदनगंज–किशनगढ़ स्थित दैनिक नवज्योति के आंचलिक कार्यालय में आग लगाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरीशचन्द कुमावत, सदस्य की ओर से जिला नागौर के नावां क्षेत्र में विद्युत की पर्याप्त सप्लाई न होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से क्या जानकारी चाही जायेगी? यह इतना गम्भीर मसला है, अखबारों में यह साया हुआ है, सब की जानकारी में है और गृह मंत्री जी के कल ही नोटिस में आ गया, इन्होंने रिपोर्ट भी मंगा ली। किससे मंगानी है यह जानकारी अब?

श्री उपाध्यक्ष : मंगा ली तो बता देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, देखिये, हमारा किशनगढ़ का भी मसला इसी प्रकार से टाला गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295....(व्यवधान)

श्री सांवरलाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ के लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अखबारों के आग लगाने का काम हो गया है। (व्यवधान) दमन कार्य का बड़ा चक्र चल रहा है, समाचार पत्रों के दफ्तरों में आग लगाई जा रही है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : समाचार पत्रों में आग लगायी जा रही है। (व्यवधान) तो ये जिन्दा कैसे रहेंगे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : और उनका दमन किया जा रहा है। (व्यवधान) दैनिक नवज्योति के मदनगंज के अखबार के ऊपर हमला हुआ है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ीलाल (बामनवास) : प्रजातंत्र पर हमला है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आज इनके आफिसों के ऊपर आग लगाने का काम हो गया है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : आज इस अखबार को दबाया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अखबार को इस किशनगढ़ की घटना को....(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : आग लगाने का काम किसने किया? आप लोगों ने किया। यह कोई आज हो रहा है? (व्यवधान) किशनगढ़ में निराश लोगों ने ही दैनिक नवज्योति के आफिस में आग लगायी है। (व्यवधान) सरकार जांच कर रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : एक चौथे स्तम्भ पर इस तरह का हमला, उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार नहीं है। राजस्थान पत्रिका के सम्वाददाता को भरतपुर में गिरफ्तार किया गया। (व्यवधान) और नवज्योति के अन्दर......

श्री सांवरलाल : ऐसी घटनाएं अगर इस प्रदेश के अन्दर होने लग गयी तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आम जनता का विश्वास उठ जायेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और यह कहती है कि अजमेर की पुलिस निरंकुश हो गई है। इन समाचारों से खफा होकर षड्यंत्रपूर्वक नवज्योति के कार्यालय में आग लगायी जाती है; यह लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पर हमला है। उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार नहीं, यह बड़ा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बर्बर जुल्म है। भरतपुर के अन्दर पत्रिका के सम्वाददाता को गिरफ्तार किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बता दिया, जानकारी आने पर बता देंगे। (व्यवधान) श्री रामगोपाल बैरवा। (व्यवधान) 295.

श्री सांवरलाल : क्या कमी है जो जानकारी नहीं ले सकती है, जब वायरलैस है, टेलीफोन है, टेलीप्रिंटर है, सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं सरकार के पास हैं? (व्यवधान)

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : आप पत्रकारों को पीट रहे हैं। (व्यवधान) आप अपनी आंखों को बन्द कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कोटा, बूंदी व बारां जिलों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत कोटा, बून्दी व बारां जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

मान्यवर, कोटा, बून्दी व बारां जिले में 5 जनवरी, 2002 व फरवरी, 2002 को ओलावृष्टि के कारण किसानों की खेतों में खड़ी सरसों, मेथी व धनिया की फसलें नष्ट हो गयीं जिससे किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं पैदा हो गयीं। इस ओलावृष्टि के बाद जन प्रतिनिधियों व आम जनता के द्वारा जिला प्रशासन को ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। जिला प्रशासन ने किसानों की बात को गम्भीरता से लेते हुए ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों से पटवारी द्वारा टीपंकर नुकसान का सर्वे करने के आदेश दिये। आदेशों के बाद तहसील स्तर पर प्रभावित किसानों की सूचियां तैयार होकर जिला स्तर पर मुआवजा राशि देने के लिए भेजी गयी है। परन्तु लम्बे समय के बाद भी किसानों को मुआवजा सरकार द्वारा नहीं दिया गया। साथ ही, किसानों से रेवेन्यू की वसूली व बैंकों की वसूली की जा रही है जिससे किसानों पर डबल मार हो रही है व किसान परेशान हैं।

अतः आप किसानों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा राशि दिलायें। साथ ही, उस क्षेत्र में रेवेन्यू व बैंकों की वसूली को स्थगित करवाकर किसानों को राहत पहुंचाने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हठधर्मी रही है कि सरकार किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। किशनगढ़ की ज्यादतियों को अखबार में बराबर इस प्रकार से पब्लिश किया.......(व्यवधान) उस सारी बात को लेकर पुलिस प्रशासन ने अखबार के कार्यालय पर......(व्यवधान)

बांसवाड़ा में विद्युत कनेक्शन हेतु लम्बित आवेदनों का निस्तारण

श्री रमेश चन्द पण्ड्या (बांसवाड़ा): महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदनों का निस्तारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय, निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में काश्तकारों ने अपने निजी कुओं और नदी-नालों पर कृषि कनेक्शनों के लिए विभाग में आवेदन कर रखें हैं किन्तु पिछले तीन वर्षों से एक ही जवाब मिल रहा है कि ऊपर से बैन लगा है। ऐसी स्थिति में यहां का किसान हताश है, वहीं कृषि उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है।

महोदय, जहां निजी कुओं पर कनेक्शन लेने वालों की समस्या अपने तरह की है, वहीं क्षेत्र में बहने वाले नदी-नालों पर कनेक्शन लेने वाले किसानों को कनेक्शन लेने के लिए तहसीलदार एवं पटवारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है। इस प्रमाण-पत्र हेतु स्थानीय तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा आनाकानी की जाती है कि जिसे नदी-नाले पर सम्बन्धित किसान कनेक्शन चाहता है वह जमीन उसके खाते की नहीं है। जबकि पूर्व में हजारों कनेक्शन नदी-नालों पर हो चुके हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

कृपया ऐसे आवेदकों के लिए कृषि कनेक्शन दिलाने में आ रही बाधा को दूर किया जाये जिससे माही नदी का पानी जो नदी-नालों में व्यर्थ बहकर कडाना में समा जाता है, उसका किसान कृषि उत्पादन हेतु उपयोग कर सकें और क्षेत्र का कृषि उत्पादन बढ़ सके।

कई किसानों के कुओं के ऊपर से विद्युत लाइन निकल रही है। ऐसे कनेक्शन जिनमें एक भी पोल की दरकार नहीं होती, ऐसे आवेदकों को भी कनेक्शन नहीं दिये जाने से किसान विद्युत चोरी के लिए प्रेरित होता है और ऐसी चोरी लगातार हो रही है। ऐसे में उन किसानों को चिन्हित कर जिनके कुओं के करीब से विद्युत लाइन गुजर रही है, उनको विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता से दिये जाने चाहिये।

आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

गोगुन्दा में महाराणा प्रताप से सम्बन्धित यादगार स्थानों का संरक्षण व वकास

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित यादगार स्थानों को संरक्षित एवं विकसित करने हेतु माननीय पर्यटन मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करता हूं।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

विधान संभा क्षेत्र गोगुन्दा की तहसील गोगुन्दा में स्वतंत्रता संग्राम के मूल महापुरूष महाराणा प्रताप राजतिलक के पश्चात् जीवनपर्यन्त विभिन्न पहाड़ों एवं इस क्षेत्र के जंगलों में अकबर से मुकाबला करने की योजनाएं बनाते रहे। उनके द्वारा हल्दीघाटी के युद्ध की तैयारी की गई व बड़ी वीरता के साथ हल्दीघाटी का युद्ध किया गया। ऐसे निम्नांकित प्रताप की यादगार व स्मृति स्वरूप स्थानों के विकास हेतु माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से पर्यटन मंत्री जी से निवेदन है कि निम्नांकित स्थानों के सम्बन्ध में विस्तृत सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर वि. जांच करा इन क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिलाने का कष्ट करेंगे:-

(1) रातोड़ा– यह स्थान तहसील गोगुन्दा की पंचायत करदा के ग्राम रोयडान्तर्गत बनास नदी के किनारे अरावली पहाड़ की गोद में स्थित है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि महाराणा प्रताप इस स्थान के जंगलों में छिपने एवं सैन्य बल एकत्रित करने के उद्देश्य से कुछ वर्षों तक यहां रहे। इसी स्थान पर पुत्र अमर सिंह के हाथ से वन बिलाव रोटी छीन ले गया था। इस रातोड़ा स्थान पर प्रताप के रहने के लिए बनाये गये महलों के खण्डहर एवं उनकी इष्टदेवी का स्थान मौजूद है। कष्ट के दिन इसी स्थान पर व्यतीत करने के कारण इस स्थान का नाम रातोड़ा रखा गया। इस स्थान पर पहुंचने का कोई सुलभ रास्ता मौजूद नहीं है। अभी वहां के निवासियों की सुविधा हेतु अकाल राहत के अन्तर्गत गायफल से पगडण्डी रास्ता निकाला गया है।

(2) रांग बावड़ी– यह स्थान पंचायत चित्रावास के अन्तर्गत ग्राम रीछवाड़ा के वन खण्ड क्षेत्र में रानियों की हल्देर होली का चौतरा नाम से जाना जाता है। यहां पर महाराणा प्रताप द्वारा सैन्य शक्ति को बढ़ाने एवं आदिवासी भीलों व गरासियों को एकत्रित कर शस्त्र सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाता था। यहां पर प्रशिक्षार्थियों के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु बावड़ी का निर्माण करवाया गया था।

(3) मायरा की गुफा– यह स्थान बड़गांव पंचायत समिति के अन्तर्गत कड़िया पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। इस स्थान पर स्थित गुफा में महाराणा प्रताप के लिए युद्ध सम्बन्धी अस्त्र-शस्त्र तैयार किये जाते थे। यह स्थान गुफा व पहाड़ियों के कारण अति गोपनीय है। वर्तमान में इस स्थान को आस-पास होने वाले खनन कार्यों से संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाना मुश्किल हो रहा है। इस स्थान को सुरक्षित रखने के लिए अवैध खनन कार्य को रोका जाना आवश्यक है।

(4) धोलिया पहाड़– यह स्थान गांव गोगुन्दा से 3-4 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में अरावली पर्वत की चोटी के बाद सबसे बड़ी पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थान महाराणा प्रताप के लिए गुप्तचरों का मुख्य अड्डा था जो ऊंचाई के ऊपर स्थित होने व भयंकर जंगलों में स्थित होने से काफी महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है।

(5) सायरा– इस ग्राम में वर्तमान उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्थान पर

(श्री मांगीलाल गरासिया)

महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की राजधानी रही है। अमर सिंह के महलों पर ही वर्तमान उ.मा.वि. भवन बनाया गया है। महलों के खण्डहर आज भी मौजूद हैं तथा अमर सिंह की धर्म पत्नी सायर कुंवर के नाम से गांव सायरा रखा गया है। अतः महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के महलों पर स्थित विद्यालय का नाम अमर सिंह के नाम पर रखने की जन अपेक्षा है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी। श्री हीरासिंह चौहान। श्री अमीन खां।

बाड़मेर के सीमावर्ती गांवों में सेना की तैनाती से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि जिला बाड़मेर के सीमावर्ती गांवों में माह दिसम्बर, 2001 से भारी तादाद में फौज तैनात है, जिसकी वजह से कई किसानों के खेतों में ग्वार के ढुगले रह गए हैं। कइयों की ढाणियां खाली होने से झोंपड़ों में बाजरी बरतन आदि रह गए हैं।

कई ग्रामों के पास में बारूदी सुरंगें बिछाई गईं उसके फटने से दो आदमी मर गये और सैकड़ों जानवर मर गये हैं। किसानों की खातेदारी की जमीनें इतनी टैंकों से खराब हो गई हैं कि आगामी खरीफ की ऋतु में काश्त काबिल नहीं रह गई हैं। कई ग्रामों की सड़कें नष्ट हो गई हैं। उदाहरण के तौर पर सोखली से समदकापार वाया रतडेरी नीबला से उण्ड वाया नागडदा, मौखाब–काश्मीर–उण्ड से रतेउ-शिव से फेलसूण्ड, शिव नागडदा–फतेगढ़ से जीन्जनीमाली, गिराब से बईया, खबडाला से मोढ़डी।

अतः मेरा आपकी मार्फत सरकार से अनुरोध है कि सीमावर्ती किसानों को मुआवजा दिया जाए, टूटी सड़कों की मरम्मत कराई जाए और आगामी गर्मी में पीने के पानी के फौज के वास्ते विशेष इंतजाम किया जाये, ताकि जनता को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : अमराराम चौधरी। श्री ज्ञानचन्द पारख। श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री देवीसिंह भाटी : ......माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माइक बंद करा दिये।

श्री उपाध्यक्ष : चालू हो गये। आप जाओ। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : माइक बंद कराके हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप चालू करवाएं? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : .....इस अखबार ने हमेशा अपनी न्यूज में पूरा स्थान दिया। वहां के पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार की ज्यादती वहां किशनगढ़ के लोगों के साथ की, उसको बराबर हाइलाइट किया। मेरा यह दावा है कि अगर आप इसकी जांच करोगे तो पुलिस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रशासन ने इस कार्यालय को आग लगवाई है। (व्यवधान) ताकि किशनगढ़ के उस सारे के सारे काण्ड को.....(व्यवधान) किशनगढ़ की उन सारी घटनाओं को जिस प्रकार से सामने रखा, जिस प्रकार की घटनाएं हुईं, निर्दोष लोगों को बर्बरता से किशनगढ़ में पीटा गया, इस अखबार ने अपने अखबार में उसको पूरा स्थान दिया। आपने देखा होगा कि जो उस समय एस.पी. और डी.वाई.एस.पी.के पुतले जलाये, उसकी जब न्यूज 18 तारीख के दिन इस अखबार ने छापी, 19 तारीख सवेरे इसके कार्यालय में आग लगा दी क्योंकि किशनगढ़ में जिस प्रकार की घटनाएं हुईं उनको...... (व्यवधान).......के कारण से हुई। इनको इसने स्थान दिया और यह सारा का सारा फोटो दिया पुतलों को जलाने का। उस कारण से इस अखबार के कार्यालय को जलाया गया। एक तरफ निर्दोष काश्तकार लोगों को पीटा गया....(व्यवधान) 03 तारीख के दिन बुलाकर के एस.पी. ने स्वयं ने मौजूद होकर इन लोगों की पिटाई की। उसके विरोध में जब सारे के सारे तहसील कार्यालयों में धरने लगे, जुलूस निकले, इस प्रकार से उनके पुतले जलाये गए.....(व्यवधान) उस अखबार में 18 तारीख को जब न्यूज कवर हुई तो उसके कारण से इस अखबार के कार्यालय में आग लगायी। (व्यवधान) सरकार इस हठधर्मी में बैठी रहे, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं, शायद लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। लोकतंत्र में यह पहला उदाहरण है। (व्यवधान) एस.पी. स्वयं एक मुक्का मारे और किसी का दांत तोड़ दे। उसके खिलाफ जब कार्यवाही मांगते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। आप कोई जगह नहीं दे सकते......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठो, बैठो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपकी दया पर जिन्दे हैं हम यहां जनता की समस्या को उठाने के लिए......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस लोकतंत्र के अंदर......... (व्यवधान) प्रेस पर हमला.....(व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया......(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी नहीं सुनेंगे फिर तो क्या? (व्यवधान)

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : किशनगढ़ में कुछ नहीं......(व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : किशनगढ़ में लूटपाट की है, आगजनी फैलाई है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस लोकतंत्र में जनता के......(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान) किशनगढ़ में अत्याचार हो गया। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग अजमेर जिले को भी (व्यवधान) नसीराबाद में.....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान) आसन को.......

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ......इस लोकतंत्र के अन्दर इस तरह का......(व्यवधान) हम आसन का सम्मान......(व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : .....विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें प्लीज। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : मैं भी निवेदन करना चाहता हूं......

डा. किरोड़ीलाल : यहां कोई नहीं सुन रहा है आपकी बात। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप सर्वोच्च आसन पर बिराज रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन निष्पक्ष होना चाहिए। आसन की गरिमा है। अगर कोई.......(व्यवधान) +++ (व्यवधान) प्रतिपक्ष कोई अपनी बात......(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है। यह प्रेस पर हमला लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पर हमला है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के लोग इस तरह से दादागीरी करेंगे...... (व्यवधान)......मरती जाएगी। (व्यवधान) गुजरात के अन्दर..... (व्यवधान) लोगों को मार दिया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सदन शुरू हुआ, तब से हम आपके पास सभी प्रकार के तरीकों और नियमों के तहत आ रहे हैं। इस प्रकार की घटना किशनगढ़ में हुई उस बारे में हम चर्चा करना चाहते थे, बात कहना चाहते थे। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : किशनगढ़ के अन्दर......(व्यवधान) ये विश्व हिन्दू परिषद......(व्यवधान)....समाजकंटक हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पहली बार होता जब कल समय बढ़ाया..... (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद, सरवाड़ कहीं पर भी नहीं है। (व्यवधान) कुछ नहीं मिला। यह दुर्घटना में है उस घटना को क्यों......(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : +++ कि कल सदन को जिस ढंग से चलाया। (व्यवधान) मैं सोचता हूं कि राजस्थान की विधान सभा में ऐसा सदन कभी नहीं चला। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. के. सी. चौधरी : किशनगढ़ और अजमेर में आपको कुछ भी नहीं मिला है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : स्थगित हुआ है सदन, लेकिन इस बात की कोशिश की कि यह +++ रहें....... (व्यवधान) यह हो जाये, यह आपने व्यवस्था की और इसके कारण से...... (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ये अजमेर की हार की समस्या कब तक चलेगी आपकी? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और पौन घण्टा और बढ़ाया और ढाई घण्टे के अन्दर...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य, हार को पचाना सीखो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ......क्या आप यह सोचना चाहते थे कि हम संख्या में बड़े हो सकते हैं? (व्यवधान) लेकिन राजस्थान की जनता हमारे साथ-साथ है। जिस प्रकार का अन्याय और गुण्डागर्दी प्रशासन ने की है और जिस प्रकार से एस.पी. ने स्वयं ने लोगों को मारा है, मैं उन सारे तथ्यों से प्रमाणित कर सकता हूं। वह आपकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कर सकता हूं। वह तीन-तीन फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करा कर अपना केस......(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : ....दंगाइयों के साथ में पुलिस ने उचित व्यवहार किया है......(व्यवधान) पूरे किशनगढ़ में दंगा कराना चाहते थे, अजमेर जिले में दंगा कराना चाहते थे। उन्होंने शांति बनाये रखने के लिए......(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात को इन्होंने जलाकर रख दिया..... (व्यवधान) और पूरे गुजरात में आग लगा दी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ......जिन निर्दोष लोगों को पीटा, जिन अधिकारियों ने पीटा, उनको बचाने के लिए एक नहीं, तीन-तीन मेडिकल रिपोर्ट, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाई हैं। 03 तारीख की मेडिकल रिपोर्ट, 04 तारीख की मेडिकल रिपोर्ट, 05 तारीख की मेडिकल रिपोर्ट ....(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : दंगाइयों को बचाने के लिए इस सदन का दुरूपयोग कर रहे हैं। दंगाइयों को बचाने के लिए सदन का दुरूपयोग कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : .....यह फर्जी मेडिकल रिपोर्ट, एक मेडिकल रिपोर्ट मिलती नहीं है। यह बेइमानी की भी पराकाष्ठा हो गई है। मैं सोचता हूं कि इतनी बेइमानी की पराकाष्ठा हो गई है। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : .....कार्यालय में अचानक कोई आता है......(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ......यह सरकार का कागज +++ फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाई है। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में साम्प्रदायिकता का माहौल फैलाना चाहते हैं। लोगों को मरवा रहे हैं ये लोग। इनका अटल बिहारी वाजपेयी है मरने के लिए तैयार है अटल बिहारी वाजपेयी मरने के लिए तैयार है, उसको बचा लो ये। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं–अटल बिहारी वाजपेयी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : .....यह तीन अलग–अलग आदमियों की मेडिकल रिपोर्ट है, जो प्रमाणित करती है आपकी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट है। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि यह 03 तारीख को जो मेडिकल आपने बनवाया, यह फर्जी मेडिकल बनाया है। 04 तारीख को कोर्ट में जो हुआ है, उसमें यही चोटें, यह चोटें 15–15 से.मी. और 20–20 से.मी. हैं....(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भा.ज.पा., भा.ज.पा.। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : ......की जांच कर रहे हैं। एक दुर्घटना का आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : +++

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह फर्जी मेडिकल किया गया है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह कोई हाउस चल रहा है? यह हाउस चलाने का कोई तरीका नहीं है। आप आवाज को दबाना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंहजी

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

(वित्त विभाग)

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:–

1. अधिसूचना संख्या–प. 8 (6) वित्त/कर/2001 दिनांक 16.5.2001 जिसके द्वारा कुमारप्पा नेशनल हैण्डमेड पेपर इंस्टीट्यूट, सांगानेर के स्वामित्वाधीन भूमि एवं भवन को दिनांक 1.4.1993 से इस शर्त के साथ पूर्णतया कर मुक्त किया गया कि वसूल किये जा चुके कर तथा पहले से संदत्त कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

2. अधिसूचना संख्या–प. 4 (4) वित्त/कर/1994–74 दिनांक 29.5.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या–एफ. 4 (4) एफ.डी/टैक्स/99–261 दिनांक 15.1.2000 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या प. 4 (30) वित्त/कर/97 पार्ट–75 दिनांक 29.5.2001

+++ नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जिसके द्वारा गरीबी की रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) टी.डी.पी./अनुपूर्ण स्कीम/पोषाहार कार्यक्रम के तहत विक्रित गेहूं/चावल से सम्बन्धित पण्यावर्त (टर्नओवर) के सम्बन्ध में 1.4.2000 से पण्यावर्त कर में से छूट दी गई है।

4. अधिसूचना संख्या-प. 10 (47) वित्त/कर/93 दिनांक 30.5.2001 जिसके द्वारा बाल एवं एक्शन फिल्मों को दिनांक 2 से 8 जून, 2001 तथा दिनांक 16 से 22 जून, 2001 तक कर मुक्त किया गया है। (दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित एक शो के लिए)।

5. अधिसूचना संख्या-प. 4 (45) वित्त/कर/91 पार्ट-76 दिनांक 1.6.2001 जिसके द्वारा पेंशनर, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशगणों को व्यवसाय कर से मुक्त किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या-प. 4 (45) वित्त/कर/2000-77 दिनांक 14.6.2001 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 23 के उप नियम 2 के खण्ड ग में संशोधन किया गया है।

7. अधिसूचना संख्या-प. 10 (47) वित्त/कर/93 दिनांक 15.6.2001 जिसके द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी बाल एवं एक्शन फिल्मों को दिनांक 15 से 27 जून, 2001 तक कर मुक्त किया गया है। (दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित एक शो के लिए)।

8. अधिसूचना संख्या-प. 2 (26) वित्त/कर/98 पार्ट दिनांक 26.6.2001 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. द्वारा आबंटित/विक्रित स्थावर सम्पति पर बाजार मूल्य के बजाय ब्याज, शास्ति, 2 वर्ष के औसत किराये के 11 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है।

9. अधिसूचना संख्या प.-4 (12) वित्त/कर/2001-78 दिनांक 27.6.2001 जिसके द्वारा मक्की के पोहे की विक्रय/क्रय को 1.4.2001 से कर से छूट प्रदान की गई है।

10. अधिसूचना संख्या प.-4 (12) वित्त/कर/2001-79 दिनांक 27.6.2001 जिसके द्वारा इसबगोल के विक्रय/क्रय को 29.3.2001 से कर मुक्त कर दिया गया है।

11. अधिसूचना संख्या प.-4 (12) वित्त/कर/2001-80 दिनांक 27.6.2001 जिसके द्वारा अरण्ड के बीज को निश्चित शर्तों पर क्रय कर से मुक्त किया गया है।

12. अधिसूचना संख्या प.-4 (11) वित्त/कर/2001-81 दिनांक 30.6.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (11) वित्त/कर-अनु/2000-278 दिनांक 22.3.2000 में संशोधन किया गया है।

13. अधिसूचना संख्या प.-4 (12) वित्त/कर/2001-82 दिनांक 30.6.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(12) एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-43 दिनांक 29.3.2001 में संशोधन किया गया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

14. अधिसूचना संख्या–प.8 (15) वित्त/कर/2001 दिनांक 30.6.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या–एफ. 4 (1) एफ.डी./टैक्स-डिवी/2000-326 दिनांक 30.3.2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

15. अधिसूचना संख्या–प. 8 (23) वित्त/कर/98 दिनांक 3.7.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या–एफ. 4 (12) एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-53 दिनांक 29.3.2001 में संशोधन किया गया है।

16. अधिसूचना संख्या–प. 8 (23) वित्त/कर/98 दिनांक 13.7.2001 जिसके द्वारा भवन एवं भूमि कर विभाग की विशेष एमनेस्टी स्कीम (15.7.2001 से 31.10.2001) लागू की गई है।

17. अधिसूचना संख्या–प. 2 (5) वित्त/कर/99 दिनांक 17.7.2001 जिसके द्वारा बकाया स्टाम्प कर शुल्क एवं शास्ति दिनांक 30.9.2001 तक जमा कराने पर पंजीयन शुल्क से माफ किया गया है।

18. अधिसूचना संख्या–प. 2 (19) वित्त/कर/2000 दिनांक 17.7.2001 जिसके द्वारा कलक्टर, मुद्रांक द्वारा अधिरोपित शास्ति व वसूली योग्य शुल्क और फीस का दिनांक 30.9.2001 तक संदत करने पर परिहार किया गया है।

19. अधिसूचना संख्या–प. 10 (3) वित्त/कर/95 पार्ट दिनांक 27.7.2001 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म यादें को कर मुक्त किया गया है। (लायन्स क्लब द्वारा आयोजित शो के लिए)

20. अधिसूचना संख्या–प. 4 (50) वित्त/कर/99-83 दिनांक 18.8.2001 जिसके द्वारा इंफोर्मेशन टैक्नोलाजी पार्क या साइबर सिटी को स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

21. अधिसूचना संख्या–प. 4 (50) वित्त/कर/99-84 दिनांक 18.8.2001 जिसके द्वारा इंफोर्मेशन टैक्नोलाजी पार्क या साइबर सिटी को भूमि एवं भवन कर से छूट प्रदान की गई है।

22. अधिसूचना संख्या–प. 4 (30) वित्त/कर/97-85 दिनांक 7.9.2001 जिसके द्वारा एफ.सी.आई. के 7.39 लाख मैट्रिक की सीमा के अधीन गेहूं के विक्रय को भूतलक्षी प्रभाव दिनांक 20.1.2001 से कर मुक्त किया गया है।

23. अधिसूचना संख्या–प. 4 (30) वित्त/कर/97-86 दिनांक 7.9.2001 जिसके द्वारा एफ.सी.आई. को अनत्योदय योजना तथा काम के बदले अनाज योजना के तहत प्राप्त गेहूं अथवा चावल के पण्यार्वत (टर्नओवर) पर पण्यार्वत कर दिनांक 3.6.2001 से कर मुक्त किया गया है।

24. अधिसूचना संख्या–प. 4 (68) वित्त/कर/99-87 दिनांक 13.9.2001 जिसके द्वारा एस.एफ.ई.आई. इलक्ट्रोनिक शील्डिंग इण्डिया लि. द्वारा औद्योगिक भूमि के सम्बन्ध में 31.12.2002 तक स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

25. अधिसूचना संख्या–प. 4 (68) वित्त/कर/99-88 दिनांक 13.9.2001

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जिसके द्वारा सोफ्ट ड्रिंक की परिधि से फलों के रस मिनरल एवं परिष्कृत जल को अलग किया गया है।

26. अधिसूचना संख्या-प. 4 (68) वित्त/कर/99-89 दिनांक 13.9.2001 जिसके द्वारा एस्वेस्टोज सीमेंट शीट्स, ईंट के निर्माण जिनमें फ्लाइएस को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया गया हो, के संबंध में दी गई कर छूट की अवधि दिनांक 31.12.2002 तक बढ़ाई गई है।

27. अधिसूचना संख्या-प. 4 (68) वित्त/कर/99-90 दिनांक 13.9.2001 जिसके द्वारा जनजाति क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों को कुछ शर्तों के अधीन कर आस्थागन योजना के लाभ की अवधि बढ़ाई गई है।

28. अधिसूचना संख्या-प. 4(18) वित्त/कर/97-पार्ट-3-91 दिनांक 17.9.2001 जिसके द्वारा सोना-चांदी व्यवहारियों के लिए प्रशमित उद्ग्रहण स्कीम सम्बन्धित अधिसूचना दिनांक 12.1.2001 को 1 अक्टूबर, 2001 से विखण्डित किया गया है।

29. अधिसूचना संख्या-प. 4 (18) वित्त/कर/97-पार्ट-3-92 दिनांक 17.9.2001 जिसके द्वारा मैनमेड फाइवर एवं यार्न 2 प्रतिशत से अधिक की राशि माफ की गई है।

30. अधिसूचना संख्या-प. 4 (18) वित्त/कर/97-पार्ट-3-93 दिनांक 17.9.2001 जिसके द्वारा सिन्थेटिक/नान सिन्थेटिक, सल्यूजिक/नान सल्यूजिक के विक्रय के सम्बन्ध में कर दर 2 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

31. अधिसूचना संख्या-प. 4 (18) वित्त/कर/97-पार्ट-3-94 दिनांक 17.9.2001 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-एफ. 4 (12) एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-14 दिनांक 29.3.2001 की क्रम संख्या-2 पर अभिव्यक्ति (खल और तेल रहित खल) को उक्त सूची से हटाया गया है।

32. अधिसूचना संख्या-प. 4 (18) वित्त/कर/97-पार्ट-3-95 दिनांक 17.9.2001 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-एफ. 4 (12) एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-13 दिनांक 29.3.2001 में संशोधन किया गया है।

33. अधिसूचना संख्या-प. 4(18) वित्त/कर/97-पार्ट-3-96 दिनांक 17.9.2001 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या एफ. 4 (7) वित्त/ग्रुप-4/92-71 दिनांक 4.3.1992 में संशोधन किया गया है।

34. अधिसूचना संख्या प.4(18)वित्त/कर/97-पार्ट-3-97 दिनांक 17.9.2001 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (11) एफ.डी./टैक्स-डिवी/2000-81 दिनांक 30.6.2001 को विखण्डित किया गया है।

35. अधिसूचना संख्या-प.4(18)वित्त/कर/97-पार्ट-3-98 दिनांक 17.9.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (12) वित्त/कर/2001 दिनांक 29.2.2001 में संशोधन किया गया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

36. अधिसूचना संख्या-प. 2 (17) वित्त/कर/2000 दिनांक 28.9.2001 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 के नियम 10 में संशोधन किया गया है।

37. अधिसूचना संख्या-प. 10 (3) वित्त/कर/95-पार्ट दिनांक 16.10.2001 जिसके द्वारा होटल जयमहल पैलेस में महाराजा सवाई जयसिंह हितार्थ ट्रस्ट द्वारा आयोजित चैरिटी डिनर डान्स कार्यक्रम दिनांक 3.11.2001 कर मुक्त किया गया है।

38. अधिसूचना संख्या-प. 4 (12) वित्त/कर/2001-99 दिनांक 18.10.2001 जिसके द्वारा डाइमिथाई ट्रीपलेट और मोनोएप्लीन ग्लाइकोल के अन्तरराज्यीक व्यापार पर सशर्त 0.75 प्रतिशत दर से कर संगणित किया गया है।

39. अधिसूचना संख्या-प. 10 (47) वित्त/कर/93 दिनांक 20.10.2001 जिसके द्वारा हिन्दी अंग्रेजी बाल फिल्मों को दिनांक 20.10.2001 से एक वर्ष की अवधि के लिए कर मुक्त किया गया है। (बाल चित्र समिति मुम्बई द्वारा निर्मित)

40. अधिसूचना संख्या-प. 4 (43) वित्त/कर/2000-100 दिनांक 29.10.2001 जिसके द्वारा पोलिथीन इंस्यूलेटेड जैली फिल्ड (पी.आई.जे.एफ.) पर कर दर 4 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

41. अधिसूचना संख्या-प. (19) वित्त/कर/2000 दिनांक 29.10.2001 जिसके द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा अधिरोपित शास्ति व वसूली योग्य शुल्क और फीस का दिनांक 31.12.2001 तक संदत करने का परिहार किया गया है।

42. अधिसूचना संख्या-प. 2 (26) वित्त/कर/98 दिनांक 29.10.2001 जिसके द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल, जे.डी.ए., यू.आई.टी. नगरपालिकाओं, कृषि उपज मण्डियों, पंचायतों, पंचायत समितियों एवं अन्य उपक्रमों द्वारा आबंटित/विक्रित स्थावर सम्पत्ति के विलेखों या लिखितों पर स्टाम्प शुल्क घटाया जाकर बाजार मूल्य के बजाय, ब्याज शास्ति, 2 वर्ष के औसत किराये यदि कोई हो, अन्य रकम को सम्मिलित करते हुए कुल रकम की राशि 11 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लेने हेतु 31.3.2002 तक निष्पादित रजिस्ट्रीकरण पर लागू की गई है।

43. अधिसूचना संख्या-प. 10 (47) वित्त/कर/93 दिनांक 3.11.2001 जिसके द्वारा अभय एवं अन्य अंग्रेजी बाल फिल्मों को दिनांक 29.10.2001 से 5.11.2001 तक कर मुक्त कर दिया गया है। (स्वास्तिक आर्ट्स एवं क्रिएशन्स द्वारा आयोजित एक शो के लिए)।

44. अधिसूचना संख्या-प. 4 (24) वित्त/कर/90-101 दिनांक 3.11.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ. 4(34) एफ.डी./ग्रुप-4/90-30 दिनांक 27.6.1990 को दिनांक 19.7.2000 से विखण्डित किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति

(प्रतिवेदन सं. 49 के 55)

श्री हरजीराम बुरड़क (सदस्य, राजकीय उपक्रम समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति, 2001-2002 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थान करता हूं :-

1. राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996-97) से सम्बन्धित समिति का 49वां प्रतिवेदन।

2. राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 एवं उपक्रम के वार्षिक प्रतिवेदनों पर आधारित) से सम्बन्धित समिति का 50वां प्रतिवेदन।

3. राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन 1994-95) से सम्बन्धित समिति का 51वां प्रतिवेदन।

4. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1995-96) से सम्बन्धित समिति का 52वां प्रतिवेदन।

5. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1996-97) से सम्बन्धित समिति का 53वां प्रतिवेदन।

6. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1997-98) से सम्बन्धित समिति का 54वां प्रतिवेदन।

7. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1992-93) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2001-2002 के 37 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 55 वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

अनुपूरक अनुदान की मांगों (द्वितीय संकलन) का उपस्थान

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2001-2002 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति

(प्रतिवेदन सं. 108 से 131)

श्री शिवनाथ सिंह (सदस्य, जन लेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पी.ए.सी. के निम्न प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट कृषि विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण

(श्री शिवनाथ सिंह)

प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 का अनुच्छेद संख्या-3.1 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 108वां प्रतिवेदन।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 का अनुच्छेद संख्या 3.6 व 3.7 (मोटर गैराज) वर्ष 1997-98 मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं कार्मिक विभाग पैरा संख्या-3.1 एवं वर्ष 1997-98 का पैरा संख्या-2.5.6 सामान्य प्रशासन तथा वर्ष 1998-99 पैरा संख्या-5.2 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 109वां प्रतिवेदन।

3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सिंचाई (नर्मदा नहर परियोजना) विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 का अनुच्छेद संख्या-4.6 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 110वां प्रतिवेदन।

4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सिंचाई विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 का पैरा संख्या-4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 व 4.18 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 111वां प्रतिवेदन।

5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 का पैरा संख्या-4.9 से 4.12 वर्ष 1996-97 का पैरा संख्या-4.10 व 5.2 वर्ष 1997-98 का पैरा संख्या-4.4 व 5.1 व वर्ष 1998-99 का पैरा संख्या-4.5 सम्बन्धित मामलों पर समिति का 112वां प्रतिवेदन।

6. विनियोग लेखे वर्ष 1994-95 में बताये गए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर समिति का 113वां प्रतिवेदन।

7. विनियोग लेखे वर्ष 1995-96 में बताये गए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर समिति का 114वां प्रतिवेदन।

8. वर्ष 1994-95 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट भूमि एवं भवन कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 115वां प्रतिवेदन।

9. वर्ष 1994-95 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट भूमि एवं भवन कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 116वां प्रतिवेदन।

10. वर्ष 1995-96 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट भूमि एवं भवन कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 117वां प्रतिवेदन।

11. वर्ष 1996-97 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट भूमि एवं भवन कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 118वां प्रतिवेदन।

(श्री शिवनाथ सिंह)

12. वर्ष 1997-98 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट भूमि एवं भवन कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 119वां प्रतिवेदन।

13. वर्ष 1989-90 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 120वां प्रतिवेदन।

14. वर्ष 1990-91 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 121वां प्रतिवेदन।

15. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1995-96 के पैरा संख्या-3.7, अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 के पैरा-3.4 व अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 के पैरा 3.8 में समाविष्ट राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 122वां प्रतिवेदन।

16. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1993-94 के पैरा संख्या-3.4, वित्त विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 123वां प्रतिवेदन।

17. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1996-97 में समाविष्ट सिंचाई विभाग से सम्बन्धित पैरा संख्या 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16 एवं 4.17 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 124वां प्रतिवेदन।

18. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सिंचाई (बीसलपुर सिंचाई परियोजना) विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 का पैरा संख्या-4.13 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 125वां प्रतिवेदन।

19. वर्ष 1991-92 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 126वां प्रतिवेदन।

20. वर्ष 1992-93 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 127वां प्रतिवेदन।

21. वर्ष 1993-94 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 128वां प्रतिवेदन।

22. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट उद्योग विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 का पैरा संख्या-2.5 व 3.3 वर्ष 1998-99 का 6.5 व वर्ष 1999-2000 का 3.6 व 6.5 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 129वां प्रतिवेदन।

(श्री शिवनाथ सिंह)

23. जन लेखा समिति 1999-2000 (11वीं विधान सभा) के 35वें व 42वें तथा 44वें प्रतिवेदनों में समाविष्ट सिफारिशों की पालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति का 130वां प्रतिवेदन।

24. जन लेखा समिति 1999-2000 एवं 2001-2002 (11वीं विधान सभा) के क्रमशः 37वें एवं 88वें प्रतिवेदनों में समाविष्ट सिफारिशों की पालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति का 131वां प्रतिवेदन।

(व्यवधान)

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

डा. के. सी. चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लिए 200 में से सिर्फ एक ही विधान सभा क्षेत्र रह गया है किशनगढ़। (व्यवधान) ये दुःखी हो चुके हैं। ये हार मान चुके हैं।

श्री रामस्वरूप : इससे तो मर जाना अच्छा है। (व्यवधान)

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही एक बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की बैठक 12.23 बजे, 13.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(13.00 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मांग

दैनिक नवज्योति कार्यालय पर हुए हमले की जांच

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब इधर निगाह रखा करो थोड़ी-बहुत तो।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : वह भी टेढ़ी नहीं, सीधी क्योंकि वह बहुत टेढ़ी होती है इधर।

मोहम्मद माहिर आजाद : टेढ़ी नहीं, साहब। आपके बचाव में एक भी नहीं बचा।....(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया था और आसन से यह व्यवस्था हुई है कि राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा यह आप व्यवस्था देते हैं, हम शिरोधार्य करते हैं और मानते हैं और राज्य सरकार से जानकारी दो-तीन दिन बाद में आ जाती है। लेकिन आज विषय गम्भीर इसलिए है कि पत्रकारिता के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। पहले भरतपुर के अन्दर हुआ और अभी नवज्योति के कार्यालय के ऊपर जो साजिश रचकर पुलिस के माध्यम से इस प्रकार से, जैसा हमने सोचा है या जो सूचना हमें मिली है, उसके अनुसार पुलिस के द्वारा यह सारी कार्यवाही करवाई गई और उस कार्यालय के अन्दर तोड़फोड़, आगजनी करके और यह एक दबाव बनाया...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब तक सरकार का जवाब नहीं आ जाये तब तक आप...(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : यह कोई जानकारी का सवाल नहीं है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें जवाब की जरूरत ही नहीं है।

डा. किरोड़ीलाल : साहब, अब हमला हो रहा है, पत्रकारों पर हमला हो रहा है...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सरकार के पास में जानकारी होने से कोई मतलब नहीं है...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आप ही के आदमियों ने इसमें आग लगाई है...... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी प्राप्त की, आज तो आपने दिया है....(व्यवधान)

आज ही आप कहो, इस समय तो कोई उत्तर नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : जवाब क्यों नहीं देती? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब क्यों नहीं देना चाहती? (व्यवधान) लोगों के साथ मारपीट करें....(व्यवधान) इस अखबार ने उस चीज को, सही तथ्यों को उजागर कर दिया, अखबार के कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी।

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार से अपेक्षा ही क्या करते हैं हम? (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब नहीं देना चाहती, क्यों नहीं देना चाहती है? जिन संसाधनों...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई नई...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राज्य सरकार यहीं है, राज्य सरकार से तथ्य मंगवा लीजिये, राज्य सरकार से तत्काल जवाब मंगवा लीजिए।

श्री सांवरलाल : सब सुविधाएं हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधे घण्टे में जानकारी आ जाती है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : वह आपके खुद के कारनामे हैं, कोई जलने वाला नहीं आया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सरकार के पास कोई जवाब नहीं है इसीलिए वह जवाब देना नहीं चाहती।

श्री नाथूराम : आप खुद आग लगाते हो इसलिए बारह दुकानें जलीं...... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ में 01 तारीख को...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका के भरतपुर के सम्वाददाता संजय जगरिया को खुद पुलिस ने एस.पी. के आफिस में बुलाया...(व्यवधान) और उसके बाद उसको कहा कि तू हमारे खिलाफ क्यों छापता है, उसको बिठा कर बंद कर दिया। (व्यवधान) खुद पुलिस अधीक्षक ने उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के

(मोहम्मद माहिर आजाद)

चौथे स्तम्भ पत्रकारों के खिलाफ अगर इस तरह की दमनात्मक कार्यवाही की जाएगी तो पत्रकारिता के माध्यम से जो जन भावनाएं उजागर...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार हमेशा पत्रकारों के पक्ष में रही है...(व्यवधान).

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि पत्रकारों के साथ जो...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस तरह सदन नहीं चल सकता, साहब। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : भरतपुर के राजस्थान पत्रिका के संवाददाता संजय जगरिया के खिलाफ जो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही तीन बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की बैठक 13.03 बजे, 15.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(15.00 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मांग

एक दैनिक समाचार पत्र के सम्वाददाता व कार्यालय पर हुए हमले की जांच

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ट्रैजरी बैंचेज देखिए, उपाध्यक्ष महोदय, ट्रैजरी बैंचेज में एक मंत्री नहीं है। ये सदन के प्रति गम्भीर नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

डा. किरोड़ीलाल : इनको प्रताड़ना दीजिए। आप प्रताड़ना दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये सदन के प्रति बिलकुल गम्भीर नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है, हम ही बहुत हैं आपको तो, क्यों चिन्ता कर रहे हो आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान) एक ही काफी है?

श्री रामस्वरूप : हां।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एफ.आई.आर. संख्या-16/2002 जो पुलिस अधीक्षक, भरतपुर ने राजस्थान पत्रिका के सम्वाददाता श्री संजय जगरिया के खिलाफ खुद लिखायी है, यह एफ.आई.आर. यहां पर मौजूद है। उसका दोष केवल इतना था कि वो अखबार में सही खबरें छापता था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रेस पर हमला, लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पर हमला हुआ है। भरतपुर के अन्दर संजय जगरिया के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खिलाफ पुलिस अधीक्षक खुद एफ.आई. आर. दर्ज करते हैं....

मोहम्मद माहिर आजाद : ....कि ए.डी.एम. ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की...(व्यवधान)... वरिष्ठ पत्रकार अगर निष्पक्ष खबर छापे...(व्यवधान)... खिलाफ कोई छापे तो एस.पी. खुद उस पत्रकार के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खुद गिरफ्तार करते हैं। खुद प्रताड़ित करते हैं।

श्री सांवर लाल : ....(व्यवधान)... खिलाफ खबर छापे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसको डराया-धमकाया।

श्री मदन दिलावर : ....(व्यवधान)... गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एफ.आई.आर. संख्या-16/2002....

श्री मदन दिलावर : लोकतंत्र की हत्या की है भरतपुर के राजस्थान पत्रिका के सम्वाददाता को गिरफ्तार करके।....(व्यवधान).....

मोहम्मद माहिर आजाद : ...जो भरतपुर के राजस्थान पत्रिका के सम्वाददाता संजय जगरिया के खिलाफ खुद पुलिस अधीक्षक, भरतपुर ने दर्ज करायी है, उसका दोष केवल इतना है कि उसने सही समाचार अपने अखबार में छाप दिया। उसको बुलाया, बुला करके कहा कि आपको कोई समाचार देना चाहते हैं....(व्यवधान).....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : और उसके बाद उसको बन्द कर दिया। लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पत्रकारों के खिलाफ अगर सरकार इस तरह की दमनपूर्वक कार्यवाही करेगी तो यह लोकतंत्र नहीं चल सकता है। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कहीं पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, कहीं पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के कार्यालयों को जलाया जाये और सरकार मूकदर्शक बनी बैठी रहे। आपसे ही हम न्याय की उम्मीद करते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आप सरकार से स्टेटमेंट दिलवायें और ये जो गैरकानूनी काम हो रहे हैं पत्रकारों के विरुद्ध जो काम हो रहा है इसमें आप न्याय दिलवायें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि पिछले दो दिन से जो भी असंतोष है उस असंतोष के लिए हम न्याय तो आपसे ही मांगेंगे और आप ही हमारे हितों की रक्षा करेंगे। जिस किशनगढ़ की घटना को लेकर हमने बराबर इस विषय को उठाया, इस विषय को समझने की कोशिश नहीं हो रही है और उसकी तह तक नहीं जाना चाहते हैं। मारपीट का जो सवाल है वो 01 तारीख के दंगों के दिन अगर लगती और उनके चोटें लगती तो उसमें किसी का कोई गुनाह नहीं है। दंगों में तो आदमी को गोली भी लग सकती है, किसी भी आदमी को लग सकती है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, एक हजार लोगों की हत्या करवाने के बाद ये किस लोकतंत्र की बात करते हैं। इनसे पूछे कि किस लोकतंत्र की बात करते हो, कौन-सा लोकतंत्र हाउस में है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की कलई खुल रही हो तब ये खड़े हो जाते हैं, बीच में।

श्री संयम लोढ़ा : ....क्या उसकी सदाशयता है, क्या उसका संविधान है, क्या उसके कभी चुनाव हुए हैं? लोकतंत्र की बात ये लोग करते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ....(व्यवधान) ऊब गए हो क्या? चले जाओ।

श्री संयम लोढ़ा : इनका लोकतंत्र से कोई लेना-देना नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे कोई विशेष अपनी बात कहनी भी नहीं है। मैं अपनी बात आपसे नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं...(व्यवधान)

श्री सांवरलाल :.....(व्यवधान) सत्तापक्ष के सदस्यों का यह व्यवहार है, माननीय...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के अन्दर जिस तरीके से घटना इन्होंने की है, लोकतंत्र के नाम पर उससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा : ये कैसे बोल रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज गुजरात में इतना बड़ा नरसंहार हो गया। इनकी संवेदना मरी हुई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई सारी घटना का विवरण नहीं देना चाहता हूं न हीं इस विषय पर कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ बैठ जाओ।

श्री संयम लोढ़ा :...(व्यवधान) कुएं के अन्दर डाल दिया और उसके बाद इस तरीके से करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ मरवा दोगे क्या? बैठ जाओ। उसको उकसा रहे हो।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, सारे हिन्दुस्तान में जिस तरह का वातावरण पैदा कर दिया, पूरा हिन्दुस्तान आज इनको कोस रहा है। अटल बिहारी वाजपेयीजी ने एक ही बात कही है कि इससे तो मेरा मरना अच्छा है।

श्री धर्मपाल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सारा हिन्दुस्तान सांकरवाड़ा की बात पर....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यहां तक कहा था अटल बिहारी वाजपेयीजी ने कि इससे तो मरना ही अच्छा है....(व्यवधान) प्रधानमंत्रीजी की हो गयी है, माननीय।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आसन को भी तो सम्बोधित करें।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, 1984 में क्या किया? दिल्ली के अन्दर सरेआम 8 हजार सिखों को +++ ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ...(व्यवधान) इसी सरकार को...(व्यवधान) (अश्रृव्य)..... करवाया है सरकार को।

श्री देवीसिंह भाटी : ....(व्यवधान) शुरूआत आपकी की हुई है।

श्री रामस्वरूप : श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश के लिए कुर्बान हुई थीं, आप लोगों ने.....(व्यवधान) राजीव गांधी को मरवा दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ....(व्यवधान) +++ डिपो को आग लगाने वालों ...(व्यवधान)

श्री नाथूराम : आग लगाई इन्होंने। आग लगाकर उनको लूटा गया है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...(व्यवधान) ये +++ हैं। (व्यवधान) ये +++ ये आतंकवाद को बढ़ाने वाले, ये अल्पसंख्यकों के संरक्षक, +++

श्री मदन दिलावर : ...(व्यवधान) यह सम्पूर्ण देश के लिए ...(व्यवधान)

श्री नाथूराम : +++ जो हत्या की बात करते हैं...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, इनके ऊपर पाबंदी लगाओ। ये देशद्रोही हैं, देश में दंगे फैलाने वाले हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री नाथूराम : इन्होंने गुजरात में दंगे फैलाये और...(व्यवधान) इन्होंने धरना दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++.. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : लाशों को आपने बिछवाया है....(व्यवधान) आज गुजरात में इनकी सरकार बैठी है। राजस्थान में...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सारे प्रकरण के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूं। हमारे मन में यह है कि मारपीट के मामले में...

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, किस लोकतंत्र की बात करते हैं ये लोग?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को आप आदेश तो दें कि वो बैठें ताकि ये कुछ कह सकें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनसे कोई सहानुभूति नहीं है। +++ किशनगढ़ के +++

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस मारपीट में...(व्यवधान) तीन तारीख की रात्रि को थाने में बुलाकर...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : राजस्थान में शांति है। हिन्दुस्तान में तो राजस्थान में शांति रही है। मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत के राज में शांति रही है। परम शांति प्राप्त हो रही है और हमारी जीत हुई है तो वो इसलिए हुई है कि यह सरकार बहुत अच्छी चल रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया :...... (व्यवधान) पीटा गया। हम यह चाहते हैं कि इसकी जांच हो और इस जांच में अगर वो दोषी पाये जाते हैं तो उनको दण्डित किया जाये। जांच के बाद वो दोषी नहीं पाये जाते हैं तो....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उड़ीसा और गुजरात की जांच हुई क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमें उससे कोई एतराज नहीं है...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा) **:** उड़ीसा और गुजरात की जांच करवाएं। (व्यवधान) उड़ीसा की जांच कराएं, गुजरात की जांच कराएं।

डा. के. सी. चौधरी : ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये किस बात की जांच की मांग कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार :....(व्यवधान) राजस्थान की जांच की बात करते हो।

श्री नाथूराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जांच इनकी करायी जाये।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ये तो बतायें, अपराध क्या है?

श्री संजीव कुमार : ....(व्यवधान) झोंक दिया आपने देश को ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया :...... (व्यवधान) पहला काम तो यह कि इसकी जांच हो। (व्यवधान).... जो मुकदमा दर्ज कराया है वो दर्ज हो गया है। ...(व्यवधान) एस.पी. वहीं मौजूद थे, डीवाई.एस.पी. और वहां के एस.डी.ओ. स्वयं ने इनके साथ मारपीट की। ये तीनों अधिकारी मारपीट के दोषी हैं इसलिये इनको हटा कर जांच की जाये।

डा. के. सी. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इनके लोगों ने ही किशनगढ़ में दंगे भड़काये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और जांच में दोषी नहीं पाए जाये तो फिर वहीं लगाये, हमें उससे कोई एतराज नहीं है पर हम यह सच्चाई तो जरूर चाहेंगे कि पुलिस कस्टडी में अधिकारी अगर खड़े रह कर स्वयं मारें तो ये किसी भी सूरत में बरदाश्त नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना)**:** उपाध्यक्ष महोदय, दंगे करने वाले को पुलिस बख्शेगी क्या? आगे हाथ जोड़ेगी दंगे करने वालों के? दंगे करने वालों को पुलिस तो बराबर पीटेगी।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो पिछले तीन साल में इस सरकार ने उपलब्धियों के झण्डे गाड़े हैं, उपलब्धियों के अम्बार लगा दिये हैं और राजस्थान के लाखों लोगों को जो न्याय दिया है उस पर चर्चा कराइये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ..(व्यवधान) हम तो चाहते हैं....(व्यवधान) राज्य सरकार गम्भीर नहीं है.....(व्यवधान) इसलिए हम तो आसन से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप इस बारे में विचार करें। हमें ये तीन बातें...(व्यवधान) उन पुलिस अधिकारियों को हटा कर जांच की जाये और हमारे जिन लोगों से मारपीट हुई है उन पर जो मुकदमे दर्ज कराये हैं उन मुकदमों को....(व्यवधान)

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : ...(व्यवधान) पुलिस पर इन लोगों ने भाटे चलवाये हैं, कई सिपाहियों, थानेदारों के दांत भी टूटे हैं इसमें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो आपको समय देना चाहते हैं, आप आज यों कहें तो हम जाकर लाबी में धरने पर बैठ जायेंगे, आप अपनी कार्यवाही चालू कर लें।

श्री नाथूराम : आप समय बरबाद कर रहे हो यहां का।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन यह बात निश्चित रूप से है कि जब तक इस बारे में कोई निर्णायक चीज सामने नहीं आएगी तब तक हमारा यह एजीटेशन वैसे का वैसा चलेगा।

श्री नाथूराम : किशनगढ़ के तेल की पूड़ियां आपके हजम नहीं हुईं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम आपकी इस बात को मानते हुये कि आप इसमें कोई न कोई पाजीटिव....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आने वाले सभी सदस्य समान हैं, कोई माननीय सदस्य किसी के लिए क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है।

श्री नाथूराम : इनकी भी जांच करायी जाये। (व्यवधान) ये सब लोग जो बोल रहे है ये सब किशनगढ़ में गये थे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तब तक हम लाबी में धरना जारी रखेंगे।

श्री नाथूराम : वह तो किशनगढ़ की जनता का धन्यवाद है कि इनकी सुनी नहीं, इसलिए ये आकर यहां +++ रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि +++ यह सदन की कार्यवाही में है क्या?

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ नहीं हैं तो और क्या है?

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) कार्यालय पर तोड़-फोड़ की गई है उसके प्रति भी सरकार कोई जवाबदेही जवाब नहीं दे रही है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : +++ तो आप हो जिन्होंने +++ (व्यवधान) हम तो उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराया है और इस देश को सजाया-संवारा है।

श्री सांवरलाल : ...(व्यवधान) स्वतंत्रता दे दी पुलिस को....(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : वहां राम नहीं रामचन्द्र दास हैं और रामचन्द्र दास वहां राजनीति कर रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : आप देशद्रोह की बात कर रहे हो।

डा. के. सी. चौधरी : राम की अनुकम्पा तो नहीं है अब। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : डरने वाली बात नहीं है....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ ...(व्यवधान)...

श्री सांवरलाल : ....(व्यवधान) सही जानकारी जनता तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की तो सरकार ...(व्यवधान) ने वहां पर तोड़-फोड़ कर दी, उनको डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है। अगर प्रेस के साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा तो सही तथ्यों की जानकारी कैसे आयेगी? उपाध्यक्ष महोदय, आज जनता के साथ यह अन्याय हो रहा है। प्रेस के साथ अत्याचार हो रहा है? आखिर कौनसा प्रजातंत्र राजस्थान में राज कर रहा है?

श्री रतन लाल ताम्बी : मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर सारे देश में आग लगाने के बाद कहां राम का नाम ले रहे हो? आप क्यों राम का नाम ले रहे हों?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जमीन घोटाला करने वाले ताम्बी साहब, +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्यों राम के नाम को बदनाम कर रहे हो?

श्री रतन लाल ताम्बी : सारे देश में आग लगा दी, साम्प्रदायिकता फैला दी और राम-राम कर रहे हो। (व्यवधान) यह राम के नाम पर और दुकानें नहीं चलेंगी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जमीन घोटाला करने वाले ताम्बी साहब +++ जमीनों का घोटाला कर लिया, लड़के के नाम जमीन अलाट करा दी, +++ गरीबों को लूटने वाले, जमीन घोटाला करने वाले।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, हो गया। (व्यवधान) श्री जुगल काबरा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जिस प्रकार से किशनगढ़ में यह घटना घटी

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री फतेह सिंह)

है और अन्य लोगों के खिलाफ जो मुकदमे बने हैं और पुलिस ने जो ज्यादती की है, इस बात को लेकर दो दिन से यहां चर्चा चल रही है। इसके ऊपर न तो सरकार कोई जवाब दे रही है, न इधर से कोई बात सुनने के लिए तैयार है। इसलिए हम भी जनता दल की ओर से सदन का बहिष्कार करते हैं।

(जनता दल के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगल काबरा। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत....(व्यवधान) अभिभाषण के समर्थन में प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में मैं यहां खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलालजी बिराजिये।

श्री जुगल काबरा : मान्यवर, जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, निरन्तर यह प्रयास किया जाता रहा है कि प्रदेश में नियोजित तरीके से विकास की व्यवस्था की जाये। जिस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके पहले के हालात सर्वविदित है। निरन्तर अकाल की विभीषिका से हम लोग त्रस्त रहे और पशुओं तथा अकाल पीड़ित लोगों को बचाने की राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। राजस्थान की सरकार ने यह कोशिश की कि अकालग्रस्त लोगों को अकाल प्रबंधन के द्वारा राहत पहुंचाई जाये, साथ ही साथ मूक पशुओं को भी सही तरह से संरक्षण दिया जाये। राजस्थान सरकार ने निरन्तर तीन साल के अकाल को विकास में बदलने का प्रयास किया और इस तरह की योजना बनाई कि जहां अकाल पीड़ित लोगों को लाभान्वित किया जा सके, वहीं इस धन के उपयोग से स्थाई परिसम्पित्तियों का सृजन किया जाये। यही कारण रहा कि तीन साल में अकाल प्रबंधन के द्वारा बहुत बड़ी तादाद में सभी क्षेत्रों में स्थाई परिसम्पित्तियों का निर्माण और सृजन हुआ और राजस्थान एक ऐसा राज्य रहा जहां अकाल की सुव्यवस्थित प्रबंधन व्यवस्था की गई। अकाल पीड़ितों के लिये जहां न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई, उसके भुगतान की नियमित व्यवस्था की गई साथ ही साथ पूर्व के सालों में अकाल के कामों में जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थीं, उनके निराकरण की भी सुदृढ़ व्यवस्था की गई ताकि कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं पनपें। मुझे यह बताते हुये अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि राजस्थान में कहीं भी अकाल के कामों में भ्रष्टाचार को संरक्षण या प्रश्रय नहीं दिया गया। यही कारण रहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों के लोग राजस्थान सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने तकलीफ और दु:ख के समय में आगे आकर उनकी व्यवस्था की। साथ ही साथ

(श्री जुगल काबरा)

उनके पेयजल की आपूर्ति का प्रबंध किया गया। गांव में एनीकट बनाए गए। गांवाई तालाबों को संरक्षित किया गया, उनका पुनर्निर्माण कराया गया, कुओं को गहरा कराया गया, पेयजल आपूर्ति का पूरा प्रबंध किया गया और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में भूख तथा अन्य किसी कारण से किसी भी व्यक्ति को मरने नहीं दिया।

(15.15 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

गौ-शालाओं को पूरी तरह संरक्षण दिया गया। पशुओं के लिए पूर्व में जो अनुदान दिया जाता था, उस अनुदान को भी बढ़ा कर यह प्रयास किया गया कि जो समाज सेवक इन मूक पीड़ित पशुओं की रक्षा करना चाहते हैं वे अपने संसाधनों के अलावा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करके ऐसे पशुओं की सेवा कर सकें। यही कारण रहा कि राजस्थान में पशुओं की भी बहुत बड़ी सेवा हुई और आम जनता ने इस बात की सराहना की।

मान्यवर, अकाल के समय में जहां चारे की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है वहां चारे का प्रबंधन किया गया, पेयजल की व्यवस्था की गई आम लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर तरह के संसाधन जुटाए गये। राजीव गांधी पेयजल मिशन द्वारा फ्लोराइड युक्त गांवों के अन्दर खारे पानी को मिटाने के लिये 2983 गांव और ढाणियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के काम की 533.35 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई। इस योजना का लाभ अब तक 675 गांव तथा ढाणियों को प्राप्त हो चुका है।

मान्यवर, अकाल के कामों में पारम्परिक पेयजल स्रोतों का पुनरुद्धार कराने का काम भी किया गया और यह कोशिश की गई कि जो पारम्परिक पेयजल स्रोत हैं उनको संरक्षित किया जाये ताकि उनके माध्यम से समस्या के समय, अकाल के समय, पेयजल के संकट के समय पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

मान्यवर, राजस्थान सरकार ने पानी की समस्या के निदान के लिए कई वृहत् योजनाएं हाथ में लीं। यह पूरा सदन जानता है कि तीन साल पहले जो स्थिति राजस्थान में पेयजल को लेकर थी वह किसी से छिपी हुई नहीं है। राजस्थान में ही पेयजल को लेकर कई आंदोलन हुये, कई जगह लाठीवार हुये, कई जगह गोलियां चलीं। किन्तु पिछले तीन सालों में आपने देखा होगा कि पानी की समस्या को लेकर कहीं भी किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं हुआ। इसका कारण था राजस्थान सरकार के माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत तथा पेयजल आपूर्ति मंत्री की सूझ-बूझ जिसके कारण से कुशल तरीके से पेयजल आपूर्ति का प्रबंधन किया गया और नई योजनाओं को हाथ में लिया गया।

मान्यवर, यह कोशिश की गई कि आने वाले समय में प्रदेश के वे हिस्से

(श्री जुगल काबरा)

जहां पेयजल का संकट रहता है, उन इलाकों को भी इस संकट से मुक्ति दिलाई जाए। इसी उद्देश्य से भीलवाड़ा तथा सलूम्बर कस्बे हेतु 29.13 तथा 5.53 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है ताकि इन कस्बों में भी पेयजल के संकट को दूर किया जा सके।

मान्यवर, राजस्थान में कई आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं, कई स्कूलें चल रही है जहां पर पानी का संकट रहता है। योजना बनाकर कोशिश की गई कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हैण्ड पम्प खुदवाये जायें, विद्यालयों में हैण्ड पम्प खुदवाये जायें। कोशिश की गई कि जो बच्चे इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में तथा विद्यालयों में पेयजल की समस्या से ग्रस्त रहते हैं। उनको लाभान्वित किया जाये। इस कार्य को करने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 820 हैण्ड पम्प खोदे गये जिनमें से 513 हैण्ड पम्प काम करना चालू कर चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में कई कंटींजेंसी प्लान बनाये गये ताकि उन इलाकों में पेयजल आपूर्ति की जा सके जहां पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5235 हैण्डपम्प खोदे गये तथा 703 नलकूप खोदे गये। इसी तरह के शहरी क्षेत्रों में भी 168 हैण्ड पम्प तथा 179 नलकूप खोदे जाकर पेयजल संकट को दूर करने का प्रयास किया गया।

मान्यवर, जहां एक तरफ पेयजल के सुधार के लिए व्यवस्था की गई, दूसरी तरफ भू-जल संसाधन विकास के लिए भी बहुत बड़ा काम राज्य सरकार के द्वारा किया गया। इसके अन्तर्गत शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब कृषकों के 2998 कुओं को गहरा करवाने का कार्य करवाया गया। जयपुर और उदयपुर के अन्दर वर्षा से कृत्रिम भू-जल पुनर्भरण का काम भी हाथ में लिया गया ताकि जो भू-जल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है उसे दुरुस्त किया जा सके।

मान्यवर, राज्य सरकार ने किसानों, गरीबों, दलितों, पीड़ितों की रक्षा के लिये, उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिये कई योजनाएं हाथ में ली। साथ ही साथ राज्य के अन्दर कृषि क्षेत्रों के उन्नयन के लिये भी बहुत कुछ काम किये गये। ग्रामीण इलाकों में सिंचाई परियोजनाएं प्रारम्भ करके यह प्रयास किया गया कि अकाल के कारण हमारी जो फसलें बरबाद हो जाती हैं वहां सिंचाई परियोजनाओं को समुन्नत किया जायें ताकि ग्रामीण इलाकों के किसान इससे लाभान्वित हो सकें। सन् 2001-2002 में 45632 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विकास किया गया और साथ ही साथ कई अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का कार्य हाथ में लिया गया।

राज्य सरकार की सूझबूझ के कारण अन्तरराज्यीय समझौते के द्वारा नर्मदा नदी के जल में पांच लाख एकड़ फीट जल उपयोग प्राप्त हुआ उसका जालौर और बाड़मेर में काम प्रारम्भ कर दिया गया है। 2004 तक सरदार सरोवर बांध से

(श्री जुगल काबरा)

राजस्थान में सिंचाई तथा पेयजल की सुविधाओं का विकास किया जा सकेगा।

इसी तरह से 104 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, उनके कार्य को भी निरन्तर तेजी दी जा रही है। अपर यमुना बोर्ड के निर्णय से भरतपुर, झुंझुनूं व चूरू जिलों के अन्दर सिंचाई तथा पेयजल का प्रबंध करने की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह से राजस्थान सरकार निरन्तर यह प्रयास कर रही है कि हम राजस्थान के पेयजल का, राजस्थान में उपलब्ध जल का सही तरीके से उपयोग करें और इसका सर्वाधिक लाभ यहां की आम जनता को प्राप्त हो सके।

मान्यवर, राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश रहा है और हमेशा यह कोशिश की जाती रही है कि यहां पर भाईचारा, साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रखा जाये, किन्तु कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि प्रदेश में समय-समय पर साम्प्रदायिकता की आग को भड़काते रहते हैं। इससे गरीब, असहाय, मूक लोगों को जिनका कि इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, उन्हें पीड़ित होना पड़ता है।

हमारे पड़ौसी प्रदेश गुजरात के अन्दर जिस तरह के हालात पैदा हुये, वे शर्मनाक थे, बर्बरतापूर्ण थे और कोई भी सभ्य समाज उनकी ताईद नहीं कर सकता है। इन हालात के बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने यहां की कानून व्यवस्था को कायम रखा, साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाये रखा और यह प्रयास किया कि आपसी भाईचारा तथा सहयोग के द्वारा यहां की जनता आपसी सद्भावना को कायम रखे और किसी तरह का उपद्रव राजस्थान में पैदा नहीं होने दे।

सभापति महोदय, राजस्थान में पिछले तीन-साढ़े तीन सालों में कानून-व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही है। पूर्व के वर्षों के अन्दर जो हालात समय-समय पर प्रदेश में बन जाया करते थे, उन में सुधार किया गया और यह कोशिश की गयी कि कानून-व्यवस्था के आड़े आने वाला चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसे नहीं बख्शा जाये। मुख्य मंत्रीजी की इस घोषणा के बाद पूरी तरह से संवेदनशील तरीके से पुलिस प्रशासन ने यह प्रयास किया कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं किया जाये, हरेक व्यक्ति को न्याय दिया जाए और कोशिश की जाये कि राजस्थान के अन्दर कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी पैदा नहीं होने दी जाये। इसी कारण से राजस्थान के अन्दर आज शांति का माहौल बना हुआ है। गुजरात में जो दंगे हुए और हालात बिगड़े, उससे राजस्थान के लोग भी प्रभावित हुए। गुजरात से सटे हुए इलाकों से कई शरणार्थी आये, उन शरणार्थियों के लिए राज्य सरकार ने राहत शिविर खोले। उनके आवास, भोजन तथा चिकित्सा की व्यवस्था की। जो लोग राजस्थान से सम्बन्ध रखते थे, ऐसे लोगों के परिजनों की अगर गुजरात में कहीं हत्या हो गई तो ऐसे लोगों को भी राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की है।

(श्री जुगल काबरा)

राज्य सरकार ने भयमुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का प्रयास किया है और इसके लिए राज्य में राज्य स्तरीय मुख्य सतर्कता आयुक्त का पद सृजित किया। सम्भागीय आयुक्तों को अधिकार दिया गया कि भ्रष्टाचार के मामले को तुरन्त निपटाये और इस तरह के किसी भी मामले के अन्दर त्वरित कार्यवाही कर भ्रष्टाचार को मिटाने का मुख्य मंत्रीजी का संकल्प सम्पादित करें। इसी कड़ी में 32 मुख्य सतर्कता अधिकारी लगाये गये हैं, जिसके कारण राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार की कहीं भी कोई शिकायत आती है उसके ऊपर त्वरित कार्यवाही की जाने लगी है।

मान्यवर, राजस्थान विद्युत की स्थिति से पिछले लम्बे समय से संकटग्रस्त रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में शासन सम्भाला था उसके बाद में विद्युत उत्पादन का कोई प्रयास नहीं किया गया। विद्युत आपूर्ति के लिए कनेक्शन जरूर भारतीय जनता पार्टी के शासन में जारी कर दिये गये, किन्तु उत्पादन और मांग की खाई जो निरन्तर बढ़ती जा रही थी, उसको पाटने का कोई प्रयास नहीं किया गया। राज्य सरकार ने संकल्पबद्ध होकर यह फैसला किया कि राजस्थान के अन्दर विद्युत सुधार कार्यक्रम लागू किया जाये और इसके लिए विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

राज्य में सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह में पहली इकाई के काम को त्वरित गति से पूरा किया गया। उसके बाद में राज्य में कांग्रेस के शासन सम्भालने के बाद दूसरी और तीसरी इकाई का उत्पादन भी प्रारम्भ कर दिया गया और चौथी इकाई का उत्पादन भी इसी मार्च के अन्दर प्रारम्भ होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इसके साथ ही पांचवीं इकाई के लिए भी कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस तरह से राजस्थान ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में देश के राज्यों में अग्रणी राज्य की गणना के अन्दर सम्मिलित किया जा सकता है।

मान्यवर, कोटा तापीय विद्युत गृह के चतुर्थ चरण की लम्बित छठी इकाई के कार्य को प्रारम्भ करने के लिए लम्बे समय से प्रयास किये जाते रहे। यह योजना सन् 1994-95 से लम्बित थी, किन्तु राज्य सरकार ने भारत सरकार के वन तथा पर्यावरण मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित करके इस योजना को चालू करने की स्वीकृति की और 195 मेगावाट की यह इकाई शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करने वाली है। इसमें जुलाई से काम प्रारम्भ हो गया है और हम आशा करते हैं कि 635 करोड़ लागत की यह इकाई आने वाले दो सालों में अपना काम पूरा कर लेगी और राजस्थान के अन्दर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित हो सकेगा।

इसी तरह से बरसिंहासर लिग्नाइट परियोजना जो कि लम्बे समय से लम्बित पड़ी हुई है, इस योजना को पुनः चालू करने के लिए नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के साथ में फैसला किया गया और इस

(श्री जुगल काबरा)

कारपोरेशन को यह परियोजना सुपुर्द की गई है। इसके एम.ओ.यू. साइन करने की भी प्रगति चल रही हैं और आशा की जा सकती है कि राजस्थान में लिग्नाइट बेस परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन को शीघ्रताशीघ्र प्रारम्भ किया जा सके।

मान्यवर, जहां एक तरफ बिजली के उत्पादन की तरफ ध्यान दिया गया, दूसरी तरफ विद्युत तंत्र को सक्षम बनाने के लिए भी राज्य सरकार ने पूरी तरह से कोशिश की। विद्युत की छीजत की कमी करने के लिये प्रसारण तंत्र को मजबूत बनाया गया। राजस्थान के 50 सालों में जहां केवल 400 के.वी. का एक ग्रिड सब स्टेशन था, पिछले 3 सालों के अन्दर राज्य सरकार की सूझबूझ से 3 के.वी. सब स्टेशन बन चुके हैं। दूसरा सब स्टेशन सूरतगढ़ तथा तीसरा सब स्टेशन रतनगढ़ बन चुका है और इस तरह से राज्य के अन्दर तीन 400 के.वी. के सब स्टेशन स्थापित हो चुके हैं। पिछले 3 सालों में 132 के.वी. के 10 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किये जा चुके हैं और इसी तरह से 33 के.वी. के 84 ग्रीड सब स्टेशन बनाकर विद्युत तंत्र को मजबूत किया गया है ताकि किसान को अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिल सके, समय पर बिजली की आपूर्ति हो सके और उसकी जो समस्या है उसका निदान किया जा सके।

मान्यवर, बिजली की दरों को लेकर समय-समय पर इस सदन में और सदन के बाहर चर्चा चलती रही है। किसान भी इस बात को लेकर परेशान होता रहा है कि बिजली उसे नहीं मिल रही किन्तु फिर भी उससे बिल वसूल किये जाते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने यह प्रयास किया कि अगर हमारे पास में बिजली की आपूर्ति नहीं है या हमारे पास बिजली की कमी है, तो पड़ौसी राज्यों से बिजली खरीदकर किसान को बिजली उपलब्ध करायी जाये। इसके लिये राजस्थान में कांग्रेस का शासन सम्भालने के साथ में सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन करके बिजली खरीद कर किसान को बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। पिछले साल 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन करके बिजली खरीदकर किसानों को बिजली देने का प्रयास किया गया जिसकी वजह से किसान को 7 से 8 घंटे के बीच में विद्युत आपूर्ति की जा सकी। कुछ क्षेत्र फिर भी ऐसे बच गये हैं जहां पूरी विद्युत आपूर्ति नहीं हो सकी। उसके लिए भी राज्य सरकार प्रयत्नशील रही कि हम किसी भी तरह से हमारे प्रदेश के किसानों को सही समय पर और पूरी गुणवत्ता की बिजली की सप्लाई कर सकें।

मान्यवर, बिजली की दरों को लेकर भी राज्य सरकार को कोसा जाता रहा है। किन्तु असली मुद्दा क्या है उसके ऊपर गौर नहीं किया जाता। राजस्थान के अन्दर कुल उपभोग की बिजली का जितना उत्पादन होता है उतना उत्पादन पूरी तरह से किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए बाहर से विद्युत खरीदनी पड़ती है। आज भी कुल उपभोग की 40 प्रतिशत विद्युत बाहरी राज्यों से खरीदनी पड़ती है और बाहरी राज्यों की विद्युत की दरें

(श्री जुगल काबरा)

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन तथा नेशनल हाइडल पावर कारपोरेशन जो कि केन्द्र सरकार के उपक्रम हैं, उनके द्वारा नियंत्रित होती हैं, इन दोनों कारपोरेशंस ने पिछले सालों के अन्दर बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि कर दी। एक तरफ राजस्थान सरकार को महंगी दर की बिजली खरीदनी पड़ रही है, दूसरी तरफ हमें अपने उपभोक्ताओं को सस्ती दर के ऊपर बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास करना पड़ता है। इस विसंगति को मिटाने के लिए राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा निरन्तर यह प्रयास किया जाता रहा है कि विद्युत की छीजत के अन्दर कमी की जाये ताकि विद्युत की उत्पादन लागत कम हो सके और हम अपने उपभोक्ताओं को कम कीमत के ऊपर विद्युत आपूर्ति कर सकें।

मान्यवर, केन्द्र सरकार द्वारा भी राज्य सरकार को यह बार-बार ताकीद की जाती है कि ऊर्जा सुधार कार्यक्रमों को लागू किया जाए। इसके तहत राजस्थान की सरकार ने संकल्पबद्ध होकर ऊर्जा सुधार कार्यक्रमों को लागू किया है। किन्तु केन्द्र के अन्दर जिस पार्टी की सरकार है उसी के लोग राजस्थान में इन सुधार कार्यक्रमों का विरोध करते हैं। उनकी ही सरकार दिल्ली में बैठकर राज्य सरकार को यह पाबन्दी लगाती है कि विद्युत सुधार कार्यक्रम यदि लागू नहीं किये गये तो विद्युत सुधार कार्यक्रमों के लागू नहीं होने की स्थिति के अन्दर राज्य को मिलने वाली सहायता के अन्दर कटौती कर दी जायेगी। पार्टी की सरकार दिल्ली में बैठकर जो बात कहती है, उसका विरोध उसी पार्टी के लोग राजस्थान के अन्दर तथा अन्य प्रदेशों में करते हैं। यह उनके दो तरफा चरित्र का प्रमाण है। उनके दो तरफा आचरण का प्रमाण है कि किस तरह से ये लोग कहां कुछ बात कहते हैं, कहां दूसरी बात कहते हैं।

मान्यवर, जिस तरह से तापीय विद्युत गृहों के द्वारा विद्युत उत्पादन का प्रयास किया गया, वहीं गैर पारम्परिक स्रोतों के द्वारा भी बिजली के उत्पादन की राजस्थान के अन्दर पूरी तरह से कोशिश की गई। पवन ऊर्जा के माध्यम से आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा 4.90 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया। इसी तरह से निजी क्षेत्र के अन्दर भी 2.10 मेगावाट बिजली का उत्पादन पवन ऊर्जा के माध्यम से किया गया है। इस तरह से राजस्थान के अन्दर यह कोशिश की जा रही है कि गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का भी पूरी तरह से उपयोग किया जाए।

मान्यवर, यह हम सबको विदित है कि जिस विधान सभा परिसर में हम लोग यहां एकत्रित हैं, जहां हमारा विधान सभा का सचिवालय स्थापित है वहां भी 25-25 के.वी. के सोलर ग्रिड पावर प्लांट लगाये गये हैं जिसके माध्यम से हम यहां विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं।

मान्यवर, परम्परागत स्रोत के स्टैण्डर्ड लोन पावर प्रोजैक्ट के द्वारा ऐसे 22 गांव जहां कि पारम्परिक रूप उत्पादित विद्युत

(श्री जुगल काबरा)

नहीं पहुंचाई जा सकती उन गांवों के अन्दर भी सोलर बेस्ड योजना के माध्यम से विद्युत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से राज्य सरकार यह प्रयास कर रही है कि हम विद्युत के क्षेत्र के अन्दर अपने आपको स्वावलम्बी बनायें, आत्मनिर्भर बनायें। अपनी आवश्यकता के अनुरूप बिजली का उत्पादन करके हम अपने किसानों को देने का प्रयास करें ताकि राजस्थान के उपभोक्ता, आम जनता, उद्योग तथा सभी लोगों को विद्युत आपूर्ति का कोई संकट सहन नहीं करना पड़े।

मान्यवर, वर्तमान राज्य सरकार ने जब शासन सम्भाला था, उससे पहले राजस्थान की सड़कों की स्थिति हम सबसे छिपी हुई नहीं है। पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री विधान सभा में घोषणा करते थे कि जिस तरह की राजस्थान की सड़कें हैं उससे ऐसा लगता है कि हमारे दिल के ऊपर फफोले हो गये हैं। इन हालात को मद्दे-नजर रखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया कि 24 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण 2 सालों में किया जाये जिसके ऊपर 600 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है।

मान्यवर, इसी तरह से बी.ओ.टी. के माध्यम से 7 परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है और 8 योजनाएं प्रगति पर हैं। राज्य सरकार ने बी.ओ.टी. के माध्यम से भी सड़क निर्माण के वृहत् काम को अपने हाथ में लिया है ताकि राज्य की यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जा सके और राजस्थान के गांवों को जोड़ने वाली सड़कों को दुरुस्त किया जा सके।

मान्यवर, राज्य सरकार जहां अन्य मौलिक सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश कर रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राजस्थान की सरकार ने अभिनव काम किया है। राज्य में आम जनता के स्वास्थ्य के लिये जो योजनाएं बनायी गई हैं, उनका जिस तरह से प्रबंधन किया गया है उसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है।

मान्यवर गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के स्वास्थ्य के बारे में पूर्व में कभी कोई सोचा नहीं गया था। किन्तु राज्य की नयी सरकार ने मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में एक निर्णय लिया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को हम मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के माध्यम से सहायता प्रदान करके उनके निःशुल्क इलाज का प्रबंध करेंगे, चाहे कितनी ही बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़े। गरीब लोग जो कि कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम असाध्य रोगों से पीड़ित होने के बाद में अपना इलाज करा सकें, ऐसे लोगों के लिए राजस्थान की सरकार ने इस नये निर्णय से बहुत बड़ी राहत प्रदान की है।

मान्यवर, गरीबी रेखा के नीचे तो जो लोग नहीं हैं किन्तु जिनकी आमदनी भी अच्छी नहीं है, जो मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं, जिनके पास आर्थिक संसाधन जुटाने की क्षमता नहीं है ऐसे लोगों को भी राज्य सरकार ने स्वास्थ्य

(श्री जुगल काबरा)

योजना के माध्यम से मुख्य मंत्री सहायता कोष के माध्यम से असाध्य रोगों के इलाज के लिए कुछ धनराशि देने का प्रावधान किया है। चाहे हृदय रोग हो, किडनी का रोग हो, कैंसर हो या अन्य कोई असाध्य रोग हो, इन सब बीमारियों के इलाज के लिए भी मुख्य मंत्री सहायता कोष के द्वारा ऐसे लोगों को सहायता प्रदान की जाती है। राजस्थान की बहुत बड़ी जनसंख्या इस तरह की सामाजिक सुरक्षा के कार्य द्वारा लाभान्वित हुई है।

मान्यवर, स्वास्थ्य के अन्य क्षेत्रों के अन्दर भी ग्रामीण इलाके हों, चाहे शहरी इलाके हों, सभी जगह आम जनता के स्वास्थ्य के सम्वर्द्धन के लिए, संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने योजनाएं बनाकर यह प्रयास किया है कि जनता को पूरी तरह से लाभान्वित किया जाये। पिछले दिनों में यह प्रयास हुआ कि स्वास्थ्य को मौलिक आवश्यकता के रूप में देखा जाये और इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह दूरगामी निर्णय लेकर आम जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश की है।

मान्यवर, शिक्षा का क्षेत्र भी राजस्थान का एक बहुत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। 1991 के दशक के अन्दर जब साक्षरता की गणना की गई तो राजस्थान देश के पिछड़े राज्यों के अन्दर था किन्तु 2001 के अन्दर जो नई गणना हुई उसमें राजस्थान अग्रिम पंक्ति के राज्यों में आया। इसमें बहुत कुछ काम करना पड़ा। राज्य सरकार बधाई की पात्र है कि उसके सद्प्रयत्नों से बहुत बड़ी संख्या के अन्दर जो बच्चे शिक्षा से वंचित थे, उन बच्चों को शिक्षा के कार्य से जोड़ा गया। गावं और ढाणियों के अन्दर जो बच्चे स्कूल के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, ऐसे बालकों के लिए राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोली गई और यह प्रयास किया गया कि इन पाठशालाओं के माध्यम से बच्चों को अपने गांव और ढाणियों के अन्दर ही, अपने ही क्षेत्र के अन्दर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। करीब 18 हजार राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के माध्यम से इन बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया। मान्यवर, यह प्रयास किया गया कि जिन विद्यालयों के अन्दर बच्चों की संख्या अधिक है वहां अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी नियुक्त किये जाये। करीब 1490 अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी नियुक्त किये गये।

इसके साथ ही साथ बालिका शिक्षा के उन्नयन के लिए भी प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक महिला शिक्षा सहयोगी की नियुक्ति की गई उसी तरह 7121 ग्राम पंचायतों के अन्दर महिला शिक्षा सहयोगी नियुक्त हुईं जिससे की उस क्षेत्र की महिला शिक्षा के अन्दर, बालिका शिक्षा के अन्दर कुछ इजाफा किया जा सके। यह जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जहां पूर्व में 23 लाख बच्चे शिक्षा पूरी नहीं कर रहे थे या जिन्होंने नामांकन करा लिया था और शिक्षा छोड़ देते थे, ऐसे बच्चों को पुनः शिक्षा के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया गया। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा दर्पण सर्वे कराया गया उससे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी भी 11 लाख

(श्री जुगल काबरा)

बच्चे ऐसे हैं जिनका कि नामांकन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार ने "शिक्षा आपके द्वार" कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। विद्यालय के शिक्षक, अन्य समाजसेवी घर-घर जाकर यह पता लगा रहे हैं कि किस परिवार का बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है और उसका क्या कारण है। ऐसे बच्चों को इन पाठशालाओं से जोड़ने का सतत् प्रयास किया जा रहा है। उनके कुपोषण की अव्यवस्था को भी मिटाने के लिए यह कोशिश की जा रही है कि एक से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को वहां पर पोषाहार दिया जाये ताकि बच्चे शिक्षा के साथ-साथ पोषाहार के माध्यम से अपने स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था कर सकें।

मान्यवर, राजस्थान सरकार ने जहां एक तरफ राजीव गांधी पाठशालाओं का जाल ग्रामीण तथा ढाणी अंचलों में बिछाया, उसके साथ ही साथ मदरसों को भी राजीव गांधी पाठशालाओं के साथ शिक्षा के अन्दर जोड़ा गया है। वक्फ बोर्ड के द्वारा 500 मदरसों को इस तरह से राजीव गांधी पाठशाला के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए चयनित किया गया।

मान्यवर, आधुनिक युग विज्ञान का युग है। कम्प्यूटर शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। राजीव गांधी का सपना था कि हमारा देश 21वीं सदी में जानें से पहले दुनिया के अन्य राष्ट्रों के मुकाबले में किसी तरह से पीछे नहीं रहे और आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे, कम्प्यूटर की शिक्षा प्राप्त करे। इसी भावना से राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कम्प्यूटर शिक्षा का राजस्थान के अन्दर श्री गणेश किया और यह प्रयास किया कि 11वीं और 12वीं के विज्ञान विषय के विद्यार्थियों को कम्पलसरी कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जाये और वाणिज्य विभाग के छात्रों को ऐच्छिक शिक्षा प्रदान की जाये। इसी तरह से 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिये भी ऐच्छिक कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की गई ताकि उनके अन्दर भी कम्प्यूटर शिक्षा के प्रति लगाव पैदा हो और वे भी कम्प्यूटर शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा को सही दिशा दे सके और अपने भावी जीवन के अन्दर वे सफल हो सकें।

मान्यवर, राजस्थान में तकनीकी शिक्षा को लेकर काफी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। राज्य में जितने महाविद्यालय थे वे अपर्याप्त थे। राजस्थान की बहुत बड़ी संख्या के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर कैपिटेशन फीस देकर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इन हालात को देखते हुये राज्य सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण फैसला लिया कि राज्य में हमें भी निजी शिक्षण संस्थाओं को तकनीकी शिक्षा प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए। इसके तहत तीन निजी महाविद्यालय तकनीकी शिक्षा के लिये खोले गये हैं और इसी के साथ ही आठ महाविद्यालयों में एम.सी.ए. कोर्स चालू किया गया है। फार्मास्युटिकल इंस्टीट्यूशंस द्वारा तीन संस्थाओं में शिक्षा प्रारम्भ की गयी है। इस तरह से राजस्थान के अन्दर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर बहुत बड़ा काम करने का प्रयास किया गया है।

(श्री जुगल काबरा)

मान्यवर, आज के इस मौके पर मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से और तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि राज्य के जो इंजीनियरिंग कालेज सरकारी क्षेत्र में चल रहे हैं वहां रैगुलर शिक्षा तो दी जा रही है। किन्तु उनको दो शिफ्ट के अन्दर चालू कर दिया जाये। दूसरी शिफ्ट के अन्दर जिस तरह से निजी शिक्षण संस्थान प्राइवेट आधार पर बच्चों को मैरिट के ऊपर प्रवेश देते हैं, उसी आधार पर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भी तकनीकी कालेज और इंजीनियरिंग कालेज में इस तरह की व्यवस्था करके उनमें भी सैकण्ड शिफ्ट के माध्यम से कैपिटेशन फीस या प्राइवेट फीस के माध्यम से मैरिट के आधार पर प्रवेश देकर शिक्षा का लाभ प्रदान किया जाए तो राजस्थान में तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के अन्दर काफी कुछ प्रगति की जा सकती है।

इसी तरह से मेडिकल कालेज चलाकर के अन्दर जो शिक्षा प्रदान की जाती है वहां पर भी डबल शिफ्ट चलाकर मेडिकल कालेज में जो विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी अगर सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो राजस्थान में काफी बड़ी संख्या के अन्दर मेडिकल सीट्स उपलब्ध हो सकेंगी और जो बच्चे आज दूसरे प्रदेशों के अन्दर जाकर मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों को भी राहत मिल सकेगी। सरकारी संस्थानों की साख है, उनकी रैपुटेशन है, उसके कारण आज भी अधिकांश छात्र यह चाहते हैं कि हमें सरकारी संस्थान के अन्दर प्रवेश मिले। निजी शिक्षण संस्थाएं यद्यपि मेडिकल और टैक्निकल क्षेत्र में बहुत कुछ आगे आई हैं किन्तु फिर भी सरकारी संस्थानों की जो रैपुटेशन है उसको देखते हुए सब लोगों की इच्छा रहती है कि हम अपने बालकों को सरकारी संस्थानों के माध्यम से अच्छी शिक्षा प्रदान करें। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से भी कि वे अगर मेडिकल कालेज में सैकण्ड शिफ्ट चालू करें तो उससे राजस्थान के प्रदेश के लोगों को काफी लाभ दिलाया जा सकेगा।

मान्यवर, राजस्थान के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स तथा ओ.बी.सी. के छात्रों को प्रवेश के अन्दर विशेष सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास किये। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ओ.बी.सी. को 21 प्रतिशत आरक्षण देकर यह कोशिश की गयी कि ऐसे परिवार जिन्हें अच्छा वातावरण नहीं मिल पा रहा है, जिनके लिए शिक्षा की पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन लोगों को भी संरक्षण दिया जाये, प्रवेश में सुविधा प्रदान की जाये ताकि ये लोग भी शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को संवार सकें।

मान्यवर, राज्य सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुये चाहे निःशक्त हों, विधवाएं हों, या वृद्ध लोग हों, उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से

(श्री जुगल काबरा)

पेंशन बढ़ाने की योजना लागू की। जहां पहले 20 करोड़ रुपये खर्च किये जाते थे, राजस्थान में कांग्रेस के शासन सम्भालने के बाद आज करीब 200 करोड़ रुपये की पेंशन योजनाएं चालू हैं। इससे बहुत बड़ी संख्या के अन्दर लोगों को लाभान्वित किया गया है। इस तरह से यह प्रयास किया गया कि राज्य के जो गरीब लोग हैं, जो हर तरह से वंचित रहे हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाये और इसमें राज्य सरकार ने बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

मान्यवर, पिछले महीनों में "प्रशासन गांवों के संग" चलाया गया, "प्रशासन शहरों के संग" चलाया गया और इन दोनों योजनाओं के माध्यम से आम लोगों के जो काम कई बरसों से अटके हुये थे, उन कामों को सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के माध्यम से शिविरों के द्वारा पूरा कराया। इसमें बहुत बड़ी सफलता राज्य सरकार को मिली है। "प्रशासन शहर के संग" अभियान भी पूरी तरह सफल रहा। कच्ची बस्तियों की जो राज्य सरकार की घोषणा थी, 15 अगस्त, 1998 के पहले के जो लोग कच्ची बस्तियों में बसे हुये थे, कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करके आम जनता से जो वायदा किया था कि हम ऐसे सभी लोगों के मकानों का नियमन करेंगे, वह कार्यवाही बहुत बड़े पैमाने पर इन शिविरों के अन्दर की गयी और इससे आम लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिला। जिन लोगों को उजड़ जाने का खतरा था या बेदखल कर दिये जाने का खतरा था, उन लोगों को राहत मिली और उन लोगों को यह एहसास हुआ कि राज्य सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ में जो वायदा किया था, उस वायदे को पूरा किया है।

मान्यवर, इस अवसर पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के अन्दर भी ये बस्तियां बसी हुई थीं, इनके लिये कई दफे वायदे किये गये कि इनका नियमन कर दिया जायेगा। कई दफे उनसे रुपये ले लिये गये, उनके फार्म भरवा दिये गये, लाखों रुपये एकत्रित कर लिये गये किन्तु उस जमाने में इन बस्तियों का नियमन नहीं किया जा सका। और तो और भारतीय जनता पार्टी के शासन में जहां बस्तियां बसी हुई थीं, उन इलाकों को भी केन्द्र सरकार को वन क्षेत्र के अन्दर घोषित करने के लिये सिफारिश कर दी गयी। आज भी कई ऐसी बस्तियां हैं राजस्थान के अन्दर जहां पर वन क्षेत्र के अन्दर बस्तियां बीस साल पहले बस गयी थीं। 1984 के अन्दर कांग्रेस शासन में जिन बस्तियों के पट्टे दे दिये गये थे, उन बस्तियों को भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में राज्य सरकार द्वारा वन क्षेत्र के लिये केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर देने से आज उन बस्तियों की हालत बड़ी दयनीय हो गयी है। इसलिये मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसी बस्तियां जहां पर कि पिछले कई वर्षों से लोग काबिज हैं और जो अपना जीवन-यापन कर रहे हैं, उन बस्तियों का सर्वेक्षण करवा कर केन्द्र

(श्री जुगल काबरा)

सरकार के पास इस तरह की सूचना भेजी जाये कि पिछले कई बरसों से यहां पर लोग बसे हुये हैं और इन बस्तियों को वन क्षेत्र से मुक्त किया जाये ताकि उन इलाकों में भी जो नियमन की कार्यवाही रुकी हुई है, उन लोगों का भी नियमन करके उन्हें भी राहत प्रदान की जाये। आज बहुत बड़ी संख्या के अन्दर लोग इस कारण से परेशान हैं कि उनके मकानों, उनके इलाकों को वन क्षेत्र के अन्दर डाल दिया गया है। उससे उन्हें बहुत बड़ी समस्या और परेशानी पैदा हो रही है। कई ऐसी बस्तियां हैं जहां 1984 में कुछ लोगों को पट्टे दे दिये गये किन्तु उसके पड़ौसी को इसलिए पट्टा नहीं मिल रहा है कि इस बस्ती को वन क्षेत्र के अन्दर डाल दिया गया है। ऐसी विसंगतियों को दूर करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को तत्परता से कदम उठाना चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की एक सांस्कृतिक धरोहर है, यहां पर्यटन का आकर्षण है। राज्य सरकार द्वारा सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी के कुछ विद्यालय चयनित किये गये हैं, उन विद्यालयों के माध्यम से ऐतिहासिक स्थलों तथा स्मारकों के संरक्षण के लिए शिक्षा प्रदान की जाये ताकि अन्य पर्यटन स्थलों के साथ इन धरोहरों पर भी बहुत बड़ी संख्यो में देशी और विदेशी पर्यटकों की भीड़ जुट सकें। राज्य सरकार ने पर्यटन में इजाफा करने के लिए काफी कुछ प्रयास किये हैं और पूरे राजस्थान के अन्दर एक वातारण बना है जिससे देशी और विदेशी पर्यटक बहुत बड़ी संख्या के अन्दर राजस्थान में आ रहे हैं। यहां के त्यौहार, यहां का खान-पान, यहां की वेशभूषा, यहां की इमारतों की बनावट, इन सबको देखने के लिए बहुत दूर-दूर लोग आते रहे हैं। राज्य सरकार बराबर प्रयास करती रही है कि हम अपने इन आकर्षण के केन्द्रों को बाहर प्रचारित-प्रसारित करें ताकि बाहर के पर्यटक और देशी पर्यटक बहुत बड़ी संख्या के अन्दर राज्य में आकर इस पर्यटन का अनन्द ले सकें।

मान्यवर, विदेशों के अन्दर पर्यटन का इजाफा करने के लिए प्रयास किये गये। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रचारित-प्रसारित करें, जो हैण्डी क्राफ्ट्स के आइटम हमारे प्रदेश में बनाये जाते हैं, जो फूड प्रिपरेशन जाता है, उन सबको प्रचारित-प्रसारित करें। उसके लिये राजस्थान के पर्यटन विभाग ने विश्व पर्यटक मेला लन्दन तथा अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन बाजार बर्लिन के अन्दर हिस्सा लेकर राज्य की पर्यटन व्यवस्था के प्रचार-प्रसार का प्रयास किया है। साथ ही साथ "राजस्थान कालिंग" का यह कार्यक्रम कोयम्बटूर और चेन्नई में आयोजित किया गया जहां हमारे देश के पर्यटकों को भी राजस्थान में आकर्षित करने का प्रयास किया गया। इस तरह से बराबर यह कोशिश की जाती रही है कि हम हर क्षेत्र के अन्दर प्रगति करें और यह कोशिश करें कि राज्य की राजस्व की आय को किस तरह से बढ़ाया जाये।

(श्री जुगल काबरा)

मान्यवर, उद्योग और व्यवसाय को संरक्षण देने के लिए भी राजस्थान सरकार ने बहुत कुछ कदम उठाये हैं और उससे काफी बड़ी संख्या के अन्दर बाहर के निवेशक राज्य में आने लगे हैं। विज्ञान पार्क स्थापित किये जा रहे हैं जिससे कि यहां के छात्रों को विज्ञान के बारे में जानकारी मिले। एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क बनाये जा रहे हैं ताकि जो एक्सपोर्टर्स राजस्थान में आकर निवेश करना चाहें, उन्हें सहूलियतें दी जा सकें और वे राजस्थान के अन्दर अपना निवेश कर सकें ताकि यहां के उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। राजस्थान में जो उद्यमी आकर अपना उद्योग लगाना चाहते हैं उन लोगों को एकल खिड़की योजना के माध्यम से आकर्षित करने का प्रयास किया गया है और उसके माध्यम से उन्हें बहुत सहूलियतें प्रदान की गयी हैं।

इस तरह से यह कोशिश की गयी है कि राज्य के अन्दर जहां एक तरफ हम सामाजिक सेवाओं के अन्दर सुधार करें, उसके साथ ही साथ हमारे यहां का उद्योग, व्यवसाय, कृषि और सिंचाई का कार्य तेजी से आगे बढ़े जिससे कि राज्य के लोग, जिस विकास की परिकल्पना कांग्रेस ने संजोयी थी, उस परिकल्पना को साकार होता हुआ देख सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार के प्रयासों से यह परिकल्पना शीघ्र ही पूरी होगी और आने वाले दो सालों में जो योजनाएं बनायी गयी हैं उनकी क्रियान्विति से बहुत कुछ लाभ हमारे प्रदेश को मिल सकेगा।

राज्य के छह बड़े नगरों में एशियन डवलपमेंट बैंक के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि मूलभूत आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाये। चाहे पेयजल की आपूर्ति हो, चाहे सड़कों के बनाने का मामला हो, चाहे पुलों के निर्माण की बात हो, चाहे पर्यटक स्थल सुधारने की बात हो, चाहे एनवायरमेंट सुधारने की बात हो या सीवरेज सिस्टम को ठीक करने की बात हो, सारी योजनाओं को एशियन डवलपमेंट बैंक परियोजना के अन्दर सम्मिलित किया गया है ताकि इन छह बड़े नगरों के अन्दर मूलभूत आवश्यक सुविधाओं को राज्य सरकार प्रदान कर सके। जयपुर का कायाकल्प हम देख रहे हैं कि किस तरह राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि खर्च न करके स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जयपुर को सजाया-संवारा गया है।

(16.00 बजे)

उसी तरह से जोधपुर को सजाया संवारा जा रहा है। उससे यह विश्वास पैदा होने लगा है कि राजस्थान के सभी सम्भागीय मुख्यालयों के अन्दर एशियन डवलपमेंट बैंक के माध्यम से विकास का काम प्रारम्भ हो सकेगा। इसके अलावा तीन बड़े शहरों को और सम्मिलित किया गया है। इन छह बड़े शहरों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार ने.....

श्री जगत सिंह दायमा : जब कुत्ता बैठता है न तो वह भी अपनी पूंछ को

(श्री जगत सिंह दायमा)

यों करके बैठता है। अपने घर को सब करते हैं। अपने घर को तो सब कर रहे हैं, दूसरे शहर को देखो.....(व्यवधान) आपने भरतपुर की दशा देखी, क्या हो रही है?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपस में चर्चा न करें, माननीय सदस्य।

श्री जुगल काबरा : 50 सालों से जयपुर के अन्दर बड़े-बड़े राजनेता रह रहे हैं। जिन लोगों ने जयपुर से चुनाव लड़े हैं, राज्य के मुख्य मंत्री बने हैं, उन्होंने जयपुर की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया।

श्री जगत सिंह दायमा : जो मुख्य मंत्री बना, अपने घर को संवारा, और किसी को कुछ नहीं संवारा।

श्री जुगल काबरा : यह तो कांग्रेस की सरकार है, उनके मुख्य मंत्रीजी हैं जिन्होंने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा सभी शहरों की तरफ बराबर ध्यान दिया है और यह प्रयास किया है कि राजस्थान के अन्दर....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : बड़े शहरों की तरफ ध्यान दिया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये तीन करोड़ इनको भी दिये हैं डवलपमेंट के लिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : शहरों का क्या हाल हो रहा है?

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको भी तीन करोड़ रुपये सड़कों के लिए दिये हैं ताकि आप अपने क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व कर सकें।

श्री सभापति : माननीय जगत सिंहजी।

श्री जगत सिंह दायमा : साहब, मैं एक बात कह रहा हूं कि अपने घर तो सब करते हैं, दूसरे शहरों को भी देखो। भरतपुर का हाल देखो क्या हो रहा है, कभी देखा आपने? पूर्वी राजस्थान का क्या हाल हो रहा है, कभी देखा आपने?

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बिराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : जोधपुर कर दिया, जयपुर कर दिया। यहां भी थोड़ा रहना, वहां भी रहना। भाई, दूसरों को भी देखो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, बिराजिये। आप माननीय सदस्य के भाषण में बाधा उत्पन्न न करें।

श्री जुगल काबरा : सभापति महोदय, छह शहरों के अलावा राज्य सरकार ने तीन नये नगरों को जोड़ा है ताकि उन नगरों के अन्दर भी मौलिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

श्री जगत सिंह दायमा : साहब, एक मैं ही तो हूं जो सुन रहा हूं, नहीं तो सारी रोड़ खाली पड़ी है। फिर कहेंगे क्यों नहीं सुन रहे हो। मैं तो मिनिस्टर की तरह सुन रहा हूं। जैसे मिनिस्टर सुन रहा है ऐसे सुन रहा हूं मैं तो।

श्री जुगल काबरा : बिलकुल।

श्री जगत सिंह दायमा : अब मैं चला जाऊंगा, मैं इनको ले जाता हूं, फिर गाते रहो आप अपनी ढफली....(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : नहीं, आपका स्वागत है कि आप सदन में पूरी तन्मयता के साथ हमारे विचारों को सुन रहे हैं और ताइद कर रहे हैं।

श्री सभापति : मैंने आपसे पूछा था कि आपकी बोलने की इच्छा है क्या, तो आपने कहा, मैं नहीं बोलूंगा।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं कल बोलूंगा। मेरा कल रिजर्व कर लो।

श्री सभापति : हां तो आप इनको बोलने दीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : धन्यवाद।

श्री सभापति : मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप बोलने की इच्छा हो तो बताओ। बोले, नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। अब आप बिराजिये। माननीय सदस्य, अब आप अपने भाषण को समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री जुगल काबरा : राज्य सरकार ने राजस्थान मेडिसिन प्लांट बोर्ड का गठन किया है ताकि आयुर्वेद वन औषधियों का उत्पादन और विपणन का कार्य सम्पन्न किया जा सके। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो कि उत्तरी भारत का एक मात्र विश्वविद्यालय होगा, इसके लिए जो वातावरण और परिस्थितियां आवश्यक हैं वे जोधपुर में विद्यमान है। आने वाले पांच सालों के अन्दर यह विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित होगा। राज्य सरकार के ऊपर इसका कोई भी खर्चा नहीं होगा। इस तरह की योजना के साथ में राजस्थान के अन्दर आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित करने की परियोजना बनायी गयी है। जिसका लाभ न केवल राजस्थान को बल्कि आस-पास के पड़ौसी प्रदेशों को भी मिल सकेगा।

इस तरह से यह कोशिश की जा रही है कि राजस्थान को हर क्षेत्र के अन्दर प्रगति के पथ के ऊपर निरन्तर आगे बढ़ाया जाये इसी सोच और परिकल्पना के साथ में राजस्थान सरकार ने अपनी योजनाएं बनायी है। मैं आशा करता हूं कि इन योजनाओं का लाभ पूरे प्रदेश को मिल सकेगा, पूरे प्रदेश के अन्दर चहुंमुखी विकास हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय सभापति महोदय, मैंने धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर संशोधन पेश किया था, वह स्वीकार हो गया या रिजैक्ट हो गया, मैं यह सूचना चाहता हूं।

श्री सभापति : ऐसा है, माननीय सदस्य, सत्ता पक्ष के लोग राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई संशोधन पेश नहीं करते हैं। इसलिये आपने दिया हुआ था कि वह तो अस्वीकार करने की कोई बात नहीं है, लेकिन आम तौर पर सत्ता पक्ष के कोई माननीय सदस्य भाषण में संशोधन पेश नहीं करता है। आपकी बोलने की इच्छा हो....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : परम्परा तो नहीं है लेकिन कानून में कहीं नहीं है मनाही। परम्परा की बात और है।

श्री सभापति : परम्परा है यह, मैं कानून की बात नहीं कहता।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : परम्पराएं तो टूट रही हैं। परम्पराएं तो रोज तोड़ रहे हो आप, कौनसा परम्पराओं पर चल रहे हो?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के जो नियम हैं उनमें यह कहीं भी नहीं है।

श्री सभापति : मैं परम्पराओं की बात कह रहा हूं। आप बोलना चाहे तो बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, यह बात ठीक है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : नहीं, बोलने का मतलब यह है कि जो मेरी भावना है वह मैं यहां व्यक्त करूं।

श्री सभापति : हां, मैं आपको अनुमति देता हूं, आप बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिलकुल करो, पंडितजी, हम आतुर हैं सुनने को।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कल धन्यवाद प्रस्ताव श्री शैलेन्द्र जोशी द्वारा प्रस्तुत किया गया। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सबसे पहले जिन शब्दों का उच्चारण किया है। उसके बारे में मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हम सभी माननीय सदस्यों को उन्होंने माननीय सदस्य उद्बोधित किया है और हम धन्यवाद प्रस्ताव में उनको माननीय शब्द भी नहीं लगा रहे हैं। मेरा संशोधन यही था। जैसा कि कल प्रस्ताव पेश हुआ कि "इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं," मैं इसमें संशोधन करना चाहता हूं कि जहां राज्यपाल शब्द आया है उसके पहले महामहिम या माननीय शब्द जोड़ा जाये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिलकुल सही बात है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : राज्यपाल शब्द के आगे "महोदय" शब्द लगाया जाये और अन्त में जो "आभारी" शब्द है, उसकी जगह "धन्यवाद" शब्द लगाया जाये। जब हमारा प्रस्ताव ही धन्यवाद है तो फिर आभारी किस के? तो यह जो परम्परा है, परम्पराएं बदलती रहती हैं और उनमें सुधार भी होना चाहिये इसलिये मेरा विशेष अनुरोध है कि हम को शब्दों के प्रति कंजूसी नहीं बरतनी चाहिये। राज्यपाल के शब्द से पहले महामहिम राज्यपाल महोदय...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बहुत विद्वान हैं, मैं आपका ध्यान अध्याय 5 अनुच्छेद-14, भाग-1 की तरफ आकर्षित करता हूं, आप निकाल लीजिये। इसमें लिखा हुआ है—राज्यपाल को निम्नलिखित रूप से समावेदन प्रस्तुत किया जाये। इसमें भी राज्यपाल शब्द ही लिखा हुआ है। यहां भी यही लिखा हुआ है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : इसमें जो लिखा हुआ है और यह जो प्रस्ताव श्री शैलेन्द्र जोशीजी ने पेश किया है— "सदस्य विधान सभा प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को...

श्री जगत सिंह दायमा : राज्यपाल, राष्ट्रपति, गवर्नर वह चीज अलग है और सम्मान देने वाली बात अलग है। वह तो अलग चीज है। आप बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे, तो यह थोड़ी पूछोगे कि महामहिम राज्यपाल के क्या-क्या कर्तव्य हैं? वहां पर राज्यपाल के पूछोगे, आप।

श्री सभापति : आप राज्यपाल महोदय बोल दीजिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : नहीं, मेरे बोलने से क्या होगा? सदन से जो प्रस्ताव पास होकर जाये उसमें "महामहिम राज्यपाल महोदय" होना चाहिये। सदन मन्जूर नहीं करता है, सदन की इच्छा है.... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह संविधान के मुताबिक बात कर रहे हैं आप, सभापति महोदय, वहां तो राज्यपाल और राष्ट्रपति ही होगा।

श्री सभापति : आपकी योग्यता और प्रखरता के बारे में और अनुभव के बारे में कोई प्रश्न नहीं है, आप कृपा करके यह पढ़ लो, अनुच्छेद-14, उसके बाद आपके कोई भ्रांति नहीं रहेगी, माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमें कोई भ्रांति नहीं है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सभापति महोदय, सदन से प्रस्ताव पास होकर जायेगा उस प्रस्ताव में महामहिम राज्यपाल महोदय लिखने में क्या आपत्ति है जबकि आप स्वयं ही इस प्रस्ताव में लिख रहे हो कि—"सदस्य विधान सभा प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय".....? फिर मूल प्रस्ताव में महोदय शब्द लगाने में क्या आपत्ति है? क्यों कंजूसी बरती जा रही हैं?

यही मेरा सुझाव है और संशोधन है। इस संशोधन को आप स्वीकार करें तो आपकी इच्छा, नहीं करें तो आपकी इच्छा।

श्री सभापति : और बोलिये। अभिभाषण के सम्बन्ध में अपने आप कुछ विचार व्यक्त करेंगे?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : नहीं, विचार तो यह है कि सरकार ने पिछले साल जो काम किये वह सबको विदित है। वह सिर्फ सरकार ने अपने कार्यों को राज्यपाल महोदय की वाणी द्वारा यहां उद्धरित किया है।

श्री सभापति : जिसका आप समर्थन कर रहे हैं?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : ठीक है। माननीय श्री हफीज मोहम्मद। (व्यवधान) इनके बाद आप, देवीलालजी।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : अच्छी बात है।

श्री हफीज मोहम्मद (माण्डल) : सम्मानीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के 18 तारीख के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे यह बात कहते हुए खुशी है कि पिछले तीन सालों से जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार फिर से आयी है, तब से राजस्थान ने प्रगति की और बढ़ना प्रारम्भ किया है। जिस वक्त हम जीत कर आये थे, हमारी सरकार बनी थी उस वक्त राज्य पर 23 हजार करोड़ रुपये का कर्जा था और राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को तन्खाह देना मुहाल हो रहा था। ऐसी सूरत में कांग्रेस ने राज्य सम्भाला। राज्य सरकार ने जिस चतुराई और अनुभव से अपने पिछले तीन सालों में राजस्थान में अकाल के बावजूद जो काम किये, वे बहुत सराहनीय हैं। माननीय सभापति महोदय, पिछले तीन साल से लगातार अकाल पड़ रहे थे, सरकारी खजाना हमको खाली मिला, ऐसी सूरत में पिछले ही वर्ष में सरकार ने गरीब श्रमिकों की मजदूरी 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये रोजाना तय की। इसी प्रकार गरीबों और विधवाओं को जो 100 रुपये महीने पेंशन मिलती थी, उसको राज्य सरकार ने बढ़ाकर 200 रुपये किया। इसी प्रकार अनेक योजनाओं के माध्यम से राजस्थान की गरीब और पीड़ित जनता को राज्य सरकार ने राहत देने के लिये कई योजनाओं की घोषणा की।

राज्य में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिये, गांव और गरीब को शिक्षा देने के लिये गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में राजीव गांधी पाठशालाएं खोलने का एलान किया गया। एलान ही नहीं किया गया, 18 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं खोलकर करीब 27 हजार युवक-युवतियों को रोजगार दिया गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी राजस्थान की उपलब्धि है। राज्य में शिक्षा के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के लिए मिडल स्कूल्स को क्रमोन्नत किया गया और करीब एक हजार सैकण्डरी और सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल्स राज्य में खोले गये। प्राइमरी स्कूल्स को क्रमोन्नत कर मिडल स्कूल्स खोले गये और राजस्थान में शिक्षा के प्रतिशत को बढ़ाया गया। दूसरे राज्यों के मुकाबले आज हम पिछले समय की अपेक्षा काफी आगे हैं।

तीन साल में चाहे लगातार अकाल पड़ा हो लेकिन मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राज्य में करीब 17 लाख गरीब लोगों को रोजगार देकर उनको उनका जीवन-यापन करने की सुविधाएं दी गयीं। यहां तक कि इतने ही पशुओं को राज्य सरकार ने सब्सिडी के माध्यम से घास देकर बचाने का प्रयास किया। राजस्थान में गरीबी है, सूखा है, पानी का अभाव है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राज्य सरकार को कि जहां-जहां पर भी पानी का अभाव था, हमारी नल योजनाएं बनीं, हैण्ड पम्प लगे, ट्यूबवैल लगे और वहां पर पानी मुहैया कराया गया। ऐसे भी गांव थे जहां पर ट्यूबवैल और हैण्ड पम्प के माध्यम से

(श्री हफीज मोहम्मद)

पानी नहीं आया, वहां पर टैंकरों से पानी पहुंचाकर वहां के गरीब लोगों को और वहां की मवेशी को बचाने का एक बहुत बड़ा काम राज्य सरकार ने किया। इसके अलावा जिस तरह से समय पर मजदूरी का भुगतान हुआ, समय पर लोगों को राहत मिली, यह बहुत बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार की रही है।

इसी तरह से चाहे सड़कों का काम हो, चाहे बिजली का काम हो और चाहे वह चिकित्सा का काम हो, हर क्षेत्र में एक के बाद एक, अभी मेरे पूर्व वक्ता ने जो बहुत लम्बी-चौड़ी तकरीर में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनायी हैं, मैं उनकी ताइद करता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमको सरकार मिली थी, वह जर्जर हालत में थी। न हमको खजाना मिला, न बिजली थी और न सड़कों का बराबर साधन था। लेकिन राज्य सरकार ने इन हालात में भी करीब एक हजार मेगावाट बिजली पैदा करके राजस्थान को बिजली की ओर आगे बढ़ने के लिये बहुत बड़े प्रयत्न किये हैं।

जहां राजस्थान के किसान को समय पर बिजली नहीं मिलती थी, राज्य सरकार ने कहा कि हम आठ घंटे बिजली किसान को देंगे। आठ घंटे बिजली लगातार देकर हमने राजस्थान के किसान की फसल को बचाया और हमने जो कहा उस बात को पूरा करने का प्रयत्न किया।

इसी प्रकार गरीब लोगों को दवा-दारू के लिए, इलाज के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री सहायता कोष के नाम पर राजस्थान में एक नया प्रयोग किया। वे इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। आज राजस्थान का गरीब व्यक्ति जो बी.पी.एल. में चयनित है, इस बात के लिये वह निश्चिन्त है कि अगर मैं बीमार हो जाऊंगा, असाध्य रोग होगा तो राज्य सरकार मेरा इलाज करवायेगी। इससे सैकड़ों लोगों को राज्य सरकार ने इलाज करवाकर एक नयी जिन्दगी दी है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एम.एल.ए. को 120 किलोमीटर डामर की प्योर सड़कें राजस्थान में देकर नया काम कर रही हैं।

(16.16 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

राजस्थान सड़कों की दृष्टि से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा राज्य बन जायेगा। इसी प्रकार जगह-जगह पर सिंचाई के साधन मुहैया किये जा रहे हैं। अभी 700 करोड़ रुपये की सिंचाई की परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। गांव के पानी को गांव में रोकना, नये एनीकट और तालाब बनाना, नहरें बनवाना और नहरों की मरम्मत करवाना यह राज्य सरकार ने जो प्रारम्भ किया है इससे किसान को बहुत उत्साह मिला है। उसको यह लगा है कि अब सारा पानी मेरे खेत पर आराम से पहुंच जायेगा और मेरे खेत की मैं फसल ले सकूंगा। मुझे यह कहते

(श्री हफीज मोहम्मद)

हुए खुशी है कि इन्दिरा गांधी कैनाल जो गंगासिंहजी के जमाने में बनी थी, सत्तर साल बाद उसको रिपेयर करवा कर उसकी ठीक ढंग से मरम्मत की जा रही है। गंगानगर और बीकानेर डिवीजन के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस प्रकार जितने भी काम राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में किये हैं वह उपलब्धि है। लेकिन कुछ हमारे भाई हैं, जिनको राजनीतिक दृष्टि से ये उपलब्धियां नहीं भाती हैं, वे आये दिन सरकार पर कोई न कोई इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा पिछले दो दिन से, राजस्थान की जनता ने हम लोगों को जो जिम्मेदारियां देकर यहां चुनकर भेजा हैं, आज वे यहां बखेड़ा करने में समय बरबाद करने में, लाखों रुपया सरकार का बरबाद करने में तुले हुये हैं। न सदन को चलने देना चाहते हैं और न सरकार को कुछ सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता उन लोगों को आराम से देख रही है और उनको कभी भी बख्शने वाली नहीं हैं। आज हिन्दुस्तान की जनता ने इस बात का निर्णय कर लिया है कि देश में कौन राजनीतिक दल है जो देश को चला सकता है, देश को अखण्ड रख सकता है और देश के भाईचारे को कायम रख सकता है। पिछले चार राज्यों के चुनावों ने इस बात को साबित कर दिया है कि देश में एक मात्र कांग्रेस हैं जो आजादी से लगाकर देश का निर्माण करने में आगे रही है और यही पार्टी इस देश को आगे ले जा सकती है। इसी बौखलाहट के कारण, हमारे पड़ौसी राज्य गुजरात में जो कुछ भी हुआ है, मैं यह निश्चित तौर से कह सकता हूं कि बी.जे.पी. की हार के कारण बदला लेने के लिये उन्होंने जिस तरह का वहां पर किया, वह एक शर्म की बात है। गुजरात में तीन जगह पर चुनाव थे, दो जगहों पर कांग्रेस जीती और एक जगह पर मुख्य मंत्री लड़ रहे थे, बहुत कम मार्जिन से गलत हथकण्डे अपनाने के बाद जीते। उसके बाद उन्होंने सोचा कि आने वाले चुनाव में गुजरात में बी.जे.पी. का सफाया हो जायेगा तो यहां पर साम्प्रदायिक तौर पर झगड़े करवाये जायें, आगजनी करायी जाये, लोगों को लूटा जाये एक अशांति पैदा करके हिन्दू वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आज सारे गुजरात में जो कुछ वे कर रहे हैं उनमें उनका राजनीतिक स्वार्थ है। राजनीतिक स्वार्थ यह है कि उनको चुनाव में अपनी हार नजर आ रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान जहां पर बहुत अच्छी तरह सरकार चल रही है, उस सरकार की उपलब्धियों की तारीफ हम ही नहीं करते, देश के प्रधान मंत्री जब राजस्थान में आये चम्बल में तो उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। राजस्थान के मुख्य मंत्री बिजली की ओर बहुत अग्रसर होकर अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। उसके बावजूद उनकी पार्टी के लोग आये दिन हो-हल्ला करके हमारे समय को बरबाद करना चाहते हैं। राजस्थान जो पीसफुल चल रहा है, राजस्थान की

(श्री हफीज मोहम्मद)

सरकार जो बहुत अच्छे काम कर रही है उसको मिटाने के लिए वे राजस्थान में भी साम्प्रदायिक उन्माद पैदा करके हमारे राज्य में गड़बड़ करना चाहते हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों-करोड़ हिन्दू भाइयों ने गुजरात के साम्प्रदायिक दंगों का विरोध किया है। और यह कहा है कि नाहक जिन गरीबों को मारा जा रहा है यह अच्छी बात नहीं है। आज हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमी और औरतें सड़कों पर आकर शांति की अपील कर रहे हैं, भाइचारे की अपील कर रहे हैं, हिन्दू-मुस्लिम एकता की अपील कर रहे हैं। यह हमारा देश दुनिया में एक उदाहरण देश है जहां का हिन्दू और मुसलमान सदियों से भाइयों की तरह रहते हुये इस देश के निर्माण में, इस देश के आन्दोलन में, इस देश की आजादी में एक रहकर, कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पर राज में आये। धर्म के नाम पर राज में आने के बाद भी वे कुछ नहीं कर सके तो आज उनके सामने लड़ाई-झगड़ा और इस तरह की बातें आ रही हैं। मैं उन बातों का विरोध करता हूं। ऐसे घृणित कार्यों के लिये, हमारे देश को तोड़ने के लिए, हमारे देश के भाइचारे को मिटाने के लिये, हमारे देश की अखण्डता को कमजोर करने के लिए पार्टियां जिस तरह का काम कर रही हैं वह बहुत निन्दनीय है। अभी आपने और हमने देखा, दंगे पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुये कि उड़ीसा जहां पर इन दंगों का कोई लेना-देना नहीं था, वहां की विधान सभा में ऐसी पार्टियों के हामी लोगों ने नारे लगाकर, प्रधानमंत्री अटल बिहारी जिन्दाबाद करते हुए किस तरह से मारपीट की, तोड़फोड़ की। वह बहुत निन्दनीय है। उसके लिए मैं नहीं कहता, देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि यह मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, मेरे जिन्दाबाद के नारे लगाये, अब उससे मुझे मरना अच्छा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सदन के मार्फत कि ऐसे साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबंध लगना चाहिये जो देश की एकता और अखण्डता को तोड़ने में लगे हुये हैं और देश में भ्रामक प्रचार करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।

किशनगढ़ में क्या हुआ, पीपाड़ में क्या हुआ, इस बात को सब लोग जानते हैं। लेकिन जानकर भी राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। नुकसान मुसलमानों का हुआ, दुकानें उनकी जलीं, मस्जिदें उनकी टूटीं, उनको वहां पर सताया गया। हजारों लोगों की भीड़ लेकर जब हमला करने आये तो पुलिस का, प्रशासन का कर्तव्य था कि उनको रोका जाये, उनको खदेड़ा जाये। जो कुछ भी वहां पर हुआ है, प्रशासन ने बहुत सोच-समझकर, बहुत समझदारी से काम किया और वहां खून खराबा होने से रोक दिया मैं प्रशासन को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान को इन्होंने आग नहीं लगने दी। सभी सीमा और सभी शहरों में अपने पूरे शासन-प्रशासन को और पुलिस को

(श्री हफीज मोहम्मद)

सतर्क कर दिया कि राजस्थान में गुजरात की बातें नहीं दोहराई जानी चाहिये। यही कारण है कि आज शासन और प्रशासन की चतुराई से और उनकी जागरूकता से राजस्थान बहुत शांत है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां जिनको अपना भविष्य अन्धेरे में नजर आ रहा है, जिनको अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, वे धर्म के नाम पर, लड़ाई–झगड़े के नाम पर उत्पात पैदा करके राजस्थान में भी खराब हालत पैदा करना चाहती हैं। लेकिन राजस्थान की करोड़ों की जनता इनकी बिलकुल हिमायत नहीं कर रही है।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, किशनगढ़ में क्या हो रहा है? किशनगढ़ के लोग इनके हामी नहीं है, किशनगढ़ के लोग इनके तम्बू में जाने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान के दूसरे लोगों को, अपने हिमायती लोगों को ला–लाकर बिठा रहे हैं। किशनगढ़ के लोगों ने कहा हम आपका बहिष्कार करते हैं। हम इन झगड़ों में, टंटों में राजस्थान को बर्बाद नहीं होने देना चाहते इसलिये हम राजस्थान सरकार की और मुख्य मंत्रीजी की नीतियों की प्रशंसा करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता और अजमेर के चुनावों ने इस बात को साबित कर दिया कि राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य उज्ज्वल है, राजस्थान में कांग्रेस का शासन बहुत अच्छा चल रहा है। यही कारण है कि पिछले अक्टूबर से लगाकर तीन महीने तक प्रशासन गांवों के संग में राज्य सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। राजस्थान के गांवों में किसान और मजदूर के मामले वर्षों से लटके पड़े थे, नाजायज कब्जे थे, रास्तों में अतिक्रमण थे। उसके रास्ते रुके हुये थे, उसकी कई तरह की परेशानियां थीं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तीन महिनों में जो प्रशासन गांवों के संग जाकर उसने काम किया है उससे आज राजस्थान का किसान और मजदूर, गरीब आदमी राजस्थान सरकार की वाहवाही कर रहा है, तारीफ कर रहा है। बिना एक पैसा लगाये सरकार का कागज था, सरकार का आदमी बैठा–बैठा लिख रहा था। सरकार के अधिकारी ने एक दिन और दो दिन हर पंचायत हैडक्वार्टर पर रहकर जितनी वहां की परेशानियां थीं, उनको निपटाया। चाहे वहां पेंशन का मामला हो, चाहे बीमार को सहायता देने का मामला हो, चाहे और कोई मामले हों, मुझे कहते हुए खुशी है कि करीब सत्तर लाख मामले "प्रशासन गांवों के संग" में निपटाये गये हैं। यह राजस्थान में अपने आप में एक रिकार्ड है और राजस्थान की गरीब जनता को एक बहुत बड़ी सहूलियत है कि बिना पैसे खर्च किये, बिना उसका धन और समय बर्बाद किये एक दिन में उसका निर्णय किया गया। आज राजस्थान की जनता जब सरकार की वाहवाही करती है तो विरोधी पार्टियां क्या करें? अपने आपको बचाने के लिए कोई न कोई झूठा शिगूफा लाकर, कोई न कोई झूठा मुद्दा बनाकर राज्य में शांति पैदा करना चाहते

(श्री हफीज मोहम्मद)

हैं। मैं इनके ऐसे विचारों की भर्त्सना करता हूं और इनसे निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके आप यहां पर वाजिब बात करिये, विकास की हामी भरिये और ऐसे सुझाव दीजिये जिससे हम राजस्थान को आगे बढ़ा सके, राजस्थान के किसान और मजदूर की सेवा कर सके, राजस्थान को हर दृष्टि से हम प्रगति पर ला सकें। हम आपके विचारों का स्वागत करने के लिये तैयार हैं, लेकिन वे यह नहीं करना चाहते। वे यह करना चाहते हैं कि हम कैसे सरकार के काम-काज को नहीं चलने दें, हम कैसे असैम्बली को नहीं चलने दें। लेकिन राजस्थान की जनता इस बात को टी.वी. और अखबारों के माध्यम से देख रही है, पढ़ रही है, इस बात पर कभी भी उनको बख्शने वाली नहीं है। इसलिये, सभापति महोदय, पिछले 'प्रशासन गांवों के संग' जो काम हुआ है उसको आप और हम कभी भूल नहीं सकते। रात और दिन राजस्थान के कांग्रेस के एम.एल.ए. ने अपनी ड्यूटी बांध ली थी। हर दिन प्रशासन गांवों के संग वह गया और सुबह से शाम तक गरीब के मामले को निपटाने के लिये वहां बैठकर गरीब को राहत देने के लिए बात की। चाहे उसका जमीन अलाटमैंट का मामला हो, चाहे वहां बिजली के तार लटक रहे हों, चाहे बिजली का खम्भा टूट रहा हो, वहां उसी दिन तैयार हुआ। पानी का हैण्ड पम्प खराब हो, वह हैण्ड पम्प उसी दिन तैयार हुआ। पानी के नल जो गरीब मोहल्लों में नहीं गये थे, वहां पर प्रस्ताव लिये गये और मैं जलदाय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं, आज हमारे उन गांवों में हैण्ड पम्प लग रहे हैं, उन गांवों में पाइप लाइन बिछायी जा रही है। जिन गांवों के हमने प्रशासन गांवों के संग में प्रस्ताव लिये थे।

प्रत्येक दिन दो-दो हजार रुपये की मेडिकल रिलीफ और दवाइयां लेकर हमारे सरकारी डाक्टर वहां जाते थे। वहीं मरीज को देखते, वहीं दवाइयां लिखकर उसका इलाज करने का प्रयत्न करते जो बड़ी-बड़ी बीमारियां हुआ करती थीं उनके लिए रैफर किया करते थे। इसलिये आज मुख्य मंत्री सहायता कोष के नाम पर, रक्षा कोष के नाम पर गरीब को एक वरदान मिला है, बेवा और विधवाओं को सरकारी मदद मिली है, और सरकार की सब तरफ वाहवाही हो रही है। प्रतिपक्ष के लोग हमारी वाहवाही को नहीं देखना चाहते। इसलिये हमारा गलत विरोध करके वे समय बरबाद करते हैं। मैं आपको इसी के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण का समर्थन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने 18 तारीख को अभिभाषण जो पेश किया उसकी मैं सराहना करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत आज के

(श्री देवीलाल बैरवा)

तीन साल पहले मुख्य मन्त्री बने, उस वक्त देश की हालत क्या थी? लगातार अकाल पड़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी वाले खजाना भी खाली कर गये और जाते वक्त अकाल भी पकड़ा गये। उस अकाल की व्यवस्था हमारे मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी सबने मिलकर की। लगातार दो साल का अकाल था उसके अन्दर पानी की, घास की और मजदूरी की सारी व्यवस्था की।

सभापति महोदय, ढांडे तिसाये मर गये, चारे की वजह से भूखे मर गये, पिछले कई साल यह हालत थी तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान के अन्दर चारे की व्यवस्था करायी, पानी के हैण्ड पम्प लगाये। जहां हैण्ड पम्प की व्यवस्था दूर-दूर थी तो वहां टैंकर जुटाया और फिर भी कमी हो तो रेल से पानी आया पर लोगों को पानी पिलाया। न भूखा मरने दिया और न तिसाया मरने दिया। एक जिले भीलवाड़ा के अन्दर कम से कम 200-250 ट्रक घास की आयी। राजस्थान के अन्दर मैंने रेडियो पर सुना कि एक दिन के अन्दर एक हजार और तीस ट्रक आ रही हैं। उन ट्रकों पर सब्सिडी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने एक क्विंटल के ऊपर जो पहले साठ रुपया देते थे अब 100 की पांच हजार एक ट्रक के ऊपर सब्सिडी मिली है और चारे की व्यवस्था हुई तो वे दिन लोगों के अच्छे निकले। सड़कों की हालत ऐसी हो रही है कि मेरे शाहपुरा में तो 9 साल के अन्दर डेढ़-डेढ़ फुट के खड्डे हो गये और किनारे के ऊपर बबूल उगते हैं। वे इधर-उधर ऐसे निकल गये हैं कि कोई पालने वाली टाबर को माथे पर लेकर जाती है तो टाबर की आंख फूट जाये। उस व्यवस्था में हमारे मुख्य मंत्रीजी और कलक्टर साहब ने शाहपुरा क्षेत्र में 1300 आदमी शुरू में लगाये। तेरह सौ आदमी केवल सड़कों पर लगाये और उनसे बबूल खुदवाये और उन खड्डों को भरवाया। पटरियों पर डेढ़-डेढ़ फुट के खड्डे थे, किनारे नीचे थे, उनको भरवाया। गाड़ियां उलटती थीं, यह हालत हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के राज में ये हालात करके गये हमारे शाहपुरा में।

सभापति महोदय, आदमी को मजदूरी पहले 40 रुपया थी उसको हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 50 और 60 से कम नहीं दी। समय के ऊपर भुगतान हुआ। एक हफ्ते में अगले मस्टररोल से पहले उसका भुगतान हो जाता था तो लोगों का काम अच्छा हुआ। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारा अकाल का समय अच्छा निकला।

सभापति महोदय, गांव की ओर प्रशासन के बारे में मेरे से पूर्व हफीज भाई ने सब बात बता दी। मैं निवेदन करूंगा कि किसान का खाता खुलवाना हो, चाहे बंटवारा कराना हो तो कम से कम 20-25 दिन घूमते रहना पड़ता था। वकील करना पड़ता, तब जाकर उसका फैसला होता। एक दिन में पांच सौ, छह सौ रुपये खर्च होते थे, कुल पांच-छह

(श्री देवीलाल बैरवा)

हजार रुपये पूरे होते तब एक खातेदारी के बंटवारे का फैसला होता था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम 18 विभाग के सारे अधिकारी 10 बजे कैम्प में तैयार हो जाते। चाहे मेडिकल का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे बंटवारे का काम हो, हर काम का मौके पर फैसला होता। एक दिन में तीस, पैंतीस बंटवारे हो जाते। एक दिन में 25–30 रजिस्ट्री मौके पर हो जाती। मूल निवास के एक दिन में दो-दो सौ कार्ड बने। जाति प्रमाण-पत्र एक दिन में दो सौ, तीन सौ बने। अन्यथा मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाये तो चार-पांच दिन लगते हैं। कोई दिन तहसीलदार नहीं मिलता, कोई दिन स्टाम्प वाले नहीं मिलते और दो सौ, रुपये खर्च होने पर एक प्रमाण-पत्र बनता जबकि ये मौके के ऊपर बने हैं। तीन-तीन पीढ़ी के खाते और दादा के नाम की खातेदारी पोतो के नाम से 7–7 साल से खुली हैं। काश्तकारों का यह काम बड़ी आसानी से हुआ है और लोग खुश हुये हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि क्या काम हुआ? काम नहीं हुआ? आंखें बन्द हैं? ये तो कभी भी नहीं करते थे, काश्तकार, मजदूर और किसानों का काम। इनका तो प्रश्न ही नहीं है।

आज की बात नहीं है, श्रीमती इन्दिराजी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण में इन्होंने कितने रोड़े अटकाये। बड़े-बड़े नेताओं ने कितने रोड़े अटकाये इसमें, पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इन्दिराजी ने किया। आज किसान को ट्रैक्टर मोटरें, पम्प खरीदने हों, जो भी काम हों, अपनी जमीन, गहने गिरवी रखकर उन बैंकों से लोन मिल जाता है। मोटर, ट्रैक्टर और डीजल पम्प सैट से कितने काम हुये हैं किसानों के? ये लोग किसानों के काम को पसंद नहीं करते हैं, ये लोग विरोध करते हैं। हमारे हफीज भाई कह रहे थे, दो दिन से ऊपर बैठने वाले भी देख रहे हैं कि इनकी तो भावना ही यही है। चाहे गांव हो, चाहे विधान सभा हो, चाहे पार्टी हो। विरोधी दल के नेता और कार्यकर्त्ता आज अच्छे सुझाव दें, अच्छे काम बताये तो उनका तो हुक्म चले, हम सभी मुख्य मंत्रीजी को कहें कि ये काम कराओ।

हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कितनी ही स्कूलें खोलीं, जैसा कि हफीज भाई ने बताया या क्रमोन्नत कीं। सैकण्डरी हायर सैकण्डरी की, मिडल को सैकण्डरी किया तो कम से कम एक हजार स्कूलें हुईं। ये बोल रहे थे, विरोध बहुत कर रहे थे, बजट में देख लो 9 साल में कितनी स्कूलें खोली हैं? वह बताओं कि हमने 9 साल में इतनी स्कूलें खोली और हम बतायें कि राजीव गांधी पाठशाला कम से कम तेरह हजार तो खोली ही हैं। बना भी दीं। एक स्कूल का कम से कम साढ़े तेरह लाख, तेरह लाख लगाकर पक्की कर दीं। पक्की करके 1200, 1300 आदमियों को उसमें मास्टर लगा दिया। यह काम नहीं हुआ?

(श्री देवीलाल बैरवा)

एक हजार स्कूलें सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी खोलीं और ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। आंखें बंद कर रखी हैं? सब काम हुआ है, पर इनका काम विरोध करना है इसलिये विरोध करते हैं।

रही बात पानी की। सभापति महोदय, "पानी से सब रंग हुआ और सब रंग पानी माय, उ रंग से पानी हुयो, उ रंग दरशे नाही। पानी एक अमृत, फर्ज करो भाई।" तो मैं हमारे मंत्रीजी रामसिंहजी को जिधर-जिधर भी नल योजना की स्वीकृतियां करायीं, इस मौके पर धन्यवाद देना चाहूंगा। इस क्षेत्र में उन्होंने चार योजनाएं स्वीकृत करायीं। घाटी की एक योजना ऐसी है जो मंत्री महोदय ठेठ भीलवाड़ा पानी ले जायें उसमें करोड़ों रुपये खर्च हों और रास्ते में जितने भी गांव हैं उनमें पानी की व्यवस्था हो जाये, उसके बारे में भी मैं धन्यवाद देता हूं।

हमारे मुख्य मंत्रीजी ने गरीबों के इलाज के लिये व्यवस्था की। जिनका घर वाले इलाज नहीं करवा सकें, नकद पैसा नहीं है तो रक्षा कोष से चाहे फेफड़े की खराबी हो, चाहे वाल्व की खराबी हो, उसमें लाख, डेढ़ लाख, दो लाख रुपये वह गरीब आदमी लगा ले। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से कितनों का इलाज हो गया। इतना ही नहीं, चाहे काश्तकार खेत में काम कर रहा है, चाहे मोटर दुर्घटना हो गयी है, मेरे क्षेत्र शाहपुरा में ऐसी घटना हुई जिसमें दस, पन्द्रह घटनाओं में मेरे अन्दाज से डेढ़ लाख रुपया घटना वाले गरीब आदमियों को दे दिया। यह व्यवस्था थोड़ी ही है? गरीब आदमी की दवा, गोली लेने के लिये पैसा नहीं है उनके चयन कार्ड बना दिये और आज वे बता रहे हैं कि जाते ही दवाई दे देते हैं। यह व्यवस्था कम है? यह तो गरीबों की सरकार है, काश्तकारों की सरकार है। परम्परा है कि देश में कभी भी व्यवस्था की है तो वह कांग्रेस पार्टी करती है।

सभापति महोदय, मैं भी पहले कांग्रेस के विरोध में था। ये तो केवल विरोध ही कर रहे हैं, मैंने दो चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं। पर मेरी अक्ल, मेरी आंखें उस समय खुलीं जब इन्दिराजी ने बैंकों का राष्ट्रीकरण किया। तीन समय रेडियो पर सुना, मेरे कान ठंडे हो गये। ओह, इन्दिराजी ने तो गरीबों को, काश्तकारों को कंधे पर बैठा दिया। लेकिन बैठाकर अपने ही लातों की देवें तो फिर अपने से बड़ा दोषी ही कोई नहीं है। यह बात सोचकर जितने भी हमारे कार्यकर्त्ता और अधिकारी थे उनको कह दिया कि मैं अपना वोट कांग्रेस को ही दूंगा, इस पार्टी में नहीं रहूंगा। उस वक्त में मैं दो बार चुनाव लड़ा, एक बार तो 350 वोटों से हारा और एक बार 400 के आसपास वोटों से हारा। इसी कांग्रेस के खिलाफ सुखाड़िया साहब ने 40 गाड़ियां लगा दी थीं, परन्तु मैं कांग्रेस पार्टी के काम को देख, भावना को देख पार्टी बदलकर कार्यकर्त्ताओं को कह दिया कि मैं मेरा वोट कांग्रेस को दूंगा। मैंने इस पार्टी को छोड़ दिया, इसमें नहीं रहा।

सभापति महोदय, हमारे वहां के मतदाता ने तीन बार ही जिता दिया, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। अब की बार गृह मंत्री जी हमारे सामने थे, आप सब

(श्री देवीलाल बैरवा)

जानते हो। मेरी 10 साल की पहले की सेवा थी, उस सेवा को देख कर मुझे जिता दिया। मैं सही कहता हूं कि काश्तकार इस बात को जानता है कि काम कौन करता है और कौन नहीं करता है। परन्तु बात यह है कि ये लोगों को भड़काते रहते हैं। हमारे काश्तकार भाई और तरीकों से नहीं भड़के तो धर्म के नाम पर, गंगाजल के नाम पर, चाहे ईंटों के नाम पर लोग थोड़ा भड़क जाते हैं। कांग्रेस ने देश में अच्छा काम किया है। जितनी भी बिजली लेकर आयी वह कांग्रेस लायी। सड़क बनायी तो कांग्रेस ने बनायी। खारी, मानसी, यमुना, गंगा, गोदावरी जितनी भी नदियां हैं उनमें नावों से ही चलना होता था। आज पुल बंध गये हैं। उनमें आज नीचे तो पानी बह रहा है और ऊपर साइकलें चल रही हैं। पानी के ऊपर होकर जाती हैं, चाहे मोटर पर हो, चाहे साइकल पर हो, चाहे मोटर साइकल में हो। पहले तो नाव की बाट देखनी होती थी। नाव जब आती थी तभी उतरना होता था। नदी में किसी के बैल बह जाते थे, किसी की गाड़ी बह जाती और कितने ही आदमी मर जाते। आज सब लोग सड़कों के ऊपर से जा रहे हैं, नीचे से पानी बह कर जा रहा है। यह देन किसकी है? यह कांग्रेस की देन है।

सभापति महोदय, एक बात और मेरे मन की कहूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक तो देश के अन्दर वनों की कटाई बहुत हो रही है। सरकार ने भी व्यवस्था कर रखी है कि वृक्षारोपण करो, अधिक से अधिक वन लगाओ, परन्तु वनों की कटाई ज्यादा है। मैं यह सोचता हूं कि जिस दिन देश में वन नहीं रहेंगे, सारे जीव बहुत दुःखी हो जायेंगे और जितने भी जीव हैं उनका पता नहीं लगेगा। सभापति महोदय, महापुरुष कह गये हैं कि "तरूवर, सरोवर, संतजन और चौथा बरसे मेह, कि परमार्थ के कारण ये चारों धरी देह।"

सभापति महोदय, मैं यह सोचता हूं कि ये जो वृक्ष हैं ये देवताओं के भी देवता हैं, डाक्टरों के भी डाक्टर हैं, महापुरुषों के भी महापुरुष हैं। वृक्षों की शक्ति हमसे ज्यादा है। हमारे में दो शक्ति हैं एक तो प्राणायिक और एक आवाज की। पेड़ों में तीन शक्तियां हैं एक शक्ति आकाश में हैं, एक शक्ति पृथ्वी पर है और एक शक्ति धरती में हैं। धरती में वह शक्ति देते भी हैं और शक्ति लेते भी हैं। आकाश से बरसात को पेड़ नीचे धरती में ले आते हैं। इस धरती पर कितनी ही गंदगी फैल रही हो, वे शुद्ध कर देते हैं।

सभापति महोदय, मैं आज वृक्षों की बात कर रहा हूं, वृक्षों में और हमारे में कितना फर्क है। हमारे में पांच तत्व हैं—जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है और पवन है और वृक्षों में एक ही तत्व नहीं है, पवन नहीं है। पवन तत्व नहीं होने से वृक्ष जड़ है और हम चेतन है। वृक्षों में 6 महीने पहले की चेतना होती है। हम 6 महीने पहले की नहीं कह

(श्री देवीलाल बैरवा)

सकते हैं। वृक्ष अपने पत्तों से कह देते हैं, वृक्ष अपने फलों से कह देते हैं, फूलों से कह देते हैं। वृक्ष देश में बीमारी आयेगी उसको कह देते हैं। वृक्षों की यह शक्ति है। वृक्षों की बात ऐसी है कि 36 रंग अपने में है और 36 ही रंग वृक्षों में हैं।

श्री परसादी लाल : अभिभाषण पर बोलो अभिभाषण पर।

श्री देवीलाल बैरवा : अभिभाषण तो है, परन्तु यह भी देश के लिये जरूरी है। यह अभिभाषण और बजट पीछे रह जायेंगे, इसलिये वृक्षों का ध्यान करो। यह सब व्यवस्था वृक्षों की ही है। 36 रंग हैं जिन्हें वृक्ष प्रकट करते हैं। लाल, पीला, काला, सफेद, केसरिया, हरा, गुलाल, नीला सब रंग प्रकट करते हैं। जितने भी वृक्ष हैं उनके अलग-अलग तो रंग हैं, अलग-अलग पत्ते हैं, अलग-अलग छपाई है। यह जितनी भी छपाई है कपड़ों पर, यह वृक्षों के पत्तों की है। यह कहां से आ गयी? ये पत्तों को देखकर छपाई कर रहे हैं अच्छी-अच्छी। यह पत्तों की बेस है। कोई भी बीमारी हो इसके पत्तों से मिट जाती है। कोई भी बीमारी इसकी छाल से मिट जाती है। कितनी ही बिमारियां इनकी जड़ों से मिट जाती हैं। कितनी ही बीमारियां इनके फलों से मिट जाती हैं। वृक्ष तो वह है कि रामचन्द्रजी 14 वर्ष वनवास में रहे, इनके फल खा करके जिन्दा रह गये। वृक्ष नहीं होते तो रामचन्द्रजी कैसे रहते? वृक्षों ने तो उनकी रक्षा की।

सभापति महोदय, आज जितनी भी आमदनी है वह गाय, भैंस और दूध की है और काश्तकारों के पास में इन वृक्षों की है। चाहे फल बेचे, चाहे कोई सब्जी वगैरह बेचे, वे कहां से आती हैं? वृक्ष अगर सूख भी जाते हैं तब भी काम आते हैं। विधान सभा में ये सब बने हुये हैं ये सब लकड़ी के हैं और सब बैंचे लकड़ी की ही हैं। जो आपने पक्के मकान बना रखे हैं वे फाटक, किवाड़, खिड़कियां सब लकड़ी की ही हैं। रेल भी लकड़ी की है जो एक कोने से दूसरे कोने में ले जा रही है। नाव लकड़ी की है जो समुद्र को पार कर रही है। जिस नाव पर आप जायेंगे वह भी आप लकड़ी की नाव पर ही जायेंगे। दूसरे किस पर जायेंगे? मैं तो यह सोचता हूं कि कोई भी आदमी ने इस जिन्दगी में अगर वृक्ष नहीं लगाया तो मनुष्य जीवन में आकर भी दुःख ही पाया। अन्त वक्त में तो 4-5 मन लकड़ी चाहिये, वह कहां से लायेंगे। वह लकड़ी दूसरे किस तरह से आयेंगी? वह तो लगायेंगे तभी आ पायेंगी। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसका मैं धन्यवाद देता हूं। हार्दिक बधाई देता हूं और मेरी बात समाप्त करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खां।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे के लिये बढ़ाया जाये।

श्री सभापति : सदन का समय आधा घंटे के लिये बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटे बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री अमीन खान (शिव) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक इस सदन में पधारकर जो अभिभाषण दिया, जिसका धन्यवाद प्रस्ताव बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य जोशीजी ने रखा उसका मैं समर्थन करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने राज्य को, कल्याणकारी सरकार को एक दिशा-निर्देश का अपने अभिभाषण में जिक्र किया। इसलिये हम महामहिम के शुक्रगुजार हैं और उनको धन्यवाद देते हैं।

सबसे पहले राजस्थान सरकार को और राजस्थान की पुलिस को मैं इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान राज्य में फिलहाल जो देश में एक जहरीला वातावरण बना है और हमारे पड़ोस के प्रान्त में बहुत ही अफसोस नाक इन्सानों की मौतें हुई हैं, उसका असर इस राज्य में होने नहीं दिया। आतंकवादी लोगों ने कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन राज्य सतर्क रहा, राज्य के गृह मंत्री सतर्क रहे और उनके पुलिस महकमे ने माकूल इन्तजाम किया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, गुजरात प्रान्त और अपना राज्य, कुल मिलाकर देश में मैं मानता हूं कि ऐसा प्रान्त है जहां हिन्दू और मुसलमान लोग, सभी जाति और धर्म के लोग अच्छे सलूक और अच्छे व्यवहार के लोग अमन चैन से पीढ़ियों से रहना पसन्द करते आये हैं। अभी तक भी मेरे ख्याल में देश में सभी प्रान्तों से राजस्थान के लोग अच्छे ख्यालात के लोग हैं, एक-दूसरे पर हमला करने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे पड़ोस में गुजरात प्रान्त है, उससे भी हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। गुजरात के लोग राजस्थान के लोगों से भी ज्यादा रहमी हैं, व्यावहारिक सोच के और भले इन्सान हैं। हमारे बाड़मेर, जैसलमेर जिले के अधिकांश लोगों का सिन्धी मुसलमानों का हमेशा गुजारे का धन्धा, गुजरात प्रान्त में हैं। जाहिल और कोई योग्यता न रखने वाले आदमी हजारों लाखों रुपयों का उधार यहां से ले जाकर गुजरात में बेचकर माल लाते और उनको 10 साल के बाद भी कोई पैसा मांगने के लिये लोग गये तो राजस्थान के बाड़मेर जिले के सिन्धी मुसलमान को वहां के लोगों ने मना नहीं किया, पाई-पैसे से चुकारा किया। इतने नेक इन्सान इस

(श्री अमीन खान)

गुजरात में थे, जो अपने प्रान्त से भी हमारे ख्याल में कुछ अर्से पहले अच्छा था। लेकिन अब वहां जिस तरह का वातावरण है? अपने पड़ोस में है, वह देखकर उसकी कहानी अच्छा इन्सान अपने मुंह से जिक्र करना भी खराब बात महसूस करता है और बहुत अफसोस की बात है।

राज करने के लिये, हुकूमत करने के लिए जुल्म के इरादे को दिमाग में सोचना एक बहुत बुरी बात है। आप और हम जानते हैं जिन-जिन हुकूमतों ने जो आपने इस देश में या दूसरे प्रदेशों में रही हैं, उस वक्त में इन्सानी उसूल के खुदाई हुक्म के खिलाफ अपनी हुकूमत की, फख्र के साथ जुल्म किये उन हुकूमतों का बहुत बुरा हश्र हुआ, उनका नाश हुआ। उन हुकूमत करने वाले लोगों का आज इस मुल्क की धरती पर नामोनिशान नहीं है, उनके कुटुम्ब का कोई आदमी एक भी नहीं रहता है। इसकी वजह है कि कोई अपनी ताकत से अपन ने गायब नहीं किया है, यह कुदरत का खेल है, कुदरत का हमेशा राज है कि जहां राज जुल्म करेगा उसका नाश अगर कोई इन्सान नहीं कर सकता है तो कुदरत अवश्य करेगी और उसका नाश कुदरत करके छोड़ेगी।

सभापति महोदय, अफसोसजनक है कि क्या राज्य है जहां एक आई.जी. लेवल का आदमी, कोई उसका नौकर-ड्राइवर कार में भागकर अपनी जान बचाता है। गुजरात हाई कोर्ट के जज अपना घर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए कहीं जाकर शरण लेते हैं। जब हाई कोर्ट के जज और पुलिस महकमे का आई.जी. जो पब्लिक के जानमाल की हिफाजत करता है, उसको भी बचने के लिए चोर की तरह से भागकर निकलना पड़ता है तो इससे साफ जाहिर मामला है कि राज्य में कानून नाम की चीज नहीं थी। अपने पड़ोस में सांचौर में सैकड़ों आदमी पनाह लिये हुये थे। सांचौर के हिन्दू लोगों ने वहां के लोगों की अच्छी मदद की, वहां के लोगों की हिफाजत की। वहां के कुछ लोग वापस बुलाने आये लेकिन वहां के लोगों ने कहा कि जब तक वहां का कोइ जिला कलक्टर या एस.पी. इनकी जानमाल की गारंटी के लिये नहीं आयेगा तब तक हम लोग इन लोगों को वापस आपको नहीं देंगे। इस तरह का वातावरण हमें डर था कि हमारे राज्य में भी हो सकता था। लेकिन यहां की जनता भली है, हर जाति की और यहां का प्रशासन काबिले तारीफ है जो राजस्थान की नाक ऊंची रखी। जिसके लिये मैं राजस्थान के गृह मंत्री, मुख्य मंत्री और यहां की पुलिस को धन्यवाद देता हूं।

इसके साथ ही महामहिम ने राज्य का जो लेखा-जोखा हमारे सामने रखा सदन में, वह काबिले तारीफ है। हमारा जिला रेगिस्तानी और सीमावर्ती है, इन जिलों में पढ़ाई का स्तर आज से पूर्व बहुत नीचा रहा है। राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं को 18 हजार के करीब खोला। राजस्थान की ढाणी वाले

(श्री अमीन खान)

उन लोगों को जो किसी स्कूल में नहीं जा सकते, पानी से पीड़ित, चाहे रोजगार से पीड़ित, चाहे ग्वालों के बच्चे होने के कारण, आज तक स्कूलों में नहीं जा सके, कोई 18 हजार पाठशालाएं खोलने से लाखों बच्चे स्कूल में दाखिल हुये। इसलिये हमारे जैसा जिला जो पिछड़ा हुआ, सबसे नीचा हिन्दुस्तान में साक्षरता में था, वह भी करीब 61 प्रतिशत साक्षरता में आ गया। इसके लिये राज्य धन्यवाद का पात्र है।

इसके साथ पीने के पानी का जहां तक मामला है, रेगिस्तानी इलाका होने से जलप्रदाय योजनाएं काफी तादाद में जितनी जहां आवश्यकता थी, विभाग के इन्जीनियरों से सर्वे करके उसके अन्दर योजनाएं बनाईं। राज्य स्तर पर जितनी भी योजनाएं आयीं उनमें अधिकांश योजनाएं राज्य के मंत्री ने स्वीकार करने में कोई कसर नहीं रखी। इसलिये मैं जलदाय विभाग के मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। बाड़मेर जिला हैडक्वार्टर जहां पब्लिक तो करीब 80 हजार है लेकिन इसके साथ हमारी फौज का लोड पब्लिक के बराबर है और सीमावर्ती जिला होने के कारण वहां फौज का पानी अन्य लोग नहीं जानते हैं मगर उतने का उतना पानी फौज के लिये जरूरी है। इसके लिये मोहनगढ़ लिफ्ट योजना का भी प्रस्ताव मंजूर किया जा रहा है जिसके लिये भी मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पर सरकार से इसके साथ ही चाहूंगा कि सीमावर्ती जिला, पानी से पीड़ित जिला और देश की रक्षा के मामले में फौज का लिहाज रखते हुये इमरजेंसी तौर पर योजना को जल्दी अमली जामा पहनाने का प्रयास युद्धस्तर पर किया जाना चाहिये।

अकाल के अन्दर जितने भी राहत कार्य खोले गये, किसी भी पार्टी के कार्यकर्त्ता को, किसी भी जाति के लोगों को, इन दो सालों में शिकायत का मौका नहीं मिला। यह मैंने पहली बार देखा है कि राजस्थान में अकाल राहत कार्यों में पेमेंट मस्टररोल हाजरी खतम होने के 10 दिन के अन्दर हुआ। एक बहुत अच्छी बात है। भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत कम सुनने में आयीं क्योंकि अकाल में 17-17, 18-18 लाख लोगों के मस्टर रोल में लाखों कर्मचारी लिप्त होते हैं और इतने बड़े अमले पर भ्रष्टाचार पर काबू पाना सरकार के लिये बहुत काबिले तारीफ बात है। पेमेंट में भी सरकार ने गरीब आदमी को बचाने के लिये बहुत गहराई से ध्यान रखा। मिनिमम 50 रुपये उनको राहत के रूप में मिले। (व्यवधान) 60 तो रेट थी लेकिन टास्क बेसिस के ऊपर भी औसतन 50 रुपये से कम पेमेंट नहीं हुआ। यह भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही गांवों में अकाल राहत कार्यों के तहत सदियों से पुरानी नालियां जो मिट्टी से भरी हुई पड़ी थीं, उन नालियों की सफाई की गयी, वहां तालाब बनाये गये, बेरियां बनायीं गयी, सामुदायिक सभा भवन तैयार हुये। राजीव गांधी पाठशालाएं तैयार हुईं, कई औषधालय तैयार हुये, हजारों सब सेन्टर इसमें तैयार हुये। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि

(श्री अमीन खान)

गांवों में विकास की इकाइयां जाहिरी हर जगह होने को दिखीं, उससे लोगों को राहत मिली।

(17.00 बजे)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, आसन और माननीय सदस्य के बीच में न आयें।

श्री अमीन खान : इसके साथ लोगों को भी अकाल की पीड़ा महसूस नहीं हुई, इसलिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी नहर में हमारे जिले के और दूसरे पड़ोसी जिले के कई किसानों ने विशेष आबंटन भूमि का कराया था, जिसकी अकाल की वजह से और दो साल नहर में पानी नहीं आने की वजह से लोगों को किस्तें भरना मुश्किल हो गया था और उनकी भूमि खारिज की जा रही थी। हमारे बाड़मेर, जैसलमेर जिले के जन-प्रतिनिधियों ने मुख्य मंत्रीजी से और सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन किया। इन्होंने सहर्ष उस निवेदन को सिद्धान्त रूप से माना जिसके ऊपर करीब 28 करोड़ रुपये गरीब किसानों का ब्याज माफ कर दिया गया और पांच के स्थान पर आठ किस्तें की गईं जिससे किसानों को बहुत ज्यादा राहत मिली। इसलिये भी सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं।

कदीम से रहने वाले रेगिस्तानी आठ जिलों के किसान जिनके पास आज तक एक ईंच भूमि भी नहीं थी, पिछले 25–30 सालों से इस भूमि पर आबंटन का बन्दोबस्त था। राज्य सरकार ने यह बंदिश खोलकर लाखों भूमिहीन गरीब आदमियों को भूमि देने का आदेश प्रसारित किया उससे लोगों को जमीन मिलना शुरू हो गया। हमारे लिये यह एक हर्ष का विषय है, इसलिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

कई ऐसे किसान थे जो सालों साल तहसीलदार, पटवारी को एक जागीरदार के रूप में मानकर जिस तरह से कूंते देते थे, इस तरह से धारा 91 का जुर्माना अदा करते थे। रिश्वत के तौर पर, मजबूरन और कोई जमीन नहीं थी, वो पैसा बांट देते थे। उसके बाद में किसान के मामूली पैसे बचते थे। उन भूमिहीन किसानों को नियमन करने के ऊपर भी पाबंदी खोली जिससे लाखों आदमी जमीन के मालिक बन गये, इसलिये सरकार को धन्यवाद।

'प्रशासन गांवों के संग' राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिन से शुरू करके 10 जनवरी, 2002 तक चलाया गया। हमने इसमें पूरी दिलचस्पी से भाग लिया। गांव के आम मजमे के अन्दर करीब 17–18 महकमों के सरकारी कर्मचारी मौजूद होते, हर पंचायत हैडक्वार्टर पर कम से कम 500 से लेकर हजार–हजार लोगों के मजमे के सामने आम शिकायतें लोगों की सुनी गईं और उन शिकायतों में हर पंचायत में सैकड़ों की तादाद में लोगों के पैंडिंग कामों को निपटाया गया। इतने काम निपटाने से मैं महसूस करता हूं कि एक अच्छा काम ही नहीं बल्कि लोगों को

(श्री अमीन खान)

राज की प्रक्रिया, राज के कानून-कायदे और राज में और जन-प्रतिनिधियों में व सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच में क्या-क्या अधिकार हैं और क्या-क्या किसके कर्तव्य हैं वो इन मजमों से लोगों को एक ट्रेनिंग के रूप में मिला। आने वाले समय में लोग जागरुक हुये और प्रशासन गांवों के संग में करीब 66 लाख लोगों को किसी-न-किसी रूप में राहत मिली। यह कोई मामूली बात नहीं है, बहुत अच्छा कदम है और इसकी जितनी ज्यादा सराहना की जाये उतनी ही कम है।

इसी प्रकार प्रशासन शहरों के संग जो 26 जनवरी से चला कर 28 फरवरी तक चलाया गया, इसमें भी करीब 12 लाख लोगों के कार्य हुये। यह भी एक अच्छा कार्य है।

विद्युत क्षेत्र में हमारा बाड़मेर और जैसलमेर जिला सबसे पीछे रहा है। आज के पूर्व इन जिलों को अथोरिटी में बहुत पीछे रखा गया। सबसे ज्यादा अनकमीशंड गांव जो विद्युत क्षेत्र में हैं, वे जैसलमेर और बाड़मेर जिले के ही हैं। इन तीन सालों में विद्युत विभाग ने इन जिलों में भी विद्युत को बढ़ावा देने में वास्तव में कोई कसर नहीं रखी और दिलचस्पी से बहुत अच्छे कदम उठाये। दो-तीन 132 के.वी.ए. के जी.एस.एस. बनाये गये जिसमें करोड़ों रुपये खर्च हुये, उससे लोगों को लाभ हुआ और 33 के.वी.ए. के करीब 40-42 जी.एस.एस. बनाये जा रहे हैं। उनमें कम से कम 33 जी.एस.एस. तो तैयार भी हो गये जिससे आगे आने वाले समय में वोल्टेज की शिकायतें कम हो जायेंगी। वहां के लोगों को अब विश्वास हो गया कि हम भी विद्युत में कभी पीछे नहीं रहेंगे। इसलिये मैं विद्युत मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, अब मैं मेरे दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। हमारी सीमा पर वैसे तो लगातार सीमा की वजह से सुरक्षा ऐजेंसियों की एक्टिविटीज होती रहती हैं, लेकिन पिछले दिसम्बर माह से बहुत भारी तादाद में सीमा पर फौज तैयार है। यह जरूरी भी है, लेकिन उनके पीने के पानी के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। वह व्यवस्था पब्लिक की जो रैगुलर पानी की स्कीमें बनायी गयी हैं और पब्लिक की पोपुलेशन हर स्कीम में जिस तरह से डिजाइन की गई है उसी पानी में से फौज को पानी दिया जाता है जिससे पब्लिक को पानी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि यहां के लोग अच्छे हैं, शिकायत करना भी बुरी बात मानते हैं। इतने दिन सर्दी का समय था इसलिये आराम से वक्त गुजर गया, लेकिन आने वाले टाइम में हमारा सुझाव है कि सीमा पर जहां भू-जल मौजूद है ऐसे गांवों में कम से कम 10 जगह आर्मी के लिये स्पेशल ट्यूबवैल बनाये जाये और उस जगह आर्मी के लिये पानी के टैंकर भराये जाये ताकि पब्लिक की स्कीम डिस्टर्ब नहीं हो और दोनों आराम से रह सके।

(श्री अमीन खान)

इसके साथ ही आर्मी की वजह से हमारे दो नौजवान खेत में अपने जानवर देखने गये थे वे बारूदी सुरंग से खतम हो गये। जिला कलक्टर ने 10 हजार रुपये मात्र जरूर दिये हैं, लेकिन उनको भी कम से कम दूसरों की तरह एक-एक लाख रुपया, चाहे भारत सरकार या राज्य सरकार मुआवजा दे। सीमा पर कई किसानों के खेत ऐसे हैं जो आने वाली खरीफ की फसल के बोने के टाइम किसान काश्त नहीं कर पायेंगे क्योंकि उनमें इतनी बड़ी खाई और खड्डे हो गये हैं जिनमें न तो बैल का हल चलेगा, न ऊंट का हल चलेगा, न ट्रैक्टर का हल चलेगा। जिससे ये किसान खरीफ की खेती से वंचित रह सकते हैं। इसलिये उन खेती वालों का रेवेन्यू डिपार्टमैंट से एक सर्वे कराया जाये और उस सर्वे के माफिक ऐसे किसानों को मुआवजा या गुजारे के लिये सरकार को माकूल और जल्दी इंतजाम करने चाहिये।

इसी प्रकार हमारे सीमावर्ती गांवों की ऐसी कई सड़कें हैं जो भारी टैंकर और टैंकों की वजह से नष्ट हो चुकी हैं। उन सड़कों की रिपेयर के लिये राज्य सरकार भारत सरकार से मुआवजा लेकर किसी भी हालत में उन सड़कों की रिपेयर जल्द से जल्द करें ताकि लोगों को और फौज को आने वाले समय में असुविधा नहीं पैदा हो।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि सीमा पर एक डैजर्ट नेशनल पार्क है, उस डैजर्ट नेशनल पार्क का इन्होंने आंख मींचकर ऐसा नक्शा बना दिया है कि इन्दिरा गांधी नहर का सैकण्ड फैज की आखिरी उप शाखा जो गडरा रोड जायेगी, जिसमें 6 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित किये जाने का प्रावधान रखा है, उस भूमि में इन्होंने डैजर्ट नेशनल पार्क बना दिया है। जब इन्दिरा गांधी नहर जायेगी तो वह डैजर्ट नेशनल पार्क कैसा रहेगा? इसी के पडौस में जैसलमेर जिले में भूमि पड़ी है जिसका कोई एतराज किसी को नहीं है, उस भूमि को डैजर्ट नेशनल पार्क में ले लिया जाये तो अच्छा रहेगा। यही बात कह कर मैं राज्यपाल महोदय ने जो कृपापूर्वक इस सदन में पधारकर अभिभाषण दिया और जिसका धन्यवाद प्रस्ताव माननीय बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं, जयहिंद।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूपजी मीणा, समय का ध्यान रखें।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) **:** अभी तो बोला ही नहीं मैं, साहब। कल तो आपने दो घंटे दे दिये, आज बोला ही नहीं उससे पहले ही सदन में पाबंदी लगा दी आपने।

श्री सभापति : वह तो आगे की बात है पर समय का ध्यान रखें।

श्री रामस्वरूप : अच्छा, साहब, धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा : मेरा टाइम भी इनको दे दो।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय जोशीजी ने रखा था, आज मैं उसी के समर्थन में बोल रहा हूं।

सबसे पहले राज्यपाल महोदय ने जो शुरूआत की थी अभिभाषण की, उसमें बहुत ही गम्भीर और बड़े ही दुःख की बातें बोली थीं। उन्होंने कहा था कि आज सारा हिन्दुस्तान आतंकवाद से जूझ रहा है। इस आतंकवाद से जूझते समय में राजस्थान में भी साम्प्रदायिकता फैलायी जा रही है यह बात माननीय राज्यपाल महोदय ने यहां पर जब कही थी तो लोगों के उस समय आंसू आ रहे थे क्योंकि भारत मां जिसमें हम पैदा हुये हैं, आज भारत मां पर संकट है, आज देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, चारों तरफ आतंकवाद फैला हुआ है। हिन्दुस्तान की संसद पर आतंकवादियों के द्वारा आक्रमण हो जाये। हिन्दुस्तान के माननीय प्रधान मंत्रीजी, हमारे राष्ट्रपतिजी और सारे सांसद महोदय जहां विराजमान हों उसके ऊपर आक्रमण हो जाये। माननीय सभापति महोदय, आक्रमण ही नहीं उसके अन्दर लोग मारे भी गये थे। मैं तो इस बात के लिये उस वीर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं, उस राजस्थान के सपूत को धन्यवाद देना चाहता हूं, जगदीश को, जिसने सारी संसद व सारे देश की इज्जत को बचाया था। आतंकवाद से रक्षा अगर नहीं करता राजस्थान का वह वीर, जो आज हालात कुछ और ही होते।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप अपनी वाणी थोड़ी धीरे नहीं कर सकते क्या? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप कृपया उधर जा बैठो।

श्री संयम लोढ़ा : आप इनको डिसक्रेज मत करो, हमारे माननीय सदस्य बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : एक बैठी हैं जो भी प्राणों को खा रही है, क्या करें? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वाणी लो करने को कह रही हूं, कब कह रही हूं न बोलें? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, यह आतंकवाद पर बोल रहे हैं तो आतंकवाद पर तो जोर से ही बोलना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप थोड़ा लो कर लें। (व्यवधान) वाणी थोड़ी धीरे कर लें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अपने हृदय की पीड़ा बता रहे हैं, हृदय की पीड़ा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप शांत रहें, थोड़ी आवाज ही बुलन्द हैं तो आप भी क्या करो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इनके कान में सीसा नहीं घुल जाये तब तक आतंकवाद क्या हुआ?

श्री संयम लोढ़ा : बाहर बैठे हैं उनको सुना रहे हैं अभी तो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे दिल की पीड़ा नहीं, सारे हिन्दुस्तान की पीड़ा को आपके सामने रख रहा हूं। आज सारा हिन्दुस्तान जल रहा है इस आतंकवाद की आग में। अगर राजस्थान में हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत नहीं होते तो आज राजस्थान की भी वही हालत होती जो गुजरात के अन्दर हुई थी। एक तरफ देश आतंकवाद से लड़ रहा हो, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हों, देश की संसद सुरक्षित नहीं हो, कश्मीर की विधान सभा सुरक्षित नहीं हों, जिस देश का प्रधानमंत्री यह कहे कि लोग मुझे जिन्दाबाद कहते हैं, मैं तो कहता हूं ऐसे जिन्दाबाद के नारे लगाने से क्या फायदा है, इससे तो मेरा मर जाना भी अच्छा है। मैं तो कहता हूं जीते जी वह शर्म के मारे मर ही गये लेकिन इनको शर्म नहीं आयी। जो लोग आज हमारे सदन में भी बैठे हुये हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज वह यहां बैठे हुये होते तो बड़ी खुशी की बात होती। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो कार्य राजस्थान के अन्दर किये हैं उनकी इसमें सारी बातें बतायी हैं। गुजरात में अभी आग लगायी थी, साम्प्रदायिक दंगा गुजरात में अभी फैलाया गया था। देश की साबरमती वह ट्रेन, वह साबरमती, हमारे गांधीजी का जो साबरमती आश्रम था, उनके नाम से साबरमती जो ट्रेन थी, आज गांधीजी की आंखों में आंसू आ रहे होंगे। सोच रहे होंगे, आज मेरी इस साबरमती को क्या हो गया जिसमें हमारे हिन्दू और मुसलमान भाइयों को लड़ाकर आग लगा दी गयी है। वह साबरमती की घटना जो गुजरात में हुई थी....(व्यवधान) देश की साम्प्रदायिक शक्तियां आपके सामने मौजूद हैं, देख लो बौखला रहे हैं। जय जयकार मना रहे हैं। वे आज गुजरात की घटनाओं के ऊपर जय जयकार मना रहे हैं लेकिन मैं कहते हुये रुकूंगा नहीं, चाहे वे कुछ भी कहें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गुजरात के अन्दर जो घटनाएं घटीं, उस के अन्दर लाखों लोगों को मरवाया गया था। गुजरात में जो लोग राजस्थान के मारे गये थे, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनको एक लाख रुपये नकद देकर सहायता दी है। एक लाख की नकद सहायता उनको दी गयी थी जो राजस्थान के सपूत वहां मारे गये थे। यही नहीं किया था, वहां के जो लोग भागकर राजस्थान आये थे, जो बाल-बच्चे बच गये थे....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बाहर से नारे नहीं लगाये, आप बाहर जायें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप चालू रखें।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, चाहे ये कुछ भी कहें, चाहे ये कितना ही भड़कें, आज उनको सुन नहीं सकते ये।

(श्री रामस्वरूप)

यह देश के भारत मां के +++ हैं, भारत मां के सपूतों को मरवाया निर्दोषों को, यह मां इनको बख्शेगी नहीं। गुजरात की घटना को अगर आज ऐसे लोकप्रिय मुख्य मंत्री नहीं होते, ऐसे साहस वाले मुख्य मंत्री नहीं होते, ऐसे हमारे प्रदेश के अच्छे मुख्य मंत्री नहीं होते माननीय गहलोतजी जैसे तो राजस्थान की यही हालत ये करके छोड़ते। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान की आन-बान और शान आपने बचायी है। आज राजस्थान हिन्दुस्तान के अग्रणी राज्यों में से एक हैं, उसी का कारण हैं कि हम सुख और शांति से बैठे हुये हैं। लेकिन इनसे सुख-शांति देखी नहीं जाती है। ये दूसरे लोगों को देखकर भी.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप चालू रखें, माननीय सदस्य, चालू रखें।

श्री रामस्वरूप : मुझे तो मंत्री बना रहे हैं।

श्री सभापति : आपकी आवाज तो बहुत तेज हैं, आप चालू रखें।

श्री सुमित्रा सिंह : मंत्री बना रहे हैं इनको।

श्री सभापति : इनकी आवाज तेज हैं, आप चालू रखें। (व्यवधान)

श्रीमती मधु दाधीच : ऐसी बात कर रहे हैं वे चुप नहीं होंगे क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्री बना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे विपक्ष में बैठने वाले सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनको मेरी बातें कितनी पसंद आयी हैं कि वे भी तारीफ कर रहे हैं। एक दिन हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी पूछ रहे थे, ये सारे लोग मिलकर तेरे लिए क्यों कहते हैं मंत्री बनाने की। तो मैंने कहा, माननीय मुख्य मंत्रीजी, बेरी राम बड़ाई करी। रामजी की जो बेरी भी बड़ाई करते थे, बेरी राम बड़ाई करी। अच्छे कार्य की तारीफ विरोधी करें तो मजा है। आज वह हमारी जो तारीफ कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी की तारीफ हो रही है। राजस्थान की जनता आज खुशहाल है, अमन-चैन से हैं, सुख और शांति की नींद सो रही है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी की देन हैं। गुजरात के लोगों को भोजन दिया। जिन्होंने आकर शरण ली राजस्थान के अन्दर, उनको भोजन भी दिया, भवन भी दिया और उनको पानी भी पिलाया। यह हमारी सुरक्षा करने की सदियों से नीति रही हैं भारत की। जो दुःखी हो उसको हम शरण दें, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वह किया।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के अन्दर इतने कार्य हुये हैं जिनको अगर मैं तीन घंटे तक भी गिनाऊं तो वे पूरे नहीं हो सकते। लेकिन आपने समय मुझे थोड़ा दिया है, कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यों को मैं आपको गिनाना चाहता हूं। राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्रीजी, सबसे पहले शिक्षा होती है, अगर हमारी शिक्षा है तो सब कुछ है। जिस देश की बहन पढ़ी हुई है, जिस देश का भाई पढ़ा हुआ हो वह देश निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। इसी बात को लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय जोशीजी ने राजस्थान के अन्दर

(17.19 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

राजीव गांधी पाठशालाएं खोली थीं। 18 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं गांव और ढाणी के उस हिस्से में जिसमें कोई पढ़ने के लिये नहीं जाता था, जहां पढ़ने के लिये कोई सुविधा नहीं थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज देश का वह ढाणी में बैठने वाला किसान आज देश का वह गरीब राजीव गांधी पाठशाला में बैठकर अपनी शिक्षा अध्ययन कर रहा है। इसके साथ-साथ शिक्षकों की नियुक्ति भी करायी। जितने लोग बेरोजगार थे, जो बेचारे आठवीं पास, दसवीं पास गांवों में बैठे हुये थे, जिनका कोई रोजगार नहीं था, ऐसे लोगों को उसके अन्दर लगाया। खाली लगाया ही नहीं, अगर राजस्थान में चुनाव में हड़ताल हुयी थी और राजस्थान के चुनाव में अगर सफल किसी ने पंचायतों के कराये तो यही राजीव गांधी पाठशाला के वीर थे जिन्होंने शिक्षा दी थी। यही वे लोग थे, वो शिक्षक थे जिन्होंने राजस्थान के अन्दर शिक्षकों की हड़ताल को फेल किया था। माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि निष्पक्ष राजस्थान में चुनाव करवाये थे और राजस्थान में कांग्रेस का सारा गांव प्रशासन में बना।

श्री हरीसिंह (महुवा) : कब हुये थे चुनाव?

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के साथ-साथ एक हजार सैकण्डरी और सीनियर स्कूलों को क्रमोन्नत इन्होंने करवाया था। इस प्रकार शिक्षा के अन्दर जो विकास हुआ, हमारा जो राजस्थान था.....

श्री राजेन्द्र पारीक : मीणा समाज में आपकी बढ़ती हुयी प्रतिष्ठा से माननीय मंत्री महोदय कुछ नाखुश नजर आ रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : हमारा जो राजस्थान है उसकी शिक्षा में सारे हिन्दुस्तान में सातवें नम्बर पर गिनती हुआ करती थी। लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी की मेहरबानी से, माननीय शिक्षा मंत्रीजी के प्रयासों से हमारा राजस्थान हिन्दुस्तान में प्रथम नम्बर पर आ गया। शिक्षा के अन्दर प्रथम नम्बर प्राप्त कर लिया है, बहुत

(श्री रामस्वरूप)

बड़ी उपलब्धि शिक्षा के जगत में यह हुई है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में यह आपसे निवेदन कर रहा था।

दूसरा, मैं आपसे निवदेन करूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के अन्दर गरीब की मदद की है। राजस्थान का वह गरीब जो कभी बीमार हो जाता था, जिसका कभी कोई हार्ट का वाल्व खराब हो जाता था या कोई कैंसर हो जाता या कोई बड़ी बीमारी हो जाती थी, तो एक लाख रुपये, दो लाख रुपये लग जाते थे, तीन लाख रुपये लग जाते थे तो वह गरीब तो मर ही जाता था, कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसकी सहायता के लिये योजना बनायी। वह हमारा पिछड़ा गरीब जो चयनित परिवार में आता है, आज उसको एक लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये क्यों नहीं लगें, वह मुख्य मंत्री कोष से दिया जाता है। उस गरीब की दुआएं हैं। आज उसी का परिणाम है कि उस गरीब की आत्मा दुआ दे रही है और राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी निष्कंटक होकर राज कर रहे हैं। यह उस गरीब की दुआएं हैं, उस गरीब की मेहरबानी है जो सारी समस्याएं सामने से कदम पर कदम हटती जा रही हैं, कोई उनको चुनौती देने वाला नहीं है। आज विपक्ष के पास एक भी शब्द बोलने के लिये नहीं है, क्या कहें राजस्थान में? क्या कमी निकालें मुख्य मंत्री जी में? कोई कमी नजर ही नहीं आती है। सारी बातें, +++ पिछला हो रहा है। वर्तमान में कोई किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आती है।

श्री राजेन्द्र पारीक : कमी एक ही है कि आपको मंत्री नहीं बनाया।

श्री रामस्वरूप : चाहे मैं मंत्री बनूं या न बनूं, चाहे मुझे मंत्री बनाये या नहीं बनायें, लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री आज जिस कार्य को कर रहे हैं, हमारा सबका सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। आज राजस्थान की जनता में हमारी पार्टी की वो इमेज बनी है...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्रीजी नहीं सुन रहे हैं आपका भाषण, बाकी सब ठीक है।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके भाषण को सुनने के लिये पूरी प्रेस को बाध्य होकर आपके बीच में आना पड़ा।

श्री महेश जोशी : सुन रहे हैं, अपने चैम्बर में बैठकर सब सुन रहे हैं वह।

श्री रामस्वरूप : मेरी आवाज चाहे मुख्य मंत्रीजी सुनें या नहीं सुनें लेकिन ऊपर वाला तो सुन रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलें, मुख्य मंत्री सुन रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, मैं अपनी आवाज को बोल

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

रहा हूं। मैं उस सत्यता को बोल रहा हूं जो राजस्थान की जनता जानती है। आज उसी सत्यता का परिणाम है कि 33 आकर यहां बैठे हुये हैं। आप कहते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है, पिछली बार जब मैं विपक्ष में था...

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य के भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : ये समाप्त कर देंगे साढ़े पांच बजे तक, आप काहे को बढ़ाते हो? उनको मालूम हैं।

श्री रामस्वरूप : मैं जल्दी कर दूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : समय की सीमा तो कहिये, एक घंटा बोलेंगे ये तो।

श्री उपाध्यक्ष : विराजे, विराजे। साढ़े पांच बजे समाप्त कर देंगे।

डा. के. सी. चौधरी : शैलेन्द्र जी तीन घंटे बोले, आप 6 घंटे बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। 6 मिनट और हैं, आप बोल लो।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कह रहा हूं, इसके ऊपर तो मोहर राजस्थान की जनता ने भी लगा दी है। जो अभी अजमेर में चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अन्तर्गत सारे हिन्दुस्तान के अन्दर एक ही आवाज थी कि अगर राजस्थान की सरकार अच्छे कार्य कर रही होगी तो अजमेर में जीत जायेगी और अगर उसने अच्छे काम नहीं किये होंगे तो अजमेर में हार जायेगी। आज अजमेर की जनता ने यह दिखला दिया है कि हिन्दुस्तान में कहीं भी अच्छी सरकार चल रही है तो वह राजस्थान के अन्दर चल रही है। उसी का परिणाम है कि राजस्थान के हमारे जीतकर जो माननीय सदस्य आये हैं उससे तो हमारे विपक्षियों के हौसले बिलकुल ही गिर चुके हैं, बौखला गये हैं वे। इसलिये मैं निवेदन करना चाह रहा था कि राजस्थान में जो कार्य हो रहे हैं उसके ऊपर अजमेर के अन्दर मोहर लगायी गयी है, यह विकास कार्यों की मोहर है।

इसके साथ बिजली के बारे में निवेदन करूं। राजस्थान में बिजली की हालत खराब थी। 9 साल तक हम भी विपक्ष में बैठे थे और विपक्ष में बैठने के बाद में सबसे ज्यादा कहीं आन्दोलन होते थे तो बिजली के आन्दोलन हुआ करते थे। हमने भी इस सदन के अन्दर कभी धरने दिये तो इस बिजली को लेकर धरने दिये थे। मैं याद दिलाता हूं उस समय की....

श्री राजेन्द्र पारीक : 50 धरने दिये थे।

श्री रामस्वरूप : 50 धरने दिये थे। जिस समय मैं बिजली के ऊपर बोल रहा था, राजस्थान के इसी पवित्र सदन में मुझे रोका गया था। (व्यवधान) मैं उसी पर

(श्री रामस्वरूप)

आ रहा हूं। उस समय हम बोले तो हमको बोलने से रोका गया था। आज कोई नहीं रोकता है, सबको छूट है बोलने की, लेकिन हमको रोका गया था। संघर्ष हुआ विधान सभा में, मैं किसान का बेटा होकर किसान की लड़ाई लड़ी चाहे टांग टूटी लेकिन चुनाव के अन्दर जनता ने इनकी टांग तोड़ दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबकी जमानत जब्त। टोडाभीम के अन्दर सबकी जमानत जब्त हुई है और 39700 वोटों से जिताया जनता ने मुझे, 39700 वोटों से। यह परिणाम था उसी का जो हमने आकर जनता की आवाज को यहां उठाया था और उसके परिणाम जनता ने दिये थे। आज हमारी सरकार बिजली के ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रही है। बिजली के कितने ट्रांसफार्मर लगाये, यह आपको पता है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 400 के.वी. का एक ही था राजस्थान में जिसे बढ़ाकर तीन और खोल दिये। (व्यवधान) 400 के तीन और खोले। ऐसा ही नहीं है कि खाली 400 का ही किया हो। इसके साथ-साथ 132 के 10 खोले, 220 के 10 खोले और 33 के.वी. के 84 ट्रांसफार्मर हमारे यहां खोले गये हैं। ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि हमारे राजस्थान के अन्दर बिजली में हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। अगले साल हमको कहीं से बिजली नहीं लेनी पड़ेगी।

मैं मेरे क्षेत्र की बात निवेदन करता हूं, मेरे क्षेत्र के अन्दर 33 के.वी. के ट्रांसफार्मर माननीय विद्युत मंत्रीजी वहां पधारे थे, खोले गये। 132 का काम दिन-रात चल रहा है। बिजली की तरक्की लगातार राजस्थान के अन्दर होती चली जा रही है। देश के किसानों ने 8 घंटे बिजली ली है। किसान अमन-चैन में है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसान की जान बिजली में थी, बिजली देकर किसान की जान को बचाया है। यह मैं आंकड़े बता रहा हूं, कोरी बात नहीं है, 400 के तीन खोल देना, 132 के, 33 के.वी. के और सूरतगढ़ ताप बिजली घर की इकाइयां चालू कर देना। चार इकाई चालू कर दीं, बिजली का संकट दूर हो जायेगा। हम भविष्य की ओर देखें, जिसका वर्तमान सही है उसका भविष्य निश्चित बनेगा। मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं, अगली बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से आयेगी और मुख्य मंत्रीजी भी हमारे यही होंगे। राजस्थान के मुख्य मंत्री वही होंगे जिन्होंने ये काम किये हैं। आज सारा राजस्थान, राजस्थान का सारा किसान, राजस्थान का गरीब उनको दुआयें दे रहा है। इस बात के लिये धन्य हो मुख्य मंत्री, धन्य तेरी मां को जिसने तुझे जन्म दिया है और राजस्थान में इतनी अच्छी सरकार बनी है।

इसके साथ ही हमारी सरकार ने "प्रशासन गांवों के संग" अभियान चलाया। खाली प्रशासन गांवों में नहीं गया था, बच्चों से पूछो जिनके सर्टिफिकेट बने हैं। एक सर्टिफिकेट बनाने के लिये बच्चों को तीन-तीन महीने चक्कर लगाने पड़ते

(श्री रामस्वरूप)

थे। मूल निवास प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और सारे प्रमाण पत्र वहीं मौके पर बनाकर एक ही दिन में दिये गये थे। मैं स्वयं रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं रहा हूं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्दर मैं गया हूं अभियान के अन्दर।

इसी प्रकार शहरों में जब अभियान चलाया था, सुबह हम जाते थे, 8 बजे सफाई अभियान चलता था, मेरे हाथ में झाडू.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अभी और बोलना चाहते हैं या समाप्त कर रहे हैं, बोलो?

श्री रामस्वरूप : अभी साहब दो मिनट तो मैं चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम बढ़ाना है, बोलो?

श्री रामस्वरूप : बोल ही तो रहा हूं, साहब। मेरी सरकार की उपलब्धियां बता रहा हूं, क्यों दु:ख हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो दो मिनट ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम बढ़ाओ फिर। मैंने कहा, नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : तो बढ़ा दो साहब, इसमें क्या आप बढ़ाओगे?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा)(मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे और बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं नहीं, दो घंटे क्या करेंगे, नहीं, ये बोलें जब तक का।

श्री हरिसिंह (महुवा) : ये बोले तब तक का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बोले, तब तक का समय बढ़ाया जाता है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य बोले, इनके भाषण समाप्ति तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये। चाहे कल तक ही बोलो।

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ाया गया। हां बोलो, अब बोलो।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री रामस्वरूप : धन्यवाद। मैं प्रशासन गांवों के संग के बारें में निवेदन कर रहा था। प्रशासन गांवों के संग गया और उसने जाकर वहां बच्चों के प्रमाण पत्र भी बनाये, खातेदारी अधिकार दिये किसानों को और बहुत सारी समस्याएं मौके पर ही निपटायी गईं। इसी प्रकार प्रशासन शहरों के संग गया था। सुबह आठ बजे मैं प्रशासन शहरों के संग पहुंच जाता था। मेरे यहां टोडाभीम नगरपालिका है, मेरे हाथ में झाडू हुआ

(श्री रामस्वरूप)

करती थी। सबसे पहले मैं झाडू लगाया करता था वार्ड में जाकर और झाडू लगाकर सफाई स्वयं करवाता था खड़ा रह कर। पूरे वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में सफाई कराई गयी थी। कभी वार्ड में सफाई नहीं हुई थी, उन वार्डों में भी सफाई हुई थी। खाली सफाई ही नहीं हुई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण भी हटे, मौके पर अतिक्रमण को हटाया गया, अतिक्रमण दूर किये गये। पुलिस साथ में होती थी। हाथ जोड़कर निवेदन करते। अगर हाथ जोड़कर नहीं मानते तो पुलिस के जरिये हटाया जाता था। अतिक्रमण भी हटे, प्रमाण पत्र भी बने और वहां भी गरीबी रेखा के लोगों के बारे में जो सहायता की जितनी भी योजनाएं हैं, उसके अन्दर फार्म भरवाये गये। सबके फार्म भरवाये गये वहां पर। ये सारी बातें प्रशासन शहरों के संग में हुई।

हमारे सहकारिता मंत्रीजी विराजमान हैं, इनके बारे में भी मैं जरूर कहूंगा। "सहकार आपके द्वार" एक बहुत बड़ा अभियान आपके चलाया था, आपको भी धन्यवाद है, माननीय सहकारिता मंत्रीजी "सहकार आपके द्वार" के अन्तर्गत सहकारी विभाग पूरा गांवों में जाता था, वहां पर लोगों के फार्म भरवाता था, सदस्य बनाये जाते थे। उसके अन्दर एक ऋण योजना आपने चलाई है, किसान चाहे अपना ट्रेक्टर खरीद ले, किसान चाहे अपना खाद खरीदे, किसान चाहे अपना बीज खरीदे, उसकी पास बुक आप देते थे, प्रत्येक गांव में जाकर बंटवाई थी। आप भी पधारे थे एक बार, मैं भी आपके साथ था ठीकरिया के अन्दर और उस समय आपने स्वयं ने जाकर उनका वितरण करवाया था। इसलिये "सहकार आपके द्वार" आपने जो चलाया था, वह भी बहुत उपलब्धि हुई है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि हर साल इसी प्रकार का यह अभियान चलाया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अभियान लगातार चलना चाहिये ताकि जनता को राहत मिल सके।

इसके साथ ही अब सड़कों की बात आती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़क की बात आती है तो हमारी पूर्व की सरकार में माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी जो हमारे सड़कों के मंत्री थे, वह कहा करते थे कि मैं जब राजस्थान की सड़कों पर चलता हूं, उस समय मेरी गाड़ी में मुझे धक्के लगते हैं तो मेरे सीने में फफोले पड़ जाते हैं। बड़ा दर्द वह प्रकट करते थे लेकिन खड्डा नौ साल में एक भी नहीं भरा गया। जनता ने उनके खड्डे भर दिये। आज राजस्थान की लोकप्रिय सरकार मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत के नेतृत्व में बनी, माननीय हमारे मुख्य मंत्रीजी को मैं इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं प्रत्येक विधायक की तरफ से, चाहे कोई पार्टी का हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वह जनता दल का हो, चाहे वह हमारा निर्विरोध चुनकर आया हो, चाहे वह निर्दलीय चुनकर आया हो, लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने कोई भेदभाव नहीं किया। सबको एक दृष्टि से उन्होंने देखा है, ऐसे मुख्य मंत्रीजी पहले मुख्य

(श्री रामस्वरूप)

मंत्रीजी हैं। सड़क की नीति बनायी, प्रत्येक विधायक को, हमारे विधायक चले गये, बाहर बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, इसके लिये धन्यवाद तो दे देते कम से कम, जिस मुख्य मंत्री ने आपको 120 किलोमीटर सड़कें दी हैं। 120 किलोमीटर और तीन करोड़ रुपये पार्टी के विधायक को.......

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके 140.

श्री रामस्वरूप : मेरे को 140, यह सारा मामला ऐसा है कि निष्पक्ष किया गया है लेकिन किसी ने भी तारीफ नहीं की। विपक्ष में बैठने वाले तो कभी भी गुड नहीं दें तो गुड की सी बात भी नहीं करते। यह निष्पक्ष किया है, राजस्थान में पूरे विधायक जानते हैं इस बात को। निष्पक्ष पैसा दिया गया है, राजस्थान की जनता की सड़क के लिये पैसा दिया गया है। 120 किलोमीटर सड़क के लिये पैसा दिया गया है। राजस्थान में कार्य चालू हो चुके हैं। चारों तरफ जनता में बहुत भारी खुशी है। सड़कें जिन पर चल नहीं सकते थे लोग पैदल, आज वे सड़कें दुबारा बनाई जा रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान में क्रांतिकारी कदम होगा। राजस्थान की जनता याद करेगी, चलने वाला यात्री याद करेगा, वह गाड़ी में बैठने वाला याद करेगा, वह ड्राइवर याद करेगा, विधायक याद करेगा। कौन भूल सकता है इस काम को? कोई नहीं भूल सकता। चाहे मेरे विपक्ष के सदस्य नहीं हैं, मैं उनकी तरफ से भी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत अच्छा काम किया है, आपने। उनकी आत्मा भी प्रसन्न है अन्दर से, ऊपर से विरोध करते हैं। वे भी बड़ाई कर रहे थे एक दिन तो कि ऐसे मुख्य मंत्रीजी तो कभी आये ही नहीं, जिन्होंने हमको भी सड़कें दे दीं। ऐसा बढ़िया काम आज तक हुआ ही नहीं। यह बात तो सड़क की रही, साहब।

इसके साथ–साथ सिंचाई की योजनायें, पानी का मामला आता है। राजस्थान में पानी की समस्या को लेकर एक भी आन्दोलन नहीं हुआ, कहीं भी कोई आन्दोलन आज तक नहीं उठा। इनके समय में आपको पता है, जो लोग लाइन में खड़े थे पानी लेने के लिये हैण्ड पम्पों पर, नलों के ऊपर खड़े थे, उनको मार दिया गया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : चन्दन मलजी बैद की पिटाई की गयी थी।

श्री रामस्वरूप : हां, उस समय उनको मारा गया था। उस समय हमारे चन्दन मलजी को मारा जो हमारे वित्त मंत्री थे। एक बुजुर्ग हमारे नेता, सम्माननीय नेता, उनको भी चोट पहुंचायी थी, उनके भी हाथ में चोट आई थी। लेकिन आज हमारे कांग्रेस के समय में एक भी व्यक्ति प्यासा नहीं है। चारों तरफ अमन–चैन है। चार करोड़ की योजना मेरे नादौती के लिये और तीन करोड़ की योजना टोडाभीम के लिये मंजूर हुई है अभी, मैं इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। यह तो एक उदाहरण बताता हूं। जब चावल सीजता है तो एक ही चावल देखा जाता है, उससे पता लग जाता है कि चावल सीज गये हैं। तो टोडाभीम से ही पता लग जायेगा, चार करोड़ रुपये एक तहसील को और तीन करोड़ एक तहसील

(श्री रामस्वरूप)

को। मंत्रीजी नहीं है, मैं धन्यवाद देता हूं उनको। चले गये हैं वह। खाली यही नहीं उन्होंने मेरे नादौती में सब डीविजन भी खोल दिया। आज तक जहां सब डिवीजन नहीं था, वहां पर जनता की मांग थी, उन्होंने सब डिवीजन खोलकर नादौती की जनता को पानी पिलाने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास किया है। यह एक उदाहरण बता रहा हूं। लोग मेरे को कहते हैं, आप ऐसे ही फालतू में टांग तुड़ाते हो, फालतू में ही लड़ाई लड़ते हो, उन्होंने नहीं किया। मैं कहता हूं, ये काम हुये हैं, मेरी सरकार ने आते ही सारे काम कर दिये, इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। (व्यवधान)

इसी प्रकार अकाल राहत का मामला आता है, राजस्थान में जिस समय हमारी सरकार बनी थी, उपाध्यक्ष महोदय, सारा देश अकाल से जूझ रहा था। उस समय 23000 करोड़ रुपये का कर्जा था। ऐसे समय में माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत को कुर्सी पर बैठाया गया था। बड़ी परीक्षा थी उनकी क्योंकि संकट की घड़ी में ताज मिला था, यह कांटों का सरताज मिला था। भारतीय जनता पार्टी खाली खजाना छोड़कर गईं थी। लेकिन धन्य है मुख्य मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिये कि खाली खजाना, लगातार अकाल की मार, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अकाल में जो लोगों को रोजगार दिया उन्होंने, सारे राजस्थान की जनता जानती हैं, गरीब जानते हैं एक नये पैसे का भ्रष्टाचार राजस्थान में नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जो मजदूरी दी गयी, वह तहसीलों के जरिये दी गयी थी। उसमें कहीं भी किसी को एक नये पैसे के भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं छोड़ी। सारे राजस्थान में सबको, गरीबों को मजदूरी मिली और अकाल राहत कार्य हुये। इसमें सड़कें, तालाब आदि के कार्य कराये गये थे। इनके साथ ही उस समय और लोगों को सहायता दी गयी थी अकाल राहत के अन्दर सारे राजस्थान की जनता इस बात को जानती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ हमारे साथियों ने कहा है, माननीय सदस्यों ने इस सदन के अन्दर अभिभाषण के बारे में जो कुछ कहा है, जो कुछ निवेदन किया है, उसके साथ में हमारी प्रेस मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी हमारे लिये बहुत कुछ किया है, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं।

अन्त में मैं एक ही बात कहूंगा, जैसे राज्यपाल महोदय ने संस्कृत में एक दोहा पढ़ा था ''सर्वे भवन्तु सुखिन:'' की जो बात कही थी, इसी प्रकार से हमारे विपक्ष के सदस्य जो चले गये हैं उनके बारे में भी एक बात बताता हूं।

विद्या विवादाय धनम् मदाय,
  शक्ति परीक्षयाम् पर पीड़नाय।
खलस्य साधु विपरीतमेव,
  ज्ञानाय दानाय च लक्षणाय॥

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 21 मार्च, 2002 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.41 बजे गुरुवार 21 मार्च, 2002 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या-28 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

अलवर जिले की सिवायचक, चरागाह एवं नजूल सम्पत्तियों का विवरण

क्र.सं.	तहसील का नाम	सिवायचक भूमि		चरागाह भूमि		नजूल
		बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	सम्पत्तियों की संख्या
1.	मुण्डावर	27201	10	10242	03	60
2.	बहरोड	27122	00	11404	00	34
3.	रामगढ़	2074	07	4913	16	29
4.	लक्ष्मणगढ़	719	02	3159	10	41
5.	राजगढ़	75684	00	17496	00	125
6.	कठूमर	169	14	1032	01	~
7.	थानागाजी	8444	00	22318	00	31
8.	अलवर	9671	00	7828	00	141
9.	बानसूर	32456	00	15004	00	13
10.	किशनगढ़	31267	06	2511	08	~
11.	तिजारा	69164	00	1280	00	37
12.	कोटकासिम	7645	03	1349	15	05
	योग	291618	02	98538	13	516

ह०/–
जिला कलक्टर
अलवर

परिशिष्ट "ब"

अलवर जिले की सिवायचक, चरागाह एवं नजूल सम्पत्तियों पर अतिक्रमण का विवरण

क्र.सं.	तहसील का नाम	अतिक्रमण सिवायचक भूमि		अतिक्रमण गोचर		अतिक्रमण नूजल
		बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	
1.	मुंण्डावर	511	00	300	00	~
2.	बहरोड	995	00	495	00	15
3.	रामगढ़	715	18	279	17	06
4.	लक्ष्मणगढ़	22	00	58	05	~
5.	राजगढ़	1082	10	969	16	29
6.	कठूमर	146	14	137	05	~
7.	थानागाजी	1417	12	195	09	~
8.	अलवर	2164	00	483	00	~
9.	बानसूर	3004	00	928	00	~
10.	किशनगढ़	348	08	46	17	~
11.	तिजारा	644	00	~	~	25
12.	कोटकासिम	406	16	56	18	~
	योग	11457	18	3950	07	75

ह०/–
जिला कलक्टर
अलवर

परिशिष्ट "स"

"प्रशासन गांव के संग अभियान"
जिला अलवर

अवधि 01.10.2001 से 10.01.2002

प्रशासन गांव के संग शिविर के तहत जिले की तहसीलों से किस-किस प्रकार के अतिक्रमण कितने-कितने हटाये एवं कितने रकबे बेदखल किये गये आबंटन/नियमन संख्या

क्र.सं.	नाम तहसील	सार्वजनिक भूमि: सार्वजनिक रास्ते		सार्वजनिक भूमि: स्कूल/कब्रिस्तान/खेल के मैदान आदि		चरागाह भूमि		सिवायचक भूमि		आबादी भूमि		राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण नियमन		
		संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	अनुमानत मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	उमरैण	02	09	08	00	00	00	03	01	02	00	00	00	00
2.	थानागाजी	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
3.	रामगढ़	06	02	11	00	01	00	54	05	01	01	00	00	00
4.	राजगढ़	06	00	05	00	00	00	00	00	08	00	10	00	00
5.	रैणी	01	00	01	00	00	00	00	00	01	00	00	00	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	लक्ष्मणगढ़	08	17	20	15	00	00	00	00	03	06	21	00	00
7.	कठूमर	130	08	58	06	06	00	00	00	00	00	00	00	00
8.	किशनगढ़	04	10	01	02	02	02	09	00	01	01	00	00	00
9.	तिजारा	07	59	02	05	00	00	04	04	02	00	08	00	00
10.	कोटकासिम	10	04	05	15	00	00	00	00	01	00	00	00	00
11.	मुण्डावर	05	00	00	00	00	00	00	00	05	00	00	00	00
12.	बहरोड	20	01	15	00	23	01	03	01	10	10	45	00	00
13.	नीमराना	00	00	04	00	01	00	00	00	01	00	00	00	00
14.	बानसूर	02	00	01	00	71	01	130	282	00	00	00	00	00
	योग	**201**		**131**	**0**	**104**		**203**		**35**		**84**		**00**

ह०/—
जिला कलक्टर
अलवर

परिशिष्ट "द"

दिनांक 1.4.2001 से 28.2.2002 तक जिले में हटाये गये अतिक्रमणों के रकबे एवं उनसे प्राप्त पैनेल्टी राशि

क्र.सं.	नाम तहसील	हटाये गये अतिक्रमण रकबा		पैनेल्टी राशि जो वसूल की गयी (रुपयों में)
		बीघा	बिस्वा	
1.	मुण्डावर	541	00	97573
2.	बहरोड़	2755	00	225752
3.	रामगढ़	599	05	34149
4.	लक्ष्मणगढ़	222	02	22459
5.	राजगढ़	1532	00	252039
6.	कठूमर	182	19	47834
7.	थानागाजी	1513	04	227374
8.	अलवर	2639	14	121531
9.	बानसूर	2731	00	215931
10.	किशनगढ़	713	15	34648
11.	तिजारा	397	16	67051
12.	कोटकासिम	713	18	34328
	योग	14541	13	1380669

ह०/-
जिला कलक्टर
अलवर

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

डेयरी फैडरेशन द्वारा उत्पादित पशु आहार की विक्रय दर में अन्तर

31. **श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन की पशु आहार बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, कितनी लागत की फैक्ट्री कब-कब प्रारम्भ की गयी तथा क्या-क्या क्षमता उत्पादन की थी?

(2) उक्त में विगत 5 वर्षों में कितना-कितना पशु आहार उत्पादित किया गया?

(3) उक्त पशु आहार गत 2 वर्षों में उक्त संयंत्रों ने किस-किस दर पर दिया?

(4) पशुपालकों को विभिन्न जिलों में किस-किस दर पर जिला संघों द्वारा पशु आहार उपलब्ध करवाया गया?

(5) उक्त दर में भारी अन्तर के क्या कारण रहे?

(6) क्या उक्त के कारण किसानों पर भार डालकर जिला संघों ने राशि बचाई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी और नहीं, तो फैक्ट्री द्वारा बेची दर व पशुपालकों को विभिन्न जिलों में बेची दरों में विभिन्न जिलों में किस-किस कारण से कितना-कितना अन्तर बढ़ोतरी का रहा?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में डेयरी फैडरेशन के अधीन चार पशु आहार संयंत्र क्रमशः अजमेर, बीकानेर, जोधपुर एवं नदबई (भरतपुर) में कार्यरत हैं। इन संयंत्रों की लागत, प्रारम्भ होने की तिथि एवं उत्पादन क्षमता का विवरण परिशिष्ट ''क'' में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) विगत 5 वर्षों में इन संयंत्रों द्वारा उत्पादित पशु आहार का विवरण परिशिष्ट ''ख'' में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) उत्पादित पशु आहार के विपणन की दरों का विवरण परिशिष्ट ''ग'' में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) जिला दुग्ध संघों द्वारा पशुपालकों को गत 2 वर्षों में उपलब्ध कराये गये पशु आहार की दरों का विवरण परिशिष्ट ''घ'' में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(5) उक्त दरों में अन्तर का प्रमुख कारण पशु आहार संयंत्र से दुग्ध संघ तथा संघों से समिति तक पशु आहार परिवहन व्यय, पशु आहार की उतरायी, चढ़ायी, प्रोत्साहन राशि व्यय, छीजत तथा दुग्ध समितियों तथा सचिव को तय कमीशन रहे हैं। पशु आहार संयंत्र से दुग्ध समिति तक परिवहन व्यय संयंत्र से अलग-अलग दूरियों के कारण हैं।

(6) दुग्ध संघ अपने स्तर पर अपनी-अपनी लागत के अनुरूप पशुपालकों के लिये पशु आहार की बिक्री दर तय करते हैं। किसानों पर अतिरिक्त भार डालकर जिला संघों ने किसी भी प्रकार की राशि नहीं बचायी है। विभिन्न संघों में पशु आहार विक्रय की भिन्न-भिन्न दरों का मुख्य कारण पशु आहार संयंत्र से संघों का विभिन्न दूरियों पर स्थित होना रहा है।

परिशिष्ट "क"

पशु आहार संयंत्रों के प्रारम्भ, उत्पादन क्षमता एवं लागत का विवरण

क्र.सं.	पशु आहार संयंत्र का नाम	प्रारम्भ होनें की तिथि	उत्पादन क्षमता मै. टन प्रतिदिन	लागत (रुपये में)
1.	पशु आहार संयंत्र, बीकानेर	18.5.1981	100	95,83,797
2.	पशु आहार संयंत्र, नदबई (भरतपुर)	24.6.1980	100	91,24,909
3.	पशु आहार संयंत्र, जोधपुर	30.6.1982	100	93,49,869
4.	पशु आहार संयंत्र, अजमेर	1980	100	79,99,168

परिशिष्ट "ख"

विगत पांच वर्षों में पशु आहार उत्पादन का विवरण

(वर्ष 1996-97 से वर्ष 2001-2002 माह जनवरी, 2002 तक)

(मीट्रिक टन)

वर्ष	अजमेर	नदबई	बीकानेर	जोधपुर	कुल
1996–97	20223	14483	15597	12612	62916
1997–98	19824	16852	17151	11513	65340
1998–99	25865	20687	21676	20239	88467
1999–2000	30075	24090	19347	20706	94217
2000–2001	38099	25094	22440	26717	112350
2001–2002	36508	24537	23967	25498	110510

परिशिष्ट ''ग''

दुग्ध संघों हेतु संतुलित पशु आहार की विक्रय दर

क्र.सं.	वर्ष/दिनांक	विक्रय दर	छूट	अनुदान	शुद्ध विक्रय दर
1.	वर्ष 1999–2000				
	01.04.99 से 06.05.99	420	20	--	400
	07.05.99 से 31.07.99	450	20	--	430
	01.08.99 से 20.08.99	500	20	--	480
	21.08.99 से 30.09.99	480	20	--	460
	01.10.99 से 22.12.99	510	20	--	490
	23.12.99 से 31.01.2000	510	20	50	440
	01.02.2000 से 28.02.2000	510	20	30	460
	01.03.2000 से 31.03.2000	510	20	--	490
2.	वर्ष 2000–2001 एवं 2001–2002				
	01.04.2000 से 30.09.2000	510	20	--	490
	01.10.2000 से 31.12.2000	480	20	--	460
	01.01.2001 से 31.03.2001	480	20	25	435
	01.04.2001 से 01.09.2001	445	20	25	400
	02.09.2001 से 01.12.2001	430	20	25	385
	01.01.2002 से 01.03.2002	445	20	25	400

दुग्ध संघों हेतु सरस गोल्ड पशु आहार की विक्रय दर

क्र. सं.	वर्ष/दिनांक	विक्रय दर	छूट	अनुदान	शुद्ध विक्रय दर
1.	वर्ष 1999-2000				
	01.04.99 से 06.05.99	520	20	--	500
	07.05.99 से 31.07.99	550	20	--	530
	01.08.99 से 20.08.99	620	20	--	600
	21.08.99 से 30.09.99	600	20	--	580
	01.10.99 से 22.12.99	620	20	--	600
	23.12.99 से 31.01.2000	620	20	50	550
	01.02.2000 से 28.02.2000	620	20	30	570
	01.03.2000 से 31.03.2000	620	20	--	600
2.	वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002				
	01.04.2000 से 30.09.2000	620	20	--	600
	01.10.2000 से 31.12.2000	570	20	--	550
	01.01.2001 से 31.03.2001	570	20	25	525
	01.04.2001 से 01.09.2001	545	20	25	500
	02.09.2001 से 01.12.2001	530	20	25	485
	02.12.2001 से 21.12.2001	505	20	25	460
	22.12.2001 से 01.03.2002	520	20	25	475

परिशिष्ट "घ"

जिला दुग्ध संघों द्वारा पशुपालकों को उपलब्ध कराये गये पशु आहार की दरों का विवरण

क्र.सं.	दुग्ध संघ का नाम	सम्बद्ध जिला	पशुपालकों को उपलब्ध करवाये गये पशु आहार की दर रुपये प्रति किलोग्राम					
			1999–2000		2000–2001		2001–2002	
			न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जयपुर	जयपुर, दौसा	4.65	5.50	5.10	5.50	4.50	4.90
2.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़	4.40	5.40	4.85	5.40	4.40	4.65
3.	अलवर	अलवर	4.62	5.42	4.42	5.12	4.40	4.55
4.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा, डूंगरपुर	5.45	5.70	5.25	5.70	5.00	5.00
5.	चूरू	चूरू	4.60	5.20	4.65	5.20	4.15	4.65
6.	अजमेर	अजमेर	4.35	5.25	4.70	5.25	4.00	4.35
7.	बीकानेर	बीकानेर	4.25	5.15	4.60	5.15	4.20	4.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़	4.45	5.45	4.80	5.35	4.20	4.35
9.	पाली	पाली	4.75	5.35	4.80	5.35	4.50	4.80
10.	जोधपुर	जोधपुर, जैसलमेर	4.20	5.10	4.75	5.10	4.25	4.40
		नागौर, बाड़मेर	4.40	5.30	4.95	5.30	4.45	4.60
11.	कोटा	कोटा, बारां, बूंदी झालावाड़	4.70	5.70	4.60	5.35	4.45	4.45
12.	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द	4.60	5.30	4.80	5.30	4.30	4.45
13.	भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर	4.35	5.25	4.20	4.65	4.20	4.35
14.	रानीवाड़ा	जालौर, सिरोही	4.44	5.55	4.87	5.25	4.50	4.65
15.	सीकर	सीकर, झुंझुनूं	4.75	5.65	4.90	5.45	4.60	5.10
16.	सवाईमाधोपुर	टोंक, सवाईमाधोपुर करौली	4.50	5.80	4.80	4.80	4.35	4.35

उपभोक्ता अदालतों में सदस्य नियुक्ति हेतु निर्धारित मानदण्ड

32. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में कहां–कहां पर उपभोक्ता अदालते कार्यरत हैं? उक्त के अध्यक्ष व सदस्यों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त उपभोक्ता अदालतों में कितने प्रकरण दिनांक 31 मार्च, 2000 से लम्बित हैं? अदालत अनुसार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उपभोक्ता अदालतों में सदस्यों को नियुक्त करने की क्या–क्या योग्यताएं निर्धारित कर रखी हैं? आदेशों की प्रति सदपन की मेज पर रखें।

(4) क्या उपभोक्ता अदालतों के विस्तार के लिये अतिरिक्त जिला जज को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार देने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और, नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उपभोक्ता अदालते कार्यरत हैं। जयपुर मुख्यालय पर दो उपभोक्ता अदालतें हैं। इस प्रकार राज्य में कुल 33 उपभोक्ता अदालते कार्यरत हैं। अदालतों में कार्यरत अध्यक्षों एवं सदस्यगणों के नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 10(1)(ख) के प्रावधानों के अनुसार "दो अन्य सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो योग्य, ईमानदार और प्रतिष्ठित हों तथा जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव हो या जिन्होंने उनको निपटाने की क्षमता दिखलाई है, उनमें से एक महिला होगी।"

(4) उपभोक्ता अदालतों के विस्तार के लिये अतिरिक्त जिला जज को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार देने सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

जिला मंचों में कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम जिला मंच	अध्यक्ष	सदस्य	महिला सदस्य
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	श्री हरिसिंह असनानी	श्री जितेन्द्र मीरानी	श्रीमती कमलेश माथुर
2.	अलवर	श्री राधेश्याम गुप्ता	श्री मोहन लाल यादव	श्रीमती नयन तारा
3.	बांसवाड़ा	श्री जयकुमार अग्रवाल	श्री अजित भाई जैन	श्रीमती प्रज्ञा भट्ट
4.	बाड़मेर	श्री अजय कुमार जैन	रिक्त पद	श्रीमती शांति मंगल
5.	बारां	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	रिक्त पद	श्रीमती गिरजेश्वरी श्रृंगी
6.	बूंदी	श्री विमल कुमार जैन	श्री राजेन्द्र कुमार जैन	कुमारी राधा श्रृंगी
7.	भरतपुर	श्री रामनारायण सिंह	श्री हर्षपाल सिंह	श्रीमती सत्यवती आर्य
8.	भीलवाड़ा	श्री देव बक्श रैगर	रिक्त पद	रिक्त पद
9.	बीकानेर	श्री सत्यप्रकाश पाठक	श्री रवि टिक्कू	श्रीमती सुनिता जोशी
10.	चूरू	श्री शिवदयाल मूथा	श्री गुलाम रसूल	श्रीमती संतोष मासूम
11.	चित्तौड़गढ़	श्री मोहन लाल टेलर	श्री सुभाष चन्द जैन	रिक्त पद
12.	डूंगरपुर	श्री जी. एस. सुराना	श्री सेवा लाल जैन	श्रीमती अंशुमाला पांचाल
13.	धौलपुर	श्री रमेश चन्द दाधीच	श्री अशोक ठाकुर	श्रीमती अंजू रावत
14.	दौसा	श्री पदम कुमार जैन	रिक्त पद	श्रीमती सविता शर्मा
15.	हनुमानगढ़	श्री धनराज गुप्ता	श्री मोहम्मद मुस्ताक	श्रीमती दर्शना अग्रवाल
16.	जयपुर प्रथम	श्री भीमसैन लेखरा	श्री पुखराज सालेचा	रिक्त पद
17.	जयपुर द्वितीय	श्री गणपत सिंह भण्डारी	श्री कैलाश चन्द शर्मा	श्रीमती डा. अल्का शर्मा
18.	जोधपुर	श्री सम्पत राज शर्मा	श्री लियाकत अली	श्रीमती किरण देवी
19.	जैसलमेर	श्री लीलाधर	रिक्त पद	श्रीमती रामेश्वरी पुरोहित
20.	जालौर	श्री भंवर सिंह	श्री नरेन्द्र कुमार विश्नोई	रिक्त पद
21.	झालावाड़	श्री शरद चन्द श्रोत्रिया	श्री राजेश गुप्ता	रिक्त पद
22.	झुंझुनूं	श्री सुवालाल सिर्वा	रिक्त पद	श्री शब्बाना फारूखी

1	2	3	4	5
23.	कोटा	श्री उस्मान अली खान	श्री नेमी चन्द भण्डारी	श्रीमती नीलम खन्ना
24.	नागौर	श्री बी. डी. सारस्वत	श्री शकील अहमद	रिक्त पद
25.	पाली	श्री शंकर लाल जैन	श्री अर्जुन चन्द मेहता	श्रीमती मंजू राठौड़
26.	राजसमन्द	श्री बाबू लाल गोयल	श्री सरवर खान	श्रीमती मालतीरानी शर्मा
27.	सीकर	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री एस.सी. मीणा	श्रीमती माया शर्मा
28.	सवाईमाधोपुर	श्री मोहनलाल शर्मा	श्री अब्दुल हलीम	श्रीमती लीला देवी मीणा
29.	सिरोही	श्री प्रेम सिंह गहलोत	श्री कमलेश कुमार मोदी	रिक्त पद
30.	श्रीगंगानगर	श्री नानगराम शर्मा	श्री विरेन्द्र कुमार बैद	श्रीमती कमलेश कान्त आहूजा
31.	टोंक	श्री जगपाल सिंह	रिक्त पद	श्रीमती नीरू जैन
32.	उदयपुर	श्री महेश भगवती	डा. पुरुषोतम छंगाणी	श्रीमती सरोज जैन
33.	करौली	श्री बद्री प्रसाद गुप्ता	श्री दरब सिंह फागना	श्रीमती राम भरोसी शर्मा

नोट :— क्रम संख्या 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 30 व 32 पर अंकित जिला मंचों में उपभोक्ता अधिनियम की धारा 18(A) के तहत अध्यक्ष नियुक्त हैं। शेष मंचों में नियमित अध्यक्ष नियुक्त हैं।

दिनांक 31.3.2000 से लम्बित प्रकरणों की स्थिति

क्र.सं.	नाम जिला मंच	दिनांक 31.3.2000 को लम्बित प्रकरण	कालम संख्या-3 में से निस्तारित प्रकरण	कालम संख्या-3 में से शेष लम्बित प्रकरण
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	745	735	10
2.	अलवर	1166	335	831
3.	बांसवाड़ा	295	156	139
4.	बाड़मेर	192	180	12
5.	बून्दी	97	92	05

1	2	3	4	5
6.	भरतपुर	915	663	252
7.	भीलवाड़ा	581	477	104
8.	बीकानेर	294	204	90
9.	बारां	134	66	68
10.	चूरू	442	336	106
11.	चित्तौड़गढ़	215	212	03
12.	डूंगरपुर	136	101	35
13.	धौलपुर	177	94	83
14.	दौसा	354	345	09
15.	हनुमानगढ़	476	471	05
16.	जयपुर प्रथम	1773	822	951
17.	जयपुर द्वितीय	3299	2147	1152
18.	जैसलमेर	175	161	14
19.	जोधपुर	692	610	82
20.	जालौर	108	93	15
21.	झालावाड़	170	10	160
22.	झुंझुनूं	374	350	24
23.	कोटा	1117	925	192
24.	नागौर	115	72	43
25.	पाली	578	500	78
26.	राजसमन्द	70	68	02
27.	सीकर	473	470	03
28.	सवाईमाधोपुर	508	216	292
29.	सिरोही	241	152	89
30.	श्रीगंगानगर	553	332	221
31.	टोंक	236	234	02
32.	उदयपुर	884	502	392
33.	करौली	307	232	75
34.	राज्य आयोग	12249	3186	9063
	योग	30141	15549	14592

ह०/–
उप पंजीयक
राज्य आयोग उपभोक्ता
संरक्षण राज. (जयपुर)

(धारा 8–11)

जो अध्यक्ष ठीक समझे और अपने कारबार के बारे में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

8. राज्य परिषद् के उद्देश्य

प्रत्येक राज्य परिषद् का उद्देश्य राज्य के भीतर, धारा 6 के खण्ड (क) से खण्ड (च) में अधिकथित उपभोक्ता अधिकारों का सम्वर्द्धन और संरक्षण करना होगा।

अध्याय-3

उपभोक्ता विवाद प्रतितोप अभिकरण

9. उपभोक्ता विवाद प्रतितोप अभिकरण की स्थापना

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित अभिकरणों की स्थापना की जायेगी, अर्थात–

(क) राज्य सरकार "जिला पीठ" के रूप में ज्ञात एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोप पीठ की स्थापना, अधिसूचना द्वारा, राज्य के प्रत्येक जिले में करेगी;

परन्तु यदि राज्य सरकार ठीक समझती है तो वह किसी जिले में एक से अधिक जिला पीठों की स्थापना कर सकेगी;

(ख) राज्य सरकार "राज्य आयोग" के रूप में ज्ञात एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोप आयोग की स्थापना, अधिसूचना द्वारा, राज्य में करेगी; और

(ग) केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोप आयोग की स्थापना, अधिसूचना द्वारा करेगी।

10. जिला पीठ की संरचना

(1) प्रत्येक जिला पीठ निम्नलिखित से मिलकर बनेगी–

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश है या रहा है या होने के लिये अर्हित है, जो इसका अध्यक्ष होगा;

(ख) दो अन्य सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो योग्य ईमानदार और प्रतिष्ठित हों तथा जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव हो, या जिन्होंने उनका निपटाने की क्षमता दिखलायी है, उनमें से एक महिला होगी।

(1क) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात–

(i) राज्य आयोग का अध्यक्ष–सभापति

(ii) राज्य के विधि विभाग का सचिव–सदस्य

(iii) राज्य में उपभोक्ता कार्यों के बारे में कार्यवाही करने वाले विभाग का भारसाधक सचिव–सदस्य"

(1) जिला पीठ का प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिये या पैंसठ वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर, उसका पद रिक्त हो जायेगा और वह ऐसे किसी व्यक्ति नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जिसके पास ऐसे किसी सदस्य के प्रव सम्बन्ध में जिसने त्यागपत्र दिया है, उपधारा (1) में वर्णित अर्हत में से कोई अर्हता है।

(3) जिला पीठ के सदस्यों को देय वेतन या मानदेय और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी जो राज्य सरकार द्वारा विदित की जायें।

भारतीय मजदूर संघ कोटा द्वारा की गयी शिकायतों की जांच

33. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भारतीय मजदूर संघ कोटा द्वारा वर्ष 1996 से 2000 तक निर्माण व खरीद में लाखों रुपयों की अनियमितता होने सम्बन्धी शिकायत माननीय मुख्य मंत्री, सम्भागीय आयुक्त व जिला कलक्टर तथा जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को की गयी थी? यदि हां, तो शिकायती पत्र व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों की जांच किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गयी? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष क्या हैं तथा उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गयी?

(4) क्या जांच अभी लम्बित है? यदि हां, तो इतने समय तक जांच नहीं करने के क्या कारण हैं और जांच कब तक पूरी कर ली जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। भारतीय मजदूर संघ, कोटा द्वारा की गयी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के अनुसार।

(3) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के अनुसार।

(4) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के अनुसार।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग से सम्बद्ध उद्योगों को छूट

34. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान खादी ग्रामोद्योग, जयपुर द्वारा दिनांक 3-3-1993 को संशोधित सहायता विवरण सूची जारी की है? यदि हां, तो समूह नम्बर एक में कुमारी के खण्ड 10 में चिमनी ईंट भट्टा दर्ज है?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान राजपत्र के प्रकाशन में क्रम संख्या 1014 सी.सी.सी.टी./सरकुलर एफ., 16(56) टैक्स फ्री/सी.सी.टी./87/750 दिनांक 26-5-1995 की धारा 4 में वर्णित राजस्थान खादी ग्रामोद्योग से सम्बन्धित सभी उद्योगों पर वार्षिक क्रय-विक्रय की सीमा रुपये तीस लाख तक कर में छूट देने का प्रावधान रखा है?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के सचिव ने अपने पत्र क्रमांक 2949 दिनांक 12-3-1999 को तथा राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ज़िला उद्योग केन्द्र भीलवाड़ा ने अपने पत्र क्रमांक ए-869 दिनांक 7-7-2001 को कायमखानी ईंट भट्टा उद्योग अरनीया घोड, तहसील शाहपुरा (भीलवाड़ा) को मान्यता देते हुये सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, भीलवाड़ा को बिक्री कर एवं क्रय कर में छूट देने के लिये सिफारिश की है?

(4) क्या सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, भीलवाड़ा ने उक्त उद्योग को कर में छूट प्रदान की है? यदि हां, तो कब और कितनी राशि की छूट दी गयी और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि सचिव, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने अपने पत्र क्रमांक बिक्री कर 3003 दिनांक 17-1-2001 को एक पत्र आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर को लिखा? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दिनांक 31.3.1993 को संशोधित सहायता विवरण सूची जारी की है। इस सूची के समूह 1 में कुम्हारी के खण्ड-10 में चिमनी ईंट भट्टा सम्मिलित न होकर क्रमांक 9 पर सम्मिलित है।

(2) जी हां। यह छूट राज० बिक्री कर अधिनियम में पंजीकृत व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में पंजीकृत व्यवसायियों को उनके उत्पाद की वार्षिक बिक्री सीमा 30 लाख रुपये तक होने की शर्त पर कर मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी होने पर उपलब्ध है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। क्योंकि पूर्व में ईंट भट्टा उद्योग को कुम्हारी उद्योग की श्रेणी में नहीं माना जाता था। किन्तु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जारी अनुसूचि में ईंट

(वित्त मंत्री)

भट्टा उद्योग को भी कुम्हारी उद्योग में सम्मिलित किया गया है। अत: ईंट भट्टा उद्योग भी अन्य कुम्हारी उद्योगों के समकक्ष कर मुक्ति में पात्रता रखता है। तदनुसार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को दिनांक 14.3.2002 को तदनुसार निर्देशित कर दिया गया है।

(5) उक्त संदर्भित पत्र वाणिज्यिक कर विभाग में प्राप्त होना नहीं पाया जाता है।

खादी बोर्ड द्वारा जिला सीकर में बेरोजगार युवकों को ऋण

35. श्री अमराराम (धोद) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) खादी बोर्ड द्वारा बेरोजगार युवकों को ऋण उपलब्ध करवाने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(2) अब तक जिला सीकर में कितने बेरोजगार युवकों को ऋण उपलब्ध करवाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बेरोजगार युवकों को ऋण उपलब्ध करवाने हेतु वर्तमान में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की मार्जिन मनी योजना बैंकों के माध्यम से चलायी जा रही है जिसके मानदण्ड निम्नानुसार है:–

1. 20 हजार तक की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्र में जहां प्रति व्यक्ति स्थायी पूंजी विनियोजन 50,000/- रुपये से अधिक न हो कोई भी उत्पादन अथवा सेवा कार्य जो विद्युत रहित अथवा विद्युत चालित हो ग्रामोद्योगों में आता है। संस्था/समिति को 25.00 लाख रुपये तक एवं व्यक्तिगत इकाई को 10.00 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध किया जा सकता है।

2. इसके अन्तर्गत संस्था, सहकारी समिति एवं व्यक्तिगत इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निर्धारित आवेदन-पत्र सीधे बैंक अथवा जिला उद्योग केन्द्र स्थित जिला अधिकारी (खादी) को प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. इसके अन्तर्गत सामान्य जाति को 25 प्रतिशत एवं अनु. जाति, अनु. जनजाति, अल्पसंख्यक विकलांग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, भूतपूर्व सैनिक सीमावर्ती व जनजाति क्षेत्र के ऋण को 30 प्रतिशत मार्जिन मनी देय होती है।

4. सामान्य जाति के ऋणी की 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं सीमावर्ती व जनजाति क्षेत्र के ऋणी की 5 प्रतिशत स्वयं की सहभागिता अर्थात स्वयं की पूंजी होगी।

5. 10.00 लाख रुपये तक की परियोजना पर मार्जिन मनी 25 या 30 प्रतिशत एवं 10.00 लाख रुपये से ऊपर

(खादी एवं ग्रामोद्योग, मंत्री)

की शेष परियोजना लागत पर मार्जिन मनी 10 प्रतिशत देय होगी।

(2) अब तक जिला सीकर में 4065 बेरोजगार युवकों को ऋण उपलब्ध करवाया गया।

प्रश्न संख्या-36

(स्थगित)

राज्य में प्राचीन मन्दिरों के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत राशि

37. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में प्राचीन मन्दिरों के जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 1994-95 में कितने मन्दिरों का चयन किया गया? वर्षवार उक्त पर होने वाले व्यय का विवरण मय सूची के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने मन्दिरों का जीर्णोद्धार पूर्ण हो चुका है और उक्त पर कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है?

(3) क्या आवास विकास संस्थान को मन्दिरों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु जो राशि दी गयीं उसका पूर्ण उपयोग कर लिया या कार्य को अधूरा छोड़कर विभाग की राशि भी संस्थान के पास शेष बची हुई है?

(4) क्या दिसम्बर, 1998 के बाद उक्त प्राचीन मन्दिरों के जीर्णोद्धार हेतु कोई नयी योजना तैयार की गई? यदि हां, तो कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्तमान सरकार के गठन के बाद कितने मन्दिरों का जीर्णोद्धार किया गया? उक्त पर कितनी राशि का व्यय हुआ? देवस्थान की स्थायी निधि में से कितना धन व्यय किया गया?

(6) क्या सरकार ने प्राचीन मन्दिरों को किन्हीं ट्रस्टों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को सुपुर्द करने का निर्णय किया है? यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में प्राचीन मन्दिरों के जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 1994-95 में 12 मन्दिरों का चयन किया गया था। उक्त मन्दिरों के जीर्णोद्धार की कार्य योजना आवास विकास संस्थान के माध्यम से तैयार करवायी गयी थी, जिस पर रुपया 430.11 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान था। उक्त 12 मन्दिरों के जीर्णोद्धार कार्यों के लिये आवास विकास संस्थान को रुपये 109.82 लाख अग्रिम दिया गया था, जिसके विरुद्ध संस्थान द्वारा रुपये 107.71 लाख निम्नप्रकार व्यय किया गया:-

(राज्य मंत्री, देवस्थान विभाग) (राशि लाखों में)

क्र.सं.	मन्दिर का नाम	श्रेणी	अनुमानित लागत	सम्पादित कार्य राशि + 15% प्रशासनिक व्यय सहित
1.	मं. श्री जगन्नाथ रायजी, (जगदीश मन्दिर) उदयपुर	आत्मनिर्भर	52.00	35.64
2.	मं. श्री पाला गणेशजी, उदयपुर	प्रत्यक्षप्रभार	21.70	14.32
3.	मं. श्री राजरणछोड़जी, जोधपुर	प्रत्यक्षप्रभार	24.30	14.80
4.	मं. श्री सोमनाथ महोदवजी, पाली	आत्मनिर्भर	29.00	5.40
5.	मं. श्री राजरतन बिहारीजी, बीकानेर	आत्मनिर्भर	51.00	12.47
6.	मं. श्री नागनेचीजी, बीकानेर	प्रत्यक्षप्रभार	32.65	3.78
7.	मं. श्री लक्ष्मण मन्दिर, भरतपुर	आत्मनिर्भर	33.50	6.56
8.	मं. श्री मथुराधीशजी, अलवर	आत्मनिर्भर	54.00	---
9.	मं. श्री केशवरायजी, (केशवरायपाटन), बूंदी	प्रत्यक्षप्रभार	38.30	---
10.	मं. श्री द्वारकाधीशजी, (झालरा पाटन), झालावाड़	आत्मनिर्भर	30.00	---
11.	मं. श्री रामचन्द्र जी, जयपुर	प्रत्यक्षप्रभार	31.66	14.74
12.	मं. श्री मदनमोहनजी, किशनगढ़	आत्मनिर्भर	32.00	---
		योग	430.11	107.71

(2) उक्त सभी 12 मन्दिरों के जीर्णोद्धार कार्य अपूर्ण है। जीर्णोद्धार कार्यों पर 107.71 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(3) आवास विकास संस्थान द्वारा उक्त मन्दिरों के जीर्णोद्धार हेतु अग्रिम प्राप्त की गयी राशि रुपया 109.82 लाख में से 107.71 लाख का उपयोग कर लिया गया तथा रुपया 2.11 लाख संस्थान के पास शेष रह गया, जिसे वापस प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां। दिसम्बर, 1998 के पश्चात् एक सौ प्राचीन मन्दिरों के जीर्णोद्धार की एक योजना तैयार की गयी है। इस योजना के लिये यूनेस्को जैसी संस्था से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2002-03 में 98 प्राचीन मन्दिरों

(राज्य मंत्री, देवस्थान विभाग)

के जीर्णोद्धार हेतु 6.6 करोड़ की एक योजना तैयार कर राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग को भिजवायी गई है।

(5) वर्तमान सरकार के गठन के बाद 33 मन्दिरों के 116.47 लाख के जीर्णोद्धार कार्य स्वीकृत किये गये हैं। विगत तीन वर्षों में मन्दिरों का जीर्णोद्धार/मरम्मत पर आयोजना तथा गैर आयोजना मदों में निम्नप्रकार राशि व्यय की गयी है:-

(राशि लाखों में)

वर्ष	आयोजना	आयोजना भिन्न	संयुक्त निधि	कुल राशि
1999-2000 वास्तविक व्यय	---	4.56	36.73	41.29
2000-2001 वास्तविक व्यय	---	7.04	21.85	28.89
2001-2002 स्वीकृत बजट	---	10.00	45.00	92.72
	37.72 (गत वर्षों की बचत राशि)	वर्ष 1998-99 के पश्चात् आयोजना मद में मरम्मत कार्यों के लिये कोई राशि नवीन रूप से स्वीकृत नहीं हुयी है। वर्ष 2001-02 में आयोजना मद की गत वर्षों की बचत राशि में से 7 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।		

(6) जी हां। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.9.1997 को विभागीय मन्दिरों को पंजीकृत निजी संस्थाओं को सुपुर्दगी में देने हेतु नीति बनाई गई। इसी नीति के तहत किसी सम्प्रदाय विशेष की प्रन्यास समिति को उस सम्प्रदाय का मन्दिर गोद/सुपुर्दगी पर दिया जा सकता था। वर्तमान में राज्य सरकार उक्त नीति में संशोधन का विचार रखती है। पूर्व में चार मन्दिरों को विभिन्न संस्थाओं/प्रन्यासों को सुपुर्दगी पर दिया गया था, जिनमें से दो का कब्जा वापिस प्राप्त कर लिया है:-

(राज्य मंत्री, देवस्थान विभाग)

क्र.सं.	नाम मन्दिर	प्रन्यास जिले	सुपुर्दगी	अवधि	विशेष विवरण
1.	मं. श्री सिद्ध विनायक गणपतिजी, बांसवाड़ा	पंच कसारा समाज, बांसवाड़ा	1991	5 वर्ष के लिये	अवधि समाप्त हो जाने से मन्दिर का कब्जा सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव के निर्णय दिनांक 5.11.2001 के अनुसार निरीक्षक, देवस्थान विभाग, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 14.11.01 को वापस प्राप्त कर लिया गया।
2.	मं. श्री करणी माताजी लोढ़ा ब्रदर्स, हाथीपोल बाहर, उदयपुर	श्री केसरीमल लोढ़ा	1.3.1994	5 वर्ष के लिये	राज्य आदेश सं.प. 9(2) देव/82 दिनांक 20.6.1996 की पालना में विभाग द्वारा कब्जा दिनांक 31.7.1997 को प्राप्त कर लिया गया है।
3.	मं. श्री मारेश्वर महादेव, बांसवाड़ा	श्री दन्त मदारेश्वर जन सेवा संस्थान, बांसवाड़ा	9.5.1994	5 वर्ष के लिये	राज्य सरकार के आदेश सं. प. 9(2)देव/94 दिनांक 1.4.2000 द्वारा सुपुर्दगी ऋषभदेव के निर्णय दिनांक अवधि आगामी 5 वर्ष के लिये बढ़ायी गयी है।
4.	मं. श्री विनोदीलालजी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर	श्री चैतन्य प्रेम संस्थान, वृन्दावन	5.5.1998	10 वर्ष के लिये	

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के चिकित्सकों के विरुद्ध प्रस्तावित जांच

38. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के कतिपय चिकित्सकों के विरुद्ध 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है? चिकित्सक का नाम एवं कार्यवाही प्रारम्भ करने की तिथी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(2) क्या उक्त के विरुद्ध जांच अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब और नहीं, तो कब तक नियुक्त कर दिये जावेंगे?

(3) क्या कतिपय चिकित्सकों के विरुद्ध जांच पूर्ण हो गयी है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रकरणों में जांच के क्या परिणाम रहे हैं?

उत्तर

(1) जी हां। आरोपित चिकित्सकों के नाम एवं कार्यवाही आरम्भ करने की सूची पटल पर रख दी गयी है।

(2) वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी गयी सूची में अंकित कर दी गयी है।

(3) जी नहीं।

(4) जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर ही निर्णय लिया जा सकेगा। अत: इस स्तर पर जांच परिणाम के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

सी.सी.ए. नियम-16 के अन्तर्गत आरोपित चिकित्सकों की सूची एवं अन्य विवरण

क्र.सं.	चिकित्सक का नाम	कार्यवाही प्रारम्भ करने की तिथि	पांच अधिकारी की नियुक्ति दिनांक
1	2	3	4
1.	डा. ए. के. गुप्ता	31.03.1995	30.8.2000। जांच अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है नियमानुसार जांच प्रतिवेदन पर अन्तिम निर्णय लिया जा रहा है।
2.	डा. ए. पी. आर्य	25.10.1997	21.11.1998। जांच अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है नियमानुसार जांच प्रतिवेदन पर अन्तिम निर्णय लिया जा रहा है।
3.	डा. मनोज शर्मा	10.06.1999	16.12.2000
4.	डा. अन्जुम शेयद	04.01.2001	लिखित अभिकथन अपेक्षित है।
5.	डा. के. एम. मेहता	17.03.2001	आरोप पत्र के सन्दर्भ में प्रस्तुत लिखित अभि-कथन का परीक्षण राजस्थान उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के आधार पर किया जा रहा है।
6.	डा. आर. के. जैनव	17.03.2001	
7.	डा. आर. सी. सुनार	17.03.2001	
8.	डा. गुरुदत्त रेपुरिया	17.03.2001	

1	2	3	4
9.	डा. पुष्पेंद्र सिंह मेहलावत	09.04.2001	15.12.2001
10.	डा. मुम्ताज अली	16.08.2001	लिखित अभिकथन अपेक्षित है।
11.	डा. आर. के. मधोक	04.01.2002	लिखित अभिकथन का परीक्षण किया जा रहा है।
12.	डा. रमाकान्त सक्सैना	31.01.2002	लिखित अभिकथन अपेक्षित है।
13.	डा. एम. डी. चित्तौड़ा	08.02.2002	लिखित अभिकथन अपेक्षित है।

तहसील चौमूं (जयपुर) में सब सेन्टरों की स्थापना

39. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पशुओं की संख्या अन्य विधान सभा क्षेत्रों की तुलना में काफी ज्यादा है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या सरकार ने पशुओं की चिकित्सा के लिये विधान सभा क्षेत्र चौमूं के सभी ग्रामों में पशुधन सहायकों को पदस्थापित कर रखा है? यदि हां, तो कहां–कहां और नहीं, तो कौन–कौन से ग्रामों में पशुधन सहायक पदस्थापित नहीं है।

(3) क्या पशुओं को एक ग्राम से दूसरे ग्राम में ले जाकर चिकित्सा करवाना सम्भव है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के सभी ग्रामों में पशुधन सहायक पदस्थापित करने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार चौमूं तहसील के ग्राम सिंगोदखुर्द, नांगल बगड़ी, निन्दोला, धिनोई, मोरीजा, धोबलाई, आलीसर, सांदरसर, मलिकपुर, सिंगोदकलां, हाथनोदा, हाड़ोता, टाकरकड़ा, जयसिंहपुरा, मण्ढाभिंडा में पशुधन सहायक का पद स्थापित करके सब सेन्टर खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पशु गणना राजस्व मण्डल, विधान सभावार नहीं की जाती है। तहसीलवार पशुधन संख्या की सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र चौमूं के सभी ग्रामों में पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत नहीं है। स्वीकृत संस्थाओं में कार्यरत पशुधन सहायकों की सूची (ख) संलग्न है। रिक्त पद शून्य है।

(3) जी हां। एक ग्राम से दूसरे ग्राम में पशु ले जाकर चिकित्सा कराना सम्भव है। सरकार का वर्तमान में इस क्षेत्र के सभी ग्रामों में पशुधन सहायक का पदस्थापन करने का विचार नहीं है।

(4) जी नहीं। संसाधनों के अभाव के कारण नई पशु चिकित्सा संस्था खोलना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

पशु गणना 1997 जिला-जयपुर

सूची ''क''

क्र.सं.	तहसील	गाय	भैंस	भेड़	बकरी	घोड़ा	गधा	ऊंट	शूकर	खच्चर	योग	खरगोश	कुक्कुट	कुत्ता
1.	जयपुर	22674	44299	3507	25681	428	187	1056	10547	45	108424	90	6800	4932
2.	चाकसू	38692	41745	19083	37149	109	127	1452	1635	1	139993	19	5258	5880
3.	सांगानेर	21475	44178	6788	21748	46	115	561	1165	1	94977	37	59304	3035
4.	बस्सी	42208	51640	4682	46320	48	232	1761	2439	1	149331	45	3852	5892
5.	फुलेरा	65050	88162	73926	108813	77	300	3581	4514	3	344426	146	7630	7877
6.	दूदू	51389	42688	104130	60441	81	274	518	1899	2	261422	44	3035	6522
7.	फागी	49762	43835	71343	56237	60	460	686	3405	2	225789	31	7619	7733
8.	आमेर	36545	89060	12145	56783	210	241	1992	1026	1	198003	181	5542	4487
9.	चौमूं	24888	89710	10800	50156	113	231	2458	1657		180013	214	4616	4850
10.	जमवारामगढ़	39822	65668	13250	91463	119	503	2016	1848	1	214690	117	11709	6629
11.	कोटपूतली	17587	79667	20408	43442	109	973	2976	2196	5	167363	92	6393	8868
12.	विराटनगर	13572	30206	8385	47473	34	265	836	681		101452	29	2071	3107
13.	शाहपुरा	15144	56207	13312	49035	44	209	1680	1070	1	136702	87	2680	2750
	योग	438808	767065	361759	693741	1478	4017	21573	34082	62	2322585	1132	126509	72562

चौमूं विधान सभा क्षेत्र में संचालित पशु चिकित्सालय/औषधालय/उप केन्द्र में कार्यरत पशुधन सहायकों का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	कार्यरत पशुधन सहायक का नाम
1.	पशु चिकित्सालय, गोविन्दगढ़	पद सृजित नहीं है
2.	पशु चिकित्सालय, खेजरोली	श्री कल्याणमल सैनी
3.	पशु चिकित्सालय, सामोद	पद सृजित नहीं है
4.	पशु चिकित्सालय, इटावा भोपजी	पद सृजित नहीं है
5.	पशु चिकित्सालय, चौमूं	श्री मुन्नालाल माली (स्कन्ध सहायक)
6.	पशु चिकित्सालय, कालाडेरा	श्री सत्यनारायण यादव
7.	पशु चिकित्सालय, चीथवाड़ी	पद सृजित नहीं है
8.	पशु चिकित्सालय, हस्तेड़ा	पद सृजित नहीं है
9.	पशु चिकित्सालय, किशनपुरा--दो पद	1. श्री रतनलाल
		2. श्री छुट्टन सिंह सोलंकी
10.	पशु चिकित्सालय, उदयपुरिया	श्री रामदयाल माली
11.	पशु चिकित्सालय, नांगलकलां	श्री मोहन सिंह
12.	पशु औषधालय, अणतपुरा	श्री गणेश नारायण
13.	उप केन्द्र, जायवाली	श्री कन्हैया लाल
14.	उप केन्द्र, नांगल भरड़ा	श्री पंकज भारद्वाज
15.	उप केन्द्र, निवाना	श्री राकेश कुमार
16.	उप केन्द्र, बांसा	श्री नाथूराम जाट
17.	उप केन्द्र, ढोढसर	श्री मोहन सिंह
18.	उप केन्द्र, अणतपुरा	श्री सीताराम यादव
19.	उप केन्द्र, तिगरिया	श्री सीताराम
20.	उप केन्द्र, बागड़ों का बास	श्री रामेश्वर प्रसाद यादव
21.	उप केन्द्र, चारणवास	श्री सुरेन्द्र सिंह
22.	उप केन्द्र, भूतेड़ा	श्री अनिल कुमार कुमावत
23.	उप केन्द्र, लोहरवाड़ा	श्री अर्जुन लाल लाम्बा
24.	उप केन्द्र, आष्टीकलां	श्री रतनलाल गवारिया

पंचायती राज संस्थाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रदत्त अधिकार

40. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुछ अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे हैं? यदि हां, तो क्या–क्या अधिकार कब–कब? उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने यह समीक्षा भी की है कि उक्त संस्थाओं को अधिकार सौंपने का क्या प्रभाव रहा? यदि हां, तो क्या नतीजा रहा और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त सम्बन्ध में और अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो क्या–क्या और कब तक?

उत्तर

(1) हां। पंचायती राज संस्थाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भागीदारी निश्चित करने एवं पंचायती राज संस्थाओं को दिये जाने वाले अधिकारों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की छाया प्रति संलग्न प्रेषित है।

(2) अभी आदेश जारी किये थोड़ा ही समय हुआ है। अतः अभी समीक्षा नहीं की गयी है।

(3) वर्तमान में और अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्रमांक: एफ97(8) खा.वि./सा.वि.प्र./98–II जयपुर, दिनांक: 4.4.2000

समस्त,
जिला कलक्टर (रसद),
राजस्थान।

विषय :– पंचायती राज संस्थाओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भागीदारी निश्चित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार निवेदन है कि संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1993 द्वारा राज्य सरकार को 11वीं अनुसूची के विषय में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने का अधिकार दिया है, ताकि ये संस्थाएं स्वयंशासी संस्थाओं के रूप में प्रभावी रूप से कार्य कर सके। इसी परिपेक्ष्य में सार्वजनिक

वितरण प्रणाली के क्रियाकलापों पर निगरानी रखने एवं पंचायती राज संस्थाओं की सहभागीदारी निश्चित करने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकों के सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक आवश्यक रूप से उपस्थित होवें एवं प्रत्येक बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की आवक व वितरण पर चर्चा का बिन्दु बैठक का आवश्यक रूप से स्थायी एजेण्डा हो।
2. प्रत्येक बैठक में सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक गत बैठक के पश्चात् वितरित की गयी आवश्यक वस्तुओं के वितरण का पूरा लेखा-जोखा बैठक में प्रस्तुत करें। बैठक में उपस्थित सदस्यों को आवश्यक रूप से यह अवगत कराया जावे कि उस क्षेत्र से सम्बन्धित उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा विचारित अवधि में कब-कब, कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौनसी आवश्यक वस्तुओं की आवक हुयी एवं इनका वितरण कितने उपभोक्ताओं को किया गया। साथ-साथ यह भी अवगत करायें कि वितरित की गयी वस्तुएं किन दरों पर वितरित की गयी एवं कितनी-कितनी मात्रा में प्रति-राशन कार्ड वितरित की गयी।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर चर्चा का विवरण कार्यवाही विवरण में आवश्यक रूप से डाला जाये। विशेषत: यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के वितरण का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में बहुसंख्यक सदस्यों का मत हो कि वितरण में कोई अनियमितता हुयी है या उचित मूल्य की दुकान सही ढंग से कार्यरत नहीं है तो बैठक के कार्यवाही विवरण में उन तथ्यों का अंकन किया जावें एवं बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, जिला रसद अधिकारी व जिला कलक्टर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. बैठक के दौरान इस बिन्दु पर भी चर्चा की जावें कि उचित मूल्य दुकान स्तर पर गठित सतर्कता समिति सही ढंग से कार्य कर रही है या नहीं? यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में उनके क्या प्रस्ताव है। बैठक के कार्यवाही विवरण में अंकित प्रस्ताव की प्रति उप खण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

अत: आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्तावित कार्य प्रणाली को जिले में शीघ्रातिशीघ्र लागू करने हेतु आवश्यक निर्देश यथाशीघ्र जारी करवाये तथा की गयी कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय,

ह०/-

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन
शासन उप सचिव, राज. जयपुर।

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्रमांक: 97(8)खा.वि./सा.वि.प्र./98-II जयपुर, दिनांक: 10.4.2000

समस्त,
जिला कलक्टर्स,
राजस्थान।

विषय :– पंचायती राज संस्थाओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भागीदारी निश्चित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देश राग संख्यक दिनांकित 4.4.2000 की निरन्तरता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गतिविधियों पर निगरानी रखने एवं पंचायती राज संस्थाओं की सहभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

राशन कार्ड के सम्बन्ध में

ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में राशन कार्ड सम्बन्धित विकास अधिकारी द्वारा बनाये जाते हैं एवं विकास अधिकारी द्वारा ही पक्षकारान के आवेदन पर राशन कार्ड में यूनिट्स को कम करना व बढ़ाना व राशन कार्ड सम्बन्धी अन्य समस्त कार्यों को किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सही राशन कार्ड होने की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से यह निर्देश दिये जाते हैं कि विकास अधिकारी द्वारा पूर्व में बनाये गये राशन कार्ड एवं पूर्व राशन कार्डों में यूनिट्स की तब्दीली के विषय में जो भी निर्णय किये गये हों, वे समस्त निर्णय ग्रुप सचिव द्वारा ग्राम सभा की बैठक में पढ़कर सुनाये जायेंगे ताकि राशन कार्ड जारी करने के सम्बन्ध में विकास अधिकारी द्वारा कहीं कोई त्रुटि की गयी हो तो उसके विषय में ग्राम सभा में जानकारी हो सके। ऐसी समस्त जानकारियों का ब्यौरा ग्राम सभा की बैठक के कार्यवाही विवरण में अंकित किया जायेगा और उसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित विकास अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी को भेजी जायेगी। जिला रसद अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित विकास अधिकारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यवाही विवरण के अनुसार राशन कार्ड में दुरुस्ती हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही त्वरित गति से पूर्ण कर ली गयी है।

उचित मूल्य की दुकान का आबंटन/निरस्तीकरण के सम्बन्ध में

उचित मूल्य की दुकान के आबंटन के सम्बन्ध में वर्तमान में निर्धारित प्रक्रिया यह है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा रिक्त दुकानों हेतु आवेदन प्राप्त किये जाते हैं और उन आवेदनों का निस्तारण आबंटन हेतु गठित सलाहकार समिति की अनुशंसा पर जिला कलक्टर द्वारा आबंटन कर किया जाता है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं उचित मूल्य की दुकान रिक्त हो एवं रिक्ति को भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हो और आवेदन पत्रों के निस्तारण से पूर्व ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन हो रहा हो तो जिला रसद अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रुप सचिव/प्रवर्तन स्टाफ के माध्यम से समस्त आवेदनों के सम्बन्ध में जानकारी ग्राम सभा की बैठक में रखी जाने एवं इस विषय में ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पारित हो उसका ग्रुप सचिव द्वारा कार्यवाही विवरण में अंकन किया जाये एवं उसकी प्रति सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी व जिला रसद अधिकारी को प्रेषित की जाये। आबंटन सलाहकार समिति की उचित मूल्य दुकान के आबंटन हेतु बैठक के बाबत ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के विषय में सदस्यों को जिला रसद अधिकारी द्वारा अवगत कराया जायेगा। जिला रसद अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर को उचित मूल्य की दुकान के आबंटन की अनुशंसा प्रेषित करते समय भी ग्राम सभा के प्रस्ताव के विषय में स्थिति से अवगत कराया जायेगा। जहां पर उचित मूल्य की दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है, वहां आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में ग्राम सभा में कार्यरत उचित मूल्य दुकानदार के विषय में, उसकी कार्यप्रणाली सम्बन्धित या अनियमितता सम्बन्धित कोई प्रस्ताव पास किया जाता है तो ग्रुप सचिव द्वारा उसका कार्यवाही विवरण में अंकन का प्रतिलिपि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी को प्रेषित की जायेगी, जो उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

उचित मूल्य की दुकान की समयावधि के सम्बन्ध में

वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों के खुलने की समयावधि प्रातः 9 से 12 एवं सायंकाल 4 से 7 बजे तक है। ग्राम सभा की बैठक में यदि उचित मूल्य की दुकान की समयावधि में परिवर्तन करने के विषय में कोई प्रस्ताव बहुमत से पारित किया जाता तो उस प्रस्ताव का अंकन कार्यवाही विवरण में कर ग्रुप सचिव उसकी प्रति सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी को प्रेषित करेंगे, जिसकी पालना जिला रसद अधिकारी द्वारा करवायी जायेगी। इस सम्बन्ध में हुये समस्त बदलाव की स्थिति जिला रसद अधिकारी द्वारा मासिक रूप से जिला कलक्टर को उपलब्ध करवायी जायेगी।

चूंकि ग्राम सभाओं की बैठक समस्त स्थानों पर एक साथ ही होती है, ऐसी स्थिति में व्यवहारिक दृष्टि से समस्त बैठकों में प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक का पहुंच पाना दुष्कर है। अतः जहां-जहां प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक नहीं पहुंच पाये, वहां वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, सम्बन्धित समस्त रिकार्ड सहित, बैठक से पूर्व सम्बन्धित ग्रुप सचिव को उपलब्ध करा दी जावे। विभागीय सम संख्ययक आदेश दिनांक 4.4.2000 के अनुसार ग्राम सभाओं आवश्यक वस्तुओं के वितरण का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाना है। जहां-जहां प्रवर्तन स्टाफ का पहुंच पाना सम्भव न हो, वहां-वहां जिला रसद अधिकारी ग्रुप सचिव के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लेखे-जोखे तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विषयक समस्त बिन्दुओं पर ग्राम सभा में चर्चा हो सके।

कृपया उपरोक्त कार्यप्रणाली को जिलें में तुरन्त लागू करने की व्यवस्था करावें तथा की गयी कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।

ह०/-
(अलका काला)
सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

राम किशन वर्मा
मंत्री
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

राजस्थान सरकार
जयपुर
दूरभाष नं. 383371 (कार्यालय)
380222-2359 एक्स.
362855 (निवास)
11, रामसिंह रोड, जयपुर

अ.शा. पत्र क्रमांक- एफ97(8) खा.वि./सा.वि.प्र./98-II जयपुर, दिनांक: 4.12.2000

प्रिय प्रधानजी/सरपंच जी,

राज्य सरकार का यह अभिमत है कि ग्राम स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाओं पर निगरानी रखने एवं उन्हें उचित मार्गदर्शन देने के लिये ग्राम पंचायत मुख्य भूमिका निभाये।

वर्तमान सरकार के आने के बाद खाद्य विभाग द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन एवं इन दुकानों पर वितरित की जाने वाली सामग्री सही व पूरी मात्रा में उपभोक्ताओं को मिल रही है, पर निगरानी रखने के लिये ग्राम सभाओं को अधिकार दिये गये हैं। उचित मूल्य की दुकानों के मामलों में राज्य सरकार द्वारा निम्नप्रकार अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया है:-

1. ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान के आबंटन के लिये एक आबंटन

सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिला रसद अधिकारी एवं तहसीलदार के साथ सरपंच, ग्राम पंचायत को भी इस सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन इस सलाहकार समिति की अभिशंसा के आधार पर ही किया जा रहा है।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आम उपभोक्ता को सही दर पर पूरा राशन मिले, इस उद्देश्य से राशन की दुकानों पर निगरानी रखने के लिये सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों के लिये गठित सतर्कता समिति में सरपंच, ग्राम पंचायत भी सदस्य है। सर्तकता समिति उचित मूल्य की दुकान के संचालन पर निगरानी रखकर यह सुनिश्चित करेगी कि दुकान को आबंटित की गयी नियंत्रित वस्तुएं पूरी मात्रा में पहुंचती हैं एवं उनका वितरण सही उपभोक्ता को किया जा रहा है, इसके लिये यह व्यवस्था भी की गयी है कि दुकान पर आबंटित वस्तुओं की पहुंच एवं उनकी कुल मात्रा का अंकन ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर करवाया जाये एवं राशन सामग्री का सतर्कता समिति के कम से कम दो सदस्यों द्वारा पहुंच का प्रमाणीकरण करने के बाद ही इसका वितरण करवाया जाये।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी किये जाने वाले राशन कार्डों में दर्ज यूनिटों में तब्दील एवं नये राशन कार्ड ग्राम सभा की बैठक में निर्णय लेकर ही बनाये जायेंगे ताकि गलत व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं हो एवं सही व्यक्ति के नाम दर्ज होने से नहीं रह जाये।

4. उचित मूल्य की रिक्त दुकानों के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण ग्राम सभा की बैठकों में ही किया जायेगा एवं ग्राम सभा के निर्णय के अनुरूप आबंटन सलाहकारी समिति द्वारा उचित मूल्य दुकानदार नियुक्त करने के लिये अनुशंसा की जायेगी।

5. गांवों में उचित मूल्य की दुकान निर्धारित समय पर खुल रही है एवं उसमें सामग्री का वितरण सही तरीके से हो रहा है, इस पर निगरानी रखने एवं दुकान खुलने के लिये तय की गयी समयावधि सुनिश्चित करने के लिये ग्राम सभाओं को अधिकार दिये गये हैं। खाद्य विभाग में नियुक्त प्रवर्तन स्टाफ को जिम्मेदार बनाया गया है कि वे ग्राम सभाओं की बैठक में उपस्थित रह कर आवश्यक वस्तुओं का पूरा लेखा-जोखा ग्राम सभा में देवें।

मेरा आपसे अनुरोध है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आपको दिये गये अधिकारों का सही उपयोग करके इस वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिये कार्यवाही करें ताकि जरूरतमन्द उपभोक्ता को उसके हक का राशन मिल सके।

भवनिष्ठ,

ह०/-

(राम किशन वर्मा)

राजस्थान सरकार

(खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग)

क्रमांक: एफ97(8)खा.वि./सा.वि.प्र./98-II जयपुर, दिनांक: 15.12.2001

समस्त,
जिला कलक्टर्स,
राजस्थान।

विषय:– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को दिये जाने वाले अधिकारों के सम्बन्ध में।

महोदय,

73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जिला, खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जो कार्य किये जाने है, उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उनके निम्न अधिकार एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाते हैं:-

1. आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं आवश्यकता निर्धारित करने के सम्बन्ध में

जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं उनकी आवश्यकता निर्धारित करेगी साथ ही क्षेत्र विशेष के लिये अगर अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है तो उनका निर्धारण भी उन्हीं के द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा किये गये समग्र दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जहां उचित मूल्य की दूकानों की ओर आवश्यकता है, उसका निर्धारण भी जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

खण्ड स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का दायित्व होगा कि वे आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की अपने अधिकार क्षेत्र में समीक्षा करें एवं विभिन्न योजनाओं के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जोड़े जाने हेतु कार्यवाही करें एवं ग्राम स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं इसका पर्यवेक्षण करेगी कि उचित मूल्य की दुकानों पर सामग्री निर्धारित मात्रा में एवं निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध है। इस सामग्री का वितरण माह में कितनी बार किया जाना है, इसका निर्धारण वे स्थानीय आवश्यकताओं के लिहाज से करेगी। उचित मूल्य की दुकानें स्थानीय ग्राम पंचायत को पूरा लेखा-जोखा एवं चाही गयी समस्त सूचनाएं देगी।

2. आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, भण्डारण एवं वितरण

जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं तय करेगी कि उनके क्षेत्र में भण्डारण हेतु किन स्थानों पर गोदाम/वेयरहाउस बनाये जाने हैं एवं किन क्षेत्रों में नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी हैं। साथ ही नये राशन कार्ड जारी करने एवं बोगस राशन कार्डों को समाप्त किये जाने के लिये वे प्रस्ताव तैयार करके आवश्यक कार्यवाही करेगी।

खण्ड स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं अपने क्षेत्राधिकार में नयी उचित मूल्य की दुकानें खोलने एवं उन पर समय से सामग्री पहुंच रही है, इसकी व्यवस्था देखेगी। कमजोर वर्ग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूरा लाभ मिल रहा है, इसके लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी एवं सम्बन्धित अधिकारों को इसके लिये दिशा-निर्देश दे सकेगी। स्थानीय पंचायती राज संस्थाएं आवश्यक वस्तुओं का सही वितरण सुनिश्चित करेगी एवं उचित मूल्य की दुकानें इन पंचायती राज संस्थाओं की देख-रेख में कार्य करेगी। उचित मूल्य की दुकानों के लिये दुकानदार का चयन स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं की देख-रेख में किया जायेगा। नये राशन कार्ड एवं बोगस राशन यूनिट्स को समाप्त किये जाने हेतु पंचायतें अपने स्तर से कार्यवाही करने में सक्षम होगी।

3. सतर्कता एवं प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य

जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं आम जनता से प्राप्त शिकायतों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दी जाने वाली सामग्री सही व्यक्ति को एवं सही मात्रा में पहुंच रही है, इस पर निगरानी रखेगी एवं खण्ड स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राप्त शिकायत का शीघ्र निस्तारण करें एवं दूर-दराज के गांवों में सामग्री पहुंचाये जाने हेतु व्यवस्था करें। ग्राम स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं उचित मूल्य की दुकानों पर निगाह रखेगी एवं सतर्कता सम्बन्धी मामले में ग्राम पंचायतों को अधिकार होगा कि वे इन दुकानों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करें एवं उन्हें व्यवस्था को सुचारू बनाये रखे जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दें।

4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबी उन्मूलन के अन्य कार्यक्रमों से जोड़ने के सम्बन्ध में

गरीबी उन्मूलन हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में कितने खाद्यान्न की आवश्यकता होगी, इसका निर्धारण करके जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं जिला कलक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेगी। काम के बदले अनाज योजना के तहत मजदूरी के रूप में दिये जाने वाले खाद्यान्न का वितरण सही तरीके से हो रहा है, इसके लिये भी आवश्यक कार्यवाही करेगी। खण्ड स्तरीय पंचायती राज

संस्थाओं का यह दायित्व होगा कि वे उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों में आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंच रही है, इस पर निगाह रखें एवं कहीं पर भी अनियमितता पायी जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का उन्हें अधिकार होगा एवं ग्राम स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं उचित मूल्य की दुकानों पर बिकने वाली सामग्री की किस्म एवं मात्रा पर निगाह रखेगी। लाभार्थियों को सामग्री पूरी व सही मिल रही है। इसको उनके द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

पंचायती राज संस्थाएं अपना दायित्व भली-भांति निभा सके, इसके लिये जिला स्तर से लेकर क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी अधिकारी/कर्मचारियों का यह दायित्व हैं कि वे इसमें पंचायती राज संस्थाओं को आवश्यक सहयोग देवें। आगे से ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों के लिये जो आबंटन सलाहकार समिति होगी उसकी अध्यक्षता सम्बन्धित सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी एवं इस समिति की अभिशंसा पर ही जिला कलक्टर द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ. 74(7)खा.वि./सा.वि.प्र./87-II दिनांक 10.5.1999 को यथा प्रकार संशोधित माना जावे।

भवदीय,
ह०/-
(राजीव शर्मा)
शासन सचिव

विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति

41. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा क्षेत्र जैतारण के सभी गांवों में पीने के पानी की कमी होती जा रही है? यदि हां, तो बीसलपुर बांध का पानी जो ब्यावर के लिये दिया जा रहा है उसके आगे जैतारण के गांवों को पानी सप्लाई करने की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक लागू कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कुल 92 आबाद ग्राम है वर्तमान में ये सभी गांव विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित है। वर्तमान में 58 गांव में जल सेवा स्तर 50 प्रतिशत से कम है। यानि 35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

इसमें भी 5 गांव का जल सेवा स्तर 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम है तथा 53 गांव का जल सेवा स्तर 25 से 35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हैं। पानी की कमी वाले इन गांवों में वर्तमान में 12 स्वीकृत सम्वर्धन जल योजनाओं पर कार्य चल रहा है जिससे 25 गांव लाभान्वित होने प्रस्तावित हैं। 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम जल सेवा स्तर के 5 गांवों में से 2 गांव इन योजनाओं में सम्मिलित है। शेष 3 गांव के प्रस्ताव बनाये गये हैं जो कि स्वीकृति पूर्व तकनीकी परीक्षण में है। पानी की कमी वाले अन्य गांवों के लिये सम्वर्धन प्रस्ताव प्राथमिकता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर तैयार किये जायेंगे।

बीसलपुर बांध का पानी जैतारण विधान सभा क्षेत्र में देने का वर्तमान में कोई मांग प्रस्ताव व प्रावधान नहीं है।

नगरपालिका प्रतापगढ़ में शराब की दुकान का स्थानान्तरण

42. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका प्रतापगढ़ में स्वदेशी अंग्रेजी शराब की दुकान ठेके पर चल रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में चलाई जा रही शराब की दुकान विभागीय मानदण्डों को पूरा नहीं करती है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दुकान को अन्यत्र ले जाने के लिये वकीलों, जन प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, नागरिकों एवं नशा विरोधी संस्थाओं ने सरकार को बराबर ज्ञापन-स्मरण पत्र दिये हैं? यदि हां, तो सरकार के सामने दुकान दूरस्त ले जाने में क्या आपत्ति है?

(4) क्या यह सही है कि पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ ने भी मन्दिर, विद्यालय, आर्यसमाज भवन व बस स्टेण्ड होने से अन्यत्र ले जाना उचित माना है? यदि हां, तो उक्त दुकान को अन्यत्र ले जाने में क्या समस्या है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। वर्तमान स्थान पर दुकान लगभग गत 10 वर्षों से संचालित है तथा आबकारी निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार विभागीय मानदण्डों के अनुरूप है।

(3) जी हां। इस दुकान को अन्यत्र ले जाने के लिये अध्यक्ष, उपभोक्ता संरक्षण मंच समिति की ओर से एक परिवाद प्राप्त हुआ था परन्तु बाद में उनके द्वारा सूचित किया गया कि अब उन्हें किसी प्रकार का एतराज नहीं है। अध्यक्ष, नगरपालिका, प्रतापगढ़ ने जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित अपने पत्र क्रमांक 3786 दिनांक 21.9.2001 द्वारा इस दुकान को यथावत रखे जाने की अनुशंसा की है। पत्र की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(4) पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 11.1.2002 को जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में विचार किया गया था तथा विचार विमर्श के उपरान्त समिति ने प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया था। प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")

परिशिष्ट "अ"

फ़ोन : 22043

नगरपालिका, प्रतापगढ़ (राज.)

श्रीमती पुष्पा मेहता
अध्यक्ष
फोन : 22346

क्रमांक : 3786 दिनांक: 21.09.2001

श्रीमान् जिला आबकारी अधिकारी,
चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

विषय : प्रतापगढ़ में स्थित विदेशी शराब की दुकान वर्तमान स्थान से शिफ्ट करने के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि मारुति नगर (कबाड़ी का बाड़ा) के निवासियों की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान में स्थित विदेशी शराब की दुकान शिफ्ट की जाकर मारुति नगर (कबाड़ी का बाड़ा) में ठेकेदार द्वारा लगाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। मारुति नगर घनी आबादी वाला आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्र है जहां अधिकांश जैन समाज, ब्राह्मण समाज आदि के परिवार निवास करते हैं। इस क्षेत्र में शराब की दुकान लगायी जाना उचित नहीं है।

वर्तमान में स्थित दुकान करीब 10 वर्षों से वही चल रही है जहां पुलिस का एप्रोच भी सीधा है एवं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी होना सम्भव नहीं है। अर्चना टाकीज से भी दूरी पर स्थित है, टाकीज से दुकान दिखाई नहीं देती है और न ही दुकान से अर्चना टाकीज दिखाई देता है। अगर दूरी में नियमानुसार कोई कमी हो तो विभाग उसमें शिथिलता प्रदान कर सकता हैं क्योंकि नगर में कहीं भी घनी बस्ती में दुकान शिफ्ट किये जाने से अशांति उत्पन्न होने की सम्भावना है और जनहित में ऐसा किया जाना उचित नहीं है।

अतः लेख है कि उपरोक्त विषय में शीघ्र ध्यान दिया जाकर दुकान को यथावत रखे जाने बाबत व्यवस्था करावें।

ह०/–
(पुष्पा मेहता)
अध्यक्षा
नगरपालिका प्रतापगढ़

संलग्न :
नागरिकों एवं परिषदगण के पत्र

परिशिष्ट "ब"

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक न्याय/16-12(9)/2001/435 दिनांक 6 फरवरी 2002 की आंशिक प्रतिलिपि

बैठक कार्यवाही विवरण

देशी/भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की खुदरा दुकानों की अवस्थिति (लोकेशन) के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर विचार करने के लिये गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.1.2002 को दोपहर 3.00 बजे जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिसमें निम्नांकित सदस्य/अधिकारी उपस्थित हुये:-

1. पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह जाडावत विधायक विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़।
3. जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़
4. जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़
5. जनसम्पर्क अधिकारी, चित्तौड़गढ़।

बैठक में सर्वप्रथम जिला कलक्टर महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। दिनांक 1.4.2001 के पश्चात् प्राप्त शिकायतों पर चर्चा की गई।

7. प्रतापगढ़

अध्यक्ष उपभोक्ता संरक्षण समिति प्रतापगढ़ द्वारा घनी आबादी, प्रतापगढ़ से अंग्रेजी शराब की दुकान जो विद्यालय, मन्दिर, बस स्टेण्ड, टाकीज के पास है अन्यत्र लगाने हेतु शिकायत प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक महोदय ने यह दुकान बस स्टेण्ड से 280 फीट दूरी व 80 फीट दूरी पर आर्य समाज मन्दिर की प्राथमिक विद्यालय स्थित होना तथा आस-पास व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थित होकर आम रास्ता है। अतः अन्यत्र शिफ्ट करने हेतु निवेदन किया। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि उक्त दुकान नियमान्तर्गत है। परिवाद असत्य एवं तथ्यहीन है। अतः प्रकरण समाप्त किया जाता है।

ह०/-
अतिरिक्त कलक्टर
(भू.अ.) चित्तौड़गढ़

कोटा जिले में संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद

43. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जिला कोटा स्थित डूंगरजा व मोती कुआं में कार्यरत संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं और स्वीकृत पदों के वितरीत कितने अध्यापक कार्यरत हैं तथा शेष पदों को कब तक पूर्ण करने का विचार सरकार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला कोटा स्थित डूंगरजा व मोती कुआं में कार्यरत संस्कृत विद्यालयों में स्वीकृत पदों एवं कार्यरत अध्यापकों का विवरण निम्नलिखितानुसार है। संस्थाओं में शेष रिक्त पदों के लिये गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कराने हेतु आदेश दिनांक 14.3.2002 को जारी कर दिये गये हैं:–

क्र.सं.	संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	विशेष विवरण
1.	राज.वरि.उ.सं. वि. डूंगरजा (कोटा)	प्राचार्य	1	--	पद शीघ्र भर दिया जावेगा।
		व.अ. I ग्रेड	4	1	रिक्त पदों के लिये गेस्ट फैकल्टों के माध्यम से अध्यापन की अस्थायी व्यवस्था की गई है।
		व.अ. II ग्रेड	6	3	" " " "
		III ग्रेड अ.	3	3	" " " "
		प्रयो. सहायक	1	1	-------------
1.	राज.उ.प्रा.सं. वि. मोतीकुआं (कोटा)	व.अ. II ग्रेड	1	1	" " " "
		III ग्रेड अध्यापक	3	1	" " " "

राज्य में डिप्लोमाधारी आयुर्वेदिक चिकित्सक/कम्पाउण्डर

44. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार आयुर्वेद विभाग में डिप्लोमाधारी चिकित्सकों/कम्पाउण्डरों को रोजगार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस वर्ष कितने लोगों को रोजगार दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामस्वरूप)

(2) वर्तमान में कुल कितने आयुर्वेदिक चिकित्सक ट्रेनिंग शुदा हैं एवं कितने बेरोजगार बैठे हुये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा पूर्व में प्रस्तावित आयुर्वेदिक औषधालय की वित्तीय स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में आयुर्वेदिक विभागान्तर्गत डिप्लोमाधारी चिकित्सकों को रोजगार देने का कोई विचार नहीं है। 200 डिप्लोमाधारियों नर्स/कम्पाउण्डरों को रोजगार देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

(2) आयुर्वेद विभाग द्वारा दिनांक 19.12.2001 को अनुबन्ध के आधार पर स्थिर राशि पर आयुर्वेद चिकित्सकों के 75 पदों को भरने की विज्ञप्ति प्रसारित की गयी थी। इसके विरुद्ध 1428 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1428 आयुर्वेद चिकित्सक ट्रेनिंग शुदा, रोजगार की तलाश में हैं।

(3) वित्त विभाग एवं आयोजना विभाग के विचाराधीन है।

जिला कलक्टर बारां व कोटा द्वारा विधायकों के पत्रों का निस्तारण

45. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) **:** क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) दिसम्बर, 1999 से 28 फरवरी, 2000 तक विधान सभा क्षेत्र अटरू के विधायक द्वारा जिला कलक्टर बारां व कोटा को कितने पत्र लिखे गये? जिला कलक्टरों एवं सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उक्त पत्रों का अन्तिम निस्तारण कब किया?

(2) उक्त पत्रों के अन्तिम निस्तारण सम्बन्धी आदेश व पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर द्वारा सम्बन्धी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखते हुये विधायक को पत्र की प्रति दी गयी? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उक्त पत्रों में से किन-किन अधिकारियों ने अन्तिम निस्तारण करते हुये विधायक को सूचित कर दिया?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर बारां को दिसम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 तक की अवधि में विधान सभा क्षेत्र अटरू के विधायक से उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दो पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनके निस्तारण का विवरण परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

जिला कलक्टर, कोटा को उक्त अवधि में विधायक अटरू से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) उक्त पत्रों के अन्तिम निस्तारण सम्बन्धी आदेशों व पत्रों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(3) जिला कलक्टर, बारां द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया। सम्बन्धित अधिकारियों ने इनका निस्तारण कर, जिला कलक्टर, कार्यालय बारां को सूचित किया तथा जिला कलक्टर, बारां द्वारा माननीय विधायक महोदय को अन्तिम निस्तारण से सूचित किया गया।

(प्रतियां विधान सभा सचिवालय में रखी गयीं)

ग्राम पंचायत ललाना एवं धानसिया (नोहर) में नये पशु चिकित्सालय की स्थापना

46. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नोहर की ग्राम पंचायत ललाना तथा धानसिया में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र नोहर के ग्राम ललाना तथा धानसिया में पशु चिकित्सालय खोलना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

लोहे की छोटी पाइप लाइनों का रख-रखाव

47. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

वर्तमान में राज्य में जहां पर लोहे की छोटी पाइप लाइन 2 से 6 ईंच की लगी हुई है को कितने वर्षों बाद जंग की वजह से बदलने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

लोहे की पाइप लाइन (सन्दर्भित साइज में प्रायः कास्ट आयरन) पर जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि मृदा में पाये जाने वाले कतिपय रासायनिक पदार्थों (पाइप में बाहर की तरफ जंग लगने के सन्दर्भ में) तथा बहने वाले पानी में पाये जाने वाले रासायनिक पदार्थों व घुलनशील वायु (पाइप में अन्दर की तरफ जंग लगने के सन्दर्भ में) पर आधारित है। इस प्रकार जंग लगने की गति स्थान-स्थान पर अलग-अलग होती है तथा यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक समय काल में यह पाइप प्रयोग लायक नहीं रहेगा। योजनाओं का सम्वर्धन सतत् प्रक्रिया के रूप में आवश्यकता, प्राथमिकता तथा धन उपलब्धि के अनुसार किया जाता है। सम्वर्धन का प्रस्ताव बनाते समय उस समय रही पाइप की क्षमता को ध्यान में रखकर पाइप बदलने अथवा समानान्तर अतिरिक्त लाइन डालने बाबत स्थान विशेष के गुण-अवगुण तकनीकी आधार पर ध्यान रखकर निर्णय लिया जाता है।

जिला सीकर के देशी व विदेशी मदिरा समूहों में बकाया राशि की वसूली

48. श्री मोहन लाल मोदी (नीमका थाना): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मै. अश्विनी कुमार, पवन कुमार में देशी व विदेशी मदिरा समूह का वर्ष 2000–2001 का रुपया बकाया है? यदि हां, तो कितना?

(2) उक्त समूह में बकाया की वसूली के लिये अब तक राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं? राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के बावजूद बकाया राशि वसूल क्यों नहीं की जा रही है? उक्त बकाया कब तक वसूल किया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार के द्वारा ठेका प्राप्त करने में प्रस्तुत सोलवेंसी मिथ्या प्रमाण–पत्रों के बारे में श्री संतोष काबरा एवं श्री पवन कुमार के विरुद्ध थाना कोतवाली सीकर में मुकदमा नम्बर 403/2000 दिनांक 19.2.2000 को दर्ज कराया गया? यदि हां, तो अब तक इसकी जांच में क्या प्रगति हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त ठेकेदार की 907.82 लाख रुपये की सीकर समूह में बकाया में कितनी राशि वसूल की गई है और उक्त बकाया राशि कब तक वसूल की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त फर्म का सीकर समूह में वर्ष 2000–2001 में रुपये 907.82 लाख की बकाया थी। वर्तमान में राशि रुपये 600.29 लाख बकाया है।

(2) उक्त बकाया राशि वसूली हेतु प्रयास कर राशि रुपये 307.53 लाख वसूल किये गये। शेष बकाया राशि वसूल करने हेतु बाकीदारों को वर्ष 2000–2001 की आयकर रिफण्ड राशि को कुर्क कर बकाया राशि प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान आबकारी अधिनियम तथा भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भी वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(3) यह सही है कि उक्त ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सोलवेंसी मिथ्या एवं कूटरचित के बारे में श्री संतोष काबरा एवं पवन कुमार के विरुद्ध कोतवाली सीकर में मुकदमा नम्बर 403/2000 दिनांक 12.9.2000 दर्ज कराया गया था। मामले में पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान एफ.आर. संख्या 71 दिनांक 31.3.2001 को दी गई है।

(4) ठेकेदार से उक्त बकाया के प्रति रुपये 307.53 लाख वसूल किये जा चुके हैं, शेष बकाया राशि वसूली करने हेतु बाकीदारों की वर्ष 2000–2001 को आयकर रिफण्ड राशि को उक्त बकाया पेटे प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान आबकारी अधिनियम तथा भू–राजस्व अधिनियम के तहत भी वसूली की कार्यवाही जारी है।

विधान सभा क्षेत्र खण्डार में ए.सी.एम. कोर्ट कार्यालय की स्थापना

49. श्री अशोक (खण्डार): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र खण्डार में ए.सी.एम. कोर्ट कार्यालय है? यदि हां, तो इसका मुख्यालय कहां है?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खण्डार में ही ए.सी.एम. कोर्ट मुख्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में यह विषय विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न संख्या–50

(स्थगित)

पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन में संचालित जनता जल योजनाओं का रख-रखाव

51. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन में वर्ष 2001–2002 तक कितनी जनता जल परियोजना संचालित है तथा उक्त योजनाओं पर कार्यरत श्रमिक को तथा उक्त योजनाओं के अन्तर्गत मोटर संधारण हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस वर्ष तक कर दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या सरकार द्वारा संधारित जल योजनाओं पर कार्यरत श्रमिकों को मासिक वेतन अधिक राशि के रूप में प्राप्त होता है तथा यह राशि उन्हें प्रतिमाह प्राप्त हो जाती है परन्तु जनता जल योजनाओं पर कार्यरत श्रमिकों को 500/– रुपये प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है? क्या उक्त राशि भी इन्हें प्रतिमाह प्राप्त नहीं होती तथा एक-एक दो-दो वर्ष तक की अवधि तक बकाया है?

(3) क्या जनता जल योजनाओं पर कार्यरत श्रमिकों को भुगतान करने के लिये गठित समिति अथवा पंचायत द्वारा बिल प्रस्तुत करवाकर भुगतान किया जाता है? क्या सरकार उक्त व्यवस्था में सुधार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि जनता जल योजना संचालित करने वाली समिति अथवा पंचायत के बैंकों में खाते हैं? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में जिस जनता जल योजना का भुगतान देय होता है प्रतिमाह सीधा बैंक में क्यों नहीं जमा करा दिया जाता?

उत्तर

(1) पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन में वर्ष 2001–2002 तक 63 जनता जल योजनायें ग्राम पंचायत/जनता जल समिति

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

द्वारा संचालित है। ग्राम पंचायत/जनता जल योजना समिति द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर विभाग द्वारा पम्प चालक के संवेतन के सन्दर्भ में एवं मोटर संधारण हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि के भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा संधारित जल योजनाओं पर कार्यरत श्रमिकों के वेतन का मासिक भुगतान उन्हें देय निर्धारित वेतन शृंखला के अनुसार किया जाता है जबकि जनता जलयोजना संधारित करने वाली संस्था को पम्प चालक के संवेतन के सन्दर्भ में प्रतिमाह रुपये 500/– अनुदान के रूप में भुगतान देने का प्रावधान है। यह सही है कि बजट अनुपलब्धता के कारण अनुदान राशि का भुगतान बकाया है।

(3) जी हां। जनता जलयोजना संचालन समिति/ग्राम पंचायत द्वारा बिल बनाकर विभाग को प्रस्तुत करने पर ही अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है। विभाग यह भुगतान बजट उपलब्धतानुसार ही करता है।

(4) जी हां। जनता जलयोजना से सम्बन्धित देय अनुदान राशि का भुगतान सम्बन्धित समिति/ग्राम पंचायत को विभाग द्वारा चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से नियमानुसार ही किया जाता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य का प्रति व्यक्ति ऋण भार

52. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) एवं **श्री किरोड़ी लाल** (बामनवास): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार पर वर्ष 1998–99 में कुल कितना कर्जा था तथा वर्ष 2001–2002 तक उक्त कर्ज कितना–कितना बढ़ा व वित्तीय वर्ष 2002–2003 में कितने बढ़ने के आसार हैं?

(2) वर्ष 1997–98 में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋणभार क्या था तथा वर्तमान में 2001–2002 में बढ़कर कितना हुआ और वर्ष 2002–2003 में कितने होने की सम्भावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में सरकार द्वारा लिये गये ऋण के ब्याज पेटे कितनी राशि प्रतिवर्ष/प्रतिमाह व प्रतिदिन भुगतान की जा रही है तथा उक्त राशि वर्ष 1997–98 में कितनी थी?

(4) राज्य सरकार को वर्ष 1997–98 में कुल कितना राजस्व घाटा था तथा 1998–99 से 2001–2002 में कितना–कितना हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को वैट प्रणाली से होने वाली सम्भावित हानि की पूर्ति हेतु पत्र लिखकर विभिन्न मदों में सेवाकर लगाने कि अनुमति चाही है? यदि हां, तो कितने मदों व क्षेत्रों में सेवा कर कब से लगाना चाहती है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार पर वर्ष 1998-99 तक कुल ऋण भार रुपये 24169.97 करोड़ था वर्ष 2001-02 तक कुल ऋण भार रुपये 39161.76 करोड़ हो जाने का अनुमान है। इस प्रकार वर्ष 1998-99 से 2001-02 में ऋण भार रुपये 14191.97 करोड़ बढ़ने के अनुमान है वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बन्धि सूचना इस वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक अनुमान विधान सभा द्वारा अनुमोदित होने पर दिया जाना सम्भव होगा।

(2) वर्ष 1997-98 में राज्य में वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति ऋण भार 4377.07 रुपये था। वर्ष 2001-02 में उक्त ऋण भार वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर बढ़कर 6934.60 रुपये प्रति व्यक्ति हो जाने के अनुमान है। वर्ष 2002-2003 से सम्बन्धित सूचना इस वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक अनुमान विधान सभा द्वारा अनुमोदित होने पर दिया जाना सम्भव होगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण के ब्याज पेटे प्रतिदिन, प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

किये गये ब्याज का भुगतान

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्रतिवर्ष	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1997-98	1896.67	158.06	5.20
2001-02	3980.18	331.68	10.90

(4) वित्तीय वर्ष 1997-98 में कुल राजस्व घाटा रुपये 581.84 करोड़ था, जो कि वर्ष 2001-02 के बजट अनुमानों में बढ़कर रुपये 3044.99 करोड़ हो जाने की सम्भावना हैं।

(5) जी नहीं।

जिला डूंगरपुर के भवन रहित पटवार सर्कल

53. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला डूंगरपुर में कितने पटवार सर्कल भवन रहित हैं?

(2) क्या सरकार उक्त पटवार सर्कलों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में 16 पटवार सर्किल भवन रहित हैं।

(2) चालू वित्तीय वर्ष एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2002-03 में पटवार सर्कलों के भवन निर्माण हेतु आयोजना मद में कोई राशि स्वीकृत नहीं होने से भवन बनाये जाना सम्भव नहीं है।

श्री गंगानगर जिले की विचाराधीन पेयजल योजनाएं

54. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(1) जिला श्रीगंगानगर की कितनी पेयजल योजनाएं स्वीकृति हेतु जयपुर मुख्यालय में विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्री गंगानगर में कितनी जलप्रदाय योजनाओं के काम जारी हैं तथा कितनी योजनाओं की स्वीकृति अभी तक जारी नहीं की गई? 501 क्या एल.एन.पी. अक्कावाली की योजना 3-4 बार मुख्यालय में भेजने के बावजूद भी स्वीकृति जारी नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या श्रीगंगानगर शहर हेतु पुनर्गठित जल योजना का कार्य काफी लम्बे समय से लम्बित है? अब सरकार इसे कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है? योजना के वित्त पोषण हेतु हुडकों से ऋण प्राप्ति में विभाग की ओर से क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांव 3 एम.एल., 7 ई, 5ई, 4 एम.एल. गांवों में जलप्रदाय योजना से पानी कब तक उपलब्ध करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) राजस्थान वाटर सप्लायी एण्ड सीवरेज बोर्ड द्वारा वर्ष 2001-2002 में अब तक गंगानगर जिले की 13 योजनाएं रुपये 205.60 लाख लागत की स्वीकृति की जा चुकी हैं। वर्तमान में कोई पेयजल योजना स्वीकृति हेतु बोर्ड कार्यालय में विचाराधीन नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में पुनर्गठित शहरी जलयोजना, श्रीगंगानगर के विभिन्न कार्य प्रगति पर है जिनका विवरण परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है। इस क्षेत्र की कोई भी जलयोजना वर्तमान में सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है। जलयोजना 501 एल.एन.पी. जयपुर मुख्यालय को स्वीकृति हेतु एक बार भी प्रेषित नहीं की गई है। इस जलयोजना के प्रस्ताव बनाये गये हैं जो रीजन कार्यालय में जांच प्रक्रिया में हैं।

(3) श्री गंगानगर की योजना का कार्य हुडको सहायता के अन्तर्गत वर्ष 1996 में स्वीकृत हुआ था जिसमें हुड़को द्वारा दी जाने वाली प्रथम किस्त ही माह मार्च, 1999 में राशि रुपये 184.00 लाख की प्राप्त हुई थी। दूसरी एवं तीसरी किस्त प्राप्त करने के लिये क्रमशः माह 12/1999 एवं 2/2000 में आवेदन पत्र हुड़को को प्रेषित किये गये थे लेकिन माह 9/2001 तक किस्त की राशि प्राप्त नहीं हुई जिससे योजना के निर्माण कार्यों की गति धीमी हो गयी। माह अक्टूबर, 2001 में हुड़को द्वारा दूसरी किस्त की राशि रुपये 199.50 लाख की जारी की गयी जिससे योजना के कार्य प्रगति पर है। योजना को शीघ्र पूर्ण करने के लिये हुड़को को तीसरी किस्त राशि रुपये 233.50 लाख के लिये माह फरवरी, 2002 में आवेदन किया जा चुका है। योजना को माह 3/2004 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के ग्राम 7 ई व 5 ई जो कि पुनर्गठित जलप्रदाय योजना श्रीगंगानगर में सम्मिलित है, को माह 3/2003 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। ग्राम 3 एम.एल. व 4 एम.एल. को पेयजल योजना से लाभान्वित करने के लिये विधायक कोटे से राशि रुपये 1.50 लाख स्वीकृत की गयी है जिसके तहत पाइप लाइन डालने का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर सार्वजनिक नलों के माध्यम से पेयजल वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष कार्य जिला विकास ग्रामीण अभिकरण से शेष राशि 25000 रुपये प्राप्त होने के बाद पूर्ण करना लक्षित है।

परिशिष्ट "ख"

पुनर्गठित शहरी जलयोजना श्रीगंगानगर के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य स्वीकृत हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य	वर्तमान स्थिति
1.	इनलेट चैनल व आउटलेट	3	जैड माइनर के समानान्तर चैनल का कार्य पूर्ण हो चुका है। शिवपुर हैड के पीछे आउटलेट स्वीकृत हो चुका है, 2 एम.एल. हैडवर्क्स पर आउटलेट की स्वीकृति सचिव, सिंचाई विभाग, राज. जयपुर कार्यालय में प्रस्ताव (आवेदन पत्र) विचाराधीन है।
2.	स्वच्छ जलाशय का निर्माण	3	2 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा तीसरा कार्य प्रगति पर है।
3.	पम्पिंग मशीनरी	24	22 पम्पसैट प्राप्त हो चुके है जिनमें से 13 पम्पसैटों को स्थापित किया जा चुका है।
4.	जल भण्डारण टैंक	2	एक कार्य की निविदाएं प्राप्त की जा चुकी है जो वर्तमान में मुख्य अभियन्ता (मु०) कार्यालय में स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
5.	राइजिंग मैन	7	दो कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा चार कार्य प्रगति पर है।
6.	वितरण प्रणाली	8	6 कार्य प्रगति पर है।
7.	उच्च जलाशय	11	2 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा चार कार्य प्रगति पर हैं एवं चारों कार्यों के आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा शेष एक की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
8.	जल शोधन संयंत्र	1	कार्य प्रगति पर है।

सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु आबंटित राशि

55. **डा. किरोड़ी लाल (बामनवास):** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु राशि आबंटित की जाती है? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में कितनी–कितनी राशि का आबंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि व्यय करने के मानदण्ड क्या हैं?

(3) गत पांच वर्षों में उक्त राशि का व्यय किस-किस कार्य के लिये किया गया? जिलेवार कार्यों की संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सीमा पर शिक्षा की दृष्टि से कोई राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा सीमांत क्षेत्र विकास चलाया जाता है। इस कार्यक्रम में राज्य के सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर क्षेत्रों में विकास कार्य करवाया जाता है। गत पांच वर्षों में उक्त जिलों हेतु आबंटित राशि निम्नानुसार है:–

वर्ष	राशि (लाखों में)
1996-97	2563.00
1997-98	2563.00
1998-99	2652.00
1999-2000	2917.00
2000-2001	3052.00

(2) सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम में योजना आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जाता है। योजना आयोग द्वारा अगस्त, 2000 में जारी मार्ग दर्शिका की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त राशि को राज्य के सीमावर्ती जिलों के विकासीय कार्यों में ही व्यय किया जाता है, यथा:– शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि। गत पांच वर्षों में आबंटित राशि के विरुद्ध राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में अनुमोदित एवं स्वीकृत कार्यों की संख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। गत पांच वर्षों से सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित राशि में से शिक्षा क्षेत्र में व्यय की गयी राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ग' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट–3
(अतारांकित प्रश्न संख्या–48 की सूची)
राजस्थान लेखा सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	जाति	जिला का नाम
	आदेश 30.4.1998				
1.	श्री अनिल राव	श्री राम सिंह यादव	ग्राम चौकी, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर	यादव–अहिर	अलवर
2.	सुश्री नीति धीमन	श्री पी. एम. धीमन	365, कृष्णा कालोनी, भरतपुर	जांगिड़	भरतपुर
3.	श्री मोहनलाल आचार्य	श्री बंशीलाल आचार्य	2/1 हाउसिंह बोर्ड कालोनी, मदन गंज, किशनगढ़, अजमेर	महाब्राह्मण	अजमेर
4.	श्री सत्येन्द्र सिंह गूर्जर	श्री किशन सिंह गूर्जर	जनक कालोनी, ग्राम महवा, जिला–दौसा	गूर्जर	दौसा
5.	श्री उदय भानू चारण	श्री चमनदान चारण	ग्राम चौपासिनी, तहसील औंसियां	चारण	जोधपुर
6.	श्री सांवरमल	श्री हरदेवाराम	बगड़िया बाल विद्यानिकेतन पोस्ट लक्ष्मणगढ़, सीकर	कुम्हार	सीकर
7.	श्री रमेश सांखला	श्री हरीश चन्द्र सांखला	4–क–2, शापिंग सेन्टर के पीछे, प्रतापनगर, जोधपुर	माली	बाड़मेर
	आदेश 8.1.1999				
1.	श्री कृष्ण चन्द्र कुमावत	श्री प्रभुलाल कुमावत	यूको बैंक के पास पुराना बस स्टैण्ड चाकसू, जिला–जयपुर	कुमावत	जयपुर
2.	श्री सुरेश चन्द्र	श्री बी. आर. चौधरी	शिवाजी नगर, जालौर	कलबी	जालौर
3.	श्री शैलेन्द्र कुमार परिहार	श्री महादेव प्रसाद परिहार	मार्फत बी. एल. यादव 10, गायत्रीनगर, रातानाड़ा	दर्जी	अजमेर
2.	श्री सुनील कुमार	श्री बनवारी लाल सोनी	III, 158, ए. जी. कालोनी, बजाज नगर, जयपुर	स्वर्णकार	जयपुर

परिशिष्ट–4

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–50 की सूची)

लम्बित अनुशासनिक प्रकरणों की सूची जो प्रशासनिक विभाग से अभिलेख/अतिरिक्त अभिलेख प्राप्त नहीं होने, प्रशासनिक विभाग की टिप्पणी आरोपी अधिकारी को आरोप पत्र तामील नहीं होने अथवा आरोपी का लिखित अभिकथन प्राप्त नहीं होने के कारण लम्बित है।

क्र.सं.	आरोपित अधिकारी का नाम	आरोप पत्र जारी होने का दिनांक	विवरण
1.	श्रीमती उषा जैन, व्याख्याता	27.6.1995	न्यायालय से स्थगन है।
2.	श्री राम किशोर खंगार, जिला शिक्षा अधिकारी	4.10.1997	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मूल अभिलेख होने के कारण लम्बित है।
3.	श्री लाल बहादुर, संयुक्त निदेशक	4.7.2000	प्रशासनिक विभाग से टिप्पणी अपेक्षित है।
4.	श्री ताराचन्द जैन, जिला शिक्षा अधिकारी	30.6.2001	अभिलेख प्रशासनिक विभाग से अपेक्षित है।

परिशिष्ट "ख"

लम्बित अनुशासनिक प्रकरणों की सूची जिनमें जांच अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है, जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है

क्र.सं.	आरोपित अधिकारी का नाम	आरोप पत्र जारी करने की दिनांक	जांच अधिकारी की नियुक्ति दिनांक	जांच अधिकारी का पद नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री पी. सी. मंगल, अधीक्षक, आई.टी.आई.	6.12.89	8.4.93	अति. आयुक्त (प्रथम).	उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया हुआ है।
2.	श्री एम. एस. मठारू, व्याख्याता	24.9.1997	15.9.2001	अति. आयुक्त (द्वितीय)	
3.	श्री श्याम लाल विजयवर्गीय, व्याख्याता	20.6.1998	28.10.1998	अति. आयुक्त (प्रथम)	
4.	श्री जीवनराम जी नगर, जिला शिक्षा अधिकारी	19.8.1999	29.6.2001	अति. आयुक्त (द्वितीय)	
5.	श्री गिरीश पंचोरी व अन्य प्रधानाचार्य	22.6.1998	16.9.1999	आयुक्त (तृतीय)	
6.	श्री लतिफुर्रहमान, जिला शिक्षा अधिकारी	22.6.1998	30.10.2000	आयुक्त (तृतीय)	
7.	श्रीमती उपीन्द्र कौर सोई, जिला शिक्षा अधिकारी	5.4.1999	26.4.2001	अति. आयुक्त (प्रथम)	
8.	श्री शिवकुमार माण्डिया, व्याख्याता	5.4.1999	26.6.2000	अति. आयुक्त (प्रथम)	
9.	श्रीमती कामनाधीर भार्गव, व्याख्याता	21.7.1999	1.11.1999	अति. आयुक्त (प्रथम)	

1	2	3	4	5	6
10.	श्री दीन मोहम्मद, व्याख्याता	21.7.1999	26.12.2001	अति. आयुक्त (प्रथम)	
11.	श्री अरेश्वर प्रसाद हटवाल, व्याख्याता	1.9.1999	29.11.1999	अति. आयुक्त (द्वितीय)	
12.	श्री सुनील कपूर, व्याख्याता	13.12.1999	12.10.2000	अति. आयुक्त (प्रथम)	
13.	श्री विश्राम लाल मीणा, व्याख्याता	24.3.2000	19.6.2000	अति. आयुक्त (प्रथम)	
14.	श्री श्रीधर शर्मा, व्याख्याता	25.4.2000	15.12.2000	अति. आयुक्त (प्रथम)	
15.	श्री सुरेश चन्द गुप्ता, व्याख्याता	25.4.2000	26.6.2000	अति. आयुक्त (द्वितीय)	
16.	श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा, अधीक्षक, आई.टी.आई.	28.6.2000	24.11.2000	अति. आयुक्त (द्वितीय)	
17.	श्री जयसिंह निवार्ण, अधीक्षक	26.6.2000	21.9.2001	अति. आयुक्त (द्वितीय)	
18.	श्रीमती ऋतु माथुर, व्याख्याता	1.9.2000	20.2.2001	अति. आयुक्त (द्वितीय)	
19.	श्री शालिनी गुप्ता, व्याख्याता	1.9.2000	16.12.2000	अति. आयुक्त (द्वितीय)	
20.	श्रीमती मनोरमा शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी	26.9.2000	20.6.2001	अति. आयुक्त (द्वितीय)	
21.	श्रीमती परमजीत अरोड़ा, पुस्तकालयाध्यक्ष	10.4.2000	30.7.2001	अति. आयुक्त (द्वितीय)	
22.	श्री गोपाल लाल साख्यवाल, जिला शिक्षा अधिकारी व अन्य	19.12.2000	15.9.2001	अति. आयुक्त (प्रथम)	
23.	श्री प्रेमपाल शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी	9.1.2001	2.6.2001	अति. आयुक्त (द्वितीय)	
24.	श्री डी. सी. गुप्ता, व्याख्याता	18.4.2001	18.8.2001	अति. आयुक्त (प्रथम)	
25.	कु० रूपाली सेठ, व्याख्याता	29.3.2001	4.1.2002	अति. आयुक्त (प्रथम)	

1	2	3	4	5	6
26.	श्रीमती आभा भारद्वाज, व्याख्याता	21.4.2001	15.9.2001	अति. आयुक्त (प्रथम)	
27.	श्रीमती स्नेह गुप्ता, व्याख्याता	25.4.2001	2.7.2001	अति. आयुक्त (द्वितीय)	
28.	श्री नाथू लाल वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी व अन्य	25.4.2001	18.7.2001	अति. आयुक्त (प्रथम)	
29.	श्री कन्हैया लाल शर्मा, व्याख्याता	10.4.2001	20.6.2001	अति. आयुक्त (द्वितीय)	
30.	श्री राम किशन मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी	3.5.2001	30.7.2001	अति. आयुक्त (प्रथम)	
31.	श्री सीताराम चौहान, प्रिंसीपल महाविद्यालय	19.5.2001	15.12.2001	आयुक्त (प्रथम)	
32.	कु० जया गुप्ता, व्याख्याता	25.1.2001	4.1.2002	अति. आयुक्त (प्रथम)	
33.	कु० वन्दना जैन, व्याख्याता	20.9.2001	10.1.2002	अति. आयुक्त (द्वितीय)	
34.	श्री बसन्त कुमार जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी	8.1.2002	27.2.2002	अति. आयुक्त (प्रथम)	
35.	श्री सत्यवृत शर्मा, व्याख्याता	7.9.2000	20.2.2001	अति. आयुक्त (प्रथम)	

परिशिष्ट "ग"

लम्बित अनुशासनिक प्रकरणों की सूची जिनमें जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार में विचाराधीन है

क्र.सं.	आरोपित अधिकारी का नाम	आरोप पत्र जारी करने की दिनांक	जांच प्रतिवेदन प्राप्ति की दिनांक	विवरण
1.	श्रीमती सज्जन पाण्डे, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी	25.8.1994	28.8.2001	जांच प्रतिवेदन पर आरोपित से अभ्यावेदन अपेक्षित है।
2.	श्रीमती श्यामा अग्रवाल	16.1.1999	18.9.2001	" " "
3.	श्रीमती ज्योति सक्सैना, व्याख्याता	21.8.1999	31.10.2001	" " "
4.	श्री डी. के. नौलखा, व्याख्याता	26.9.2000	7.12.2001	" " "

परिशिष्ट "घ"

लम्बित अनुशासनिक प्रकरणों की सूची जिन पर आयोग से परामर्श अपेक्षित है

क्र.सं.	आरोपित अधिकारी का नाम	आरोप पत्र जारी करने की दिनांक	आयोग को प्रेषित करने की दिनांक	विवरण
1.	श्री जे. एस. राघव, व्याख्याता	1.10.1991	28.9.2001	
2.	श्री के.एन. घई, प्रबन्धक, आई.टी.आई.	26.6.1995	16.3.2002	
3.	श्रीमती सुषमा शिवपुरी, व्याख्याता	16.1.1997	16.2.2002	
4.	श्री गोपाल लाल रावत, जिला शिक्षा अधिकारी	29.6.2000	8.3.2002	

परिशिष्ट "ङ"

लम्बित अनुशासनिक प्रकरणों की सूची जिन पर महामहिम राज्यपाल महोदय का अनुमोदन अपेक्षित है

क्र.सं.	आरोपित अधिकारी का नाम	आरोप पत्र जारी करने की दिनांक	महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रेषित करने की दिनांक
1.	श्री पृथ्वीराज शर्मा	18.5.1994	8.3.2002

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-56 की सूची)

पायलेट प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी योजना की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	तहसील	योजना का वर्तमान स्वरूप	प्रस्तावित स्वरूप	योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की लागत
1	2	3	4	5	6
1.	पाटोदा	लक्ष्मणगढ़	टी.एस.एस.	पाईप्ड	30.00
2.	डूंगरवास	" "	क्षेत्रीय	" "	14.37
3.	हापास	" "	टी.एस.एस.	" "	21.79
4.	बजाज नगर व सालमसिंह की ढाणी	सीकर	हैण्डपम्प	टी.एस.एस.	5.50
5.	नांगल	नीम का थाना	पाईप्ड	पाईप्ड	18.54
6.	करंजो	" "	हैण्डपम्प	टी.एस.एस.	5.07
7.	चक भारीजा-2	दांतारामगढ़	" "	हैण्डपम्प	00.50
8.	गोरिया	" "	टी.एस.एस.	टी.एस.एस.	2.50
9.	चकमीटाई	" "	हैण्डपम्प	" "	8.35
10.	भारीजा	" "	टी.एस.एस.	" "	10.00
11.	दलतपुरा	" "	" "	" "	7.70
12.	नीमावास	" "	" "	" "	7.60
13.	मोटलावास	" "	" "	" "	8.25
14.	टोडा	नीम का थाना	पाईप्ड	पाईप्ड	28.95
15.	खुडी छोटी	लक्ष्मणगढ़	टी.एस.एस.	पाईप्ड	18.50
16.	प्रीतमपुरा	नीम का थाना	पाईप्ड	" "	10.54
17.	गुवाड़	" "	टी.एस.एस.	" "	13.47
18.	ठेठ	दांतारामगढ़	" "	टी.एस.एस.	16.43

1	2	3	4	5	6
19.	रूपगढ़	,, ,,	,, ,,	,, ,,	13.95
20.	आगवाडी	नीम का थाना	पाईप्ड	पाईप्ड	4.00
21.	सावंलपुरा तंवरान	,, ,,	हैण्डपम्प	,, ,,	22.02
22.	गोकुल का बास	श्री माधोपुर	,, ,,	टी.एस.एस.	7.07
23.	मोतीपुरा	दांतारामगढ़	,, ,,	,, ,,	4.70
24.	नयाबास	,, ,,	टी.एस.एस.	,, ,,	3.94
25.	नरसास	लक्ष्मणगढ़	,, ,,	,, ,,	6.50
26.	तुली का चारणवास	दांतारामगढ़	,, ,,	,, ,,	0.00
27.	बल्लुपुरा	नीम का थाना	हैण्डपम्प	,, ,,	9.84
28.	ढोकन	,, ,,	टी.एस.एस.	,, ,,	1.15
29.	फिडरोली छोटी	लक्ष्मणगढ़	,, ,,	,, ,,	3.21
30.	कलवा	,, ,,	क्षेत्रीय	क्षेत्रीय	1.78
31.	कंचनपुरा	श्री माधोपुर	पम्प एवं टैंक	पाईप्ड	19.00
				योग	**333.22**

परिशिष्ट–6

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 59 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में सांसद कोष मद के तहत वर्ष 2001 से फरवरी, 2002 में स्वीकृत हैण्ड पम्पों की स्थिति का विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड सं.	पंचायत समिति	वित्तीय स्वीकृति का सन्दर्भ	ड्रिलिंग/इन्स्टालेशलन का विवरण			विशेष विवरण
					ड्रिल्ड	सफल/असफल	इन्स्टालेशन	
1.	पीसांगन	99	पीसांगन	39/936–45/6.8.2001	हां	सफल	चालू	---
2.	पीसांगन	99	पीसांगन	39/936–45/6.8.2001	हां	सफल	चालू	---
3.	राजोसी	82	पीसांगन	109/2103–10/18.2.2002	नहीं	---	---	---
4.	रामपुरानान्द	145	पीसांगन	109/2103–10/18.2.2002	नहीं	---	---	---
5.	देवनगर	61	पीसांगन	109/2103–10/18.2.2002	नहीं	---	---	---

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में सांसद कोष मद के तहत वर्ष 2001 से फरवरी, 2002 में स्वीकृत हैण्ड पम्पों की स्थिति का विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड सं.	पंचायत समिति	वित्तीय स्वीकृति का सन्दर्भ	ड्रिलिंग/इंस्टालेशलन का विवरण			विशेष विवरण
					ड्रिल्ड	सफल/असफल	इंस्टालेशन	
1.	चाट सरदारपुरा	136	पीसांगन	113/2146–52/250202	नहीं	---	---	माह अप्रैल, 2002 के अन्त तक चालू करना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट ''अ''

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-59 का विवरण)

क्र.सं.	जिला	ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी. में व्यय (रुपये लाख में)		
		1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	719.78	617.74	2499.95
2.	अलवर	349.33	350.22	769.37
3.	बांसवाड़ा	109.87	112.50	181.64
4.	बारां	60.71	67.68	216.48
5.	बाड़मेर	1926.30	1206.69	1304.93
6.	भरतपुर	153.85	151.84	253.63
7.	भीलवाड़ा	124.86	50.34	369.21
8.	बीकानेर	382.68	261.51	228.33
9.	बूंदी	141.51	64.04	175.41
10.	चित्तौड़गढ़	183.19	169.61	289.30
11.	चूरू	703.26	332.78	353.63
12.	दौसा	229.05	233.37	369.98
13.	धौलपुर	73.39	59.59	163.36
14.	डूंगरपुर	45.00	73.12	117.80
15.	गंगानगर	1446.10	940.58	161.19
16.	हनुमानगढ़	485.53	163.74	146.92
17.	जयपुर	819.13	1069.14	1557.17
18.	जैसलमेर	148.43	302.73	777.50
19.	जालौर	668.91	721.24	1182.53
20.	झालावाड़	126.00	115.37	271.82
21.	झुंझुनूं	233.95	334.36	690.00

1	2	3	4	5
22.	जोधपुर	1958.68	1343.30	2350.04
23.	करौली	340.67	246.44	423.96
24.	कोटा	85.73	89.43	206.50
25.	नागौर	1170.99	1191.69	1556.45
26.	पाली	424.10	404.23	1326.03
27.	राजसमन्द	145.29	129.67	315.12
28.	सवाई माधोपुर	302.49	67.94	226.60
29.	सीकर	285.74	289.80	680.18
30.	सिरोही	140.28	190.37	451.25
31.	टोंक	119.33	145.97	405.50
32.	उदयपुर	267.09	149.15	430.68
	कुल योग	**14371.22**	**11646.18**	**20452.44**

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-8

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में सांसद कोष मद के तहत वर्ष 2001 से फरवरी, 2002 में स्वीकृत हैण्डपम्पों की स्थिति का विवरण

क्र.सं.	प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	गांव का नाम	लोकेशन	पंचायत समिति का नाम	स्वीकृत हैण्ड पम्पों की संख्या	वेधन कार्य सफल	असफल	कुल	स्थापित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2023-33/8.6.2001	वाकानेर	विठला/दिला के घर के पास	कुशलगढ़	1	1	--	1	1
2.	2023-33/8.6.2001	टीमेडा छोटा	रामेम मईडा के घर के पास	कुशलगढ़	1	1	--	1	1
3.	2023-33/8.6.2001	खेरदा	प्राथमिक विद्यालय के पास	कुशलगढ़	1	1	--	1	1
4.	2023-33/8.6.2001	रावता साथ	मानसिंह वेलजी के घर के पास	सज्जनगढ़	1	--	1	1	--
5.	2023-33/8.6.2001	सादडिया	भीमा वलिया के घर के पास	सज्जनगढ़	1	--	1	1	--
6.	2023-33/8.6.2001	कारमी	मानसिंह कगजी के घर के पास	सज्जनगढ़	1	1	--	1	1
7.	2023-33/8.6.2001	मूनिया खूंटा	विरजी पुनिया के घर के पास	सज्जनगढ़	1	--	1	1	--
8.	2023-33/8.6.2001	बगायचा	कालु दिवा के घर के पास	सज्जनगढ़	1	1	--	1	1
9.	2023-33/8.6.2001	रूपजी पाड़ा	मानसिंह रसना के घर के पास	सज्जनगढ़	1	1	--	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	2023–33/8.6.2001	सादडिया	दलजी सेवला के घर के पास	सज्जनगढ़	1	1	--	1	1
11.	2023–33/8.6.2001	विया पाडा	प्राथमिक विद्यालय के पास	सज्जनगढ़	1	1	--	1	1
12.	2023–33/8.6.2001	गुन्दी बड़ी	रामचन्द्र हमीरा के घर के पास	सज्जनगढ़	1	1	--	1	1
13.	3730–40/17.8.2001	पोटलिया	मगन लाल दलेग के घर के पास	कुशलगढ़	1	1	--	1	1
14.	3730–40/17.8.2001	जोमड़ीमाल	कल्लु खेगा के घर के पास	कुशलगढ़	1	--	1	1	--
15.	3730–40/17.8.2001	खजूरा	कालु वजु मछार के घर के पास	कुशलगढ़	1	1	--	1	1
16.	3730–40/17.8.2001	चूडाला	फतेह सिंह जग्गु के घर के पास	कुशलगढ़	1	1	--	1	1
17.	3730–40/17.8.2001	मोर	कालु सिंह पूजा के घर के पास	कुशलगढ़	1	1	--	1	1
18.	3730–40/17.8.2001	टाण्डा वडला	वीरजी करमा के घर के पास	कुशलगढ़	1	--	--	--	--
19.	3730–40/17.8.2001	मलघर	तेजा चत्रा के घर के पास	कुशलगढ़	1	--	1	1	--
20.	3730–40/17.8.2001	पलक पाडा	प्राथमिक विद्यालय के पास	कुशलगढ़	1	1	--	1	1
21.	3730–40/17.8.2001	महूडिया वज्जा	घिरजी विरा के घर के पास	सज्जनगढ़	1	1	--	1	1
22.	3730–40/17.8.2001	माडली छोटी	थावरा विजीया के घर के पास	सज्जनगढ़	1	1	--	1	1
23.	3730–40/17.8.2001	टोडी कालू	दलेग टिटा के घर के पास	सज्जनगढ़	1	1	--	1	1
24.	3730–40/17.8.2001	कब्जा की छायन	शंकर लाल सिंह के घर के पास	सज्जनगढ़	1	1	--	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	3730–40/17.8.2001	सातसेरा छोटी	खेदू नरेय के घर के पास	सज्जनगढ़	1	--	1	1	--
26.	3730–40/17.8.2001	पाली छोटी	आंगनबाड़ी भवन के पास	सज्जनगढ़	1	1	--	1	1
27.	3730–40/17.8.2001	मोदावाडा मनजी	हकरू हीरजी के घर के पास	सज्जनगढ़	1	1	--	1	1
28.	3730–40/17.8.2001	राठ धनराज	पृथ्वीसिंह करणसिंह के घर के पास	सज्जनगढ़	1	--	1	1	--
29.	3730–40/17.8.2001	मछारा साथ	पुनी मजेय के घर के पास	सज्जनगढ़	1	1	--	1	1
30.	3741–51/17.8.2001	चनावला	डुयरी फला के पास	सज्जनगढ़	1	1	--	1	1
31.	6444–53/7.12.2001	बीकानेर	हवला रावत के घर के पास	कुशलगढ़	1	--	--	--	--
32.	6444–53/7.12.2001	सज्जनगढ़	श्री राम उच्च प्रा. विद्यालय के पास	सज्जनगढ़	1	--	--	--	--
33.	6444–53/7.12.2001	इटाला	मोती बाई जनपद के घर के पास	सज्जनगढ़	1	--	--	--	--
34.	6444–53/7.12.2001	बोचड़दा	रमसु किडया बारिवा के घर के पास	सज्जनगढ़	1	--	--	--	--
	योग				34	22	7	29	22

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-72 का विवरण)

Provision of Section 183 of Rajasthan Tenancy Act 1955

183 Ejectment of certain trespasser-(1) Notwithstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject in the provision contained in sub-section (2), (on the suit of the person or persons entitled to eject him) and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year, during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the anuual rent.

(2) In case of land which is held directly from the state Government or to which the state Government, acting through the Tehsildar is entitled to admit the trespasser as tenant the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of section 91 of the Rajasthan Lend Revenue Act 15 of 1956).

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-76 की सूची)

"शुद्ध के लिये युद्ध" अभियान की कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	जिलों के नाम	पेट्रोल-डीजल			बैरल पाइंट			घी, तेल, मसाले अन्य खाद्य वस्तुएं			कम माप तौल के मामलों की संख्या			
		प्रकरणों की संख्या	एफ. आई. आर. दर्ज	विभागीय कार्यवाही	प्रकरणों की संख्या	एफ. आई. आर. दर्ज	विभागीय कार्यवाही	प्रकरणों की संख्या	एफ. आई. आर. दर्ज	विभागीय कार्यवाही	सही पाये गये मामलों की संख्या	गलत पाये गये मामलों की संख्या	विभागीय कार्यवाही	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अजमेर	नोट :- जिले में चुनाव होने के कारण अभियान नहीं चलाया गया है।												
2.	अलवर	12		12	2		2	11			10	12	12	एक पेट्रोल पम्प
3.	बांसवाड़ा	6		3							8	30	30	बन्द नमूनों
4.	बारां							4			16	23		की जांच रिपोर्ट
5.	बाड़मेर	8		2	2		2	55		1				अप्राप्त।
6.	भरतपुर	4		2	2			14			3	2	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	भीलवाड़ा	7		7				14			20	15	15	
8.	बीकानेर	5		4				35			2	2	2	
9.	बूंदी	14		3	10		6	130		96	240	160	160	
10.	चित्तौडगढ़	9		9				5				2		
11.	चूरू	19		7	6		6	145	1	2	44	14	14	
12.	दौसा	6		5				20						
13.	धौलपुर							41			8	1		
14.	डूंगरपुर	6		4										
15.	श्रीगंगानगर	18		1				22			17	1	1	
16.	हनुमानगढ़	4	1	3							5	6	6	
17.	जयपुर	17		9	6		6	35		13	41	76	76	
18.	जैसलमेर	2		1				17						
19.	जालौर	6		9				2						
20.	झालावाड़	5		5							3	6	6	
21.	झुंझुनूं	9		9	5		5	177	2	29	62	20	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.	जोधपुर	5		1				4				1	1	
23.	करौली	12		1				12			12	5	5	
24.	कोटा	2										39	39	
25.	नागौर	16		7	2		2	11			15	17	17	
26.	पाली	9		8				12		3	24	13	13	
27.	राजसमन्द	12		9	7		4	1		1	50	8	7	
28.	सीकर	7		2				79		8	5	2	2	
29.	सिरोही	4		2	1	1					2	2	2	
30.	सवाईमाधोपुर							6				3	3	
31.	टोंक	8		1	25		4	20			25	30	30	
32.	उदयपुर	8		3				8		8		5	5	
	योग	**346**	**1**	**129**	**68**	**1**	**37**	**880**	**3**	**161**	**612**	**495**	**468**	

परिशिष्ट-11

परिशिष्ट ''अ''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-78 का विवरण)

सतलुज का पानी पंजाब के माध्यम से टेल सरहिन्द फीडर पर उपलब्ध करवाने हेतु बी.बी.एम.बी. की तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित पानी की मात्रा तथा वास्तव में उपलब्ध करवाये गये पानी का विवरण

अवधि	बी.बी.एम.बी. की तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित मात्रा	पंजाब द्वारा उपलब्ध कराया गया पानी (क्यू. डेज)	कमी/बेशी
अक्टूबर, 2001			
1-10	8000	12,310	(+) 4310
11-20	8000	12,355	(+) 4355
21-31	8000	6738	(-) 2062
नवम्बर, 2001			
1-10	8000	7620	(-) 380
11-20	8000	8788	(+) 788
21-30	8000	7725	(-) 275
दिसम्बर, 2001			
1-10	8000	5544	(-) 2456
11-20	9000	9557	(+) 557
21-31	11000	7598	(-) 3402
जनवरी, 2002			
1-10	8000	7687	(-) 313
11-20	8000	6542	(-) 1458
21-31	8000	2594	(-) 6206
फरवरी, 2002			
1-10	7000	2594	(-) 4406
11-20	7000	3366	(-) 3634
21-28	5600	3073	(-) 2527
मार्च, 2002			
1-10	7000	8092	(+) 1092
योग	**1,28,200 क्यू. डेज**	**1,12,183 क्यू. डेज**	**(-) 16017 क्यू. डेज**
औसत	**8071 क्यू. डेज**	**7019 क्यू. डेज**	**1052 क्यू. डेज कम**

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-80 की सूची)

बांसवाड़ा जिले में अपूर्ण तालाबों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	तहसील	अनुमानित लागत (लाखों में)	कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)	मद
1	2	3	4	5	6	7
1.	शेर का रेला तालाब	बांसवाड़ा	16.23	1986–87	2.20	अकाल राहत
2.	बडलीपाड़ा–मानजी तालाब	" "	23.10	1986–87	4.03	" "
3.	अम्बापाड़ा तालाब	" "	21,95	1987–88	1.89	" "
4.	फैफर तालाब	" "	49.46	1985–86	11.54	अकाल राहत जे.आर.वाई.
5.	नवाखेड़ा तालाब	" "	47.00	1986–87	8.51	" "
6.	खेरडाबरा तालाब	" "	31.41	1986–87	3.41	अकाल राहत
7.	गणेशलाल पाड़ला तालाब	" "	43.59	1986–87	11.01	" "
8.	सिंगपुरा तालाब	" "	40.02	1988–89	1.02	" "

1	2	3	4	5	6	7
9.	रामगढ़ तालाब	" "	66.11	1987-88	3.11	" "
10.	वडलीखेड़ा तालाब	" "	65.99	1988-89	0.90	" "
11.	कामलीपाड़ा तालाब	" "	80.76	1985-86	1.20	" "
12.	मुहड़ीखेड़ा तालाब	बांसवाड़ा	110.00	1985-86	1.95	अकाल राहत
13.	खटवा तालाब	बागीदौरा	32.00	1986-87	4.64	अकाल राहत जे.आर.वाई.
14.	पंचाल तालाब	" "	93.41	2001-2002	0.65	अकाल राहत
15.	टिडीयादेव तालाब	कुशलगढ़	111.00	1987-88	11.30	" "
16.	सिमेला तालाब	" "	154.30	1987-88	4.21	" "
17.	वगेरीखूंटा तालाब	" "	138.66	1988-89	0.83	" "
18.	कोटड़ी वगायचा तालाब	" "	118.00	1986-87	5.04	" "
19.	पिपलोन कुण्डिया तालाब	" "	421.00	1986-87	6.03	" "
20.	उदयगढ़ वसुनी तालाब	" "	31.00	1991-92	0.72	" "
21.	देवकी का नाका तालाब	" "	71.00	1987-88	11.60	अकाल राहत जे.आर.वाई.

1	2	3	4	5	6	7
22.	गोपालपुरा तालाब	" "	51.73	1984-85	7.58	अकाल राहत एन.आर.ई.पी.
23.	बोरीवानगढ़ी तालाब	घाटोल	29.16	1987-88	6.87	अकाल राहत
24.	कुण्डा तालाब	" "	61.32	1986-87	4.78	" "
25.	कालीघाटी तालाब	" "	71.00	1987-88	4.41	" "
26.	बख्तौड़ तालाब	" "	91.00	1986-87	3.62	" "